दशम माला, खंड 14, अंक 17

गुरुवार, 30 जुलाई, 1992
8 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 64
Date 26/4/93

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं।)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 17, गुरुवार, 30 जुलाई, 1992/8 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1 - 21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 325 और 327 से 329	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21
तारांकित प्रश्न संख्या : 330 से 346	21—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3356 से 3420, 3422 से 3434, 3436 से 3453, 3455 से 3516, 3518 से 3537, 3539 से 3542, 3544 से 3550, 3552 से 3569 और 3571 से 3588	240-43
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	243—46
ग्वालियर में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिए स्थान	
श्री माधवराव सिंधिया	
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) आजम जही मिल, वारंगल टाउन (आंध्र प्रदेश) को आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों की श्रेणी से हटाए जाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी	243

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) काजू श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी देश में अन्य बागान श्रमिकों के बराबर नियत किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोपी नाथ गजपति	243
(तीन) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों को निरस्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	244
(चार) विसालपुर सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान करने और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नारायण बेरवा	244
(पांच) बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	245
(छ:) नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी द्वारा हो रहे भूमि के कटाव को रोकने के लिए उपयुक्त योजनाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
डा० असीम बाला	245
(सात) केरल में कालीकट स्थित पासपोर्ट कार्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	236
सभा पटल पर रखे गए पत्र	246—47
नियम 193 के अधीन चर्चा	247—99
देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति	
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	248
श्री गोपी नाथ गजपति	249
श्री वी० धनंजय कुमार	252
श्री नीतीश कुमार	256
श्री शरद दिघे	259
श्री शैलेन्द्र महतो	261
श्री लोकनाथ चौधरी	262
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	265

विषय	पृष्ठ

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 267

श्री राम प्रसाद सिंह 269

श्री हरचन्द सिंह 271

श्री कमला मिश्र मधुकर 271

श्री रतिलाल वर्मा 273

श्री प्रेम चन्द्र राम 276

श्री सुबास चन्द्र नायक 277

श्री राम शरण यादव 279

श्री तेज नारायण सिंह 280

श्री ए० वेंकट रेड्डी 281

श्री गिरधारी लाल भार्गव 283

श्री बूटा सिंह 284

श्री एच० डी० देवगौड़ा 284

श्री बलराम जाखड़ 288

कार्य-मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 300

लोक-सभा

गुरुवार, 30 जुलाई, 1992/8 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रतिबन्धित कीटनाशकों का प्रयोग

[अनुवाद]

+
*325. श्री गुमान मल लोढा :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आजकल कृषि और अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जिन पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध लगा है;

(ख) यदि हां, तो इन कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या ऐसे कीटों तथा रोगवाही कीड़ों पर, जिन पर वर्तमान कीटनाशकों का प्रभाव नहीं होता है, नीम पर आधारित कीटनाशकों द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो नीम पर आधारित कीटनाशकों को प्रोत्साहन देने तथा प्राकृतिक खाद्य और कीटनाशकों पर आधारित कृषि को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कुछ कीटनाशी, जिन पर कुछ अन्य देशों में रोक लगा दी गई है, हमारे देश में प्रयोग किए जा रहे हैं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे कीटनाशियों के नाम अनुबंध में दिए गए हैं ।

(ग) सरकार पंजीकरण समिति या विशेषरूप से नियुक्त विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से उपयुक्त

कार्यवाही करने के लिए अन्य देशों में रोक लगाए गए या प्रतिबन्धित कीटनाशियों के निरन्तर उपयोग की समीक्षा करती रहती है।

(घ) मस्टर्ड एफिड, अमेरिकन बौलवार्म, रिफलौर बीटल, खपरा बीटल, जिन पर कुछ रासायनिक कीटनाशियों का प्रतिरोध विकसित हुआ है, नीम पर आधारित कीटनाशी प्रभावी पाए गए हैं।

(ङ) इस सम्बन्ध में उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :—

1. नीम पर आधारित कीटनाशियों को बढ़ावा दिया गया है।
2. समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रम के अन्तर्गत नीम पर आधारित कीटनाशियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3. प्रसार माध्यम के जरिए नीम पर आधारित कीटनाशियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4. कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव-उर्वरकों, कार्बनिक खादों के प्रयोग तथा कीट नियंत्रण की गैर-रसायन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अनुबन्ध

उन कीटनाशियों की सूची, जिन पर कुछ देशों में रोक लगी हुई है किन्तु भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं।

क्रम संख्या	कीटनाशी
1.	एलाक्लोर
2.	एल्डीकार्ब
3.	एल्ड्रिन (1-1-1994 से रोक लगाई जानी है)
4.	बी० एच० सी०
5.	बेनोमाइल
6.	कैल्शियम सायनाइड
7.	कैप्टन
8.	कार्बारिल
9.	क्लोरोबेन्जिलेट
10.	कापर एसिटोर सेनाइट
11.	डी० डी० टी०
12.	डाइकोफोल
13.	डाइल्ड्रीन
14.	डिब्रूशान

1	2
15.	ई० डी० बी०
16.	एण्डोसल्फान
17.	इथाइल मैरकरी क्लोराइड
18.	फेनरीमोल
19.	लिण्डेन
20.	मेनाजोन
21.	मेथीमाइल
22.	मिथाइल पैराथिआन
23.	मोनोक्रोटो फास
24.	निकोटीन सल्फेट
25.	ओक्सीफ्लोरफेन
26.	पी० एम० ए०
27.	पैराक्वेट डाइक्लोराइड
28.	फारेट
29.	फासफेमिडोन
30.	सोडियम मीथेन आर्सेनेट
31.	टेट्रा-डाइफान
32.	थिओमीटोन
33.	ट्राइजोफास
34.	ट्राइडेमार्फ
35.	जिंक फास्फाइड
36.	जीरम
37.	2, 4-डी
38.	सोडियम सायनाइड

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे यह प्रतीत होता है कि भारत में लगभग 38 ऐसी पेस्टीसाइड्स हैं जिनको विश्व के सारे राष्ट्रों ने प्रतिबंधित किया हुआ है यह समझकर कि यह जहर है और इसके कारण मानव समाज का ह्रास होती है और कई

प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। परन्तु भारत में अब तब इन 38 पेस्टीसाइड्स को बराबर काम में लाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन 38 पेस्टीसाइड्स को भारत में विश्व के द्वारा रिजेक्ट करने के बाद और कई एक्सपर्ट्स द्वारा यह कहने के बाद कि डी० डी० टी० और बी० एस० सी० दोनों जहर हैं काम में क्यों लाया जा रहा है। क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार आधा मिलीग्राम तक यह भारत के मनुष्य के भोजन में जाती है जोकि अमरीका और इंग्लैंड से चार गुना ज्यादा है।

[अनुवाद]

सोसाइटी आफ पेस्टीसाइड्स के आधार डा० के० एम० मल्होत्रा का निष्कर्ष यह है कि यह न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य में पैदा होने वाली संतानों को भी थोड़ा-थोड़ा करके जहर दिए जाने के समान है।

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्नाटक के चिकमगलूर के अन्दर इन डी० डी० टी० और बी० एस० सी० के यूज के कारण 1975 से लेकर अब तक 300 व्यक्तियों को गठिया के कारण अन्य बीमारियां हो गई हैं जिनके कारण उनका जीवन दूभर हो गया है? दूसरा पार्ट यह है कि क्या यह सच है कि ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जितनों को ब्रेस्ट ट्यमर होता है उनमें से अधिकांश को डी० डी० टी० और बी० एस० सी० की मात्रा भोजन के रूप में जाने से होता है तो भारत सरकार इसको रोकने के लिए क्या करने वाली है?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को मैं ज्ञात कराऊंगा कि सारे देशों में इनकी मनाही नहीं है। कुछ में इस्तेमाल होता है, कुछ में नहीं होता है। हमने भी 1984 में बनर्जी साहब की अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी उनकी गाइडलाइंस के अनुसार हम देख-रेख करते हैं और 8 कीटनाशक दवाओं को बन्द भी किया है। जहां तक डी० डी० टी० और बी० एस० सी० का सवाल है इसको भी स्पेशल तरीके से देखा जा रहा है कि क्या करना है। यह स्पेशल चीजें हैं और विभिन्न देशों के वायुमण्डल पर आधारित हैं, उस हिसाब से किया जाता है। जो चीजें ठीक नहीं हैं उनको रोकना जरूरी है, यह बात आपकी सही है। हमने कमेटी बनाई है वह इस बात को देखेगी और उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। हमने 8 को बन्द किया है :

डी० डी० टी०; बी० एच० सी०, सोडियम सायनाइड; केपटाफोल; अल्यूमिनियम फासफाइड; मिथाइल ब्रोमाइड; क्लोरी बेजिलेटाइट और डिलड्रिन।

इनको रिस्ट्रीक्ट कर दिया कि इनका कहां यूज कर सकते हैं, इनको आम आदमी या आम खेती में यूज करने के लिए नहीं रखा है। इनका रिस्ट्रिक्टेड यूज किया है और दुबारा देखरेख कर रहे हैं जो भी इसका निराकरण किया जा सकेगा वह किया जायेगा।

श्री गुमान मल लोढा : मेरे प्रश्न का जो घ भाग है उसमें मैंने पूछा है कि प्राकृतिक खाद के आधार पर और नीम के द्वारा जो उत्पादन होता है पेस्टीसाइड्स का भारत के अन्दर और प्राकृतिक खाद जिसके अन्दर गाय के काउडंग से खाद बनती है। इस देश के अन्दर जितनी दूसरी कीटनाशक दवायें हैं, उनसे हमारे कृषकों और भारत की जनता को बचाने के लिए एवं नीम पर आधारित कीटनाशकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मद्रास के रिसर्च इंस्टीट्यूट के 1986 के आंकड़े हैं कि एक करोड़ दस लाख गायें और बैल उपयोगी हो सकते थे जिन को काट दिया गया, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि इनको

बचा लिया जाता तो कितना फर्टिलाईजर या गोबर या प्राकृतिक उर्वरक मिलता ? साथ ही क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आयातित पेस्टीसाईड्स को प्रतिबंधित करके प्राकृतिक रूप से जो कीटनाशक हैं उनके उपयोग करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग को अनुमति नहीं दी गई है ।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं इस बात के लिए कि किस तरीके से नीम को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

[अनुवाद]

(एक) पंजीकृत समिति ने नीम पर आधारित कीटनाशकों को कृषि के महत्त्व के कीड़ों के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों को लोकप्रिय बनाने के लिए अस्थाई पंजीकरण की अवधि में उनका वाणिज्यक आधार पर उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करने की छूट दी है ।

(दो) नीम आधारित कीटनाशी दवाओं का नाशक कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए समेकित नाशक कीट प्रबन्धन की परिधि के अन्तर्गत भी विस्तार किया जा रहा है ।

(तीन) किसानों और पर्यावरण लाभ के लिए ऐसे वनस्पति सम्बन्धी कीटनाशी दवाओं की सहज उपलब्धता के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के विचार से नीम आधारित कीटनाशी दवाओं के पंजीकरण हेतु आंकड़ों की जानकारी को सरल बना दिया गया है ।

(चार) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विस्तारकर्त्ताओं के लाभ हेतु ऐसी कीटनाशी दवाओं के जैविक गुणवत्ता पर अच्छे परिणामों के तेजी से प्रसार हेतु त्रैमासिक आधार पर "नीम न्यूजलेटर" लिखित रूप से निकाला जा रहा है ।

बायो साइड्स का उपयोग : (एक) पंजीकरण समिति ने गोभी, फूलगोभी, टमाटर, कपास और अरंडी के नाशक कीटों के नियंत्रण हेतु एक बायोसाइड बेसिलस थुरींजिसेस (बी० टी०) के लिए पंजीकरण प्रदान किया है ।

(दो) पंजीकरण समिति ने अस्थाई पंजीकरण के विलम्बन के समय बेसिलस थुरींजिसेस (बी० टी०) को बाज़ार में वाणिज्यिकरण करने के लिए पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है । यह भी वाणिज्यिकरण के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत किया गया कार्य है ।

(तीन) ऐसे बायोसाइड्स के लिए पंजीकरण देने हेतु आंकड़ों की आवश्यकताओं को भी पंजीकरण समिति ने सरल बना दिया है ।

(चार) किसानों द्वारा ऐसे कीट नियंत्रण रसायनों को तेजी से अपनाए जाने हेतु बायोसाइड के उपयोग का समेकित नाशक कीट प्रबन्धन (आई० पी० एम०) की परिधि के अन्तर्गत विस्तार किया जा रहा है । दो बायोसाइड नामतः बेकिलस थुरिंजिसेस और बेकिलस स्फेरिकस के आयोग की अनुमति देने हेतु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रार्थना-पत्र पंजीकरण समिति के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

इसके अलावा भी जिस तरीके से हम चाहते हैं हमारे फ्रेंडली पेस्टीसाईड्स जो दूसरे कीड़ों का नाश करते हैं, जो हमारी फसलों को भी बनाकर फिर छोड़ते हैं। इनफैक्स इंटिग्रेटेड प्रोग्राम कंट्रोल का है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। 40-40 हैक्टेयर प्लाट लाकर के किस तरीके से हम उन कीड़ों को छोड़ें जिससे दूसरे हमें इस्तेमाल नहीं करने पड़ें और हम उसी सहारे जिन्दा हैं। फार्मिंग में मैन्योर फर्टिलाईजर एवं बायोगैस का इस्तेमाल करें, इसके बारे में पूरा अनुसंधान कार्य तेजी से अग्रसर है।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बोल्ली रामय्या : श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि श्री गुमानमल लोढा ने उल्लेख किया है कि इन 38 कीटनाशकों में से तीन कीटनाशी दवाएं—बी० एच० सी०; डी० डी० टी०; और ई०एम०सी० अत्यधिक जहरीली हैं। यदि इसे डी० आयल ब्रांड में भी पाया जाता है तो विदेशों में लोग इसे पशुओं को खिलाने के लि; भी तैयार नहीं होते क्योंकि इससे दूध और मांस भी संदूषित हो जाएगा और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर होंगे। हाइड्रोकार्बन कीटनाशी दवाएं सस्ती हैं और यदि आप इनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा भी देते हैं, तो भी किसान सबसे सस्ती उपलब्ध कीटनाशी दवाओं का उपयोग करेगा और उनका अंगूरों और सब्जियों पर छिड़काव करेगा जो मानव के लिए हानिकारक होगी।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह देखने के लिए अनुरोध करूंगा कि इन चीजों पर जितना जल्दी सम्भव हो सके रोक लगाई जाए।

श्री बलराम जाखड़ : श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उस पर विचार करूंगा और मेरे विचार से हमने उन्हें पहले ही प्रतिबंधात्मक उपयोग के अन्तर्गत रख दिया है। मैंने यह देखने के लिए एक नई समिति गठित की है कि क्या हम उन पर पूर्ण रोक लगा सकते हैं और मुझे यह आशा है कि हम शीघ्र ही यह कार्य कर देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं—जो आपके लिए रुचिकर भी हो सकती है कि हम भारत में प्रति हैक्टेयर लगभग 270 ग्राम कीटनाशी दवाई का उपयोग करते हैं जबकि अमेरिका में 570 ग्राम, जापान में 9 किलोग्राम और इटली में 13 किलोग्राम दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हम फिर भी अधिक सुरक्षित अवस्था में है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर दिया गया है, वही स्थिति की गम्भीरता को प्रकट करता है। मैं समझने में असमर्थ हूं कि 38 प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग अभी भी हिन्दुस्तान में हो रहा है। मंत्री जी का कहना है कि ये 38 कीटनाशक विश्व भर में प्रतिबंधित नहीं हैं, कोई किसी देश में हैं और कोई किसी अन्य देश में हैं। यह हो सकता है। लेकिन किसी देश ने इनको प्रतिबंधित किया फिर भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या उनका कारण केवल इकोनामी है? क्या उनके प्रयोग का कारण यह है कि तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते हैं इसीलिए स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए केवलमात्र आर्थिक कारणों से हम यह कर रहे हैं। मैं कारण जानना चाहूंगा कि ऐक्सपर्ट कमेटी ने इसको अनुमति कैसे दी और ऐक्सपर्ट कमेटी कौन सी बनी थी, किस वर्ष की थी और क्या 1986 के बाद कोई ऐक्सपर्ट कमेटी बनी है? अगर बनी है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि फिर से इस

सारी सूची को देखकर पुर्नविचार किया जाए क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो 1986 के बाद प्रति-बंधित हुई होंगी ?

श्री बलराम जाखड़ : एक कमेटी 1984 में बनी थी । अब 1991 में एक और बनाई गई है । इसके लिए कारण मैं आपको बताना चाहूंगा ।

[अनुवाद]

"कीटनाशी दवाओं के उपयोग पर रोक/प्रतिबंध के प्रमुख कारण एक देश से दूसरे में भिन्न हैं । इसलिए सभी देशों पर एक जैसे नियम लागू नहीं हो सकते । कीटनाशी दवाओं के आयोग पर रोक/प्रतिबंध विभिन्न देशों ने एक अथवा अधिक कारणों से लगाए हैं जैसे स्वास्थ्य हानि के कारण, सुरक्षित किन्तु महंगी कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता, किसी विशेष देश में विशिष्ट कारणों से कुछ कीटनाशी दवाओं का वातावरण सम्बन्धी कारणों से न अपनाया जाना, कीटनाशी दवाओं की कीट प्रतिरोध शक्ति आविर्भाव आदि । कुछ कीटनाशक दवाएं जिनके उपयोग पर अन्य देशों में रोक/प्रतिबंध लगा हुआ है, अभी भी हमारे देश में निम्नलिखित कारणों से उपयोग में लाई जा रही है ।"

ये वे कारण हैं जिनसे हम इनका उपयोग करते हैं । मैं आणवाणी जी की चिंता से पूर्णरूप से सहमत हूं और हम उन कीटनाशक दवाओं पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए उचित नहीं हैं ।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर साहब ने कहा है कि पैस्टिसाइड को बन्द कर दिया जाए । पैस्टिसाइड के बगैर तो खेती नहीं होती । मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से विनती करता हूं कि जब हमारी फसल—कनक, चावल सस्ते बिकते हैं तो हमें पैस्टिसाइड भी सस्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बलराम जाखड़ : हरचन्द सिंह जी बिल्कुल ठीक कहते हैं ।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की तरफ से जवाब तो आना चाहिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार यह एक प्रकार का आश्वासन है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाल में जून के "इकनामिक टाइम्स" में एक विस्तृत लेख पढ़ा था जिसमें "नीम भारतीय मूल का वृक्ष है—इसके विभिन्न उपयोग" विषय पर जर्मनी में हुए अनुसंधान की चर्चा है । क्या सरकार अपने देश में नीम की उपयोगिताओं का अध्ययन करने और यह न केवल कृषि के लिए उपयोगी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है, इस प्रकार का अध्ययन शीघ्र लागू करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : मैंने अभी आपको उत्तर दिया और जो आप कहते हैं, उसके अनुसार पूरा दत्तचित्त हो कार्य हो रहा है ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी दी है, उसमें कहा है कि 38 दवाइयों पर रोक लगाई गई है, कुछ ऐसी हैं जो अन्य देशों में किसी न किसी रूप में बैन की गई हैं लेकिन हमारे यहां उनका प्रयोग होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञ उन दवाइयों की जांच-पड़ताल में इतना पीछे क्यों पड़ गए जबकि अन्य देश आगे हो गए और उन्होंने मानव के हित में, जिन्दगी के हित में, उन दवाओं को खतरनाक घोषित करके बैन कर दिया, जब कि हमारे विशेषज्ञ लोग उन दवाइयों में हानिकारक तत्वों का अभी तक पता नहीं कर पाए। यदि उन्होंने पहले से इस बारे में खोज कर ली होती तो उन दवाइयों के कारण हमें जितना नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान से बचा जा सकता था। मैं जानता हूं कि क्या हमारे विशेषज्ञ उन दवाइयों के बारे में अनुसंधान करके जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, हां, निकाल रहे हैं। वे जीन्स को हिमालय के पौधों से अलग कर रहे हैं और उन्हें नाशक कीटों पर नियंत्रण के लिए प्रयोग में ला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष जी, हमारे यहां देहात में कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। इन्सान के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में यही स्थिति है। पिछले दिनों डब्ल्यू० एच० ओ० की एक रिपोर्ट निकली थी, जिसमें कहा गया था कि जिन एन्टीबायोटिक्स को दूसरे देशों में तिरस्कृत कर दिया गया है, उनका हिन्दुस्तान में इतना अधिक व्यवहार हो रहा है कि अब हमारी दूसरी जैनरेशन पर उसका बुरा असर पड़ने जा रहा है। पौधों के बारे में भी, 38 दवाइयां ऐसी यहां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए था, मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने कुछ बैन की हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनकी क्या परसेंटेज है और नीम पर आधारित जो अच्छी दवाइयां बनी हैं जर्मनी में, जैसाकि अभी एक माननीय सदस्य, श्री सूर्य नारायण यादव, ने जिनका जिक्र किया, उनकी परसेंटेज हमारे देश में कितनी है। इस रेश्यों को देखते हुए, क्या सरकार नीम पर आधारित खाद का प्रयोग इतना अधिक बढ़ाने पर जोर देगी जिससे हमारे देश की अधिक भलाई हो सके।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम लखन यादव जी ने जो कुछ कहा··· (व्यवधान)···नहीं, वे राम और लखन दोनों हैं, मैं तो सिर्फ राम ही राम हूं, वे तो लखन भी हैं, राम और लखन दोनों हैं। इसलिए हमारा भाईचारे का रिश्ता है, हमारा भाईचारे का रिश्ता कायम है। उसी के अनुसार मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नीम की जो उपयोगिताएं हैं, उनकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान है। हम चाहते हैं कि नीम का प्रचार, हर प्रकार से, दवाइयों में भी और मनुष्यों के लिए भी होना चाहिए क्योंकि जब मैं बाहर गया था तो हमारी वहां बातचीत हुई थी और मुझे लगा कि बाहर के लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि नीम का क्या उपयोग हो सकता है, नीम में क्या-क्या उपयोगिताएं हैं, उसका क्या हो सकता है। अतः नीम का उपयोग करने के लिए हमारे यहां काम ज्यादा हो रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले उनको दे दिया हमने एक्स्ट्रा, स्पेशल कन्सेशन देकर किया है और हम इसके उपयोग को और बढ़ाना चाहते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि कृत्रिम जीवन बनाकर जिन्दा रहना ठीक नहीं है। हमें अपने आधारभूत पांवों पर खड़ा होकर काम करना चाहिए जिसमें कि प्रकृति पर ज्यादा निर्भर रहें, यही हमारा दृष्टिकोण है, यही हमारा प्रयास है।

श्री जगमीत सिंह बरार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि आलरैडी जिन 37 आईटम्स को उन्होंने बैन किया है, उसके बावजूद हमारे किसानों को जो पेस्टिसाइड्स और दूसरी चीजें मार्केट में सप्लाई होती हैं, चूंकि मैं एक ऐसे जिले से यहां आता हूं जहां पर-कैपिटा कंजम्पशन पेस्टिसाइड्स की पूरे देश में मैक्सिमम है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसे केसेज हुए हैं जिनमें करोड़ों रुपये का ऐसा पेस्टिसाइड मार्केट में सप्लाई हुआ था, जो एडल्टरेटिड था, उसमें सारा कुछ मिक्स्ड रहा और इसमें इसमें जो लोग अरैस्ट हुए, या जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से पैदा नहीं हुई है। जो पूछना है वह मुख्य प्रश्न से ही होना चाहिए। इसे अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य कई इलाकों में, जो इन राज्यों से लगे हुए हैं, वहां काफी समय से पान की खेती होती रही है परन्तु पौधों में कीटाणु लग जाने के कारण पिछले तीन वर्षों से पान की फसल नष्ट हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन 38 कीटनाशक दवाइयों के नाम आपने इस सूची में दिए हैं, जो अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, इनको मेरी जानकारी के आधार पर प्रयोग करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। जो आपने एक समिति इस बारे में बनाई है, क्या उस समिति में इसकी जांच की कोई भी कारंवाई आपकी जानकारी में आई ? यदि हां, तो उसको दूर करने के क्या-क्या उपाय हैं ? जिससे पान की खेती बच सके और जिसको हम निर्यात करते थे तथा पिछले तीन सालों में जिसके निर्यात में गिरावट आई है, उसे दूर किया जा सके।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय सदस्य ने यह बात मेरे ध्यान में लाई है, तभी से मैंने इसको उस कमेटी को भेजा है। उसकी फाईंडिंग आ जाने दीजिए, मैं जरूर कार्रवाई करने की सोच रहा हूं क्योंकि पान नहीं खाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी और मुंह लाल करना तो तो जरूरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 326, श्री संतोष कुमार गंगवार। मेरे विचार से इसका उत्तर वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाना है और हमारा इसे 6-8-92 तक के लिए स्थगित करने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह तो बहुत साधारण सा प्रश्न था मान्यवर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप जोर देते हैं तो मैं अनुमति दे दूंगा किन्तु यदि आपको सूचना नहीं मिलती है तो मैं इसे छोड़ दूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पटेल : इसमें कुछ रहस्य लगता है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो मैं अनुमति दे दूंगा। किन्तु यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इनका कोई लाभ नहीं है।

इमारती लकड़ी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

+

*327. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

डा० अमृत लाल कालिदास पटेल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में इमारती लकड़ी के प्रयोग पर केन्द्रीय सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा निजी भवन निर्माताओं को भी सलाह देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) लकड़ी की बचत की दृष्टि से भवन निर्माण में वैकल्पिक सामग्री के प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में, सरकार द्वारा मामले पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि बाजार में उपलब्ध स्वीकार्य मानक और टिकाऊपन की वैकल्पिक सामग्री के ब्यौरे एकत्र करने के बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 1-4-93 से ऐसी स्थानापन्न सामग्री का प्रयोग आरम्भ कर देगा। इस तारीख से लकड़ी का प्रयोग पूर्णतः बंद होगा।

2. इसी प्रकार के कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों/संघशसित क्षेत्रों के लिए लिखा गया है कि वे आवास और भवन निर्माण में संलग्न एजेंसियों को निर्माण कार्यों में लकड़ी का इस्तेमाल रोकने की दृष्टि से लकड़ी के स्थानापन्नों का इस्तेमाल करने की सलाह दें। आवास क्षेत्र में आवास वित्त और ऋणदाता संस्थाओं को भी उनके द्वारा वित्त पोषित आवास तथा भवन निर्माण योजनाओं में लकड़ी के स्थानापन्नों के प्रयोग पर बल देने सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा अच्छा प्रश्न है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि हमने राज्य सरकारों को और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा था अनुरोध किया कि वे भी इमारती लकड़ी का प्रयोग बन्द करें, मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने पूछा है, उसके दूसरे भाग का उत्तर अपूर्ण है। मैंने यह भी जानना चाहा था कि प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में आपने क्या कार्रवाई की है

और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसको आपने छोड़ दिया है। मैं चाहूंगा कि इसका भी उत्तर आप देंगे कि प्राइवेट बिल्डर्स को भी क्या आपने इस बारे में चर्चा की है, यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मान्यवर, यह जो सवाल पूछा गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे-जैसे हमारे लिए घरों की जरूरत बढ़ती जाती है वैसे-वैसे वृक्षों की, लकड़ी की, जंगलों की, जो हमारी जरूरत है, वह बढ़ती जाती है और उससे यह होता है कि हम दरख्तों को काटते हैं जिससे हम अपनी लकड़ी की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए हमने सी० पी० डब्ल्यू० डी०, जो कि अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री के नीचे है, उसको हमने कहा है कि वे जो भी घर अब बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, उनमें दरवाजे और खिड़कियों की चौखटों के लिए रोल स्टील, प्रैस स्टील और एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करें क्योंकि हमने यह सोचा कि जो हम दूसरों को कह रहे है, वह हम खुद शुरू करें, जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि जो हम कहते हैं, उसको खुद भी मानते हैं और उसको खुद भी करते हैं। इसलिए हमने प्रदेश सरकारों को भी कहा है और हमारा यह सजैशन है कि आप इसको देखिए, ऐसा करिए, तो इससे फायदा होगा। यह भी हमने कहा है कि जो हमारे शटर्स आदि होते हैं, उनको भी एल्यूमीनियम का बनाइए जिससे लकड़ी का इस्तेमाल कम हो।

अध्यक्ष महोदय : वे प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में कुछ पूछ रहे हैं ?

श्रीमती शीला कौल : प्राइवेट एजेंट जैसे हुडको है, जो इसके लिए फंडिंग करती है, उसको भी हमने कहा है कि जहां तक वह फंडिंग करे, वहां अपना सजेशन दे कि लकड़ी का प्रयोग कम से कम किया जाए और जो मैंने अभी कहा है उन चीजों का इस्तेमाल करें।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने जानना चाहा था कि आपने राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए हैं या जिस प्रकार से सूचित किया है, उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? जिस प्रकार से अंधाधुंध वनों की कटाई होकर इमारतों में इमारती लकड़ी लग रही है उस दृष्टि से आवश्यक है कि आप उसका प्रयोग बन्द करें, जिसके बारे में तय किया है कि अप्रैल 1993 से आप उसका प्रयोग सर्वथा बन्द कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, इस प्रकार के आश्वासन पहले भी दिए गए थे। लेकिन क्या आपने इस बात की सन्तुष्टि कर ली कि 1 अप्रैल, 1993 से सी० पी० डब्ल्यू० डी० इसका प्रयोग बिल्कुल बन्द कर देगी ? दूसरा जिस भाग का उत्तर रह गया है कि राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपने जिस बैठक में गाइडलाइंस तय की हैं, क्या उस गाइडलाइन के अनुसार कुछ कार्यवाही आपने प्रारम्भ कर दी है और यदि कर दी है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रीमती शीला कौल : हमने प्रदेश सरकारों को लिखा है। आपको पता है कि इस पर केन्द्र का कन्ट्रोल तो नहीं होता है, हम सिर्फ रिक्वैस्ट कर सकते हैं, सजैशन्स दे सकते हैं लेकिन जबरदस्ती कोई चीज नहीं करना चाहते हैं, न ही करेंगे। वह उनके ऊपर है, यदि मान जाएं तो अच्छा है और काम भी अच्छा हो जाएगा।

श्री अन्ना जोशी : आपने स्टेट्स को सरकुलर भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है ?

श्रीमती शीला कौल : हरेक के अपने-अपने रिएक्शन अपनी-अपनी जगह पर होते हैं। 17-18 स्टेट्स के रिएक्शन्स आगे चलकर आपको बता दूंगी। अभी तो कोई रिएक्शन नहीं है। हमने अपने

सजेशन्स भेज दिए हैं।...(व्यवधान) 1988 से सी० पी० डब्ल्यू० डी० यह काम कर रही है लेकिन जैसा मैंने कहा, हम इसे ठीक से अगले साल मार्च-अप्रैल से शुरू करेंगे।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट बिल्डर्स के बारे में हुडको का बताया है। अन्य भी बहुत सारी भवन निर्माण संस्थाएं हैं जो प्राईवेट बिल्डर्स करती है, केवल हुडको नहीं है। इसलिए क्या उनके साथ कोई चर्चा है?

अध्यक्ष महोदय : चर्चा हो सकती है, इंसट्रक्शन्स नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमृत लाल कालिदास पटेल : आजकल सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण के बारे में चिंतित है। दुर्भाग्य-वंश हम अपने देश में उतने चिंतित नहीं हैं जितना हमें होना चाहिये। मैं अपने गुजरात राज्य की बात कर रहा हूं। वर्ष 1975 में 10 प्रतिशत भूमि पर वन थे। आज केवल 1.2 प्रतिशत भूमि पर ही वन है। इससे वनों के विनाश का पता चलता है।

इसलिये बहुमूल्य वस्तु लकड़ी और वनों की सुरक्षा के लिए क्या माननीय मन्त्री उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उन वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं जिनका लकड़ी के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है? आज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सुविकसित है और बहुत सी वस्तुओं का पता लगाया गया है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित करेगी?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं कि इस क्षेत्र में उद्योग को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्रीमती शीला कौल : मैं थोड़ा सा जवाब दे सकती हूं। मैं अभी पूना गई थी तो रास्ते में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में जो मैंने देखा और उनको समझाया वह यह था। वहां बहुत सारी आवास कालोनियां बन रही थीं। उनमें खिड़की और दरवाजों के जो फ्रेम्स बने हैं, उनमें लकड़ी के स्थान पर वे लोग सीमेंट के बना रहे थे। इसलिए हम ऐनकरेज कर सकते हैं कि ऐसा बनाएं।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या आवास कार्यों में लकड़ी के बने सामान के स्थान पर वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है अथवा अध्ययन करने के लिये कोई सहायता दी गई है। यदि हां, तो इससे कितनी बचत होगी?

अध्यक्ष महोदय : इसके विकल्प हैं, मिश्रधातु, लोहा, अल्यूमिनियम आदि। इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिये गए उत्तर से हमें यह पता नहीं चलता कि क्या स्वीकार्य स्तर वाले और टिकाऊ विकल्पों का अब तक पता लगाया गया है अथवा नहीं। तथापि सरकारी आवास निर्माण कार्यों में इमारती लकड़ी पर प्रतिबन्ध लगाने की तिथि अप्रैल, 1993 निर्धारित की गई है।

अतः क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इमारती लकड़ी की मात्रा का कोई निर्धारण किया गया है ?

श्रीमती शीला कौल : खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती ।

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे सकती हैं ।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार एक निर्धन राज्य है लेकिन यह वन सम्पदा के रूप में बहुत ही समृद्ध है । इस व्यवस्था में जैसाकि माननीय मन्त्री द्वारा बताया गया है, 1 अप्रैल, 199[illegible] से मकानों के निर्माण में दरवाजों और खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जायेगा । क्या यह सूचना और अनुदेश सभी राज्य सरकारों को भी भेज दिए गये हैं और यदि वे बिहार में भी प्रभावी होते हैं तो इससे निश्चित रूप से बिहार सरकार के राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अतिरिक्त व्यय को केन्द्रीय राजकोष से पूरा करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं चाहते कि यह किया जाये ?

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, मेरा प्रश्न संगत है ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता करेगी । मैं नहीं समझती कि केन्द्रीय सरकार सहायता करेगी ।

[हिन्दी]

श्री रीत लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की रक्षा के लिए और जंगलों को बचाने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं , लेकिन देश में बढ़ई का काम करने वाले लाखों लोग हैं···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप अपना प्रश्न करने का अनुरोध तो करते हैं लेकिन संगत प्रश्न नहीं करते । इसका रोजगार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । इस प्रकार नहीं आप सदन में कोई काम-काज नहीं होने देना चाहते हैं । आप दूसरे सदस्यों को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदया ने लकड़ी के स्थान पर इस्पात और एल्यू-मिनियम के प्रयोग की बात उन्होंने कही है । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, उसके टिकाऊपन के लिए क्या मापदण्ड निश्चित किए गए हैं और जैसे हिन्दुस्तान में ब्यूरो-आफ-इंडियन-स्टैंडर्ड या आई० एस० आई० के० नाम से जाना जाता था, क्या उसकी भी सहायता लेंगे, ताकि जो भी लकड़ी के स्थान पर प्रयोग किया जाए, वह स्टैंडर्ड का हो या उसका मापदण्ड निश्चित हो ? मैं यह भी जानना चाहता हूं, क्या इस्पात और एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कहीं ऐसा न हो कि कहीं लकड़ी की तरह कम मात्रा में तो नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मैं इस के बारे में चिन्तित थी और मैं अपने लोगों से इनके बारे में पूछा तथा जानकारी लेने की कोशिश की लकड़ी का इस्तेमाल हटने के बाद और चीजें जैसे एल्यूमिनियम

थोड़ा, इस्तेमाल करने पर उसकी जिन्दगी ज्यादा नहीं है, तो कम भी नहीं है, बल्कि ज्यादा होगी। मैं समझती हूं कि नई चीजें की जा रही हैं, इनके पीछे बहुत रिसर्च होती हैं और उसके बाद प्रयोग की जाती है। वरना आपने घर बनाया और वह ढीला-हुआ तो ढह जाएगा, तो ऐसे घर का क्या फायदा। इसलिए जो बनाते हैं, रिसर्च पहले करते हैं। जो साइनटिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने यह बताया है।

महाराष्ट्र में खाद्यान्न का उत्पादन

*328. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में खाद्यान्न में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक आरम्भ किया जाएगा?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान, महाराष्ट्र में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा 80.76 लाख टन है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार ने महाराष्ट्र में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना नहीं बनाई है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में मदद करने के लिए एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम, मक्का, कदन्न तथा दलहन के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत कृषकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन में क्वालिटी बीजों का वितरण एवं उत्पादन, खरपतवारनाशियों झाड़ीनाशियों, पौध संरक्षक रसायनों तथा उपकरणों, कृषि उपस्करों आदि का राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरण सम्मिलित है। नव-विकसित प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए खेतों पर प्रदर्शन तथा कृषकों एवं विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नई तैयार की गई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए कृषकों को "मिनिकिटों" का वितरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2429 को दिए गए उत्तर में बताया गया है कि महाराष्ट्र में 89-90 में 132.4 लाख टन का उत्पादन हुआ है और 1990-91 में 121.५ लाख टन का उत्पादन हुआ है और अभी-अभी मंत्री जी ने बताया है कि 1991-92 में अनुमानित उत्पादन 80.76 लाख टन का है, इस प्रकार से मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया है। यह जो उत्पादन में कमी हुई है उसके क्या कारण हैं?

अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि महाराष्ट्र के लिए कोई भी ऐसी कार्य योजना उत्पादन बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू नहीं की है तो क्या ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र के वास्ते किया गया है या अन्य राज्यों के वास्ते भी ऐसी योजना लागू नहीं की गई है यह बताने की कृपा करें?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र में वहां 11.5 प्रतिशत ऐरिया ऐसा है जो सिंचित है और बाकी सारा का सारा जितना क्षेत्र है उसमें सिंचाई ऊपर से होती है। प्रभु की कृपा पर निर्भर है और वहां बहुत ज्यादा सूखा हुआ है इस कारण से ऐसा हुआ है—121 से 80 पर आया और जब बरसात हो जाती है, वर्षा ठीक हो जाती है तो उत्पादन ठीक हो जाता है। उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और जिस तरीके से किसानों ने उसमें बढ़ोत्तरी की है जैसे ज्वार में 130 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आई है, इन सालों में उसका कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, पर हैक्टेयर ईल्ड में बढ़ा है। इसी तरीके से पलसेस का है, लेकिन जब बरसात नहीं होती तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या औरों के लिए भी कुछ किया है। हमारा काम सहायता करना है जहां-जहां कोई स्कीम होती है, प्रपोजल्स होते हैं हम उनकी सहायता करते हैं। जैसे अभी-अभी बताया गया कि हम स्टेट के काम में मदद करते हैं बाकी काम प्रदेश का है, प्रदेश का सारा काम है कि वह स्कीमें बनाए, प्रपोजल्स बनाए और उसमें जहां हमारी सहायता की आवश्यकता होती है वह सहायता हम देते हैं जैसे वाटर शैड प्रोग्राम हैं उसको बनाने के लिए हम स्टेट्स को देते हैं, अगर आप कहो तो मैं बाकी प्रोग्राम के बारे में सारा कुछ बता देता हूं कि किस तरीके से हम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी पैकेज कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से बरसात पर निर्भर क्षेत्रों को उत्पादनशील बनाना;

उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्रों में भी वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की अवधारणा का विस्तार करना;

विविध फसल ढांचे का उन्नयन करना;

प्रौद्योगिकी का किसानों तक शीघ्रता से अन्तरण करके विस्तार प्रयासों को प्रबल बनाना पड़ेगा यह कार्य विशेषरूप से बागवानी और सब्जियों की फसल वाले क्षेत्रों में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा; और

राज्य सरकार के प्रयासों को पूर्ण बनाने के लिए एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम, मक्का, बाजरा और दालों के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, आदि जैसी केन्द्र की योजनाओं/केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्पादन और खाद्यान्नों की आवश्यकता के बीच अन्तर समाप्त करने के लिए एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम, मक्का और बाजरा आदि के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम जैसी कुछ योजनाओं को संशोधित किया गया है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पौधों को सुरक्षा प्रदान करने वाले रसायनों आदि में सहायता की दर कम करके पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशी दवाईयों को प्रोत्साहन देने हेतु अधिक से अधिक क्षेत्र को अति उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत लाया जा सके। योजनाओं का ब्यौरा किया गया है। हम किसानों और राज्य सरकारों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उनके प्रयास में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, खाद पर सबसिडी कम करने की वजह से महाराष्ट्र में प्रति हैक्टर खाद के उपयोग में कमी हुई है और उत्पादन में भी कमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष भी सरकार का खाद की सबसिडी में कमी करने का विचार है, यदि ऐसा है तो इसका असर किसानों पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री बलराम जाखड़ : महाराष्ट्र में खाद की खपत में कमी नहीं आई है, बल्कि लगभग 3 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है और हम किसान के हित को देखकर ही कुछ करते हैं। पहले किसान का घर पूरा हो, उसके घर को पूरा करके ही पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की क्या योजना है और महाराष्ट्र सरकार को क्या मदद दे रहे हैं और जितनी मदद देंगे, उससे प्रोडक्शन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, क्या इस तरह की कोई प्लानिंग केन्द्र सरकार के पास है और आपने एक लिस्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि मिनि किट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसीडाइज्ड रेट्स पर ये-ये चीजें उपलब्ध कराएंगे, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो सहायता दी है, उसके परिणामों की क्या आपने स्टडी की है, उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया है, इसमें कोई नई बात इन्होंने मेरे से नहीं पूछी है।

श्री अन्ना जोशी : प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बता दिया है कि स्कीम्स महाराष्ट्र सरकार की होती है, ये उसमें मदद करते हैं।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की एक रीजन बताया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में 10-15 साल पहले भी जब बसंत राव नाईक मुख्यमंत्री थे, तब हायब्रिड ज्वार का उत्पादन होता था, लेकिन जो बजट महाराष्ट्र सरकार का होता है, उसमें आपने अभी तक कितनी सुविधाएं दी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अरबन एरिया ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गया है, शहर बढ़ गए हैं, इसलिए किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था कम है। सरकार को महाराष्ट्र से दूसरे फायदे मिलते हैं, महाराष्ट्र से, बम्बई से टैक्स अधिक मिलता है, तो क्या सिंचाई की दृष्टि से और बीज की दृष्टि से किसानों को सहायता देने के लिए क्या केन्द्र सरकार की कोई स्पेशल योजना है?

श्री बलराम जाखड़ : यह तो प्लानिंग कमीशन या फाइनांस मिनिस्ट्री ही बताएगी।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि महाराष्ट्र में खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 11 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। सिंचाई व्यवस्था महाराष्ट्र में बढ़ाने के लिए क्या केन्द्र सरकार अधिक धनराशि देने की व्यवस्था करेगी?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन या सरकार की जो योजनाबद्ध कार्यक्रम है, उसके अनुसार ही धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात है। आपको ठीक-ठीक बात कहनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में महाराष्ट्र में खाद्यान्न उत्पादन के बारे में बताया गया है, आपकी जो योजनाएं हैं, वे पेपर पर बहुत सुन्दर लग रही हैं, लेकिन ये योजनाएं जितनी सुन्दर दिखाई देती है, उतना लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय : योजनाएं इनकी नहीं हैं, महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको मदद करते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मदद जरूर करते हैं मेरा प्रश्न यह है कि विदर्भ के लिए इंटीग्रेटिड प्रोग्राम फार राईस डिवेलेपमेंट दर्शाया गया है, इस प्रोग्राम के माध्यम से वहां के किसानों को अभी तक कोई फायदा हुआ हो ऐसा हमारी नजर में नहीं आया, कृपया कर के मंत्री जी बताएं कि राईस डिवेलेपमेंट के लिए, पैडी के अधिक प्रोडक्शन के लिए आपके पास ऐसी कोई योजना है जो विदर्भ के किसानों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के काम आ सके ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, योजनाएं सारे स्टेट्स के लिए हैं किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं, हम सबको समदृष्टि से देखते हैं।

[अनुवाद]

नए तेल/गैस भंडार

***329. श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के बाद तट पर तथा तट से दूर दोनों ही स्थानों पर तेल/गैस के कौन से नए भंडार खोजे गए हैं जहां से पेट्रोलियम पदार्थों का वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन किया जा सकता है; और

(ख) इन भण्डारों से उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा तथा इनसे कितना वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1991 से अब तक 18 स्थानों पर वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य तेल एवं गैस के भण्डार मिले हैं।

(ख) इन भंडारों के रेखांकन और विशिष्ट परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद ही उत्पादन के शुरू होने की तारीख और वार्षिक उत्पादन की रूपरेखा के बारे में पता चल सकेगा।

श्री अनन्तराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश प्रतिवर्ष पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे माल के आयात पर भारी धनराशि खर्च कर रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे माल के सम्बन्ध में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युद्ध-स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके आवश्यक वक्तव्य में यह कहा गया है कि गत दो वर्षों के दौरान तेल एवं गैस भण्डारों की खोज की गई है लेकिन वह नगण्य है। खोज किए गए 18 भण्डारों में से कुछ तो गैस के ही भण्डार हैं।

अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान किए जाने वाले दोहन कार्य के सम्बन्ध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या उन्हें विश्वास है कि आठवीं योजना की समयावधि के अन्त तक लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य यह बात बिल्कुल सही है कि हम कच्चे तेल और पैट्रोलियम के उत्पादों के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं हैं। हमें पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर अत्यधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है।

महोदय, तेल और गैस के स्वदेशी उत्पादन में सुधार लाने और पेट्रोलियम उत्पादों के संवर्धन हेतु परिष्करण क्षमता में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय द्वारा शोधन, उत्पादन और विकास के कार्यों में प्रबल प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य आठवीं पंचवर्षीय के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं। मोटे तौर पर हमारा कुल 41000 कि० मी० भूकम्पीय सर्वेक्षज, 3-डी 41000 कि० मी० 2-डी तटीय और 92,000 कि०मी० 2-डी अपतटीय भूकंपीय सर्वेक्षण करने का इरादा है। हमारा 30 लाख मीटर की मीटरेज सहित 1173 कुएं खोदने का इरादा है। हमारा अन्वेषण छिद्रड़ कार्यों पर भी लगभग 6,400 करोड़ व्यय करने का विचार है। यह आशा है कि यद्यपि बम्बई हाई में कतिपय परिशोधन उपायों के कारण सैद्धांतिक तौर पर कच्चे माल का उत्पादन पिछले एक अथवा दो वर्षों में स्थिर हो गया है फिर भी हम शीघ्र ही इस प्रवृत्ति को मोड़ देंगे। और आठवीं योजना वधि के अन्त तक हम 47 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन कर सकेंगे। हमारा गैस का उत्पादन भी दुगना होने की संभावना है। सरकार ने हाल ही में मेगा परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। जो आठवीं योजनावधि के दौरान उत्पादन करना आरंभ कर देगा और इससे भी उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

अन्त में हाल ही में सरकार ने चौथे दौर की बोली आमंत्रित की है जिससे विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों को अधिक पूंजी निवेश के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के अन्वेषण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री अनंतराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहले अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर के आधार पर मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

माननीय मन्त्री जी ने पहले ही यह बताया है कि उन्होंने अन्वेषणात्मक कार्य का ठेका विदेशी कम्पनियों को आबंटित किया है। मेरा प्रश्न यह है कि वे कम्पनियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें अन्वेषण कार्य का ठेका दिया गया है और इस ठेके को प्रदान करने के लिए क्या बहुलकता अपनाई गई है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : चौथे दौर की निविदा बोली के सम्बन्ध में जिसमें 72 खण्डों—33 तटवर्ती और 39 अपतट के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के अलावा विदेशी तेल कंपनियों से बोली के प्रस्ताव मांगे गए, 13 खण्डों के लिए 24 बोलियां प्राप्त हुई। मैं उन सभी कंपनियों की सूची नहीं देना चाहता क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया जारी है। ये उत्पादन में साझेदारी के ठेके हैं। विभिन्न मानदण्ड तैयार किए जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि कुछ महीनों के भीतर वार्तालाप और तकनीकी चर्चा के उपरांत ठेकों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

श्री अनंतराव देशमुख : महोदय, क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनंतराव देशमुख : माननीय मंत्री जी ने मुझे उन्हें कंपनियों के बारे में बताया था जिनको उन्होंने ठेका दिया है।

अध्यक्ष महोदय : 31 कंपनियों के नाम हैं। उन्हें सभी कंपनियों के नाम स्मरण नहीं हो सकते।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैं वजीरे पैट्रोलियम से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर समुद्र से दूर पिछले दिनों काफी एक्सप्लोरेशन वर्क किया गया है लेकिन उसके नतायज नहीं के बराबर हैं। मैं समझता हूं कि एक्सप्लोरेशन का काम होता है, लेकिन ड्रिलिंग का वक्त आता है तो ड्रिलिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बिहार के अन्दर दरभंगा, मधुबनी में शुरू किया गया था। गण्डक प्रोजेक्ट से अमेरिकन कंपनी स्लमबरगर को बुलाकर इस एक्सप्लोरेशन का वर्क किया गया था जिसमें फिजिकली वर्क हो चुका है। उस एरिया का एयर बाउंड सर्वे कराकर ड्रिलिंग का सरकार का क्या प्रोग्राम है। 1985-90 में इस पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है। समुद्र से दूर ऐसे इलाकों से कम पैसे में ज्यादा पैट्रोल निकाल सकते हैं। इस तरह का प्रोजेक्ट दरभंगा-मधुबनी, गण्डक-कोसी के बेसिन में चल रहा था। स्लमबरगर कंपनी जो अमेरिका से बुलाई गयी थी तो उस पर लाखों रुपया खर्च हुआ। क्या सरकार के पास उसके कुछ नतीजे आए और अगर नहीं आए तो क्या आप इस पर कोई काम करने जा रहे हैं ताकि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य की अन्वेषण और विकास कार्य को तेज करने सम्बन्धी चिन्ता को समझते हुए, उनकी यह टिप्पणी कि बम्बई हाई की परियोजनाओं के परिणाम ठीक नहीं आ रहे, पूर्णतः गलत है। हमने बम्बई में केवल अपतट की बहुत परियोजनाओं को ही मंजूरी दी है जहां हमारे देश के 70 प्रतिशत हमारे पहले से बनाए गए और प्राप्त करने योग्य भण्डार हैं। अधिकांश पूंजी निवेश बम्बई हाई में किया गया है। हाल ही में हमने पन्ना नीलम, एल दो-जलाशय और एल 3 जलाशय परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसके आठवीं योजना के दौरान चालू हो जाने की संभावना है जिससे उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : बिहार के बारे में बोलिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं बम्बई अपतट के बारे में बोल रहा था क्योंकि सदस्यों ने उसके बारे में पूछा था। हम अभी तक बिहार में अन्वेषण कार्य पर लगभग 76 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। अभी तक कोई कमर्शियल हाइड्रो कार्बन्स नहीं पाया गया है। अगर आप आठवीं योजना के दौरान कार्यों का ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उसे पढ़कर बता सकता हूं। मेरे पास आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक विशेष परियोजना के बारे में सूचना चाहते हैं। यदि आप वह सूचना उन्हें दे सकते हैं तो ठीक है नहीं तो उन्हें भिजवा दीजिएगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : एकदम सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि वहां पर सैकड़ों स्थल हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय सदस्यों को लिखित में भिजवा देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल के नडिया जिले के इच्छापुर क्षेत्र में वाणिज्यक रूप से अर्धक्षम भण्डार पाए गए हैं जैसाकि

समाचारपत्रों में पहले ही बताया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या अगली योजना में इस क्षेत्र को विकसित करना और वहां से तेल निकलना भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : पुनः यह सामान्य से विशेष प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर उनके पास सूचना उपलब्ध होगी तो वह देंगे, नहीं तो आपको लिखित में भिजवा देंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य का कहना उचित है। अभी तक प० बंगाल में हमने ऐसे 41 कुंओं में खुदाई की है जहां हाइड्रोकार्बन नहीं मिली है जो वाणिज्यिक रूप से उपयोग योग्य हैं। तथापि माननीय सदस्या द्वारा बताए इस विशेष कुएं में तेल की कोई संभावना नहीं मिली है। आठवीं योजना के कार्यक्रम में इसे अवश्य शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : गुजरात के सदस्य को भी बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी : मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने 18 जगहों का बताया है कि वहां गैस मिली है, इसका वे स्टेटवाइज ब्यौरा दें और गुजरात में पोरबन्दर तथा भावनगर में गैस के भण्डार मिले हैं लेकिन आप वहां से उत्पादन कब शुरू करने वाले हैं और उसका ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बराबर नहीं है और मन्त्रीजी उत्तर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं।

[अनुवाद]

आप सामान्य में विशेष और विशेष से सामान्य प्रश्न पर नहीं जा सकते हैं। बस, ठीक है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : 18 कुंओं में जिसमें 1991 के बाद तेल और गैस मिली है, मैं उसके बेसिनवार आंकड़े दे सकता हूं। उदाहरण के लिए बंबई अपतट—चार कम्बे बेसिन—दो, कच्छ अपतट-एक आदि आदि।

कैम्बे बेसिन और कच्छ अपतट गुजरात में है यदि आप कैम्बे बेसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो एक जम्बूसार है जहां तेल मिला है; दूसरा किम है उसमें भी तेल उपलब्ध है और कच्छ अपतट में जी के 22-सी कुंआ है। यह गुजरात में है और इसमें गैस उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रायः यह देखने में आ रहा है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए चिन्तित रहती है। बाहर की भी कंपनीज में इस संदर्भ में बात करके कई विदेशी कंपनीज को आपने अपने यहां अनुसंधान करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए बुलाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बाहर से कंपनीज अनुसंधान और उत्पादन बढ़ाने के लिए यहां आई हैं वे रुचि नहीं ले रहीं हैं, क्या उनको वाणिज्यिक सुविधा या अन्य प्रकार की सुविधाएं सरकार नहीं प्रदान कर रही है, अगर ऐसा है तो उनको ये सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वे बिना हिचकिचाहट से पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अनुसंधान के कार्य में रुचि ले सकें?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी विदेशी कंपनी रुचि नहीं ले रही है। जहां तक अनुसंधान कार्य का सम्बन्ध है यह सच है कि पहले वाली बोलियां उतनी सफल नहीं रही थीं। लेकिन वर्तमान दौर की बोलियों में, जिसमें विदेशी कंपनियों को भी अनुमति प्रदान की गई है, हमने अधिक सही शर्तें, अधिक अनुकूल शर्तें रखी हैं ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इन विदेशी कंपनियों से मूलतः संसाधनों में अन्तराल के कारण आमन्त्रित किया गया था वह संसाधन जिनकी आवश्यकता है, कुल मिलाकर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादित कर सकता है और प्रौद्योगिकी जिसे वह ला सकते हैं। वे इसमें रुचि ले रहे हैं का प्रक्रियाधीन है उनकी बोलियां बड़ी जांच की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो कुछ पूछा जाता है उसका उत्तर ही नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आपने गलत प्रश्न पूछा था।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, माननीय सदस्य ने देश में विदेशी कपनियों से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में प्रश्न पूछे हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने उनके प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझा है। अगर ऐसी बात है तो मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि चौथे दौर की बोलियां शुरू हो गई हैं? बोलियां आई हैं, बोलियों का मूल्यांकन किया है। ठेकों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है, और ठेकों को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले मैं नहीं जानता कि कौन सी सुविधाएं विदेशी कंपनियों को प्रदान की जाएंगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाइक : अध्यक्ष जी, विदेशों और देश की कंपनियों से विड्ज मंगाए गए हैं। इसके पहले भी कई दफा विड्ज मंगाए गए लेकिन फैसला नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पहले जो विड्ज मंगाए गए थे, उसके बारे में सरकार ने फैसला क्यों नहीं किया ऐसा कौन सा कारण है कि दुबारा नए विड्ज मंगाने पड़े ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि पहले इसके तीन दौर थे। बोलियां आई थीं बोलियों का मूल्यांकन किया गया लेकिन किसी को भी तेल नहीं मिला इसलिए चौथे दौर में हमने इस देश में अधिक खण्ड विकसित किए हैं।

मैं सदन को पहले भी एक से अधिक बार बता चुका हूं कि हमने तट पर और तट से दूर दोनों प्रकार के अधिक खण्डों को विकसित किया है और हमें और बोलियां प्राप्त हुई हैं। हम आशा करते हैं कि ठेके दिए जाएंगे और देश के लाभ के लिए तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैर-सरकारी भवन निर्माताओं का पंजीकरण

*330. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अनेक भवन निर्माता उपभोक्ताओं के साथ धोखा करके प्लाटों और फ्लैटों की बुकिंग के नाम पर उनसे धनराशि ऐंठ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राजधानी में भवन निर्माताओं के विरुद्ध दिल्ली पुलिस को ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) उन भवन निर्माताओं के विरुद्ध तथा कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी भवन निर्माताओं का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1-7-91 से 30-6-92 के दौरान उन्हें 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। धोखाधड़ी के सोलह मामले दर्ज किये गये थे और 14 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(घ) और (ङ) दिल्ली में प्लाटों व फ्लैटों के निर्माण, विक्रय, प्रबन्ध और अन्तरण में संलग्न भवन निर्माताओं, विकासकों और सम्पदा एजेन्टों के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली में बांग्लादेश से आये लोग

*331. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री भवन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली में गैर-कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेश के लोगों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी करे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जहां ये लोग रह रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने लोगों को निर्वासित किया गया; और

(च) क्या दिल्ली में विधान सभा के लिए चुनाव होने से पहले यहां की मतदाता सूची संशोधित की जाएगी ताकि इसमें से यहां गैर-कानूनी ढंग से रह रहे लोगों के नाम हटा दिए जायें ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च) पिछले वर्षों में, दिल्ली की कुछ गंदी बस्ती क्षेत्रों में रह रहे अवैध आप्रवासियों का सर्वेक्षण करने के लिए सीमित प्रयास किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर भी, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया कि अवैध आप्रवासियों

के कुछ क्षेत्र मौजूद हैं जैसाकि संलग्न विवरण में उल्लेख है। तथापि अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों की पहचान करने का कार्य बहुत बड़ा और जटिल है; इसका कारण जातीय समानताएं और स्थानीय जनता में सहयोग और जागरूकता का अभाव है।

अप्रैल, 1992 से जून, 1992 की अवधि के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा 225 अवैध आप्रवासी स्वदेश वापस भेजे गए।

दिल्ली प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं कि दिनांक 24-8-1992 से प्रारम्भ होने वाले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान उन लोगों के नाम, मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाने चाहिए जो कानून के प्रावधानों के अनुसार मतदाताओं के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य नहीं हैं।

विवरण

दिल्ली में अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों के क्षेत्र

1. सीलमपुर।
2. सीमापुरी।
3. आजादपुर बाजार क्षेत्र।
4. निजामुद्दीन पुलिस थाना क्षेत्र—गन्दा नाला, बड़ा पुल।
5. जंगपुरा-बी।
6. निजामुद्दीन बस्ती के नजदीक शमशान घाट।
7. डिफेंस कालोनी क्षेत्र, अंसारी नगर, सादिक नगर।
8. दरीबा गेट के सामने-जामा मस्जिद के पास की झुग्गियां।
9. अलकन्दा, पुलिस थाना कालकाजी।
10. अजमेरी गेट रेलवे कालोनी, नजदीक कटरा राजी मस्जिद।
11. यमुना पुस्ता।
12. सराय रोहिल्ला बाजार।

[हिन्दी]

डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन

*312. श्रीमती शीला गौतम :

श्री नरेश कुमार बालियान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मई, 1992 के "जनसत्ता" में डी० डी० ए० के खाली पड़े फ्लैटों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पंजीकृत व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र इन फ्लैटों का आवंटन करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में दिल्ली के पूर्वी जोन में खाली पड़े फ्लैटों की संख्या 3817 बतायी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार इन फ्लैटों की स्थिति इस प्रकार है :—

1. जारी हुए कब्जा पत्र	1834
2. कब्जा पत्र जारी हो रहे हैं	390
3. पुन: आवंटित फ्लैट	1151
4. पुन: आवंटन के लिए उपलब्ध फ्लैट	149
5. न्यायाधोष आदि और तत्काल पुन: आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं	293
योग :	3817

फ्लैटों का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा निर्धारित ऋण पद्धति

*333. श्री दत्ता मेघे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा निर्धारित की गई ऋण पद्धति (पैटर्न) क्या है;

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना से लेकर अब तक इस पद्धति के अनुरूप कितनी परियोजनाओं के लिए ऋण दिया गया है;

(ग) कितने मामलों में इस पद्धति से हट कर ऋण दिया गया है; और

(घ) इस पद्धति से हटने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यह निगम परियोजना लागत का 75% प्रदान करता है तथा शेष प्रतिशत राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों तथा प्रोमोटरों आदि द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाता है।

(ख) उपरोक्त पद्धति के अनुसार 126 योजनाओं/परियोजनाओं के लिए ऋण वितरित किए गए हैं।

(ग) दो मामलों में इस पद्धति से हटकर ऋण दिए गए हैं।

(घ) मिजोरम के मामले में, जहां अनुसूचित जाति विकास निगम नहीं है, अनुसूचित जनजाति के 70 कार्यकुशल कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन० एस० एफ० डी० सी०) की पद्धति से कुछ हटकर दो मामलों में संस्वीकृति प्रदान की गई है।

तीसरा राज्य पुनर्गठन आयोग

*334. डा० जयन्त रंगपी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संगठनों ने तीसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शुष्क भूमि खेती

*335. **श्री छेदी पासवान :**

श्री काशीराम राणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कौन-कौन सी शुष्क भूमि परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई; और

(ग) शुष्क क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न पत्र रख दिया गया है।

(ग) कृषि, पशुपालन, कृषि वानिकी, बारानी बागवानी, घरेलू बागान, घरेलू उत्पादन प्रणालियां आदि को शामिल करते हुए एकीकृत खेती प्रणालियों के निरंतर विकास के माध्यम से बारानी क्षेत्रों में कुल बायो-मास उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम और 1991-92 में प्रदान की गई धनराशि			
		एन० डब्ल्यू० डी० पी० आर० ए०	*विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	डनोडा द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं	यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1120.00	514.04	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	असम	350.00	—	—	—
4.	बिहार	780.00	—	—	—
5.	गोवा	17.00	—	—	—
6.	गुजरात	1180.00	433.00	—	—
7.	हरियाणा	240.00	347.00	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	80.00	231.00	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	60.00	433.00	—	—
10.	कर्नाटक	1420.00	829.44	—	—
11.	केरल	300.00	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2600.00	583.38	—	—
13.	महाराष्ट्र	2590.00	425.34	—	—
14.	मणीपुर	15.00	—	—	—
15.	मेघालय	25.00	—	—	—
16.	मिजोरम	10.00	—	—	—
17.	नागालैंड	25.00	—	—	—
18.	उड़ीसा	775.00	—	—	—
19.	पंजाब	95.00	433.00	—	—
20.	राजस्थान	1940.00	578.00	—	—
21.	सिक्किम	25.96	—	—	—
22.	तमिलनाडु	508.11	—	136.56	—
22.	त्रिपुरा	35.00	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1150.00	1623.00	—	40.00
25.	पश्चिमी बंगाल	540.00	—	—	—
26.	दादर तथा नगर हवेली	0.465	—	—	—
27.	दमन और दीव	0.465	—	—	—
	कुल	15900.00	6863.20	336.56	40.00

*वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

[हिन्दी]

मकानों की कमी

*336. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई आकलन किया है कि देश में मकानों की कितनी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में मकानों की कितनी कमी थी;

(ग) इस कमी को पूरा करने हेतु आठवीं योजना के दौरान कितने नए मकानों का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या मकानों की कमी को पूरा करने हेतु सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। जनगणना आंकड़ों के आधार पर, 1 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में 30.3 मिलियन मकानों की कमी थी।

(ग) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15.95 मिलियन नए रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाएगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय आवास नीति में प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सहकारी और सामुदायिक संगठनों को भूमि की वरीयता, सहज वित्त और वित्तीय समर्थन देकर विशेषतया दिए गए स्लम-वासियों और ग्रामीण निर्धनों के लिए, आश्रय से सम्बन्धित विभिन्न क्रिया-कलापों की शुरूआत के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आवास सहकारिताओं के संचलन को सुसंगत बनाने और विद्यमान बाधाओं के निवारण की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान सहकारिता कानूनों में अलग अध्याय का अधिनियमन किए जाने का भी राष्ट्रीय आवास नीति में प्रस्ताव है। आवास सहकारिताओं के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, हुडको और जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता कार्यक्रम

*337. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी खाद्य सहायता दी गई;

(ख) क्या ये खाद्य वस्तुएं उड़ीसा में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों में बांटी जायेंगी और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1992 के दौरान संयुक्त राष्ट्र योजनाओं के विश्व खाद्य कार्यक्रम में "वानिकी कार्यकलापों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास" नामक

परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा को 2490 मीटरी टन गेहूं और 1000 मीटरी टन चावल निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) और (ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम की खाद्य सहायता इस परियोजना के लिए विशिष्ट है। इसलिए, ये जिन्स केवल उड़ीसा के कालाहाण्डी, बोलंगीर, फूलबनी, गंजम, कोरापुट, पुरी, कटक, धेनकनाल, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझार, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ जिलों में परियोजना के अन्तर्गत वनरोपण कार्यकलापों में संलग्न कार्यकर्ताओं में वितरित किए जाने के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

बीहड़ विकास कार्यक्रम

*338. श्री राम बदन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुन्देलखंड में गंगा-यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में एकड़ों उपजाऊ भूमि बीहड़ होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बीहड़ों के विस्तार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बीहड़ों को समतल करने और इसे उपजाऊ बनाने के लिए इन क्षेत्रों के किसानों को स्वामित्व अधिकार देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश का लगभग 39.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उबड़-खाबड़ वाला है। इसमें से 5.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र (लगभग 4.64 लाख हैक्टेयर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 1.5 लाख हैक्टयर) बुन्देलखंड में क्षेत्र में पड़ता है।

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऊबड़-खाबड़ वाले क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए 1987-88 में शुरू की गई राज्य योजना के लिए एक केन्द्रीय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता से बुन्देलखंड क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश में 6330 हैक्टेयर और मध्य प्रदेश में 4968 हैक्टेयर सुधार किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर 1990-91 से यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से उत्तर प्रदेश की चंबल और यमुना नदियों के ऊबड़-खाबड़ वाले क्षेत्रों में समेकित वनक्षरा प्रबन्ध कार्यक्रम 1987-1988 से प्रचालित हो रहा है।

(ग) से (ङ) यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उड़ीसा की आवास परियोजनाएं

*339. श्री श्रीकांत जेना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास समस्या का समाधान करने के लिए आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) के विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) हुडको की सूचना के अनुसार उड़ीसा की विभिन्न एजेंसियों द्वारा हुडको के अनुमोदन के लिए 28.12 करोड़ रुपये के ऋण के लिए प्रेरित आवास योजनाओं की संख्या 23 जुलाई, 1992 तक 17 है। इनमें से 15.52 करोड़ रुपये के ऋण की 10 योजनाएं मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन हेतु ऋणपार्थी एजेंसियों के पास विचाराधीन है तथा 12.60 करोड़ रुपये के ऋण की 7 ग्रामीण आवास योजनाएं विचार की प्रक्रिया में हैं।

मसालों का उत्पादन

*340. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया** :

श्री देवी बक्स सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में मसालों की वार्षिक मांग क्या-क्या रही और उनकी वार्षिक उत्पादन कितना-कितना रहा;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए व निर्यात किए जाने वाले मसालों का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु दिए गए अथवा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों या सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश में मसालों की मांग का अनुमान नहीं लगाया जाता तथापि उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है:—

	(लाख टन)
1990-91	19.55
1991-92 (अनन्तिम)	20.97
1992-93 (प्रत्याशित)	21.97

(ख) मसालों की निर्यात की गई मात्रा और मूल्य इस प्रकार है :—

	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1990-91	109,636	242.14
1991-92	130,567	362.04
1992-93	150,000	426.00

(ग) मसालों के विकास के लिए एक समेकित योजना केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत मसाला उत्पादकों को राज-सहायता प्राप्त दरों पर अच्छी रोपण सामग्री, आदान किट, पौध रक्षण उपकरण आदि, उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं, प्रदर्शन भूखण्डों के प्रावधान और वैज्ञानिक परिसंस्करण के बारे में किसानों को प्रशिक्षण के रूप में प्रोत्साहन और सहायता मुहैया की जाती है।

1990-91 और 1991-92 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों पर 769.39 लाख रुपये का व्यय

किया गया। वर्तमान वर्ष और आठवीं योजना अवधि के दौरान ये कार्यक्रम जारी रखे गए हैं। 1992-93 के लिए 1200.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

कश्मीर घाटी की स्थिति

***341. श्री एम० जे० राठवा :**

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी की स्थिति की समीक्षा करने हेतु जून, 1992 में उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक जम्मू और कश्मीर में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए गए और क्या सिफारिश की गई; और

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राज्य की समग्र स्थिति पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ आतकवाद को नियंत्रित करने, लोगों से अधिक सहयोग प्राप्त करने, राज्य के विकास से सम्बन्धित मामलो तथा कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विचार किया गया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं।

राज्यों को वित्तीय सहायता

***342. श्री यशवन्तराव पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को केवल विकट (रेअरेस्ट आफ दी रेअर) परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त प्रावधान के अन्तर्गत सहायता दी गई है और उन्हें कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सूखे से प्रभावित राज्यों को भी इस प्रावधान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) नौवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की कि यदि किसी क्षेत्र में व्याप्त आपदा इस स्तर और विकटता की हो जाए कि उसकी देखभाल राष्ट्रीय स्तर पर करने की आवश्यकता हो तो केन्द्र सरकार परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करेगी और आवश्यक व्यय करेगी।

(ख) इस प्रावधान के अन्तर्गत अभी तक किसी राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) देश के किसी भी भाग में सूखे की स्थिति इतनी विकट नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी देखभाल करने और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो।

"मेंथा" की खेती

*343. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "मेंथा" की खेती किन-किन राज्यों में होती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "मेंथा" का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) क्या किसानों की सहायता के लिए इसका कोई समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उसका मूल्य निर्धारित करने के मामले में व्यापारियों को पूरी छूट दे दी गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) मेंथा की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई और उसके निकटवर्ती जिलों तथा पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में की जाती है।

(ख) मेंथा फसल के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है और इसीलिए इसके उत्पादन के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मोटे अनुमान के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 1.4 लाख मीटरी टन मेंथा हर्ब का उत्पादन होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) सामान्य विपणन शक्तियां बाजार में उत्पाद का मूल्य नियत करती है।

[अनुवाद]

फसल पद्धति

*344. श्री बी० देवराजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए विभिन्न कृषि वस्तुओं की बाजार-मांग के बारे में कोई अध्ययन कराया है ताकि वे अपनी फसल-पद्धति में अपेक्षित परिवर्तन कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।[1]

राजधानी में गगनचुम्बी इमारतें

*345. प्रो० रीता वर्मा :

श्री चेतन पी०एस० चौहान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी विशेषकर कनाट प्लेस और बाराखम्बा रोड क्षेत्र में गगनचुम्बी इमारतें बनती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नई इमारत के लिए नक्शा मंजूर करते समय पर्यावरण, अग्नि शमन उपायों, पानी और विद्युत सप्लाई एवं वाहन खड़े करने के स्थान जैसे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान अनिवार्य रूप से दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में नए भवन के लिए अथवा स्वीकृत करने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह नक्शा अग्नि सुरक्षा उपायों, एकीकृत भवन उप-नियमों, मास्टर प्लान दिल्ली 2001 और जोनल विकास योजनाओं में उल्लिखित बिजली पानी के लिए अपेक्षित अवसं-संरचना के अनुरूप है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मात्स्यिकी विकास

*346. **डा० रमेश चन्द तोमर** :

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में मात्स्यिकी विकास हेतु भेजी गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) राज्य सरकारें केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग को योजनाएं नहीं भेजती, बल्कि उनके प्रस्ताव भेजती हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1992-93 के लिए 60.00 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता एवं 1992-93 में योजना कार्यान्वयन में हुई प्रगति के आधार पर इसे राज्यों को निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

क्र०सं०	राज्य	प्रस्ताव का विषय	लागत (लाख रुपये में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाएं जैसे-मत्स्य-व्यवसाय शेड	89.00	जुलाई 1992 में प्राप्त हुआ और इसकी जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5
		बर्फ खाने सहित शीत गृह खुदरा बिक्री केन्द्र इन्सुलेटिड वाहन तथा इन्सुलिटिड डिब्बे वाली साईकिलों आदि		
2.	गुजरात	चोरवाड़ पत्तन, डलोई पत्तन, मैंगोट-डूगरी पत्तन और कोट्डा पत्तन पर मत्स्यावतरण केन्द्र	205·32	अप्रैल 1991 में प्राप्त हुआ और इसकी जांच की जा रही है।
3.	केरल	(i) कट्टूर मत्स्यावतरण केन्द्र पोल्लाथाई	42·05	नवम्बर 1991 में प्राप्त हुआ राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
		(ii) पोण्णाजी में छोटे मत्स्य बन्दरगाह का विकास	600·00	अप्रैल 1991 में प्राप्त जिसकी जांच की जा रही है।
4.	उड़ीसा	i) रम्भा में मत्स्यावतरण केन्द्र	11·00	जनवरी 1992 में प्राप्त हुआ चूंकि रम्भा एक विद्यमान अवरण केन्द्र के बहुत नजदीक (2 कि० मी०) हैं अतः राज्य सरकार को मास्थगित करने की सलाह दी गई हैं।
		ii) अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन-बुनियादी सुविधाएं जैसे मत्स्य व्यवसाय शेड, शीत-गृह बर्फखाने सहित मछली की दुकाने इन्सुलेटेड वाहन आदि	91·00	जुलाई 1992 में प्राप्त हुआ जिसकी जांच की की जा रही है।
5	पंजाब	अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन-बुनियादी सुविधाएं जैसे	92·32	जुलाई 1992 में प्राप्त हुआ जिसकी जांच की

1	2	3	4	5
		मत्स्य व्यवसाय शेड बर्फ खाने सहित शीत गृह खुदरा बिक्री केन्द्र इन्सुलेटेड वाहन, इन्सुलेटेड डिब्बे वाली साइकिलें आदि		जा रही है।
6.	तमिलनाडु	नागपट्नम में मत्स्यावतरण केन्द्र	82·48	अप्रैल 1991 में प्राप्त हुआ. केन्द्र राज्य के बीच लागत के बराबर-बराबर योगदान के स्वीकृत प्रतिमान के विपरीत राज्य ने शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या वह सहायता के वर्तमान प्रतिमान को स्वीकार करेगी।

न्यायाधिकरणों में लम्बित अवैध प्रवासियों के मामले

3356. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को अवैध प्रवासी होने के संदेह में कितने व्यक्तियों के मामले न्यायाधिकरणों में लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी राष्ट्रिक पाए गए ऐसे कितने व्यक्तियों पर न्यायाधिकरण ने मुकदमा चलाया है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान अधिकरण द्वारा विदेशी राष्ट्रिक न पाए गये कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को कितने न्यायाधिकरण कार्य कर रहे थे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के अधीन गठित न्यायाधिकरणों के पास दिनांक 1 अप्रैल, 1991 को अवैध प्रवासियों के ?3565 मामले तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को 20933 मामले लंबित थे।

(ख) न्यायाधिकरणों द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1991 तक 7330 व्यक्तियों का अवैध प्रवासी होना पाया गया और 1991-92 के दौरान 1049 व्यक्तियों का अवैध प्रवासी होना पाया गया।

(ग) न्यायाधिकरणों द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1991 तक 10610 व्यक्तियों का और 1991-92 के दौरान 3779 व्यक्तियों का अवैध प्रवासी होना सिद्ध नहीं किया जा सका।

(घ) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 को अवैध प्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरणों की संख्या 17 थी और दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को इनकी संख्या 16 थी। इन दोनों तिथियों को एक अवैध प्रवासी (निर्धारण) अपीलीय न्यायाधिकरण भी मौजूद था।

बहुराज्यीय सहकारी बैंक

3357. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों की, राज्यवार, संख्या कितनी हैं; और

(ख) इन बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी लाभ/हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भवन निर्माण नियमों में संशोधन

[हिन्दी]

3358. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में भवन निर्माण नियमों में नए संशोधन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने प्रशमयनीय विचलन की सीमा में वृद्धि की अनुमति देते हुए भवन नियमों के परिशिष्ट "घ" को दिनांक 13-12-90 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया था। तथापि इस संशोधन का अनेक आपत्तियों के कारण दिनांक 11-3-92 की एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से निरसन कर दिया गया है।

दौड़ के माध्यम में अध्ययन

[अनुवाद]

3359. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दौड़ के सम्बन्ध में कभी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र में एकरूपता लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में मैदान से बाहर की दौड़ सम्बन्धी प्रत्येक पहलू की जांच करने हेतु एक राष्ट्रीय

आयोग तथा टर्फ अथारीटी आफ इंडिया जैसी सांविधिक संस्था की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि

[हिन्दी]

3360. श्री ललित उरांव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और रसोई गैस के मूल्यों में किस हद तक वृद्धि हुई और इनके मूल्य किन-किन तारीखों से बढ़ाए गए थे; और

(ख) इस मूल्य वृद्धि का औचित्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एल०पी०जी० के भंडारण-स्थल की कीमतों में की गई वृद्धि/(ह्रास) निम्नलिखित हैं :—

	20-3-90 से प्रभावी	15-10-90 से प्रभावी	25-7-91 से प्रभावी
1. पेट्रोल (एम एस-87 (रु०/कि०लि०)	1250.00	2236.02	2236.02
2. (डीजल (रु०/कि०लि०)	537.98	908.94	शून्य
3. केरोसीन (रसोई के अलावा) (रु०/कि०लि०)	शून्य	489.23	(243.62)
4. एल०पी०जी० (रु०/मि०ट०) (घरेलू)	शून्य	शून्य	689.80

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कीमतों में कमी को दर्शाते हैं।

(ख) लागतों, मांग में वृद्धि और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर कीमतों में संशोधन किया गया था।

धार्मिक स्थलों के बहाने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

[अनुवाद]

3361. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धार्मिक स्थलों के बहाने सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने की जानकारी है; और

(ख) इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं और चावल की संकर किस्में

362. श्री के० चोक्का राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल और गेहूं की संकर किस्मों का उत्पादन कितने क्षेत्र में हो रहा है और इसकी प्रति एकड़ उपज कितनी है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान संकर किस्मों की खेती कितने क्षेत्र में करने का विचार है; और

(ग) आंध्र प्रदेश को वर्ष 1992-93 के दौरान समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल के विकास हेतु कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) संकर किस्मों के माध्यम से देश में चावल और गेहूं का वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू नहीं किया गया है। इसलिए इन संकर किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) भारत सरकार द्वारा 1992-93 के दौरान चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए आंध्र प्रदेश को अब तक 772.84 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

आंध्र प्रदेश में मत्स्यन बन्दरगाह

3363. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश में मत्स्यन बन्दरगाह बनाने हेतु स्वीकृति के लिए लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम और कृष्णापट्टनम में मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही उस पर विचार किया जाएगा। मंत्रालय के पास कोई अन्य प्रस्ताव बकाया नहीं है।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा में अग्नि शामक वाहन

[हिन्दी]

3364. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मन्त्री 9 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा को सभी 66 नए अग्नि शामक वाहन मिल गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस बीच कितने अग्नि शामक वाहन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) बचे हुए अग्नि शामक वाहन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) 24-7-1992 तक 63 दमकल गाडियां आ चुकी हैं ।

(ग) शेष दमकल गाड़ियां अगस्त, 1992 के अन्त तक आ जाने की आशा है ।

घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के सुझाव

[अनुवाद]

3365. **श्री प्रकाश वी० पाटील** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों लोगों पर रोक लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और अनुमानतः इस पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अवैध प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करने पर समय-समय पर सभी सम्बन्धित अभिकरणों के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है ।यह एक सतत प्रक्रिया है ।

फ्लैटों का आबंटन/आबंटन रद्द किया जाना

[हिन्दी]

3366. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली में श्रेणीवार और क्षेत्रवार निर्मित जनता फ्लैटों और स्व वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत निर्मित उन फ्लैटों की संख्या अलग-2 कितनी है जो या तो आबंटित नहीं किए गए हैं अथवा उनका आबंटन रद्द कर दिया गया है; और

(ख) श्रेणीवार और क्षेत्रवार ऐसे कितने मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 1991 से मार्च 1992 तक आबंटित फ्लैटों के क्षेत्र बदल दिए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) डी० डी० ए० द्वारा सूचना के अनुसार वापस रद्द किए जाने के कारण आबंटन के लिए उपलब्ध फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	क्षेत्र	श्रेणी		योग
		स्ववित्तपोषित	जनता	
1.	दक्षिणी	87	14	101
2.	उत्तरी	04	41	40
3.	पूर्वी	16	21	37
	योग	107	76	183

(ख) जवनरी 1991 से मार्च 1992 के दौरान आबंटित फ्लैटों, जहां एरिया की बदली की अनुमति दी गई थी. के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	क्षेत्र	आबंटन की बदली के मामले	
		स्ववित्तपोषित	जनता
1.	दक्षिणी	3	—
2.	उत्तरी	2	—
3.	पूर्वी	1	2
4.	पश्चिमी	3	1
	योग	9	3

सहकारी सामूपिक आवास समितियों को स्थायी पट्टे

[अनुवाद]

3367. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री सहकारी समूहिक आवास समितियों को स्थायी पट्टे के आरे में 18 मई 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप पट्टा/अभिहस्तांतर पत्र के प्रपत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों को आबंटित फ्लैटों के सम्बन्ध में उप-पटटा/हस्तांतरण विलेख के प्रपत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है । यह प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और अनुमोदित हो गया है । प्रपत्र भारत सरकार को भी पेश किया गया था, किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का विक्रय) नियम 1981 के अन्तर्गत उस पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेल गांव परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं को फ्लैटों का आबंटन

3368. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल गांव परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं को कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं और उन फ्लैटों का वास्तविक किराया कितना है; और

(ख) फ्लैटों के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये फ्लैट आबंटित किए गए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आबंटित फ्लैटों की संख्या—6

वसूल किया जा रहा किराया—600/- रुपए (अनन्तिम)।

(ख) निर्धारित मानकों की प्रति विवरण-1 के रूप में संलग्न है। फ्लैट आंबटन पाने वाले का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया गया है।

विवरण-1

सामाजिक कार्यकर्ताओं विशेषतया राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाओं को एशियाई गावं के फ्लैटों के आबंटन के मानक :—

(i) संबंधित व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी कार्य से लगा हो तथा विख्यात स्वयंसेवी संस्था से संबंधित हो।

(ii) उसका अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का या आश्रित का दिल्ली में कोई मकान/फ्लेट नहीं हो।

(iii) उसका मामला सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा प्रभारी मन्त्री के अनुमोदन से विशेषतया अनुशंसित किया गया हो।

(iv) उस व्यक्ति की कुल मासिक आय सभी स्रोतों से 3000/- रुपए से अधिक नहीं हो।

(v) वास का टाइप दो शयनकक्षों वाले फ्लैट (टाइप-डी) तक सीमित होगा।

(vi) आबंटन की अवधि तीन वर्ष होगी।

(vii) लाइसेंस फीस विभागीय प्रभारों के साथ एफ आर 45-बी के अन्तर्गत वसूल की जाएगी।

विवरण-2

एशियाई खेल गावं में फ्लैट का आबंटन व्यक्तियों का ब्यौरा :

क्रम सं०	नाम/सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	फ्लैट संख्या
1.	शीला चमन	एफ-I/139
2.	प्रमिला बालासुन्दरम्	एफ-II/357
3.	अनुराधा प्रसाद	एफ-II/100
4.	देबू भट्टाचार्य	ई-II/92
3.	सुमति शर्मा	एफ-III/382
6.	डी० पी० राय	ई-I/760

तेल कुओं की खोज

3369. श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने तेल के कुओं में तेल की खोज चल रही है और (1) दस वर्ष से अधिक, (2) 15 वर्ष से अधिक और (3) 20 वर्ष से अधिक वर्गों में वर्गीकृत इन कुओं में कितने वर्ष तक तेल की खोज चलेगी;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए तेल की खोज हेतु कुल कितनी अवधि निर्धारित की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कितने कुओं में सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) फिलहाल, देश के विभिन्न भागों में 76 अन्वेषण कूपों का वेधन किया जा रहा है। राज्यवार/क्षेत्रवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। कूप के वेधन से प्राय: एक वर्ष से कम समय लगता है। वेधन/जांच के अधीन 76 कूपों में से मात्र 9 में एक वर्ष से अधिक समय लगा है तथा एक भी ऐसा कोई नहीं है जिसमें पांच वर्षों से अधिक समय लगा है।

(ख) चौथे दौर की बोली में दी गई अधिकतम अन्वेषण अवधि 7 वर्षों की है।

(ग) शून्य।

विवरण

क्रम सं०	राज्य क्षेत्र	वेधन किए जा रहे अन्वेषण की संख्या
1.	गुजरात	15
2.	राजस्थान	3
3.	उत्तर प्रदेश	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	पश्चिमी बंगाल	3
6.	बिहार	1
7.	त्रिपुरा	2
8.	असम	12
9.	मेघालय	1
10.	नागालैंड	4
11.	मिजोरम	1
12.	आंध्र प्रदेश	8
13.	तमिलनाडु	7
14.	पांडिचेरी	1
15	अपतट—एस० आर० बी० सी०	3
	—बी० आर० बी० सी०	12
	—डब्लू० आर० बी० सी०	1
	योग :	76

केरल की आवास परियोजनाएं

3370. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास समस्या के समाधान हेतु आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के पास विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने इस बीच इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केरल से सम्बन्धित 105 आवास परियोजनाएं 253·60 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए प्रक्रियाधीन हैं, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	रिहायशी एकक	स्थिति
1.	47 (ग्रामीण)	101.25 करोड़ रुपये	77349	प्रधान कार्यालय में प्रक्रियाधीन ।
2.	10 (शहरी)	43.46 करोड़ रुपये	29569	अनुपालन और स्पष्टीकरण के लिए आवास अभिकरणों को भेजा गया ।
3.	48 (शहरी)	108.89 करोड़ रुपये	16782	क्षेत्रीय कार्यालय में प्रक्रियाधीन।

राज्य के क्षेत्र और आबादी के मानदंड के आधार पर तैयार किए गए 1992-93 के लिए हुडको ऋण नियतनों के तहत केरल राज्य को 20.17 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। चूंकि, हुडकों में प्राप्त स्कीमें राज्य के लिए ऋण नियतन से कहीं अधिक हैं, राज्य सरकार को उपलब्ध संसाधनों के भीतर कुछ स्कीमों के अनुमोदन पर विचारार्थ अपनी स्कीम-वार प्राथमिकता बताने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को अभी स्कीमवार प्राथमिकता बतानी है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित ऋण नियतन से अधिक स्कीमों के लिए हुडको ने राज्य सरकार को, बाजार दरों पर उधार लेने के माध्यम से हुडको द्वारा निधियां जुटाने के लिए एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है। इस सुझाव पर राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की भी प्रतीक्षा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पड़ी भूमि

3371. श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पड़ी

भूमि के बारे में 22 अप्रैल 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। जानकारी से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार आयोजना और विकास के लिए 4099 हैक्टर भूमि उपलब्ध होने का अनुमान था।

(ख) और (ग) भूमि के आबंटन के लिए 421 सहकारी समितियों के अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित हैं। पंजीकृत हुए व्यक्तियों की संख्या के श्रेणीवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

रोहिणी आवास योजना	
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	18300
निम्न आय वर्ग	38105
मध्यम आय वर्ग	25889
नवीन पद्धति योजना 1979	
मध्यम आय वर्ग	22280
निम्न आय वर्ग	25857
जनता	5118
अम्बेडकर आवास योजना	
मध्यम आय वर्ग	7000
निम्न आय वर्ग	10000
जनता	3000
स्व-वित्त पोषित योजना	13276

इसके अतिरिक्त, संस्तुति किए गए 3368 व्यक्ति बैकल्पिक आबंटन की प्रतीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को भूमि और मूल सेवाओं की उपलब्धता की शर्त पर 1994-95 तक प्लाट आवंटित किए जाएंगे और सहकारी सामूहिक आवास समितियों के मामले में आवंटन उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका सं० 10857/1991 के निपटान और मांग को पूरा करने के लिए अधिक भूमि के अधिग्रहण के पश्चात किया जाएगा। जहां तक फ्लैटों का सम्बन्ध है भूमि और मूल सेवाओं की

उपलब्धता की शर्त पर पंजीकृत व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटन किए जाने की आशा है।

(ङ) 235.48 हैक्टर भूमि अतिक्रमणाधीन बताई गई है। भूमि के संरक्षण के लिए नियमित निगरानी की जाती है और दिल्ली विकास प्राधिकरण भी हो रहे अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को गिराने के लिए विरले सम्बन्धी अभियान चलाता है।

अनिवासी भारतीयों के लिए मकानों का निर्माण

3372. श्री सी० के० कुप्पु स्वामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के लिए विभिन्न राज्यों में मकानों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विभिन्न आवास योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित करने और कानूनों के फ्रेमवर्क तथा केन्द्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों के लिए आवास योजनाएं शुरू करने के लिए भी स्वतन्त्र है। तथापि, अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार आवास स्थावर सम्पदा आवास वित्त संस्थानों में और भवन निर्माण सामग्री निर्माता एककों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

गुजरात की आवास एजेंसियों को हुडको से ऋण

3373. श्री छीतू भाई गामीत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की सरकारी एजेंसियां भवन निर्माण और बुनियादी शहरी ढांचे के विकास के लिए वर्ष 1990-91 से आवास और शहरी विकास निगम से धन प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात की सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। 1990-91 से और 30-6-92 की स्थिति के अनुसार हुडको ने गुजरात राज्य में विभिन्न अभिकरणों को 42420 मकानों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए 109.97 करोड़ रुपए की हुडको ऋण सहायता के लिए 112 स्कीमें स्वीकृत की हैं।

विभिन्न स्कीमें प्रक्रियाधीन हैं :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	ऋणराशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1.	11 आवास स्कीमें (एक आश्रय सुधार सह सहित)	9.39	हुडको मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रक्रियाधीन।
2.	15 आवास स्कीमें (प्राथमिक सहकारी समिति के लिए 5 स्कीमों सहित)	14.48	मूल्यांकन तर्कों के अनुपालन के लिए अभिकरणों के पास लम्बित ।
3.	4 शहरी मूल सेवा स्कीमें	40.85	मूल्यांकन तर्कों के अनुपालन के लिए अभिकरणों के पास लम्बित ।
4.	4 शहरी मूल सेवा स्कीमें	6.45	हुडको के मूल्यांकन अधीन ।

"पब्लिक टारगेट्स-डी०डी०ए०" शीर्षक से समाचार

3374. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री "पब्लिक टारगेट्स-डी० डी० ए०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में 5 अगस्त 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 1671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी० ए०) ने इस बीच समाचार में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टारगेट्स-डी० डी० ए०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में उल्लिखित विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है :

(i) मीरा बाग में एक हायर सैकेंडरी स्कूल स्थल के अनधिकृत कब्जे का मामला न्यायालय के समक्ष वादाधीन था । न्यायालय ने इन आगामी आदेशों के साथ याचिका रद्द कर दी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाई करने तथा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा समझौताकारी प्रीमियम, क्षति आदि सहित देय ऐसे प्रभार वसूल करने की छूट होगी । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि स्कूल प्राधिकारियों ने उस स्थल पर स्कूल की अवस्थिति के

लिए दिल्ली प्रशासन से अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। इसे देखते हुए प्रीमियम, भूमि किराया, क्षति और समझौताकारी शुल्क सहित सभी प्रभार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूली के लिए बकाया है।

(ii) मयूर विहार, फेज-II में फ्लैट नं० 220 "ए" पाकिट "बी" को वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जब कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई, फ्लैट के आवंटी ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। न्यायालय में विवादाधीन मामले के अन्तिम निपटान एवं फैसले तक आवंटी पर दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 के उपबन्धों के अधीन कारंवाई की जाएगी।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम के अन्तर्गत इस समय 51264 पिछला बकाया है।

शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति

[हिन्दी]

3375. श्री आनन्द अहिरवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो जन्म से ही शारीरिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से भी कमजोर हैं;

(ख) क्या इन व्यक्तियों के लिए एक पृथक योजना बनाने का सरकार का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या उनकी कुल संख्या का कितने प्रतिशत है;

(च) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ङ) चूंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों की प्रतिशतता बताना कठिन है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

I. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना—

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत, ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जो विकलांग व्यक्तियों को सीधा प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने का काम करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित सेवाओं के लिए सहायता दी जाती है :

1. विकलांगता का पता लगाना, प्राथमिक स्वरूप का उपचार, निवारण,

2. शिक्षा और/या प्रशिक्षण, और

3. पुनर्वास शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक।

सहायता भवन निर्माण, उपस्कर खरीद, पत्रिकाओं के प्रकाशन कर्मचारियों का वेतन, होस्टल में विकलांगों के अनुरक्षण प्रभार, आकस्मिक व्यय आदि जैसी आवर्ती तथा गैर आवर्ती दोनों प्रकार की मदों के लिए दी जाती है। कुल परियोजना के 90% तक सहायता दी जाती है। भवन निर्माण के मामले में सहायता अनुदान 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होता और शेष व्यय संगठन द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

II. मस्तिष्काघात और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना :—

इस योजना का उद्देश्य है मस्तिष्काघात और मानसिक मन्दता के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षकों, पुनर्वास कार्यकर्ताओं, परिचारकों, वार्डनों आदि जैसे कामगारों/प्रशिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण, अधिव्यावसायिक, छात्रावास और अन्य सहायता हेतु संगठनात्मक एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को चयनात्मक आवर्ती तथा अनावर्ती सहायता प्रदान करना। इस योजना के अन्तर्गत मस्तिष्काघात और मानसिक मन्दता के क्षेत्र में जनशक्ति/प्रशिक्षण हेतु कोई भी प्रमुख अथवा अखिल भारतीय संगठन आवेदन कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण, फर्नीचर खरीद, उपस्कर खरीदने, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, होस्टलों के रखरखाव, पुस्तकों की खरीद आदि जैसी मदों की व्यवस्था है।

कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण

[अनुवाद]

3376. श्री गोविन्दराव निकम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों के किसानों ने कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के विरोध में बोट क्लब पर रैली की थी;

(ख) इन किसानों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) भू-उपयोग योजनाएं एवं विनियमन राज्य सरकारों के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं। किसानों की मांगें समुचित कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई हैं।

विवरण

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कृषकों की प्रमुख मांगें निम्न प्रकार है :

1. कृष्य भूमि को अधिग्रहित न किया जाए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो कृषकों को कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से प्रतिपूर्ति की जाए।
2. प्रतिपूर्ति पर कोई आयकर अथवा प्रतिपूर्ति के विलम्ब से किए गए भुगतान पर ब्याज न लगाया जाए।
3. कृष्य भूमि को कृषि योग्य भूमि माना जाए और इसे शहरी भूमि परिसीमन अधिनियम, 1976 के क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
4. भूस्वामी को प्रतिपूर्ति की उपयुक्त राशि का पहले भुगतान किए बगैर उसे भूमि खाली करने का आदेश न दिया जाए।
5. किसी भी गांव में कोई भी इमारत न गिराई जाए।
6. जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है उस परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। विशेष मामले के तौर पर कृषक को किसी रिहाइशी कालोनी में रिहाइशी भूखंड "न लाभ न हानि" के आधार पर आवंटित किया जाए। कृषकों से अधिग्रहित भूमि पर चलाई जाने वाली औद्योगिक/व्यापारिक योजनाओं के तहत उन्हें रियायती दरों पर एक दुकान/औद्योगिक भूखंड दिया जाना चाहिए।
7. कोई भी उपजाऊ भूमि अत्यावश्यक होने पर ही अधिग्रहित की जाए। आवासीय और औद्योगिक योजनाएं गैर कृषि भूमि पर चलाए जाने को तरजीह दी जाए।
8. उन गांवों, जहां भूमि अधिग्रहित की गई हो, में समस्त नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएं।

पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी का क्षेत्रीय कार्यालय

3377. श्री प्रवीन डेका : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी प्रशिक्षण योजना का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी क्षेत्र के भाग हैं जिनका मुख्यालय कलकत्ता में है। गुवाहाटी और शिलांग में तैनात दो सहायक निदेशकों और प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यक्रम के लिए सम्पूर्ण प्रभारी अधिकारियों की तैनाती की सहायता से बिना किसी कठिनाई के कार्य किया जा रहा है।

स्वच्छ जल में झींगा मछली पालन

3378. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर, राजस्थान में स्वच्छ जल में झींगा मछली पालन आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जयपुर में आरम्भ किया गया झींगा पालन कार्य सफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही परियोजनायें आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राजस्थान में ताजा जल झींगा पालन का परीक्षण सफल सिद्ध हुआ बताया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों को स्वीकृत मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के माध्यम से ताजा जल मछली पालन विकास की चालू केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत ताजा जल झींगा पालन की सहायता का प्रस्ताव है।

सघन कपास विकास कार्यक्रम

3379. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितने अध्ययन किए गए हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसा एक अध्ययन किये जाने का प्रस्ताव है।

विजयवाड़ा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

3380. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा और गोदावरी बेसिन के जिले में पर्याप्त मात्रा में मिली गैस और तेल को देखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा में स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का राजमुन्द्री में के० जी० बेसिन में इसके प्रचालनों के लिए एक परियोजना कार्यालय है। फिलहाल इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रचालनों के स्तर को देखते हुए इसे पर्याप्त समझा जाता है।

राजनैतिक दलों पर किराए की बकाया धनराशि

3381. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी भवनों के किराए की बहुत बड़ी बकाया धनराशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राजनैतिक दल की तरफ से 31 मार्च 1992 को देय बकाया धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) किराए की बकाया धनराशि की वसूली हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राजनैतिक दलों को सरकारी वास विशेष दिशानिर्देशों के तहत आवंटित किए जाते हैं जिसके लिए संलग्न विवरण पत्र में दिए गए ब्यौरों के अनुसार उनको किराया बकाया जमा करना होता है।

(ग) सभी मामलों में पिछले बकायों की वसूली के लिए उपयुक्त कारंवाई की गई है।

विवरण

क्रम सं०	दल का नाम	वास	पिछली बकाया धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	कांग्रेस	सैक्टर-4/209, आर० के० पुरम	240.00
2.	वही	वही /181, आर० के० पुरम	240.00
3.	वही	वही /892, आर० के० पुरम	240.00
4.	वही	781-एल० बी० नगर	420.00
5.	वही	87-टी/एस 4 डी० आई० जैड एरिया	223.00

1	2	3	4
6.	ए० आई० सी० सी० (आई)	12 पार्क लेन	1920.00
7.	वही	5 रायसीना रोड	9,72,209.00
8.	डी० पी० सी० सी० (आई)	2 तालकटोरा रोड	1,94,855.00
9.	लोक दल(ए)	15 विंडसोर प्लैस	1,32,167.00
10.	लोक दल (बी)	3 प० पंत मार्ग	1,34,183.00
11.	जनता पार्टी	5 प० वही	17,656.00
12.	जनता दल	10 लोधी एस्टेट	395.00
13.	एस० जे० पी०	13 विंडसोर प्लैस	13,600.00
14.	वही	16 डा० आर० पी० रोड	8,750.00
15.	लोक दल	सूट नं० 1 वी० पी० हाऊस	4,465.00
16.	जनता पार्टी	सूट नं० 115 वी० पी० हाऊस	1,981.00
17.	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी	सूट नं० 310 वी० पी० हाऊस	10,342.00

संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाएं

[हिन्दी]

3382. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कें, बरसाती पानी की नालियां, पार्किंग स्थल, जल आपूर्ति तथा विद्युत जैसी बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई गई हैं तथा उन लोगों को व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिन्होंने मानक डिजाइन के अनुसार इमारत बनाई है ।

इसके अतिरिक्त पार्किंग, ढाबों आदि के लिए स्थान की सामुदायिक सुविधायें भी मुहैया कराई गई हैं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों के लिए वैयक्तिक कानून

[अनुवाद]

3383. **श्री महेश कनोडिया :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आदिवासियों के लिए वैयक्तिक कानून को संहिताबद्ध किया गया है;

(ख) क्या आदिवासी उत्तराधिकार के सम्बन्ध में वैयक्तिक कानून के अभाव में अधिकांश राज्यों में भूमि-विवाद के अनेक मामले अभी तक न्यायालयों में लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदिवासियों के हित में सभी राज्यों में ऐसे कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक किसी भी राज्य ने आदिवासियों के स्वीय कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया है।

(ख) भूमि सम्बन्धी विवाद अधिकांशतः न्यायालयों द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसरण के कारण न्यायालयों में लंबित हैं।

(ग) और (घ) छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान के आदिवासी अनुसंधान संस्थानों से इन राज्यों में आदिवासियों के परम्परागत कानूनों को संकलित करने के लिए कहा गया है।

आंध्र प्रदेश की पेयजल आपूर्ति योजना

3384. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आंध्र प्रदेश के युग्म शहरों की पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार करने हेतु पर्याप्त विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सम्भावित सहायता के लिए नागार्जुन सागर जलाशय से हैदराबाद और सिकन्दराबाद युग्म-शहरों को जल आपूर्ति के संवर्द्धन हेतु एक परियोजना अभिज्ञान रिपोर्ट अग्रेषित की थी। परियोजना की अनुमानित लागत 1030 करोड़ रुपये थी, जिसे संशोधित करके 640 करोड़ रुपये किया गया है। इस परियोजना में युग्म-शहरों और रास्ते में पड़ने वाले गांवों को प्रतिदिन लगभग 990 मिलियन लीटर पीने का पानी उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।

(ग) यह परियोजना और स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है।

केरल में मछलियों की मृत्यु

3385. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मछलियों की बीमारी तथा मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए आन्तरिक जल संसाधनों के जल का रासायनिक विश्लेषण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययनों से यह पता चला है कि पानी अम्लीय है, उसमें क्षारीयता तथा कठोरता, कैल्शियम और लवणीयता कम है। इस प्रकार की स्थितियां रोग फैलाने में सहायक हैं। रोगजनक जीवाणु जैसे ऐरोमोनास हाइड्रोफीला, स्टेफीलोकोकस एस० सी०, माइक्रोकोकस वेरियान्स एम० स्यूडिया आदि को इस तरह के नालों से प्राप्त की गई रोगी मछलियों के कच्चे घावों से अलग किया गया था। कुछ मछलियों के घावों में फफूंद सेपरोलेजनिया भी पाया गया।

एकीकृत भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियम

3386. श्री एस० एम० वेकारिया :

श्री रोशन लाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम 1990 में संशोधित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक एकीकृत भवन-निर्माण उपनियम का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के लिए भवन उपनियम, 1983 के परिशिष्ट "घ" को उनकी दिनांक 13-12-1990 की अधिसूचना के जरिये से संशोधित किया गया था। संशोधन द्वारा उपनियम के प्रशमनीय विचलन की सीमा में बढ़ोतरी हो गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27-5-1992 के आदेश में केन्द्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ जनता से सुझाव आमंत्रित कर एकसमान भवन उपनियमों का व्यापक प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है।

(ङ) माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भवन उपनियम, 1983 को पुनः तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

गगनचुम्बी इमारतों का निर्माण

3387. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण हेतु नियमों और विनियमों में हाल ही में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। दिल्ली बृहद योजना 2001 में उल्लिखित विनियमन अभी लागू है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के लिए डीजल का कोटा

[हिन्दी]

3388. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के लिए डीजल का कोटा अक्तूबर, 1990 से कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी कमी की गई है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डीजल की कितनी मांग की गई और इसकी कितनी मात्रा वास्तव में सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) डीजल का राज्यवार आबंटन नहीं होता है। फिलहाल बिहार राज्य में डीजल की मांग को पूरा किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत

[अनुवाद]

3389. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कितने पोत बेकार खड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन्हें इस्तेमाल में लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बेकार पड़े गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों की संख्या के बारे में कोई सही आंकड़े प्राप्त नहीं

हैं परन्तु शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के ग्रहणाधिकार के अंतर्गत विशाखापत्तनम पत्तन में आए गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान बेकार पड़े हैं।

(ग) अप्रैल, 1991 में गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के पुनर्स्थापन हेतु एक स्कीम घोषित की गई थी, जिसे बाद में जून, 1992 में उदार बनाया गया। स्कीम में ऋण के पुनर्भुगतान के पुनर्निर्धारण ऋण पुनर्भुगतान अवधि पर ऋण स्थगन, दण्ड ब्याज का अधित्याग, जलयानों के सुधार हेतु अतिरिक्त ऋण का प्रावधान आदि शामिल हैं।

मत्स्य प्रसंस्करण एकक

3390. श्री जी० माडे गौड़ा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर में आस्ट्रेलिया की सहायता से मत्स्य प्रसंस्करण एकक की स्थापता का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी राज्यों को गैस-आपूर्ति

3391. श्री वी० धनंजय कुमार :

श्री के० मुरलीधरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाम्बे हाई के पश्चिमी तट के साथ-साथ दक्षिणी गैस पाइप लाइन बिछाने की संभावना की जांच कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिणी राज्यों को प्राकृतिक गैस की कम आपूर्ति की स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) दक्षिणी गैस ग्रिड के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रसोई गैस के सिलेंडरों पर सील

3392. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस उपभोक्ताओं से शिकायत मिली है कि घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों पर इस समय जो सील लगाई जाती है उसमें आसानी से हेराफेरी की जाती है जिसके कारण सिलेण्डर उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले चोरी हो जाते हैं/इनका दुरुपयोग होता है;

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिए इस किस्म की सील्स में सुधार करने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस समय तेल कंपनियों द्वारा पी०वी०सी० और अल्युमिनियम दोनों ही सीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्युमिनियम सीलों की किस्मों के उन्नत रूप का परीक्षण इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

स्वयंसेवी संगठनों को मिलने वाली धनराशि

3393. **श्री कड़िया मुण्डा**
श्री बीर सिंह महतो :
श्री ललित उरांव :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री लाल बाबू राय :
श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन स्वयंसेवी संगठनों को मंत्रालय से सहायता प्राप्त हो रही है और वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2406/92]

(ख) और (ग) निम्नलिखित 6 संगठनों के सम्बन्ध में निधियों के दुरुपयोग के मामले प्राप्त हुए हैं :—

1. राष्ट्रीय शोषित परिषद, नई दिल्ली।

2. विनायक एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली।

3. एच० पी० स्टेट कौंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर आफ द डाउनट्रोडन, दिल्ली।

4 आल इंडिया एसोसिएशन फार स्पेशल वेल्फेयर आफ द डाउनट्रोडन, दिल्ली।

5. रीजनल इंटिग्रेटिड रूरल डैवेलपमेंट अथारिटि, इम्फाल, और

6. अभिनव थियेटर एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, लखनऊ।

जबकि इम्फाल के केन्द्र को बन्द कर दिया गया है। अन्य संगठनों के सम्बन्ध में अनुदान रोक दिया गया है। इन संगठनों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने सम्बन्धी उपाय प्रगति पर हैं।

विवरण

(रुपये में)

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठन के नाम	1991-92	1992-93
आन्ध्र प्रदेश			
1.	रायल सीमा समिति, तिरुपति	2,19,838	—
2.	ए० पी० विकलांगुला ओपरेटिव, कारपो० हैदराबाद	4,00,000	—
3.	विमुक्ति लैप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन चिल्ड्रन होम, काकिनाड़ा	50,000	—
4	महालक्ष्मी वैलफेयर सोसायटी, विजयनगरम्	88,700	—
5.	आर्टिफिसियल लिम्ब फिटिंग सेंटर, तिरुपति	2,96,649	—
6.	श्रीमती मिरला रमण मैमो० ट्रस्ट, कृष्ण जिला	32,09,701	—
7.	ठाकुर हरिप्रसाद इंस्ट्रीट्यूट फार मेंटली हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रन, हैदराबाद	8,67,504	—
8.	हैदराबाद स्पेशल स्कूल सिकन्दराबाद	3,10,929	—
9.	ए० पी० फैडेरेशन आय दि ब्लाइंड, हैदराबाद	1,33,467	—
10.	ओमन वेलफेयर सेंटर, विजयनगरम	1,50,000	—
11.	लेखनशिल्पी स्पेशल स्कूल फार मेंटरी हैण्डिकैप्ड विशाखापट्टनम	3,02,858	—
12.	पैननकैप सेंटर, सिकन्दराबाद	2,13,489	—
13.	चाइल्ड गाइडैन्स सेंटर, हैदराबाद	3,84,996	—
14.	शांति निकेतन इंस्टीटयूट फार मेंटली हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रन, हैदराबाद	1,06,128	—
15.	सेंटफ्रांसिस एजुकेशनल सोसायटी, नेल्लौर	1,68,912	—
16.	मानसिक विकास केन्द्र, विजयवाडा	11,03,269	—
17.	ओल्ड एम सेन्टर, हैदराबाद	1,66,590	—
18.	इन्दिरा मेमोरियल बर्कर सेक० डेव० सोसायटी, गुंटूर	1,04,540	—

1	2	3	4
19.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेल्फेयर, हैदराबाद	50,000	—
20.	कवारा चैरिटेबल ट्रस्ट, कृष्णा जिला	5,27,641	3,17,949
21.	ऐक्शन फार सोशल हेल्थ इन इण्डिया, हैदराबाद	2,02,798	—
22.	अरुण स्पेशल सेन्टर, हैदराबाद	82,035	—
23.	बोजर्मा फाऊंडेशन	69,120	—
24.	ए० पी० एसोसियेशन आफ दी डीफ	92,230	—
25.	हैलेन कीलर स्कूल भार दि डीफ	70,336	—
26.	ए० पी० एसोशियेशन फार द वेल्फेयर आफ हैदराबाद	17,325	—
27.	रोटेरियन कम्युनिटी सर्विस फाऊडेशन, काठगोदाम, आं० प्र०	1,50,000	—
28.	महावीर हास्पीटल एंड रिसर्च सेन्टर, हैदराबाद	50,000	—
29.	आन्ध्र प्रदेश पीपल्स सो० इका० डेवल०	89,370	—
30.	राम कृष्णन मिशन, राम कृष्ण विवेकानन्द मार्ग, राजमुंदरी, हैदराबाद	3,01,460	—
31.	मेर इंटेन० डेव० सोसायटी पुंगानुजू, चित्तौर डि० आंध्र प्रदेश	83,835	55,890
32.	चाइल्ड फाउण्डेशन आफ इण्डिया, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	5,19,480	3,46,320
33.	प्रियदर्शना (सर्विस आर्ग०) शालाग्रामपुरम, विशाखापटनम आं० प्र०	2,90,250	1,95,795
34.	शारदा सेवा समिति, हिमायत नगर, हैदराबाद	1,24,650	66,420
35.	न्यू गांधी आल इंडिया फोरम फार सो० इका० ग्रोथ स्टूडियो, हैदराबाद	2,22,480	1,45,575
36.	अम्बेडकर दलित वर्ग अभिरुचि संगम कुडप्पा	70,673	—

1	2	3	4
37.	प्रकाशम नगर महिला मंडली, गुन्टूर	27,900	—
38.	प्रकाशम जिला बालहिना बागला कालोनी, वराला सेवा संगम	15,615	1,93,770
39.	महिला दक्षता समिति, हैदराबाद	21,600	—
40.	हैद० जिला महिला मंडला, सामाखया, हैदराबाद	44,010	—
अरुणाचल प्रदेश			
1.	आर० के० मिशन स्कूल, एलोंग	24,19,641	—
2.	आर० के० मिशन, नरोत्तमनगर	62,378	—
3.	आर० के० मिशन हास्पीटल, इटानगर	4,48,000	—
4.	दोम्पी पोलो मिशन, इटानगर	4,11,183	—
आसाम			
1.	गढ़मोडा माडल सभा हिल्स व रेन कल्ट० इंस्टी०, असम	2,70,059	—
2.	प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, असम	6,95,436	—
3.	आर० के० मिशन आश्रम, गुवाहाटी	13,65,487	—
4.	आर० के० मिशन, सेवाश्रम, सिलचर	3,75,486	—
5.	शिशिर सरोषी स्पास्टिक सोसायटी, गुवाहाटी	1,71,680	—
6.	श्रीमाता शंकर मिशन, नागौन	48,476	—
7.	दयानन्द सेवाश्रम संघ, कर्बी अंगलोंग	23,884	—
8.	एसो० फार हैल्थ इन इंडिया, नई दिल्ली	1,87,424	—
9.	प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, पो० आ० लिमिन, नार्थ लखीमपुर, आसाम	33,886	—
10.	स्पास्टिक सोसायटी आफ आसाम	37,415	—
बिहार			
1.	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, जिला सीतामढ़ी	50,000	—
2.	गिरिजा शंकर दृष्टिकोण बालिका विद्यालय, भागलपुर	2,63,170	—

1	2	3	4
3.	होम फार मेंटली रिटारडेशन, पटना	20,38,722	—
4.	संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, वैद्य-नाथ	6,18,054	—
5.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम, नालंदा	3,64,059	—
6.	बिहार रिहैब्लिटेशन एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट, पटना	17,48,298	—
7.	आर० के० मिशन विवेकानन्द सोसा-यटी, जमशेदपुर	3,51,370	—
8.	आर० के० मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, रांची	2,32,380	—
9.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर	1,44,770	—
10.	आर० के० मिशन, आश्रम, रांची	7,44,736	3,72,368
11.	यूथ मोबिलाइजेशन फार नेचुरल एण्ड प्रथा०, पटना	4,86,360	—
12.	पंडित बचन पांडे महिला विकास संस्थान, गोपालगंज	2,83,800	—
13.	ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल, भाजपुरा	1,49,310	—
14.	जे० एम० इंस्टी० आफ स्पीच एंड हियरिंग, पटना	92,986	—
15.	ग्रामीण विकास संगठन, गया	3,30,480	—
16.	बिहार इन्स्टी० आफ स्पीच एण्ड हीयरिंग एण्ड रिसर्च सेंटर, पटना	11,565	—
17.	सोसायटी फार रूरल इंडस्ट्रियलाइ-जेशन, रांची	3,84,750	—
18.	इन्दिरा गांधी समाज सेवाश्रम, पटना	90,450	—
19.	प्रियदर्शी आशा कल्याण संघ, पटना	46,350	—
20.	विश्व भोजपुरा साहित्य सम्मेलन, पटना	90,450	—

1	2	3	4
21.	गुलाब सिंह महिला एवं बाल कल्याण संघ, सिवान	1,04,400	—
22.	नारायण समाज कल्याण केन्द्र, रोहतास	67,500	—
23.	अंजुम-उर्दू-हिन्दी साहित्य, सिवान	63;700	—
24.	इण्डियन इंस्टी० आफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन एण्ड सोशल चेंज, जहानाबाद	31,950	—
25.	जन विकास केन्द्र रांची	20,790	—
गोवा			
1.	कारिटाज, गोवा	4,27,000	25,000
2.	लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल, गोवा	1,14,480	82,230
3.	एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन इण्डिया, गोवा	3,14,389	—
4.	आंध्रा फरिया मेमो० फार मापूसा, गोवा	1,01,399	—
5.	आशा भवन, गोवा	2,41,668	—
6.	आशि गोवा	3,38,234	—
गुजरात			
1.	विकास विद्यालय वाधवा सिटी, गुजरात	38,482	—
2.	सोसायटी फार द मेंटली रिटार्डेशन, राजकोट	1,03,463	—
3.	श्री के० एल० इंस्टी० फार दि डैफ, भावनगर	1,58,410	—
4.	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, दाहोद	50,000	—
5.	ब्लाइण्ड मैंस एसोसिएशन, अहमदाबाद	20,28,376	—
6.	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, बड़ोदरा	4,14,982	—

1	2	3	4
7.	अ भजन विविधलक्ष्मी तालीम केन्द्र, जामनगर	4,83,182	—
8.	श्री डी० एस० प्रकाश डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, सुरेन्द्रनगर	1,14,760	—
9.	श्री टी० आर० गांधी विकास गृह, भावनगर	30,800	—
10.	शारदा ट्रस्ट स्मुस्ति विकासशाला आफ एम० आर० चिल्ड्रेन, धंधका	35,350	—
11.	शारदा चैरिटेबल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, अहमदाबाद	20,000	—
12.	अन्ध कन्या प्रकाश गृह ट्रस्ट, अहमदाबाद	2,56,751	—
13.	मातालक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी आदिपुर	61,470	—
14.	श्री बी० एस० गांधी डेफ एंड डम्ब स्कूल, मोडासा	72,000	—
15.	एस० सी० पटेल, ट्रस्ट, बड़ौदा	5,54,760	—
16.	गुजरात कल्याण ट्रस्ट, अहमदाबाद	7,56,351	—
17.	श्री काठियावाड निराश्रित बाल आश्रम, राजकोट	47,998	—
18.	मानव स्मृति विकास ट्रस्ट, गांधीनगर	81,778	—
19.	बलराम सक्षम क्षेत्र समिति, गुजरात	24,776	—
20.	मानव दया ट्रस्ट, सूरत	50,000	—
21.	के० एस० दहिया मुख बधिर विद्यालय, मंदिर छात्रालय, अहमदाबाद	1,13,783	—
22.	मसबन्दी मैदान	—	3,31,941
23.	रचनाकुनक अभिनय ट्रस्ट, अहमदाबाद	2,26,800	1,25,280
24.	पी० एस० कोठारी, मल्टी परपज, स्कूल फार डीफ एण्ड डम्ब नवसारी	3,10,040	—

1	2	3	4
	हरियाणा		
1.	इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी, चण्डीगढ़	6,83,617	—
2.	नेश० एसो० फार द ब्लाइण्ड, फरीदाबाद	50,000	—
3.	जिला रेडक्रास सोसाइटी, अम्बाला	1,39,949	—
4.	हरियाणा वेलफेयर सोसायटी फार द हियरिंग व स्पीच हैण्डीकैप्ड, चण्डीगढ़	3,68,389	—
5.	जिला रेडक्रास सोसाइटी, रोहतक	5,70,554	—
6.	हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी, फार द डेफ, चण्डीगढ़	80,000	—
7.	सीनियर सिटिजन काउन्सिल, हरियाणा	33,642	—
8.	आर० के० एम० एजु० एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, फरीदाबाद	49,300	—
9.	इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी फरीदाबाद	3,24,018	—
10.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, हिसार	2,32,200	—
11.	आर० आर० सी०, करनाल	2,32,018	—
12	एसो० फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, चण्डीगढ़	2,32,018	—
13.	आइ० आर० सी०, पानीपत	2,62,387	—
14.	आशि, रोहतक	2,54,550	1,25,280
15.	ग्रामीण शिक्षा समिति, फरीदाबाद	58,199	—
16.	चौबीसी विकास संघ, मेहम, रोहतक	27,900	—
17.	हरियाणा नवयुवक कल्याण संघ रोहतक	16,650	35,100
18.	हरियाणा रूरल डेवलेपमेंट फार्मर्स एसो०, रोहतक	17,500	—

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	हिमाचल प्रदेश स्टेट काउन्सिल फार चाइल्ड वैलफेयर, शिमला	2,90,104	—
2.	महिला कल्याण परिषद, हिमाचल प्रदेश	—	—
3.	नेश० एसो० फार द ब्लाइंड, कर्नाटक	1,73,787	—
4.	पेरेंट्स एसो० आफ द डेफ सरस्वतीपुरम्	24,800	—
5.	विश्वधर्मा महिला मुक्त माकाल शिक्षण सेका समिति, कर्नाटक	3,46,465	—
6.	नवजोत ट्रस्ट, बेंगलूर	31,261	—
7.	बीजापुर जिला फिजि० हैण्डिकैप्ड वेलफेयर एसोसिएसन, बीजापुर	1,60,200	—
8.	कर्नाटक हैण्डिकैप्ट वेलफेयर एसो०, बेंगलूर	3,33,860	—
9.	एसो० आफ द मैंटली हैंडकैप्ड, कर्नाटक	75,746	—
10.	कर्नाटक फेडरेशन आफ द ब्लाइंड, हावन	3,95,229	—
11.	सवासरंगा विद्या समस्ते	39,350	—
12.	होनम्मा एजु० सोसाइटी, कर्नाटक	73,965	—
13.	मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, कर्नाटक	1,00,000	—
14.	द नेशनल फैडरेशन आफ द ब्लाइंड, बेंगलूर	50,000	—
15.	कर्नाटक दलित प्रोग्रेसिव, बेंगलूर	5,96,476	3,25,350
16.	जन कल्याण ट्रस्ट, बेंगलूर	1,65,188	—
17.	काम फाउंडेशन, बेंगलूर	2,79,720	—
18.	क्रेस्ट, बेंगलूर	2,00,610	90,785
19.	सेवा इन एक्शन, बेंगलूर	1,96,740	—
20.	अंग विकलांग आशा किरण ट्रस्ट	4,068	—
21.	नट्टूर टेकनिकल फाउंडेशन, बेंगलूर	90,000	—
22.	रंगाराव मेमोरियल स्कूल, मैसूर	41,371	—

1	2	3	4
23.	डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार द ब्लाइंड, बेंगलूर	19,419	—
24.	श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भोइ एजुकेशन चित्तूर	1,52,268	—
25.	श्री सिद्धलिंगेश्वर विद्यापीठ, कन्नामडागू	2,44,583	—
26.	श्री मुजुनाथ स्वामी युवक संघ, कुप्पिनकल	1,90,935	—
27.	अकेला कर्नाटक वीरासेवा महासभा, सीरा	1,34,760	—
केरल			
1.	संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्याम	44,580	—
	(अ) स्नेह भवन चैरिटेबल सोसाइटी	2,96,354	—
	(ब) केरल फैडरेशन आफ द ब्लाइंड, त्रिवेन्द्रम	9,02,912	—
2.	सोसाइटी फार द रिहैबिलिटेशन आफ मैंटली डेफिसेंट चिल्ड्रेन, कन्नानूर	1,04,757	—
3.	एसा० फार द वेलफेयर आफ हैण्डि, कालिकट	5,21,485	—
4.	रीटेरी इंस्टीट्यूट फार चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पेशल केयर, त्रिवेन्द्रम	2,85,222	—
5.	शांति भवन सोशल सैंटर, केरल	2,57,537	—
6.	यंग वोमैन्स क्रिश्चियन एसो०, क्विलोन	81,441	—
7.	कार्तिक नायर स्मारक समिति, बम्बई	1,31,078	—
8.	मदम्ना चैरिटेबल सोसाइटी, केरल	1,46,673	—
9.	सोसाइटी फार सर्विस आफ वोमेन एण्ड चिल्ड्रेन, मल्लापुर	57,066	—
10.	चेरुपुष्पम् इण्डस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम	2,95,956	—
11.	सोशल वैलफेयर सेंटर, त्रिचूर	5,71,444	—
12.	रक्षा सोसाइटी फार केयर आफ चिल्ड्रन, कोचीन	1,55,768	—
13.	बाल विकास सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम	1,46,817	—
14.	विमला महिला समाजम, केरल	2,35,747	—

1	2	3	4
15.	प्रतीक्षा ट्रेनिंग सेंटर, त्रिचूर	2,53,998	—
16.	कोट्टायम सोशल सर्विस, कोट्टायम	42,660	—
17.	जयश्री सोसाइटी, केरल	2,85,882	—
18.	डायरेक्ट्रेट आफ सोशल एक्शन, पालघाट	1,75,787	—
19.	आशा निलयम, केरल	48,240	—
20.	काराएकज इलाइस सर्विस सोसाइटी, त्रिचूर	45,340	—
21.	सेंटर फार सोशल रिसर्च, त्रिवेन्द्रम	50,000	—
22.	हरिजन सेवक संघ, त्रिवेन्द्रम	2,97,384	—
23.	आर० के० अद्वैत आश्रम, केरल	4,52,293	—
24.	विनोबा निकेतन, केरल	5,72,854	—
25.	सेंट जोसफ दया भवन, कोट्टायम	47,520	—
26.	एम० जी० एम० अभय भवन, कोट्टायम	7,32,594	—
27.	इंस्टी० सेंटर फार स्टडी एण्ड डेव०, क्वीलोन	1,80,116	—
28.	के० वेल्युदम मेमो० ट्रस्ट, केरल	4,78,256	—
29.	टोटल रेसपोन्स टू अलकोहल एण्ड ड्रग अब्यूज मंगम, कोट्टायम	3,52,960	—
30.	सोसाइटी एजु ट्रस्ट, कालिकट	2,92,660	—
31.	सोसाइटी आश्रम एशियर कोलियाकांड	50,000	—
32.	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, वेनाड	1,89,402	—
33.	कालिकट डिसोकस शोशल सर्विस सोसाइटी	48,150	1,26,900
34.	डालेब्यू	62,100	—
35.	चंगनचेरी	45,990	—
मध्य प्रदेश			
1.	एम० पी० वेलफेयर एसो० फार द ब्लाइन्ड, इन्दौर	2,44,868	—
	वेलफेयर एसो० फार द डिसेबल्ड, इन्दौर	5,78048	—

1	2	3	4
2.	आशा निकेतन, भोपाल	1,[illegible]5,000	—
3.	कृत्रिम अंग केन्द्र, इन्दौर	3,22,000	—
4.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमो॰ ट्रस्ट, इन्दौर	50,000	—
5.	प्रमोद वन आनन्द धाम, सतना	47,115	—
6.	आई॰ सी॰ एस॰ डब्ल्यु॰, भोपाल	36,450	—
7.	गायत्री शक्ति शिक्षा समिति, जबलपुर	1,66,785	90,900
8.	आर॰ के॰ मिशन, विवेकानन्द आश्रम, रायपुर		
9.	अखिल भारतीय रचनात्मक समाज, भोपाल		
10.	गांधी भवन ट्रस्ट, भोपाल		
11.	म्यूनिसिपल कारपोरेशन, भोपाल		
12.	सैनिक शिक्षा एवं कल्याण समिति, भोपाल		
13.	म्युनिसिपल कारपोरेशन, ग्वालियर		
14.	ग्वालियर समाज नशाबन्दी परिषद		
15.	आई॰ आर॰ सी॰, इन्दौर		
16.	आर॰ एस॰ युनिवर्सिटी, रायपुर		
17.	म्यूनिसिपल कारपोरेशन, उज्जैन		
18.	एसो॰ फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, ग्वालियर		
19.	बेरोजगार महिला सेवा समिति, मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र			
1.	मुक्तद्वार उन्नती मंडल जलगांव धुले,	59,400	
2.	नासेहों, पोस्टल कालोनी, बम्बई	5,88,778	
3.	सहरूक, मंडल, पुणे	1,11,452	
4.	स्पास्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, बम्बई	2,94,809	
5.	सोसाइटी फार द वीक, रिटायर्ड, बम्बई	22,321	
6.	मातृ सेवा संघ, नागपुर	3,48,148	

1	2	3	4
7.	गांधी सेवा ट्रस्ट, हिंगोली	44,576	
8.	के० ई० एम० हास्पीटल, पुणे	3,26,423	
9.	इंडियन कॅंसर सोसाइटी, बम्बई	2,26,608	
10.	नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइन्ड, बम्बई	11,04,371	
11.	अपंग कल्याण व पुनर्वास समिति	1,50,000	
12.	फेलोशिप फार द पी० एच०, बम्बई	51,106	
13.	सी० ए० एस० पी०, बम्बई	4,53,858	
14.	एडब्ल्यूएमएच, बम्बई	3,22,584	
15.	जानकी बाई शिक्षा संस्थान, बम्बई	1,10,741	
16.	सोसाइटी फार एजुकेशन आफ क्रिप्ल्ड, एण्ड एडल्ट, बम्बई	34,088	
17.	सोसाइटी फार रिहैब० आफ क्रिप्ल्ड चिल्ड्रन, बम्बई	3,84,238	
18.	श्री ट्रस्ट, महाराष्ट्र	2,96,422	6,32,501
19. (अ)	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, शोलापुर	2,34,021	
(ब)	द रिसर्च सोसाइटी फार द केयर, ट्रीटमेंट एण्ड ट्रेनिंग आफ चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पैशल कोर्स सवरी हिल्ल, स्वेर्ड रोड, बम्बई	50,000	
20.	रिहैब्लीटेशन कोआर्डिनेशन इण्डिया, बम्बई	22,470	
21.	नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइन्ड, नासिक	4,703	
22.	कृपा फाउडेशन, बम्बई	8,57,952	6,94,080
23.	सेवादान, बम्बई	9,19,418	4,57,901
24.	राष्ट्रीय विज्ञान मंच, लीलापथ	48,150	
25.	भारतीय आदिमजाति संघ, नागपुर	47,250	
26.	एमएसएस इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल वर्क, नागपुर	2,23,050	
27.	वीर अर्जुन युवक मंडल, नागपुर	34,920	

1	2	3	4
28.	मुक्तागन मितरा, पुणे	4,84,482	5,22,758
29.	सेवा ट्रस्ट, पुणे	26,550	
30.	अहिल्यादेवी महिला मंडल, नागपुर	53,550	
31.	अशोक कला निकेतन ट्रस्ट, पुणे	89,100	
32.	दौवल बारगीया सुधार संस्था, रानी दुर्गावती, नागपुर		
33.	भारतीय एग्रो-इंस्टिच्यूटशन फाउंडेशन, पुणे	2,61,634	
34.	रेस्तरामत तुका डोजी सोसाइटी, नागपुर	1,26,392	—
35.	पदमसरी अन्ना साहेब जादव, भारतीय समाज उन्नति मंडल, थाणे	5,88,186	2,94,093
36.	विजय मर्चेन्ट रिहैब्लिटेशन सेंटर फार द हिलैबल्ड, बम्बई	3,33,979	—
37.	अपंग मैत्री, थाणे	1,50,000	—
38.	प्राईड, इण्डिया, बम्बई	2,11,887	
39.	बालो दास दागो, इंडियन सोसाइटी, फल्म, बम्बई	42,930	—
40.	प्रगति प्रतिष्ठान, थाणे	3,40,000	—
41.	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे	1,50,000	—
42.	इम्पैक्ट इण्डिया फाउंडेशन, बम्बई	50,000	—
43.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेलफेयर	2,96,626	—
44.	चिल्ड्रन ऐड सोसाइटी, बम्बई	50,000	—
45.	बालग्राम एस० ओ० एस० चिल्ड्रन विलेजेंज, पुणे	50,000	—
46.	सेंटर फार द रिस० डेव, बम्बई	22,588	—
47.	नेशनल फाउंडेंशन आफ द ब्लाइण्ड, बम्बई	25,267	—
48.	अपंग कल्याण शिशु समिति (मूक व बधिर स्कूल), (संगली)	5,220	—
49.	इंडियन ऐशन आफ रिटायर्ड परसन्स, बम्बई	15,476	—

1	2	3	4
50.	आमकीबाई ट्रस्ट, बम्बई	30,375	—
51.	बम्बई सबअर्बन सीनियर सिटिजन्स एसो० बम्बई	81,000	—
52.	वेस्ट कन्धे शोभागी सेवा मंडल, धुले	23,220	—
53.	सर्वेंटस सोसाइटी, पूना	28,14,570	8,12,530
54.	अपनालय, बम्बई	12,701	—
55.	एन० ए० डब्ल्यू० पी० एच० अमरावती	23,220	—
56.	युवा शांति प्रतिष्ठान, बम्बई	86,100	86,100
57.	ड्रग अब्यूज आई० आर० सेन्टर, बम्बई	1,89,707	—
58.	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ वूमेन, चाइल्ड एण्ड यूथ डिवलेपमेंट, खामला, नागपुर	83,888	—
59.	आशा निकेतन, बम्बई	—	64,800
मणिपुर			
1.	केलवरी हीलिंग मिनिस्ट्री	1,92,600	—
2.	मणिपुर रूरल इन्स्टीच्यूट	2,71,080	—
3.	रीजनल इंटीग्रेटड रूरल डेवलपमेंट अथोरिटी हाइकाई	3,53,160	—
4.	रूरल डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन	1,43,016	
5.	गैलेक्सी क्लब	10,01,780	
6.	सर्विस एंड एजूकेशन फार वेल्फेयर एक्शन	3,90,330	
7.	वांगजुग टेम्पा फार्मर्स डेवलेपमेंट एसोसिएशन	1,87,566	
8.	अगापा मोरल रिफार्म आर्गेनाईजेशन, मणिपुर	1,51,507	
9.	आशा निकेतन, बम्बई		
10.	सेंटर फार मेंटल हाइजीन, इम्फाल	12,45,463	
11.	एसोसियशन आफ प्रो० सोशल वर्कर, इम्फाल	5,55,120	

1	2	3	4
12.	सेंटर फार सोशल सर्विस, इम्फाल	2,24,775	—
13.	ट्राइबल लेबर को-आप-सोसाइटी इम्फाल	1,07,259	—
14.	रूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर	19,810	—
15.	ट्राइवल सेवक समिति, इम्फाल	7,97,580	—
16.	मणिपुर टी० डी० सोसाइटी इम्फाल	8,79,230	—
17.	रूरल डेव सोसाइटी, मौमल आलोंग, तामेंग्लोंग	1,15,119	—
18.	वांगजिंग तैयुथा फारवंस डेव० एसो-सिएशन	40,365	—
19.	पटजांग खादी और ग्राम उद्योग, समिति सेनापाती	1,02,060	—
20.	यूनाइटिड ट्राईवल डेव० सोसाइटी, चुरीनचपुर	1,31,400	—
मेघालय			
1.	बैथनी सोसाइटी मंडल, मेघालय	4,53,950	—
2.	लेडिज एंड चिल्ड्रन सेंटर, शिलांग	58,104	—
3.	आर० के० मिशन, आश्रम, मेघालय	28,27,500	—
4.	आर० के० मिशन, शिलांग, मेघालय	2,99,429	—
मिजोरम			
1.	फेथ होम, ऐजल	8,20,270	—
2.	मिजोरम सिनौद सोशल फ्रंट, ऐजल	2,34,360	—
3.	जोरम ड्राइवरस रामथेमि बोर्ड	48,150	—
4.	सोशिल गाइडेंस एजेंसी ऐजवल	5,00,380	—
5.	न्यूलाईफ होम सोसाइटी	43,650	2,72,880
नागालैंड			
1.	नागालैंड गांधी आश्रम, नागालैंड	1,30,925	—

1	2	3	4
2.	बयेड़ा यूथ वेलफेयर सेंटर, दिमोर	13,16,870	—
3.	नागा मदर एसोसिएशन, कोहिमा	4,22 550	—
4.	यूथ मिशन, कोहिमा	89,100	—
5.	तंगखूल म्यूर, नागालैंड	1,82,520	—
उड़ीसा			
1.	उड़ीसा एसोसिएशन फार द ब्लाइंड, भुवनेश्वर	50,000	—
2.	नेहरू सेवा संघ, उड़ीसा	2,51,077	—
3.	सुभद्रा महताब सेवा सदन, फुलबान	2,45,160	—
4.	अमगलास, पुरी	2,54,784	4,64,333
5.	उड़ीसा सोसाइटी फार ब्लाइंड, भुवनेश्वर	37,990	—
6.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, उड़ीसा	1,45,773	—
7.	ग्राम सेवा मंडल, उड़ीसा	3,84,101	—
8.	शहीद रवि महापात्रा चारिटेबल ट्रस्ट, गंजोर	16,125	—
9.	कलिंगा शैल्टर खलासी राहा,	40,500	—
10.	जया जगन्नाथ क्लब, पुरी	20,070	—
11.	भारतीय जन कल्याण केन्द्र	46,013	—
12.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	4,62,744	1,43,190
13.	सिगनाथ क्लब, कटक	32,805	—
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल वर्क, भुवनेश्वर	1,80,810	1,80,810
15.	बांकी अंचालिके आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक	92,295	—
16.	भैरवी क्लब, पुरी	72,360	—
17.	आरगेनाइजेशन फार सोशल चेंज एण्ड रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर	54,000	—
18.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ काम्यूनिटी हैल्थ	1,48,860	3,53,160

1	2	3	4
19.	औपन लर्निग सेंटर, भुवनेश्वर	50,000	—
20.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, राउरकेला	—	2,09,340
21.	रामकृष्ण मिशन, भुवनेश्वर	4,19,533	1,55,480
22.	एसोसिएशन फार मोरल गाइड एण्ड लीगल एण्ड सर्विसिज टू पूअर, भुवनेश्वर	7,00,974	—
23.	सेंटर फार यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर	2,52,940	—
24.	प्रोजेक्ट स्वराज्य थोरिया साही, कटक	1,23,750	1,11,100
25.	इंस्टीट्यूट्र आफ सोशल वेलफेयर एण्ड एडवांसमैंट फार रूरल डेवलपमेंट, क्योंझर	73,800	—
पंजाब		1991-92	1992-93
1.	डा० सत्यपाल खोसला धर्मार्थ स्मारक न्यास, जालंधर	3,13,925	—
2.	इण्डिया रेड क्रास सोसाइटी, गुरदासपुर	62,370	—
3.	दृष्टिहीनों के लिए पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना	50,000	45,081
4.	निवेदक प्रोस्थेटिक केन्द्र, चण्डीगढ़	17,73,000	—
5.	नवजीवनी मार्गदर्शन केन्द्र, पटियाला	2,22,546	—
6.	सोसाइटी फार रिहैब० आफ हैंडिकैप्ड परसन्स, चण्डीगढ़	—	37,800
7.	चाइल्ड वेलफेयर काउन्सिल, चंडीगढ़	2,26,763	—
8.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद	19,07,632	—
9.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, चंडीगढ़	99,804	—

1	2	3	4
10.	भारतीय रेड क्रास समिति चंडीगढ़	—	10,58,591
सिक्किम			
1.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, गंगटोक	15,822	—
तमिलनाडु			
1.	महिला स्वयंसेवी सेवा, मद्रास	1,00,000	—
2.	पंजाब संघ, मद्रास	1,50,000	—
3.	हैलेनकीलर सेवा, सोसाइटी, मदुरे	1,70,035	—
4.	जर्मन कुष्ठ निवारण संघ, मद्रास	60,347	—
5.	स्कूल फार द यंग डीफ, मद्रास	74,340	—
6.	चेस्री होम्स इण्डिया, मद्रास	41,634	—
7.	भारतीय दृष्टिहीन संघ, मदुरै	94,687	—
8.	अम्तगाम इन्स्टीच्यूट फार द मेंटली हैंडीकैप्ड, मदुरै	1,55,039	—
9.	आई०सी०सी०डब्ल्यू०, मद्रास	3,50,663	—
10.	आंध्र महिला सभा, मद्रास	9,18,573	—
11.	तमिलनाडु दृष्टिहीन संघ, मद्रास	76,297	—
12.	रूरल एजुकेशन एण्ड डेव० सोसाइटी	1,90,350	60,750
13.	मदुरई इन्स्टीटयूट आफ सोशल वर्क	1,11,330	—
14.	नवज्योति न्यास, मद्रास	56,019	—
15.	बाल बिहार, मद्रास	34,955	—
16.	तमिलनाडु स्पास्टिक सोसाइटी	23,670	—
17.	"पथसाज" मद्रास	85,185	—
18.	मद्रास सिटिजन काउन्सिल, मद्रास	3,46,119	—
19.	क्रिश्चियन फाउन्डेशन फार द ब्लाइंड, मद्रास	23,332	—
20.	अन्तगाम स्पेशल स्कूल, तमिलनाडु	1,24,175	—
21.	स्वैलोज इंडिया, मद्रास	19,798	—

1	2	3	4
22.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, मद्रास	2,50,387	—
23.	इनेकलेट हर्ट आफ मेरी, मद्रास	26,784	—
24.	सेंट एजे पुनर्वास सेंटर, मद्रास	1,12,129	—
25.	समाज कल्याण केन्द्र, तमिलनाडु	27,720	—
26.	मद्रास इंस्टीच्यूट टू हेबिलिटेट रिटायर्ड एफिलिएटेड, मद्रास	98,000	
27.	वल्लावर शिक्षा सोसाइटी, तमिलनाडु	28,672	—
28.	कुरियाकोसे इलियाम सर्विस सोसाइटी, तमिलनाडु	4,9950	43,740
29.	खावामलाई महिला संगठन, तमिलनाडु	7,87,799	4,20,030
30.	सोसाइटी फार इम्प्रवमेंट फार वीकर सैक्सन, मद्रास	1,24,740	85,750
31.	सोसाईटी फार द प्रमोशन आफ मदुरे	2,75,310	—
32.	नालगिरी आदिवासी कल्याण संघ, तमिलनाडु	3,62,668	—
33.	टी०टी० रंगनाथन क्लीनिकल रिसर्च फाउन्डेशन, मद्रास	6,68,983	2,67,696
34.	एसोसियशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, मद्रास	1,76,086	—
35.	पीपल्स मल्टीपरपज डेव० सोसाइटी, मंगलपुरम	1,79,010	—
36.	कलासेल्वी करुणालय सोशल वेल-फेयर सोसाइटी, मद्रास	1,67,265	50,000
37.	गिल्ड आफ सर्विस एगमोर, मद्रास	1,87,448	—
38.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, मद्रास	4,00,000	—
39.	सेंट जोन संगम, पेरम्बलूर	50,000	—
40.	वर्थ ट्रस्ट वेल्वर	3,00,000	—
41.	क्लर्क स्कूल फार द डेफ "साधना"	2,50,000	—

1	2	3	4
42.	सत्यज्योति लिटिल फ्लावर, एक्सटेंशन	82,554	—
43.	अन्ना जे०के०के० समापोरनी एनुअल चेरीटेबल ट्रस्ट	13,500	—
44.	कोन्गू अरिवल्यम ट्रस्ट, इराड	41,445	—
45	कनसर्न, चेटपट, मद्रास	—	—
46	इण्डियन सोसाइटी फार क्रिमिनोलोजी	[illegible],34,184	—
47.	कांग्रेसन आफ द सिस्टर्स आफ चौलाम्द	2,31,704	1,16,325
त्रिपुरा			
1.	अबालमपुर, अगरतला	1,40,281	—
2.	आल त्रिपुरा एस० सी०/एस० टी० एण्ड माइनारिटी अपलिफ्टमेंट काउन्सिल अगरतला	1,75,680	—
3.	आशी, अगरतल्ला	2,21,400	85,439
4.	नार्थ त्रिपुरा डीफ एण्ड डंब स्कूल, कैलाश शहर	1,56,989	—
उत्तर प्रदेश			
1.	प्रगिहरण मूक बधिर विद्यालय समिति, अलीगढ़	3,35,225	—
2.	डीफ एण्ड डम्ब स्कूल, आजमगढ़	1,34,544	—
3.	डीफ एण्ड डम्ब स्कूल, मेरठ	4,79,361	—
4.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, रामपुर	9,25,413	1,26,900
5.	सेवा, लखनऊ	5,01,716	—
6.	रफील राइडर चसहीरा इंटरनेशनल सेंटर फार द रिलीफ आफ सफरिंग्स, देहरादून	2,45,891	—
7.	सर स्मारक मण्डल, आगरा	3,28,207	—
8.	सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, हरदोई	1,99,710	
9.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	43,290	
10.	निर्मल समाज कल्याण संस्थान, लखनऊ	48,150	—

1	2	3	4
11.	एसोसियेशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, मेरठ	1,46,926	—
12.	रोटरी स्पान्सर्ड क्रिपल्ड एण्ड यूथ वेलफेयर सोसाइटी, इलाहाबाद	12,89,000	—
13.	श्री कान्ची लाल शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	1,22,160	—
14.	अशोक आश्रम, देहरादून	1,22,278	—
15.	स्वामी अर्जना अन्ध विद्यालय, हरिद्वार	5,00,922	—
16.	इण्डियन काउन्सिल आफ चाइल्ड वेल्फेयर, चंडीगढ़	1,05,303	—
17.	चण्डीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी फार डेफ एण्ड डम्ब, चण्डीगढ़	98,217	—
18.	बी० सी० जी० स्कूल फार द डेफ, वाराणसी	3,12,132	—
19.	वृन्दावन अन्ध विद्यालय, मथुरा	2,58,120	—
20.	सोशल एण्ड इकोनामिक डेव० इंस्टीट्यूट, लखनऊ	2,60,550	81,000
21.	उ० प्र० हरिजन एवं समाज सेवा संस्थान, लखनऊ	1,27,282	71,215
22.	सार्वजनिक शिक्षा समिति, लखनऊ	43,245	31,725
23.	हिन्द स्वीपर सेवक समाज, लखनऊ	3,25,268	1,16,634
24.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, इलाहाबाद	48,150	—
25.	तिलक शैक्षिक समिति, इलाहाबाद	1,51,560	—
26.	बोधी सासवा स्कूल, लखनऊ	3,21,429	84,150
27.	श्री राम श्रम स्मारक सेवा, पुस्तकाल्यान, बेसौली	59,220	—

1	2	3	4
28.	काशी क्लब, वाराणसी	10,25,407	21,91,170
29.	श्री राम प्रभु वर्मा चारिटेबल सोसाइटी, आगरा	6,15,914	—
30.	ग्राम्य विकास सेवा संगठन, इलाहाबाद	3,83,660	—
31.	श्री हनुमान पोद्दार अन्ध विद्यालय, वाराणसी	6,98,017	—
32.	गूंगे बहरों का विद्यालय, कानपुर	7,41,697	—
33.	मंगलम, लखनऊ	1,38,416	—
34.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ	6,74,348	—
35.	नेशनल एसोसियेशन आफ ब्लाइंड, अलीगढ़	2,10,510	—
36.	नन्हीं दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून	10,71,912	—
37.	एन० सी० चतुर्वेदी स्कूल फार डेफ, लखनऊ	7,10,967	—
38.	उत्तर प्रदेश मूक एवं बधिर संस्थान, इलाहाबाद	1,91,338	—
39.	पर्यावरण जनजागरण समिति, अल्मोड़ा	1,27,480	—
40.	ईश्वर शरन आश्रम, इलाहाबाद	2,45,950	1,25,438
41.	ह्यूमन सर्विसेज चैरिटेबल सोसाइटी आफ इण्डिया, लखनऊ	6,49,530	4,01,220
42.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	3,27,942	—
43.	अभिनव रिपैंट्री थियेटर एंड रिसर्च संस्थान, लखनऊ	4,72,757	—
	राजस्थान		
1.	एल० के० सी० श्री जगदंबा अन्ध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर	9,45,540	
2.	बधिर कल्याण विकास समिति, भीलवाड़ा	3,51,196	
3.	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	1,00,000	

1	2	3	4
4.	सोसाइटी फार वेल्फेयर आफ मेंटली हैंडिकैप्ड, जयपुर	1,54,685	
5.	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	44,00,000	
6.	इण्डियन काऊंसिल फार सोसल वेल्फेयर, जयपुर	2,57,490	
7.	बेला स्कूल समिति, जयपुर	26,820	
8.	वरिष्ठ नागरिक परिषद, जयपुर	91,800	
9.	विक्टोरिया मांटेसरी स्कूल, शिक्षा समिति, जयपुर	73,647	
पांडिचेरी			
1.	इमैकुलेट हार्ट आफ मेरी कान्वेंट, पांडिचेरी	78,300	—
2.	एसोसियेशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, पांडिचेरी	—	1,22,580
3.	रिहैबिलिटेशन आफ हैंडिकेप्ड पर्सन्स सफरिंग फ्राम सोशल एविल्स	—	1,13,400
पश्चिम बंगाल			
1.	स्पास्टिक सोसाइटी आफ ईस्टर्न इंडिया, कलकत्ता	14,84,364	—
2.	अलकन्द बोध निकेतन, कलकत्ता	16,15,445	—
3.	नार्थ कलकत्ता प्रतिबन्धी सेवा केन्द्र, कलकत्ता	11,500	—
4.	प्रवर्तक इन्स्टीच्यूट फार मेंटली रिटार्डेड, चन्दननगर	1,62,455	—
5.	विकास भारती वेलफेयर सोसाइटी, कलकत्ता	18,40,332	70,650
6.	प्रतिबन्धी कल्याण केन्द्र, पश्चिम बंगाल	2,45,941	—

1	2	3	4
7.	सोसायटी फार रेमिडिल एजुकेशन, पश्चिम बंगाल	2,59,021	—
8.	वाणी तथा श्रवण संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	1,00,998	—
9.	उत्तरी 24-परगना विकलांग व्यक्ति संगठन, पश्चिम बंगाल	18,772	—
10.	भारत स्काउट एण्ड गाइड्स, कलकत्ता	1,87,321	—
11.	साउथ सुन्दर बन शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थान, प० बंगाल	91,635	—
12.	आर०के० मिशन सेवा प्रतिष्ठान, 99, सरत बोरे रोड, कलकत्ता	75,317	—
13.	मनोविकास केन्द्र रिहेबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट फार द ब्लाइंड हैंडीकैप्ड, कलकत्ता	14,23,731	—
14.	हिन्द कुश निवारण संघ बिशनपुरा, बंकुरा (पश्चिमी बंगाल)	3,09,313	—
15.	डा० एस० एन० मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय, चन्दनीमोरे	6,79,478	—
16.	रिहैबिलिटेशन इंडिया, कलकत्ता	3,29,047	—
17.	आनन्द निकेतन, हावड़ा	2,32,560	53,280
18.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद, मिदनापुर	2,32,200	—
19.	भाटर डा० बी० आर० अम्बेडकर अवासिक शिक्षा निकेतन, बर्दवान	1,22,310	61,153
20.	अभय चरण डेस्टीट्यूट होम 24, नार्थ परगना	1,11,240	1,04,000
21.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, मुर्शिदाबाद	5,19,786	—
22.	अनुसीलन समिति सतिर्था एसोसिएट्स, कलकत्ता	1,83,735	—

1	2	3	4
23.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद, मिदनापुर	2,32,200	—
24.	प्रवर्तक सेवा निकेतन, हुगली	9,500	—
25.	दि सोसाइटी फार रिहैबिलीटेशन कम्परहेंसिव रिहैबिलिटेशन सर्विस टू द फिजीकल हैंडीकैप्ड परसंस इन इंडिया, कलकत्ता	47,966	—
26.	अकादत संघ	36,900	—
27.	दलाल समिति संसद, पश्चिम बंगाल	35,000	—
28.	आल बंगाल वूमेन्स यूनियन, कलकत्ता	84,694	—
29.	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण संस्था, मिदनापुर	23,85,060	11,34,315
30.	वमेन्स को-आरडिनेशनल काउंसिल पश्चिमी बंगाल	1,79,283	—
31.	आर० के० मिशन विद्यापीठ, पुरूलिया	1,52,630	77,317
32.	बंगाल एस० सी०/एस०टी० डेवलपमेंट सोसायटी, 24 परगना	5,02,650	—
33.	चन्द्रभान बासु सेवा संघ, कलकत्ता	4,65,840	2,32,920
34.	सिधू कानू एजूकेशनल सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल	1,26,360	63,180
35.	डा० बी० आर० अम्बेडकर मेमोरियल एजूकेशन सेंटर	3,93,121	1,96,560
36.	इंडियन माइम थियेटर, कलकत्ता	67,500	—
37.	भारत सेवाश्रम संघ, मिदनापुर	77,603	—
38.	कलकत्ता समारितन्स, कलकत्ता	1,75,893	—
39.	सेंटर फार साइकलोजिकल एण्ड एजूकेशनल रिसर्च, कलकत्ता	6,11,094	—

1	2	3	4
40.	मानव विकास एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	3,78,360	—
41.	इंस्टीट्यूट आफ साइकलोजिकल एण्ड रिसर्ज इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	3,39,260	—
42.	विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी, कलकत्ता	9,47,241	—
43.	प्रबुद्धा भारती शिशुलियथा भवन, मिदनापुर	83,025	—
44.	सरोज नलिनी दत्त मेमोरियल एसोसिएशन, कलकत्ता	37,886	—
45.	बी० आर० अम्बेडकर शिशु मंगल, पश्चिमी बंगाल	2,41,848	1,20,924
46.	हरिजन सेवक संघ, पश्चिमी बंगाल	6,19,735	—
47.	निखिल भारत बनारसी पंचायत, पश्चिमी बंगाल	8,36,201	—
48.	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, पश्चिमी बंगाल	1,58,440	—
49.	वूमेन्स इन सोशल एक्शन, मिदनापुर	1,09,145	—
50.	इंडियन इंस्टीट्यूट फार ह्यूमेन वेलफेयर, कलकत्ता	3,22,400	—
51.	सर सैय्यद ग्रुप आफ स्कूल्स, कलकत्ता	5,32,312	—
	दिल्ली		
1.	अखिल भारतीय बधिर फेडरेशन	7,27,076	—
2.	अमरज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट	12,98,304	—
3.	भारतीय एच० एच० सोसाइटी, नई दिल्ली	85,410	—
4.	समाज सेवक संघ	6,36,515	2,84,220
5.	भारतीय शिक्षा परिषद्	25,24,418	18,26,100
6.	भारतीय आदिम जाति संघ	3,29,670	2,54,248

1	2	3	4
7.	अखिल भारतीय दृष्टिहीन कनफेडरेशन	1,29,506	—
8.	भारतीय ग्रामीण संस्कृत केन्द्र	1,32,075	53,100
9.	स्पाटिक सोसाइटी आफ नार्थ इण्डिया	12,94,640	—
10.	राष्ट्रीय दृष्टिहीन परिसंघ	7,89,795	—
11.	हैलपेज इंडिया	4,58,490	1,96,754
12.	जामिया मिलिया इस्लामिया	69,840	—
13.	एस० पी० वाई० एम०	2,61,360	1,29,700
14.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	67,191	—
15.	आलोक धर्मार्थ न्यास	48,600	—
16.	सुषमा शिक्षा समिति नन्द नगरी, दिल्ली	26,865	39,825
17.	थाने ऐसिएशन, नई दिल्ली	5,48,252	—
18.	डा० जाकिर हुसैन मानसिक सोसाइटी	2,02,847	—
19.	जनता आदर्श अन्ध विद्यालय	2,34,621	—
20.	एसोसियशन फार द एडवान्स रिहेबिलिटेशन फार हैंडीकैप्ड	1,45,931	—
21.	फैडरेशन फार मेंटली रिटार्डेड	8,40,760	—
22.	संजीवन सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ	75,015	—
23.	इंस्टीट्यूट आफ द ब्लाइंड	1,03,113	—
24.	अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ	1,33,106	—
25.	एसोसिएशन फार द डेवलेपमेंट आफ द मल्टिपल हैंडिकैप्ड	1,02,897	—
26.	हैंडिकेप्ड वोमेन वैलफेयर एशोसिएशन	1,78,470	—
27.	एक्लोट सोसाइटी फार द वैलफेयर आफ मेंटली रिटार्डेड	2,10,758	—

1	2	3	4
28.	नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड	2,10,758	—
29.	अक्षय प्रतिष्ठान	4,80,995	—
30.	हरिजन सेवक संघ	39,42,666	22,52,552
31.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी	18,17,708	9,06,214
32.	राष्ट्रीय शोषित परिषद	6,74,190	—
33.	बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट	1,74,090	93,240
34.	शोषण उन्मूलन परिषद्	15,87,667	9,27,715
35.	आल एस० सी० फैडरेशन	1,71,450	16,650
36.	श्री मुख्यतार सिंह स्मारक समिति	4,45,860	2,22,930
37.	बंगाली एस० सी०/एस० टी० वैलफेयर एसोसिएशन	57,240	28,620
38.	सोशल वैलफेयर एण्ड ह्यूमन डेव० एसोसिएशन	1,46,475	50,400
39.	भारतीय दलित साहित्य अकादमी	1,56,420	1,08,390
40.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ	2,44,260	1,17,750
41.	आल इण्डिया सेंटर फार अर्बन एंड रूरल डेवलेपमेंट, गोल मार्किट	1,17,320	56,288
42.	नारी उत्थान समिति, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली	49,320	85,725
43.	मुक्ति संग्राम संघ	76,860	38,430
44.	श्री विनायक से० सोसाइटी	74,745	—
45.	एसोसिएशन फार नेचुरल ब्रदर-हुड फार सोशल चेंज	7,18,125	8,69,670
46.	एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन इण्डिया, दिल्ली	8,16,813	5,28,615
47.	दिल्ली ओमेंस लीग	4,35,480	—
48.	सोसाइटी फार यूथ एंड मासेस	—	—

1	2	3	4
49.	कोनीक शिक्षण संस्थान, उत्तम नगर	1,00,305	67,095
50.	दिल्ली शिड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसो०	78,403	35,235
51.	डा० विद्यासागर कौशल्यादेवी, मेमो० ट्रस्ट	5,56,200	4,19,532
52.	समन्वित ग्रामीण विकास संस्थान, नजफगढ़	29,475	39,825
53.	भारतीय नवचैतन्य विकास समिति ओल्ड रविन्द्रा नगर	37,800	14,900
54.	एज केयर इण्डिया, साकेत	1,02,870	—

एच० बी० जे० पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई

[हिन्दी]

3394. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एच० बी० जे० पाइपलाइन से विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या गैस की यह मात्रा निर्धारित मात्रा से कम है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से गैस की अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विभिन्न राज्यों में स्थित परियोजनाओं द्वारा एच० बी० जे० पाइपलाइन से किए जा रहे गैस का औसत उपयोग निम्नलिखित हैं :—

राज्य	मात्रा (एम० एम० एस० सी० एम० डी०)
गुजरात	1.98
मध्य प्रदेश	2.52
राजस्थान	1.30

1	2
उत्तर प्रदेश	7.64
दिल्ली	0.63
हरियाणा	0.09
	14.16

(ख) पाइपलाइन की क्षमता की तुलना में आपूर्ति कम है।

(ग) जी, हां।

(घ) एच० बी० जे० पाइपलाइन के मार्ग पर पहले से की गई वचनबद्धताओं को देखते हुए गैस का कोई और आबंटन नहीं किया गया है।

तेलशोधक कारखाना स्थापित करना

[अनुवाद]

3395. श्री जार्ज फर्नाण्डीज :

श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड ने देश में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने हेतु सम्भाव्यता अध्ययन कराने के लिए हालैण्ड द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को नागरिक सुविधाएं

3396. डा० बसंत पवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जिन सरकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन समितियों को सड़क जल और मल निकासी आदि जैसी सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार कुल 1520 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 1248 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) विकासपुरी, मंडावली, फाजिलपुर, मंडावली फाजिलपुर विस्तारित भाग, गाजीपुर, चिल्ला डल्लूपुरा, जहां नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है, में अवस्थित समितियों को छोड़कर सामूहिक आवास समितियों में सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

विवरण

क्रम संख्या	इलाका	समितियों की संख्या जिन्हें भूमि आवंटित की गई है
1.	पीतमपुरा	58
2.	रोहिणी	152
3.	पश्चिमपुरी	23
4.	रोहतक रोड	16
5.	बोंडेला (नी० पुरी)	47
6.	मंडावली-फाजिलपुर (पटपड़ गंज)	120
7.	चिल्ला धालुपुरा	49
8.	मयूर विहार	36
9.	सी० बी० डी० शाहदरा	5
10.	गीता कालोनी	4
11.	योजना विहार	1
12.	शालीमार बाग	1
13.	कालका जी	3
14.	ओखला	1
15.	मालवीय नगर	1
16.	महरोली रोड़	2
17.	आर० के० पुरम	1
	योग :	520

उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

3497. श्री सत्यपाल सिंह यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गन्ना अनुसंधान केन्द्र को कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा समय में राज्य में पहले से ही तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं।

तेलशोधक कारखाने

[अनुवाद]

3398. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक निवेश बोर्ड के पास तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस समय सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी० आई० बी०) के पास तेल रिफाइनरी लगाए जाने का कोई परियोजना प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में पी० आई० बी० ने करनाल में एक 6 मि० मी० टन प्रति वर्ष की रिफाइनरी स्थापित करने के इण्डियन आयल कारपोरेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कश्मीरी शरणार्थी

3399. **श्री देवी बक्स सिंह** :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री रामनाईक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनेक विस्थापित कश्मीरियों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के आन्दोलन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने कश्मीरी शरणार्थियों को दिल्ली से जम्मू और कश्मीर वापस भेजा गया;

(घ) क्या उन्हें अपनी इच्छा से वापस भेजा गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें जम्मू और कश्मीर वापस भेजने के क्या कारण हैं; और

(च) कश्मीरी शरणार्थियों को जम्मू और कश्मीर लौटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (च) कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के बारे में समय-समय पर मांगें उठायी गयी हैं। प्रवासियों की कठिनाईयों और उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार ने सतत प्रयास किए। जब तक घाटी में स्थिति नहीं सुधरती और प्रवासी घाटी में अपने घरों को वापस नहीं चले आते हैं तब तक उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार उन्हें राहत भी दे रही है।

सरकार ने किसी भी कश्मीरी प्रवासी को जबरन घाटी में वापस नहीं भेजा है।

आतंकवाद को रोकने और घाटी में सामान्य हालात बहाल करने के लिए सुरक्षा बल आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और सुरक्षा बल सीमा पर और सामरिक महत्व के स्थानों पर सतर्कता बरत रहे हैं।

पारादीप में तेल/गैस टर्मिनल

3400. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

श्री केशरी लाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन आयल कारपोरेशन को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में तेल और गैस टर्मिनलों के निर्माण के लिए निधि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पारादीप में परियोजना के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच० पी० सी०) पारादीप में उत्पादों के लिए तेल टर्मिनलों को स्थापित कर रहे हैं। परियोजनाओं को वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से 40 एकड़ जमीन पट्टे पर ली है और सितम्बर, 1989 में कार्य आरम्भ हो चुका है, इण्डियन आयल कारपोरेशन ट्रस्ट से एच० पी० सी० से सटे 75 एकड़ आकृषित भूमि को पट्टे पर लेने की प्रक्रिया पूरा कर रहा है।

विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

3401. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करने हेतु व्यक्तिशः सहायता देने के लिए निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है, और उसके अन्तर्गत पारिवारिक आय की सीमा क्या रखी गई है;

(ख) क्या पारिवारिक आय की सीमा पर विचार करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति सहायता से वंचित हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को उनकी पारिवारिक आय पर विचार किए बिना सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जिन योजनाओं के अंतर्गत आय मापदंड लागू हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। सभी पात्र और जरूरतमंद विकलांग इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मन्त्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 9102.43 लाख रु० की राशि खर्च की गई।

विवरण

योजना का नाम	मासिक आय सीमा	सहायता की मात्रा			
विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/फिटिंग हेतु सहायता	1. 1200/- रु० तक	नि:शुल्क			
	2. 1201/- रु० से 2500/- रु० तक	सहायक यन्त्र/उपकरण की लागत का 50%			
*पेट्रोल इमदाद की योजना	2500/- रु०	50% इमदाद			
*छात्रवृत्ति योजना	2500/-	पाठ्यक्रम की किस्म	छात्रों के लिए प्रति मास दर	होस्टल में रहने वालों के लिए मासिक दर	केवल दृष्टि-हीनों के लिए पाठ्य भत्ता
			85	14	50
		कक्षा 9, 10, पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और आई०ए०/आई०ए०सी० बी०ए०बी०काम/बी०एस०सी० आदि	125	180	75

1	2	3			
		बी०ई०/बी०टैक/एम०बी०बी०एस०/ एल०एल०बी०/बी०एड०/व्यावसायिक और इन्जीनियरिंग अध्ययनों आदि में डिप्लोमा/संयंत्र प्रशिक्षण	170	240	100
		एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०काम/ एल० एल० एम०/एम० ऐड आदि	170	240	100

* यह योजना 1-4-92 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानांतरित की दी गई है।

उत्तर प्रदेश में आतंकवाद रोकने के लिए कार्य-योजना

[हिन्दी]

3402. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई कार्य-योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से समय-समय पर धन और केन्द्रीय बल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार इन अनुरोधों पर इनकी महत्ता और बलों की उपलब्धता के आधार पर विचार करती है। तराई क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से धन और अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था। तराई में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलने के लिए अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त कम्पनियां उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं और अनुग्रह राहत के रूप में 10 करोड़ रुपए की राशि फरवरी, 1992 में जारी की गई है।

यमुना-पार क्षेत्र के लिए पृथक नगर निकाय

3403. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली के नागरिक यमुना-पार क्षेत्र का विकास करने हेतु एक पृथक नगर निकाय की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) पूर्वी दिल्ली के लिए एक पृथक नगर निगम बनाने की मांग की गई है।

(ग) दिल्ली में नागरिक निकायों के पुनर्गठन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों को प्रदान किए गए केन्द्रीय सुरक्षा बल

[अनुवाद]

3404. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सुरक्षा बल प्रदान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन बलों का ब्यौरा क्या है जो 1989, 1990, 1991 और 1992 में अब तक विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इसके बारे में जानकारी सदन में देना जनहित में नहीं होगा ।

उड़ीसा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सरकारी क्वार्टर

3405. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने केन्द्र सरकार के कितने क्वार्टरों का निर्माण किया ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिए बनाए गये क्वार्टरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

विवरण

क्रम सं०	वर्ष	विभाग का नाम	क्वार्टरों की संख्या
1.	1989-90	केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क	32
		केन्द्रीय विद्यालय	21
		महालेखाकार	314
		केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	6
		कपड़ा (बुनकर केन्द्र)	18
		केन्द्रीय जांच ब्यूरो	32
		योग :	423
2.	1990-91	केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क	33
		केन्द्रीय विद्यालय	11
		केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	56
		भारतीय सर्वेक्षण	315
		केन्द्रीय गुप्तचर संगठन	2
		सी० पी० बी० एफ/आई० सी० ए० आर०	4
		योग :	221

1	2	3	4
3.	1991-92	?० जी० एम० एस० चाईबासा	18
		केन्द्रीय विद्यालय	11
		आय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	154
		जी० एस० आई०	50
		योग :	233

मदर डेयरी के दूध के मूल्य में वृद्धि

[हिन्दी]

3406. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी के दूध के मूल्य में हाल ही में बढ़ाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) इस वृद्धि का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० जी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। मदर डेयरी ने दिनांक 20 मई, 1992 से डबल टोन्ड दूध का मूल्य 6·00 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7·00 रु० प्रति लीटर तथा मानकीकृत दूध का मूल्य 9·00 रुपये प्रति लीटर से 10.00 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

(ग) राज्य सहकारी डेरी परिसंघों से प्राप्त ताजे दूध के अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि एवं डेयरी में कच्चे माल के तौर पर उपयोग किए जाने वाले स्किम्ड मिल्क पाऊडर के अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि होने के कारण बिक्री में भी वृद्धि करना आवश्यक हो गया था।

अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों के लिए बोर्ड

3407. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिक बोर्ड की भांति अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों के लिए कोई बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैनिक के बच्चों को उपलब्ध छात्रवृत्ति की सुविधा अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को भी प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। तथापि प्रत्येक अर्ध-सैनिक बल की अपनी अलग योजना है, जिसे बल के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले स्वेच्छा अंशदान से प्राप्त राशि, विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और लाभ अर्जित कर रहे संस्थानों इत्यादि से प्राप्त अंशदान के आधार पर चलाया जाता है।

हुडको द्वारा बिहार को दी जाने वाली धनराशि

[अनुवाद]

3408. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हुडको द्वारा बिहार को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) हुडको का वर्ष 1992-93 में कितना परिव्यय करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिहार में विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को हुडको द्वारा 90-91 और 91-92 के दौरान क्रमश: 1286.90 लाख रुपये और 226.17 लाख रुपए की ऋण राशि रिलीफ की गई थी।

(ख) आवास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 92-93 के दौरान हुडको ने बिहार राज्य को 40.50 करोड़ रुपये का अन्तिम आवंटन किया है।

[हिन्दी]

उपक्रमों/संगठनों में कथित भ्रष्टाचार

3409. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों/संगठनों के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (ग) बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों और बोर्ड स्तर के अधिकारियों दोनों के ही खिलाफ गुमनाम शिकायतों सहित 59 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जबकि बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त 53 शिकायतों की जांच और उचित कारंवाई के लिए अपने-अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भेज दी गई हैं, बोर्ड स्तर के अधिकारियों के खिलाफ 5 शिकायतें/आरोप प्रमाणित नहीं हो सके और इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया। इस समय बोर्ड स्तर के एक अधिकारी के खिलाफ मात्र एक शिकायत लम्बित है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नियमित और सतत सतर्कता अपनाने और इस संबंध में की गई कार्रवाईयों पर सूक्ष्म निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

नौकरियों के संबंध में भाषाई पैनल का तर्क

[अनुवाद]

3410. **श्री राम कापसे** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त ने सुझाव दिया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की राजभाषा की पूर्व जानकारी को पूर्वापेक्षित आवश्यकता नहीं बनाया जाना चाहिए और; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की क्रमिक वार्षिक रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की राजभाषा का ज्ञान एवं पूर्वापेक्षा नहीं होनी चाहिए।

(ख) ये रिपोर्ट लोक सभा/राज्य सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं तथा रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इनकी प्रतियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जा चुकी हैं।

मध्य प्रदेश में बोध घाट परियोजना के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों पर पड़े प्रभाव पर अध्ययन दल

3411. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बोध्र घाट जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों पर पड़े सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसी अध्ययन दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा सम्बद्ध विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर बल

3412. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों, भूतपूर्व राष्ट्रपतियों और उनके परिवार की सुरक्षा पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित परियोजनाओं के लिए गैस का आवंटन

3413. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैस पर आधारित परियोजनाओं के लिए गैस के/आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त गैस आबन्टित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां। नोएडा, शाहजहांपुर और जगदीशपुर में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए।

गैस की उपलब्धता और एच०बी०जे० पाइपलाइन मार्ग पर पहले ही की गई वचनबद्धताओं को देखते हुए कोई और आवंटन नहीं किया गया है।

कल्याण सचिवों का सम्मेलन

[हिन्दी]

3414. श्री राम विलास पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कल्याण सचिवों का एक सम्मेलन 6 जुलाई, 1992 को आयोजित किया गया था;

(ख) सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में मुख्य विषय जिन पर चर्चा की गई और जो सिफारिशें की गई, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) जहां यूनिट लागत 3500 रु० से अधिक, वहां राज्य नियमों को योजनाओं की मंजूरी हेतु कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा।

(2) राज्य निगमों द्वारा सीधे ऋण लेने पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया जाए।

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनु० जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्यों को उनके अपने अनुरोध पर निर्मुक्त धनराशि, यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग नहीं की जाती है तो उस पर ब्याज की दर उच्चतर होनी चाहिए।

(4) दुगनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए ब्याज की वर्तमान रियायती दर को जारी रखते हुए जब सहायता का स्तर अधिक हो तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम उच्चतर ब्याज की दर लेने पर विचार कर सकती है ।

(5) राज्य निगम द्वारा प्रशासनिक व्यय के सम्बन्ध में अधिकतम मितव्ययता आरम्भ की जानी चाहिए जैसाकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया गया है ।

(6) 5.00 लाख रुपये की लागत तक की परियोजनाएं/योजनाएं राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों द्वारा शुरू की जानी चाहिए और 5.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जाएंगी ।

(7) राज्य निगमों का अपने ऋण ब्याज की वसूली के सुधार करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए ।

(ख) अनुवर्ती कार्यवाही शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी ।

मध्य प्रदेश की जल मल निकासी योजना

3415. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन शहरों के नाम क्या हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उनकी जल मल निकासी योजना हेतु अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान स्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जल मल निकासी के लिए केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त या केन्द्र प्रवर्तित कोई योजना नहीं है ।

मध्य प्रदेश सरकार को पुलिस बल का गठन करने हेतु सहायता

3416. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1990 में गठित की गई पुलिस बल की दो कम्पनियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए 50% अनुदान और 50% ब्याज-मुक्त देने को राजी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि को अब तक न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह धनराशि कब तक दे दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब): (क) जी हां, श्रीमान् ! मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को सशस्त्र पुलिस की दो बटालियन इस शर्त पर गठित करने की अनुमति दी गई थी, कि वह केन्द्र सरकार को अन्यत्र तैनाती के लिए इतनी ही बटालियन उपलब्ध कराएगी ।

(ख) अब तक राज्य सरकार को चार करोड़ रुपए की राशि अन्तिम रूप से जारी की गई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के प्रमाण स्वरूप लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, शेष राशि भी उन्हें जारी कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंकरण उद्योग

3417. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालत के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में होने के कारण सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित आंकड़ा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। यद्यपि यह मंत्रालय सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है परन्तु इस सेक्टर में इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकार/सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों को सहायता प्रदान की जाती है।

अध्ययन दलों को विदेश भेजा जाना

[अनुवाद]

3418. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर निरन्तर सूखे, अकाल और बाढ़ से प्रभावित राज्यों से कुछ ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि भूमि एवं जल प्रबन्धन, परती भूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण सहित समेकित कृषि विधियों का अध्ययन करने हेतु विभिन्न देशों को अध्ययन दल भेजे जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

तमिलनाडु में एल० पी० जी० की कमी

3419. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में एल० पी० जी० की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एल० पी० जी० सिलिंडरों की शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) हालांकि तेल कंपनियां तामिलनाडु में एल० पी० जी० की जरूरतों को लगातार पूरा कर रही हैं, जब कभी आवधिक कमी होती है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

राजीव-लोंगोवाल समझौता

3420. **डा० सुधीर राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव-लोंगोवाल समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कोई नये प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार राजीव-लोंगोवाल समझौते को मानती है और उसे लागू करने के लिए वचनबद्ध है। समझौते की अधिकांशतः मदों को कार्यान्वित किया जा चुका है और शेष मदों को शीघ्र ही सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3422. **श्री के० प्रधानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र से उड़ीसा में काजू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जुलाई 1991 से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस अथवा सहायता प्राप्त करने के लिए निजी सेक्टर एवं उड़ीसा सरकार से कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सहायता प्राप्त करने के आठ प्रस्तावों में तीन स्वीकृत किए गए हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी गई और शेष प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की गई हैं। औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन-पत्रों पर कारंवाई भी शुरू की गई है।

शहरों का विकास करने हेतु केन्द्रीय सहायता

3423. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को शहरों के विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के आधार पर 33 कस्बों में स्कीमें चलाई गई हैं तथा 1979-80 से मार्च, 1992 तक 1028.83 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई। चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए छोटे

और मध्यम वर्ग के कस्बों के विकास की एकीकृत योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए गुजरात सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत पाक सीमा के पास आतंकवादियों के ठिकाने

3424. श्री अन्ना जोशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत पाक सीमा के पास आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर छापा मारा गया तथा उन्हें नष्ट किया गया;

(ख) इन छापों के दौरान कितने आतंकवादी पकड़े गए तथा कितने मारे गए; और

(ग) इन छापों के दौरान कितने हथियार तथा गोलाबारूद, कितनी नकदी तथा बहुमूल्य वस्तुएं जब्त की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस के सिलेंडर भरने के संयंत्र

3425. श्री गुरुदास कामत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार की तेल की पाइपलाइन बिछाने तथा रसोई गैस के सिलेंडर भरने के संयंत्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुमति देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गैस पाइपलाइनों से रिसाव

3426. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में विजयेश्वरम में गैस पाइपलाइनों से रिसाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रिसाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जंग लगना तथा पाइपों के जोड़ों का खुलना।

(ग) गाइपों के क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलवा दिया गया और दाब सृजन को रोकने लिए उपभोक्ता वाले सिरे पर सुरक्षा वाल्व स्थापित किया गया था।

सूरजमुखी की खेती

3427. श्री कमल चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन पंजाब में सूरजमुखी की खेती आरम्भ की है अथवा आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में सूरजमुखी की खेती के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य को कितनी सहायता देने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सूरजमुखी इस राज्य के लगभग सभी जिलों में पैदा की जाती है। मुख्य जिले हैं—होशियारपुर, जालन्धर, कपूरथला, पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर और भटिण्डा।

(ग) 1992-93 के लिए केन्द्र प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 241 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 193 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है जिसके अन्तर्गत उन्नत बीजों, पौध संरक्षण, छिड़कावक सेटों, उन्नत फार्म उपस्करों और किसानों के खेतों में प्रदर्शन कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सूरजमुखी पंजाब में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली फसलों में से एक है। इसके अलावा, राज्य में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड भी बीजों और थ्रेशरों के वितरण पर सहायता प्रदान करता है।

दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार

3428. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चालू वर्ष के पहले छः माह के दौरान नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने के मामलों की माह-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या इन अपराधों में कुछ पुलिसकर्मी भी दोषी पाये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) दिल्ली में अपराध रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान बलात्कार के जिन मामलों की सूचना दी गई

और जितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, उनकी माहवार संख्या नीचे दी गई है :—

माह	सूचित किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
जनवरी	17	21
फरवरी	16	10
मार्च	17	20
अप्रैल	17	15
मई	17	21
जून	19	21
जोड़ :	103	121

(ग) एम मामले में, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार किया गया।

(घ) सिपाही के खिलाफ आदर्श नगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/376 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। उसे अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

(ङ) बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(3) सभी बीट कांस्टेबलों, डिवीजन अधिकारियों और पिकेट स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी ऐसे मामले उनकी जानकारी में आएं वे तत्काल कारंवाई करें।

(3) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए महिला कालेजों एवं स्कूलों के बाहरों तथा महत्वपूर्ण बाजार वाले स्थानों पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है।

(4) "यू" स्पेशल बसों में सादी वरदी में पुलिस को तैनात किया जाता है।

नारियल बागान

3429. श्री के० मुरलीधरन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार नारियल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) राज्यों को नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) 1992-93 के दौरान राज्यवार कितनी भूमि पर नारियल बागान लगाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गत दो वर्षों के लिए उपलब्ध नारियल उत्पादन का राज्य-वार अनुमान संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यों को क्रमश: 127.74 लाख और 327.44 लाख रुपए निर्मुक्त किए हैं।

(ग) 1992-93 के दौरान नारियल की खेती के अन्तर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य का नाम	उत्पादन (मिलियन गिरियां)	
		1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	654.8	730.6
2.	असम	78.9	78.9
3.	गोवा	107.5	110.0
4.	कर्नाटक	1156.5	1201.6
5.	केरल	4357.6	4527.3
6.	महाराष्ट्र	108.3	109.0
7.	उड़ीसा	182.0	182.0
8.	तमिलनाडु	2302.4	2358.3
9.	त्रिपुरा	4.2	4 2
10.	पश्चिम बंगाल	263.3	263.3
11.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	83.1	83.6
12.	लक्षद्वीप	25.3	25.6
13.	पाण्डिचेरी	24.9	25.8
	अखिल भारत :	9358.8	9700.2

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य का नाम	क्षेत्र (हैक्टेयर)
1.	केरल	1800
2.	कर्नाटक	1500

1	2	3
3.	तमिलनाडु	785
4.	आन्ध्र प्रदेश	950
5.	महाराष्ट्र	40
6.	गोवा	50
7.	उड़ीसा	150
8.	बिहार	60
9.	नागालैंड	12
10.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100
11.	मध्य प्रदेश	100
12.	असम	200
13.	त्रिपुरा	35
14.	पश्चिम बंगाल	105
15.	मणिपुर	35
16.	गुजरात	25
17.	पाण्डिचेरी	13
		6000

सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ

[हिन्दी]

3430. **श्री प्यारे लाल जाटव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ट (सैल) कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में छोटे और मझोले कस्बों का विकास

3431. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से राज्य में छोटे और मझोले कस्बों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि कोई कोरंवाई नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के आधार पर 16 कस्बों में स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं तथा 1979-80 मार्च, 1992 तक 753.12 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई। चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास की एकीकृत योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को प्राकृतिक आपदाओं के लिए धनराशि

[अनुवाद]

3432. श्री के० पी० सिंह देव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में उड़ीसा को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) इन वर्षों में राज्य को किए गए केन्द्रीय नियतन में से उड़ीसा सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार के पास 47.00 करोड़ रुपये का वार्षिक आपदा राहत कोष है जिसमें 35.25 करोड़ रुपये केन्द्र का तथा 11.75 करोड़ रुपए राज्य का अंशदान है। केन्द्र सरकार ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान उड़ीसा के आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान के रूप में क्रमश: 57.13 करोड़ रुपये (21.88 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि सहित) और 29.78 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की है। राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष में से उपरोक्त वर्षों के दौरान हुए क्रमश: 65.08 करोड़ रुपये और 39.76 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है।

केरल की आवासीय योजनाएं

3433. प्रो० के० वी० थामस : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की किन-किन आवासीय योजनाओं के लिए हुडको द्वारा सहायता दी जा रही है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल सरकार के कई कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रस्तुत आवास योजना हेतु हुडको सहायता मुहैया कर रहा है । इसके प्रारम्भ होने से तथा 30-6-92 की स्थिति के अनुसार हुडको ने 495.75 करोड़ रुपये के ऋण के लिए केरल की 513 योजनाओं की स्वीकृति दी हैं । ये योजनाएं पूर्ण होने पर 531420 रिहायशी एककों तथा 847 विकसित प्लाटों को मुहैया करेंगी ।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	1989-90	90-91	91-92
योजनाओं की संख्या	75	74	54
परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	125.87	119.95	101.40
ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)	95.26	89.80	78.54
रिहायश एकक	70004	95520	109787
मूल स्वच्छता	70751	1750	14519

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

3434. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन समितियों की बैठकें किस-किस तिथि को आयोजित की गयीं थीं; और

(घ) उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) गृह मन्त्रालय के दिनांक 10-12-1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/63/64-रा० भा० तथा दिनांक 29-1-1974 के का० ज्ञा० संख्या 11015/26/73-रा० भा० के अनुसार उन सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके तरकीबन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर लिया गया है जिनमें कर्मचारियों की कुल संख्या, समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़कर, 25 या अधिक हैं ।

(ग) राजभाषा विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कुल अपेक्षित 488 बैठकों के मुकाबले 356 बैठकें आयोजित की गई (संलग्न विवरण के अनुसार) । मंत्रालयों/विभागों के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों की सूचना राजभाषा विभाग में संकलित नहीं की जाती ।

(घ) इन बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्टों और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई । इन बैठकों के माध्यम से संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के "वार्षिक कार्यक्रम" में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में आई कमियों को, जब भी ध्यान में आई, दूर करने के लिए प्रयास किए गए । साथ ही हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी इन बैठकों में प्रयास किए गए ।

विवरण

राजभाषा कार्यान्वियन समितियों के गठन तथा पिछले 2 वर्षों के दौरान हुई बैठकों का विवरण

क्रम संख्या	मन्त्रालय/विभाग का नाम जिसमें राजभाषा का कार्यान्वियन समितियों का गठन किया गया है	तारीखें जिनमें बैठकें हुई वर्ष 1990-91 प्रथम बैठक	दूसरी बैठक	तीसरी बैठक	चतुर्थ बैठक
1	2	3	4	5	6
1.	अन्तरिक्ष विभाग	22-6-90	26-9-90	26-12-90	22-3-91
2.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	—	3-7-90	1-11-90	21-3-93
3.	आर्थिक कार्य विभाग	22-6-90	26-9-60	31-12-90	12-3-91
4.	औद्योगिक विकास विभाग	—	16-7-90	11-10-90	10-4-91
5.	इस्पात विभाग	26-4-90	28-6-90	14-9-90	25-1-91
6.	इलैक्ट्रानिकी विभाग	27-6-90	26-9-90	26-12-90	7-3-91
7.	उर्वरक विभाग	14-6-90	23-10-90	7-1-91	22-3-91
8.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	26-6-90	17-9-90	27-12-90	—

1	2	3	4	5	6
9.	कृषि, अन० एवं शिक्षा वि०	6-4-90	19-7-90	22-11-90	20-2-91
10.	कोयला विभाग	25-4-90	28-8-90	21-13-90	—
11.	कार्मिक एवं प्रशि० विभाग	—	6-7-90	—	—
12.	कल्याण विभाग	15-6-90	5-10-90	31-12-90	27-3-91
13.	कम्पनी कार्य विभाग	25-4-90	—	31-10-90	—
14.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	22-8-90	25-9-90	5-12-90	22-3-91
15.	खाद्य विभाग	30-5-90	18-9-90	—	25-1-91
16.	खान विभाग	26-4-90	20-7-90	30-10-90	31-12-90
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		यह विभाग तब नहीं था।		
18.	गृह मंत्रालय	26-6-90	28-9-90	28-12-90	27-3-91
19.	ग्रामीण विकास विभाग	19-4-90	17-7-90	24-10-90	15-1-91
20.	जलभूतल परिवहन मन्त्रालय	17-7-90	11-9-90	14-12-90	26-3-91
21.	जल संसाधन मन्त्रालय	—	26-7-90	7-11-90	—
22.	डाक विभाग	25-4-90	22-8-90	23-10-90	8-2-91
23.	दूरसंचार आयोग	22-5-90	28-9-90	24-12-90	—
24.	नागरिक पूर्ति मन्त्रालय	13-6-90	26-9-90	—	28-1-91
25.	नियन्त्रक महालेखा परीक्षक	26-6-90	24-9-90	24-12-90	26-3-91
26.	नागर विमानन विभाग	16-5-90	—	18-12-90	6-3-91

1	2	3	4	5	6
27.	पर्यटन मन्त्रालय	—	26-9-90	13-12-90	—
28.	परमाणु ऊर्जा विभाग	—	20-7-90	20-12-90	—
29.	पेट्रोलियम एवं प्रा० गैस	—	—	19-12-90	—
30.	पूर्ति विभाग	28-6-90	24-9-90	27-12-90	22-3-91
31.	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	—	7-9-90	—	4-3-91
32.	प्रशासनिक सुधार विभाग	13-8-90	26-9-90	7-12-90	28-2-91
33.	बैंकिंग प्रभाग	27-6-90	22-9-90	22-12-90	—
34.	महासागर विकास विभाग	10-5-90	27-7-90	26-10-90	—
35.	महिला एवं बाल विकास विभाग	22-6-90	26-9-90	21-12-90	26-3-91
36.	योजना आयोग	26-6-90	28-9-90	27-12-90	—
37.	युवा कार्यक्रम एवं खेल	30-5-90	28-9-90	—	15-1-91
38.	रेल मन्त्रालय	8-5-90	7-9-90	—	—
39.	रक्षा विभाग	24-5-90	24-9-90	10-1-90	27-2-91
40.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	6-4-90	22-8-90	28-12-90	27-3-91
41.	रसायन एवं पेट्रो० रसायन विभाग	5-6-90	—	31-10-90	—
42.	राजस्व विभाग	—	—	10-1-90	12-3-91
43.	लघु कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग		यह विभाग तब नहीं था।		
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	—	24-7-90	9-11-90	—

1	2	3	4	5	6
45.	वाणिज्य मन्त्रालय	—	—	31-10-90	26-3-91
46.	विद्युत विभाग	—	8-3-90	—	22-3-91
47.	व्यय विभाग	—	3-9-90	19-12-90	—
48.	विधिकार्य विभाग	9-7-90	20-9-90	17-12-90	—
49.	विधायी विभाग	इनकी संयुक्त समिति है।			
50.	विदेश मन्त्रालय	—	25-7-90	—	—
51.	वस्त्र मन्त्रालय	—	—	21-12-90	—
52.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनु० विभाग	20-4-90	—	12-12-90	—
53.	बायोटेक्नालाजी विभाग	27-6-90	21-9-90	26-12-90	—
54.	भारी उद्योग विभाग	29-6-90	26-9-90	—	3-1-91
55.	शिक्षा विभाग	—	19-9-90	14-12-90	26-3-91
56.	श्रम मन्त्रालय	31-5-90	28-8-90	27-12-90	—
57.	शहरी विकास मन्त्रालय	18-4-90	—	14-11-90	—
58.	संस्कृति विभाग	15-5-90	24-8-90	—	—
59.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	7-5-90	10-9-90	—	—
60.	सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय	8-6-90	19-10-90	31-12-90	27-3-91
61.	संसदीय कार्य मंत्रालय	28-6-90	16-10-90	31-12-90	26-3-91
62.	सरकारी उद्यम विभाग	—	10-9-90	17-12-90	—
63.	सांख्यिकी विभाग	6-8-90	26-10-90	1-2-91	26-3-91

चालू

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन का गठन किया गया है	तारीखें जिनमें बैठकें हुई वर्ष 1991-92			
		प्रथम बैठक	दूसरी बैठक	तीसरी बैठक	चतुर्थ बैठक
1	2	7	8	9	10
1.	अन्तरिक्ष विभाग	26-6-91	23-9-91	30-12-91	6-3-92
2.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	27-6-91	21-10-91	14-1-92	31-3-92
3.	आर्थिक कार्य विभाग	28-6-91	30-9-91	27-12-91	—
4.	औद्योगिक विकास विभाग	2-7-91	11-10-91	31-12-91	30-3-91
5.	इस्पात विभाग	7-7-91	13-9-91	—	—
6.	इलैक्ट्रानिकी विभाग	20-6-91	30-9-91	—	9-1-92
7.	उवरंक विभाग	20-6-91	24-9-91	16-12-91	18-3-92
8.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	28-8-91	30-9-91	30-12-91	—
9.	कृषि, अन० एवं शिक्षा वि०	15-7-91	14-10-91	30-12-91	30-3-92
10.	कोयला विभाग	4-7-91	—	—	26-3-92
11.	कार्मिक एवं प्रशि० विभाग	—	8-8-91	—	10-1-92
12.	कल्याण विभाग	27-6-91	—	—	—

1	2	7	8	9	10
13.	कम्पनी कार्य विभाग	17-5-91	—	9-12-91	27-2-92
14.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	14-6-91	25-9-91	6-1-92	27-3-92
15.	खाद्य विभाग	8-7-91	18-9-91	23-12-91	29-1-92
16.	खान विभाग	3-7-91	28-10-91	29-1-92	—
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	3-7-91	—	14-11-91	—
18.	गृह मंत्रालय	31-7-91	—	30-12-91	—
19.	ग्रामीण विकास विभाग	4-4-91	27-7-91	29-10-91	31-1-92
20.	जलभूतल परिवहन मन्त्रालय	21-6-91	12-8-91	13-11-91	10-3-92
21.	जल संसाधन मन्त्रालय	2-4-91	26-8-91	29-10-91	28-1-92
22.	डाक विभाग	16-5-91	—	—	13-1-92
23.	दूरसंचार आयोग	28-6-91	31-10-91	24-12-91	30-3-92
24.	नागरिक पूर्ति मन्त्रालय	22-4-91	29-8-91	19-12-91	26-3-92
25.	नियन्त्रक महालेखा परीक्षक	28-6-91	4-10-91	—	14-1-92
26.	नागर विमानन विभाग	24-6-91	7-10-91	20-12-91	—
27.	पर्यटन मन्त्रालय	4-6-91	—	—	25-2-92
28.	परमाणु ऊर्जा विभाग	7-6-91	—	—	30-3-92
29.	पेट्रोलियम एवं प्रा० गैस	—	20-9-91	—	20-2-92
30.	पूर्ति विभाग	27-6-91	27-9-91	23-12-91	26-3-92

1	2	7	8	9	10
31.	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	—	8-7-91	26-12-91	—
32.	प्रशासनिक सुधार विभाग	14-8-91	23-8-91	24-12-91	31-3-92
33.	बैंकिंग प्रभाग	16-5-91	3-8-91	—	11-1-92
34.	महासागर विकास विभाग	29-4-91	30-7-91	30-10-91	28-1-92
35.	महिला एवं बाल विकास विभाग	21-6-91	—	30-12-91	—
36.	योजना आयोग	31-5-91	10-9-91	31-12-91	—
37.	युवा कार्यक्रम एवं खेल	29-4-91	25-9-91	—	—
38.	रैल मन्त्रालय	1-5-91	11-9-91	—	7-2-92
39.	रक्षा विभाग	11-6-91	—	8-11-91	19-2-92
40.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	—	5-7-91	27-12-91	—
41.	रसायन एवं पेट्रो० रसायन विभाग	—	11-7-91	3-12-91	—
42.	राजस्व विभाग	—	9-3-91	18-12-91	27-3-92
43.	लघु कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	2-8-91	28-8-91	31-12-91	31-3-92
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1-4-91	26-7-91	28-11-91	—
45.	वाणिज्य मन्त्रालय	—	—	—	—
46.	विद्युत विभाग	—	—	24-10-91	17-2-92
47.	व्यय विभाग	18-4-91	27-8-91	20-12-91	—
48.	विधिकार्य विभाग	2-5-91	27-8-91	20-12-91	—

1	2	7	8	9	10
49.	विधायी विभाग	इसकी संयुक्त समिति है।			
50.	विदेश मन्त्रालय	—	31-7-91	—	15-1-92
51.	वस्त्र मन्त्रालय	17-6-91	—	26-11-91	—
52.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनु० विभाग	18-6-91	—	4-12-91	20-1-92
53.	बायोटेक्नालाजी विभाग	5-4-91	19-7-91	1-11-91	12-2-92
54.	भारी उद्योग विभाग	—	22-7-91	20-12-91	—
55.	शिक्षा विभाग	28-6-91	19-9-91	—	20-1-92
56.	श्रम मन्त्रालय	12-4-91	10-9-91	19-12-91	17-3-92
57.	शहरी विकास मन्त्रालय	4-4-91	15-7-91	—	10-2-92
58.	संस्कृति विभाग	16-4-91	—	—	—
59.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	—	12-7-91	—	—
60.	सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय	—	3-7-91	31-10-91	6-3-93
61.	संसदीय कार्य मंत्रालय	27-6-91	20-9-91	30-12-91	30-3-92
62.	सरकारी उद्यम विभाग	22-4-91	23-8-91	20-12-91	31-3-92
63.	सांख्यिकी विभाग	25-6-91	30-10-91	28-1-92	30-3-92

इस्रायल के सेना अधिकारी की यात्रा

3436. **सनत कुमार मंडल :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में "मिस्ट्री सराउन्ड इस्रायली आर्मी आफिशियल विजिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विदेशियों की इस प्रकार की गुप्त भारत यात्राओं पर कोई नजर रखी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) जी, हां। जोसेफ ग्रे नामक इस्रायली राष्ट्रिक 17-6-1992 को यहां पहुंचा तथा बम्बई नई दिल्ली, जोधपुर, कालीकट, इत्यादि का दौरा कर अन्ततः 1-7-1992 को चला गया। किसी प्रकार की गुप्त बातचीत होने की कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) विदेशी नागरिक अधिनियम, आदि के अधीन राज्य सरकारों और आप्रवासी एजेंसियों को किसी विदेशी नागरिक द्वारा आबंटित गतिविधियों करने पर उसके खिलाफ उचित कारंवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

राजनैतिक/सामाजिक कार्यकर्ताओं को मकानों/भूमि का आवंटन

3437. **डा० बसन्त रंगपो :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को आबंछित किए गए मकानों और भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें मकानों और/अथवा भूमि का आबंटन किन शर्तों पर किया गया है; और

(ग) मकान अथवा भूखंड आबंटित करने के लिए पात्र सामाजिक अथवा राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति का निर्धारण किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में सामाजिक/राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भूमि आबंटन हेतु कोई योजना नहीं है। राजनैतिक दलों को आबंटित सरकारी आवास का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामान्य पूल आवास का आबंटन पहले राष्ट्रीय महत्व के उपयोगी कार्य में संलग्न व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नियत कोटे में से किया जाता था। बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं को एशियाड खेल गांव के फ्लैटों के आबंटन में कोटा नियत कर दिया गया। विभिन्न श्रेणियों (सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित) को सामान्य पूल में तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को एशियाड खेल गांव में किए गए आबंटन की सूची संलग्न विवरण-2 में है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण III, IV व V में उल्लेख किया गया है।

विवरण—1

क्रम सं०	दल का नाम	आवंटित वास के ब्यौरे	दखल की तारीख
1	2	3	4
1.	कांग्रेस-आई० पार्टी	एस० IV/200/आर०के०पुरम	06-01-78
2.	कांग्रेस-आई० पार्टी	एस० IV/181/आर० के० पुरम	18-10-67
3.	कांग्रेस-आई० पार्टी	एस० IV/892/आर०के०पुरम	18-09-67
4.	कांग्रेस-आई० पार्टी	781 लक्ष्मीबाई नगर	08-09-88
5.	कांग्रेस-आई० पार्टी	401, 402, बलवंत एन्क्लेव	11-03-89
6.	कांग्रेस-आई० पार्टी	556-डी०, मन्दिर मार्ग	18-07-81
7.	कांग्रेस-आई० पार्टी	896, डी०के०एस० मार्ग	18-07-80
8.	कांग्रेस-आई० पार्टी	80-एच०/एस० IV डी०आई०जेड०	23-09-82
9.	कांग्रेस आई० पार्टी	87-टी०/एस०IV/डी०आई०जेड०	21-12-01
10.	कांग्रेस-आई० पार्टी	38-के०/IV/डी०आई०जेड०	14-02-92
11.	ए०आई०सी०सी०(आई०)	12, पार्क लेन	01-04-78
12.	ए०आई०सी०सी०(आई०)	डी०I/109 चाणक्यपुरी	05-63-85
13.	ए०आई०सी०सी०आई०	5, रायसीना रोड	27-67-76
14.	डी०पी०सी०सी०(आई)	2, तालकटोरा रोड	17-02-84
15.	भारतीय जनता पार्टी	11, अशोका रोड	मार्च, 85
16.	भारतीय जनता पार्टी	सूट नं० 24, वी०पी० हाउस	19-06-82
17.	भारतीय जनता पार्टी	सूट नं० 523, वी०पी० हाउस	01-10-83
18.	लोक दल (ए)	15, विन्डसर पैलेस	नवम्बर, 79
19.	लोक दल (बी)	3, प० पंत मार्ग	09-05-88
20.	लोक दल	सूट न० 1, वी०पी० हाउस	24-07-71
21.	लोक दल	सूट नं० 2, वी०पी० हाउस	19-06-71
22.	जनता पार्टी	सूट नं० 115, वी०पी० हाउस	20-01-87
23.	जनता पार्टी	सूट नं० 116, वी०पी०हाउस	04-02-87
24.	जनता पार्टी	सूट नं० 416, वी०पी०हाउस	11-05-78
25.	जनता पार्टी	5, प० पंत मार्ग	1989

1	2	3	4
26.	जनता दल	सूट नं० 17, बी०पी० हाऊस	27-06-90
27.	जनता दल	10, लोधी स्टेट	31-06-00
28.	सी०पी०आई०(एम)पार्टी	सूट नं० 8, वी०पी०हाऊस	09-11-83
29.	सी०पी०आई०(एस)पार्टी	सूट नं० 14 वीपी०हाऊस	06-08-71
30.	सी०पी०आई० पार्टी	सूट नं० 119-ए, वी०पी०हाऊस	04-11-78
31.	सी०पी०आई० पार्टी	सूट नं०201-ए, वी०पी०हाऊस	22-11-78
32.	[illegible]	सूट नं० 309, [illegible]	12-05-92
33.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	सूट नं० 513, वी०पी०हाऊस	01-07-92
34.	बहुजन समाज पार्टी	12, जी०आर०जी० रो०	05-03-91
35.	समाजवादी जनता पार्टी	16, डा० आर०पी० रोड	20-11-90
36.	समाजवादी जनता पार्टी	13, विन्डसर प्लेस	16-04-91
37.	ए०आई०डी०एम०के०	310, वी०पी०हाऊस	01-07-91
38.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	16, वी०पी०हाऊस	01-07-92

विवरण—2

क्रम सं०	नाम	आवंटित क्वार्टर
1	2	3
	टाइप—IV	
1.	प्रमोद शर्मा	बी जी-2, पेशवा रोड
2.	के०एल० कौल	3(यू एफ) टोडर मल रोड
3.	सुरेन्द्र शर्मा	3(एफ) एम एस मिन्टो रोड
4.	प्रो० एस०एस० भाटिया	ए-160, पंडारा रोड
5.	शिवेन्द्रा सिन्हा	ए-247, पंडारा रोड
6.	सुश्री सुरेखा विज	591, लक्ष्मी बाई नगर
2.	टी०जे० अब्राहम	69, सैक्टर 12, आर०के०पुरम
8.	देवकी नन्दन पांडेय	19, लक्ष्मी बाई नगर
9.	कु० विमला सिंघी	14-डी, बिलिंग्टन क्रिसेन्ट
10.	श्रीमती [illegible]	ए-24, पंडारा रोड

1	2	3
11.	के० गोपाल	ए-255, पंडारा रोड
12.	हुसन अहमद	बी-39, -वही-
13.	सुश्री अभा	देव नगर, टाइप-ग
	टाइप—V	
14.	सुश्री राज उषा चोपड़ा	6-ए, टेलीग्राफ लेन
15.	श्रीमती अमीता मलिक	डी-II/77, काका नगर

(ख) वे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें एशियाई गांव में वास आबंटित किया गया है :

क्रम सं०	नाम/सर्वश्री /श्रीमती	फ्लैट नम्बर
1	श्रीमती शीला चमन	एफ-1/139
2.	प्रामीला बालासुन्दरम	एफ-II/357
3.	अनुराधा निगम	एफ-II/100
4.	देबू भट्टाचार्य	ई-1/92
5.	सुमित भट्टा शर्मा	एफ आई-II/382
6.	डी०पी० राय	ई-1/760

विवरण—3

गोपनीय

सं० 1:016(2)/88-सी तिं-II (खण्ड III) (XVIII)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजनैतिक दलों को साधारण पुल वास के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा।

12 सितम्बर, 1985 को हुई मंत्री मण्डल आवास समिति की बैठक में राजनैतिक दलों को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों की पुनर्वास की गई थी तथा समिति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं:—

(i) केवल ऐसे राजनैतिक दलों या समूहों जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है, को वास देने की आवश्यकता है, अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त दलों और समूहों की सूची संसदीय कार्य

मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है, लाइसेंस फीस एफ० आर० 45-ख के शर्तों के अनुसार परिकलित की जाए।

(ii) अपात्र मामलों में आवंटन रद्द कर दिया जाए।

(iii) रिहायशी प्रयोजनों के निमित्त दल के लिए कुल मिलाकर 6 यूनिटों की अधिकतम सीमा के भीतर केवल एक-तिहाई कर्मचारियों को आवंटन किया जाए।

(iv) जहां कार्यालय के लिए वास का सम्बन्ध है, स्थान आवश्यकताओं की जांच के पश्चात् उपलब्धता की शर्त पर रिहायशी भवन आवंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि बाजार दर से लाइसेंस फीस वसूल की जाती है।

(v) आवंटन राजनैतिक दलों के नाम पर किया जाए न कि किसी पदाधिकारी के नाम पर।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए।

हस्ता०/-

(पी० एस० रमण)

उपनिदेशक सम्पदा (पी)

सेवा में,

1. सभी आवंटन अनुभागों के सहायक निदेशक।
2. सहायक निदेशक, समन्वय-I अनुभाग।
3. सहायक निदेशक, कार्यालय अनुभाग।
4. सम्पदा निदेशालय के सभी उप निदेशक।

विवरण—4

सं० 12016 (2)/89-नी ति-II (खण्ड III) (VIII)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विविध श्रेणी के (राष्ट्रीय महत्त्व के उपयोगी कार्यों में लगे व्यक्तियों) को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा।

12 सितम्बर, 1985 को हुई मंत्री मण्डल आवास समिति की बैठक में राष्ट्रीय महत्त्व के उपयोगी कार्यों में लगे व्यक्तियों को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत किए गए थे तथा समिति द्वारा निम्नलिखित मार्ग निर्देश अनुमोदित किए हैं :—

(क) राष्ट्रीय महत्त्व के उपयोगी कार्यों में लगे व्यक्तियों की इन श्रेणियों को विद्यमान निर्णय के अनुसार कुल मिलाकर 15 मकान आबंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि :

(i) सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी कार्य में लगा हो तथा विख्यात स्वयंसेवी संस्था में सम्बन्धित हो।

(ii) उसका तथा उसके परिवार के किसी सदस्य का या आश्रित का दिल्ली में कोई मकान/फ्लैट नहीं हो।

(iii) उसका मामला सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विशेषतया अनुशंसित किया गया हो।

(iv) उस व्यक्ति की कुल मासिक आय सभी स्रोतों से 3000/- रुपये से अधिक नहीं हो।

(v) वास का टाइप दो शयन कक्षों वाले फ्लैट (टाइप डी) तक सीमित होगा।

(vi) आबंटन की अवधि तीन वर्ष होगी।

(vii) लाइसेंस फ़ीस विभागीय प्रभारों के साथ, एफ० आर० 45बी के अन्तर्गत वसूल की जाएगी।

2. अनुरोध है कि सभी विद्यमान मामलों की उपर्युक्त निती के आलोक में पुनरीक्षा कर ली जाए तथा जो भी प्रवृति कार्यवाही हो, भविष्य में जो भी आबंटन किया जाए वे मंत्री मण्डल की आवास समिति द्वारा यथा अनुमोदित उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएं।

ह०/-

(बी० एस० रतन)

सम्पदा उप निदेशक

सेवा में,

1. सहायक निदेशक (सी० डी० एन अनुभाग)।

2. सभी आबंटन अनुभाग तथा होस्टल/रिजन अनुभाग।

3. सभी सम्पदा उपनिदेशक।

विवरण – 5

दिनांक 19 जनवरी, 1987 को का०ज्ञा० सं० 12035 (13)/84-सी० सी०-II के उद्धरण

विषय : विशिष्ट श्रेणियों के सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के आबंटन के लिए एशियाई खेल गांव में फ्लैटों का निर्धारण।

इनके आबंटन के लिए मार्गनिदेश इस प्रकार हैं :—

सामाजिक कार्यकर्ता विशेषकर राष्ट्रीय महत्त्व की महिलाएं

(i) सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी कार्य में लगा हो तथा विख्यात स्वयंसेवी संस्था से सम्बन्धित हो।

(ii) उसका अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का या आश्रित का दिल्ली में कोई मकान/फ्लैट नहीं हो।

(iii) उसका मामला सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विशेषतया अनुशंसित किया गया हो।

(iv) उस व्यक्ति की कुल मासिक आय सभी स्रोतों से 3000/- रुपये से अधिक नहीं हो।

(v) वास का टाइप दो शयन कक्षों वाले फ्लैट (टाइप "डी") तक सीमित होगा।

(vi) आबंटन की अवधि तीन वर्ष होगी।

(vii) लाइसेंस फीस, विभागीय प्रभारों के साथ, एफ० आर० 45-बी के अन्तर्गत वसूल की जाएगी।

बीज फैलाने की तकनीक

3438. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पौधों के प्रत्यारोपण के स्थान पर बीज फैलाने की तकनीक से धान की खेती करने पर अनुसंधान कराया है जिससे उसकी खेती पर लागत कम आयेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस सम्बन्ध में सिफारिशें क्या है; और

(ग) इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) प्रति रोपण और सीधे बीजों द्वारा धान उगाने पर अनुसंधान किए गये हैं। सीधे बीज द्वारा बुआई करके अच्छी फसल ली जा सकती है बशर्ते कि खरपतवार और जल नियंत्रण का ध्यान रखा जाए। फिर भी, प्रतिरोपण काफी लाभदायक है क्योंकि इसकी बुआई कतारों में की जाती है जोकि खरपतवार नियंत्रण और अन्तः फसल-क्रियाओं में काफी कारगर होता है। सीधे बीजों द्वारा बुआई करने से खर्च अधिक होता है क्योंकि इसमें अधिक बीजों की जरूरत पड़ती है और खरपतवार नियंत्रण में भी काफी कठिनाई होती है।

(ग) केरल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्रों में, जहां बारानी खेती की जाती है, किसान धान की सीधे बीजों द्वारा बुआई करते हैं।

भूमिगत जल मल निकास प्रणाली

[हिन्दी]

3439. **श्री छेदी पासवान** :

श्री लाल बाबू राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को भूमिगत जल मल निकास प्रणाली हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने विश्व बैंक की संभावित सहायता हेतु क्रमश: पटना और रांची के लिए 195.58 करोड़ रुपए और 147.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जल आपूर्ति, मलजल-निकासी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध के निमित्त एकीकृत परियोजना पर साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से परियोजना रिपोर्टों के संशोधन हेतु राज्य सरकार से आग्रह किया गया है ।

राज्य सरकार ने हाल ही में 112.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पटना शहर के लिए एक संशोधित एकीकृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी० पी० एच० ई० ई० ओ०) में संवीक्षाधीन है ।

राष्ट्रीय अग्नि नीति

[अनुवाद]

3430. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय अग्नि नीति तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) "अग्नि" राज्य सरकार का विषय है । इस समय "राष्ट्रीय अग्नि नीति" बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राज्यों को कच्चे तेल पर रायल्टी

3441. श्री [illegible] : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार उत्पादन में लगी केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों को कितनी रायल्टी देय थी; और

(ख) रायल्टी के अलावा, कुओं के मुहाने पर देश में उत्पादित कच्चे तेल का और बाहर से आयातित पत्तन पर कच्चे तेल का तुलनात्मक यूनिट मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) क्रूड तेल पर 314 रु०/मीटरी टन और प्राकृतिक गैस की कूपशीर्ष की कीमत का 10% ।

(ख) रायल्टी और उपकरों के अलावा, कूप शीर्ष पर क्रूड तेल की प्रति टन लागत राज्य दर राज्य भिन्न होती है । और इसकी सीमा रु० 571.51 प्रति मीटरी टन से रु० 12,437 प्रति मीटरी टन के बीच है । अप्रैल, 1992 से जून, 1992 के दौरान आयातित क्रूड तेल की भारित औसत कीमत 137 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर बने भवनों को गिराया जाना

3442. श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भू-खण्डों पर बने भवनों को गिराए जाने के 18, मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वहां आवश्यक आधारभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित भू खण्डों पर किसी इमारत को नहीं गिराया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि तथापि उन्होंने खसरा नम्बर 33/1, 9, 10, 11 और 12 मिन० में अपनी स्वयं की भूमि से 5-2-92 को अतिक्रमण को हटाया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह भूमि दिनांक 19-9-86 के अवार्ड संख्या 157/86-87 के द्वारा अधिग्रहित की गई थी। आई० ए० सी०/एल० एण्ड बी० विभाग से इसका वास्तविक कब्जा 13-10 86 को लिया गया था।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को विभिन्न अधिकृत/अनधिकृत कालोनियों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें सेवाएं उपलब्ध की जायें। दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल उन्हीं कालोनियों में ये सेवाएं उपलब्ध करता है जिनका विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

तमिलनाडु में भू-संरक्षण

3443. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भू-संरक्षण के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) राज्य में भू-संरक्षण योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न मृदा संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा, गत तीन वर्षों में से

प्रत्येक में निर्मुक्त निधियों, उपयोग की गई धनराशि तथा की गई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	वर्ष	निर्मुक्त की गई धनराशि (लाख रुपए)	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये)	वास्तविक प्रगति (क्षेत्र हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	1989-90	181.50	171.60	3830
2.	1990-91	250.00	244.66	6624
3.	1991-92	394.44	359.01	7596

अधिकृत श्रेणी से एक ऊपर के सरकारी आवास का आबंटन

[हिन्दी]

3444. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री 29 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8773 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में पूछी गयी सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अधिकृत श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के सरकारी आवास के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989, 1990 और के दौरान 63 व्यक्तियों को अधिकृत श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के सरकारी वास स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राजस्थान में भारत पाक सीमा पर घुसपैठ

3445. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारत पाक सीमा पर गत वर्ष के दौरान प्रत्येक माह जब्त हथियारों और गिरफ्तार किये गए तथा मारे गए घुसपैठियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में भारत पाक सीमा पर तस्करी के धंधे को और घुसपैठियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत पाकिस्तान सीमा पर कुछ संवेदनशील तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ तथा फ्लड लाइट लगाई गई हैं। घुसपैठ और शस्त्रों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को और सुदृढ़ बनाने तथा उसे आवश्यक साज सामान उपलब्ध कराने के लिए भी कार्रवाई शुरू की जा रही है।

विवरण

माह	पकड़े गए शस्त्र	गिरफ्तार किए गए घुसपैठिए	मारे गए घुसपैठिए
जून, 1991	24	9	6
जुलाई, 1991	53	18	5
अगस्त, 1991	8	56	8
सितम्बर, 1991	—	40	—
अक्तूबर, 1991	33	31	3
नवम्बर, 1991	1	40	3
दिसम्बर, 1991	—	72	14
जनवरी, 1992	—	87	4
फरवरी, 1992	1	40	1
मार्च, 1992	5	127	2
अप्रैल, 1992	2	96	—
मई, 1992	—	32	—

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

3446. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री ललित उरांव :

श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन ने केन्द्रीय सरकार से इस आयोग को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि यह सुचारू ढंग से कार्य कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय की परिसम्पत्तियों और देयताओं सहित उसके पदों को पुनर्गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को अन्तरित किए जाने और तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में समाप्त किए गए कुछ पदों को बहाल किए जाने की मांग की गई है। आयोग द्वारा कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन का भी प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण

[हिन्दी]

3447. श्री काशीराम राणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक के कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, गुजरात स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 2,145 और 2,110 कृषि कार्य करने वाली महिलाओं और युवा लड़कियों को प्रशिक्षित किया है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर

[अनुवाद]

3448. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर (उ० प्र०) में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की संख्या में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय/उप-केन्द्रों की उपलब्धियों, सौंपे गये कार्य, बाधाओं तथा समस्याओं की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है।

दिल्ली में पंजीकृत सहकारी समितियां

3449. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत ऐसी सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जो एक से अधिक राज्यों में सक्रिय हैं;

(ख) इनमें से ऐसी समितियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने लेखाओं का लेखा-परीक्षण नहीं कराया है; और

(ग) इन समितियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली में 20 बहु-राज्यीय सहकारी समितियां हैं जिनका उद्देश्य एक ही राज्य तक सीमित नहीं है ।

(ख) ऐसी केवल एक ही समिति ने पिछले तीन वर्षों से अपने खातों की लेखा परीक्षा नहीं करवाई है ।

(ग) चूंकि समिति का कार्य संतोषजनक नहीं था अतः बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 77 के अन्तर्गत कथित समिति को समाप्त करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई थी । तथापि, समिति ने उक्त कार्यवाही के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य

[हिन्दी]

3450. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों के विकासात्मक कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां केवल बिहार राज्य से ।

(ख) श्री छत्रपति शाही मुंडा, सदस्य विधान परिषद्, बिहार ने शिकायत की है कि बलदेव फाउन्डेशन कैवटजली और लोक चिराग संस्थान डाक-घर और थाना मिहिजाम, जिला दुमका द्वारा हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के नाम पर सरकारी निधियों का दुरुपयोग किया गया है ।

(ग) बिहार राज्य सरकार से इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जा चुका है ।

महाराष्ट्र में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र तथा रसोई गैस एजेंसियां

[अनुवाद]

3451. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में खोले जाने वाले नए पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) 1991-92 के दौरान राज्य में वर्तमान गैस एजेंसियों के माध्यम से कितनी रसोई गैस सप्लाई की गई; और

(ग) राज्य में वर्तमान खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रति हजार वाहनों को सप्लाई की गई डीजल तथा पेट्रोल की मात्रा का वार्षिक अनुपात कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 83 खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें तथा 109 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें।

(ख) 441359 मि० ट०।

(ग) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

[हिन्दी]

3452. **श्री दत्ता मेघे** :

श्री बी० धनंजय कुमार :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को हल करने हेतु गत एक वर्ष के दौरान इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कितनी बैठकें आयोजित की गयीं;

(ख) इन बैठकों के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) इस विवाद के कब तक हल हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) हाल ही में दोनों राज्यों के बीच विशेषतौर पर सीमा-समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए कोई बैठकें नहीं हुईं। केन्द्रीय सरकार का विचार है कि प्राथमिक रूप से, समस्या को दोनों राज्यों द्वारा आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय सरकार सभी संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

दिल्ली में स्वापक पदार्थों का व्यापार

3453. **श्री राम बदन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में स्वापक पदार्थों का व्यापार फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1989, 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान अब तक दिल्ली में इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जब्त किये गये स्वापक पदार्थों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । तथापि, नशीली दवाओं के बरामद किए जाने के कुछ मामले झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों से सम्बन्धित हैं ।

(ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि झुग्गी झोंपड़ी इलाकों में रहने वाले कुछ लोग, जोकि नशीली दवाओं के आदि होते हैं, नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं ताकि इन दवाओं के निजी प्रयोग के लिए वे धन अर्जित कर सकें ।

(ग) वर्ष 1989, 1990, 1991 तथा 1992 (30-6-1992 तक) के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा बरामद की गई नशीली दवाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

बरामदगी किलोग्राम में

वर्ष	चरस	अफीम	गांजा	स्मैक/ हीरोईन	पोस्त के डोडे	भांग	कोकीन	गिरफ्तार व्यक्ति
1989	3470.072	211.917	116.880	134.639	888.005	—	0.004	1389
1990	505.828	438.242	268.650	96.012	253.300	—	—	1450
1991	675.062	94.494	222.600	28.115	309.200	230.200	—	1212
1992 (30-6-1992 तक)	167.742	65.962	233.755	16.776	43.400	4.300	—	536

नकदी फसलें

3455. श्री श्रीकान्त जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा में कितनी नकदी फसलों का उत्पादन हुआ;

(ख) 1991-92 के दौरान नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा को कितनी सहायता-राशि दी गई; और

(ग) उड़ीसा में नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान उड़ीसा में नकदी फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहा :—

फसल	उत्पादन
तिलहन	9.98 लाख टन
गन्ना	37.33 लाख टन
कपास	प्रत्येक 170 किलोग्राम की 0.08 लाख गांठे
पटसन तथा मेस्ता	प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की 5.81 लाख गांठे
तम्बाकू	0.08 लाख टन

(ख) उड़ीसा को 1991-92 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के लिए 227.90 लाख रु० समेकित कपास विकास कार्यक्रम के लिए 0.45 लाख रुपए और विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के लिए 36.525 लाख रुपए की सहायता मुहैया की गई है।

(ग) नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रोत्साहन शामिल हैं :—बीज, खरपतवार नाशी/शाकनाशी, पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, उन्नत फार्म उपकरणों आदि का राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरण।

कृषि के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

3456. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि राज्य सरकारों को आवंटित कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो 1992-93 के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई सहायता नहीं दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता ।

हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

3457. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) कितने प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1991-92 के दौरान हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सहकारी ग्रुप आवास समितियों में चुनाव

3458. **श्री करिया मुण्डा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी सहकारी ग्रुप आवास समितियों का ब्यौरा क्या है जिनमें पिछले तीन वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुए हैं;

(ख) क्या पंजीयक, सहकारी ग्रुप आवास समिति, दिल्ली द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा ऐसी समितियों के अनेक सदस्यों की सदस्यता रद्द की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसी समितियों में चुनाव करवाने तथा सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1972 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में पंजीयक सहकारी समितियों को समिति द्वारा चुनावों के बारे में सूचना भेजने की व्यवस्था नहीं है अतः ऐसी समितियों जिनमें गत वर्षों से चुनाव नहीं हुए है, के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । सहकारी समिति के किसी सदस्य के मामले में सदस्यता निष्कासन/समाप्ति को अनुमोदित करने का प्राधिकार पंजीयक, सहकारी समितियां को है ।

(ग) ऐसे मामले में जहां समिति द्वारा नियत तारीख को चुनाव न कराए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती है दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1972 की धारा 30(1) के अनुसार समिति को अध्यपेक्षा जारी होने से 30 दिन के भीतर चुनाव करने के निदेश देते हुए अध्यपेक्षा जारी किया जाता है। चूक की स्थिति में, सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनाव कराने के लिए विभाग द्वारा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

काजू का उत्पादन

3459. प्रो० रीता वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौराम प्रत्येक वर्ष वर्ष-वार काजू का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1992-93 में इसके उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध काजू के उत्पादन के वर्षवार मोटे अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मीटरी टन में)
1988-89	2,74,340
1989-90	2,85,590
1990-91	2,94,590

(ख) और (ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1992-93 के दौरान लगभग 3.05 लाख मीटरी टन काजू का उत्पादन होगा । काजू के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन उठाये गए कदमों में गुणकारी क्लोनल रोपण सामग्री के साथ क्षेत्र विस्तार और पौध संरक्षण उपाय अपनाना शामिल है ।

कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन

3460. श्री आर्च फर्नान्डीज :

श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन के को कम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां । समेकित चावल निकास कार्यक्रम, दलहन, मक्का और कदन्न सम्बन्धी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम, आदि जैसे अनेक कार्यक्रम अपनाये गए हैं, जिनका उद्देश्य कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है । उत्तर पूर्वी राज्यों में बागवानी और मात्स्यिकी को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं ताकि इन राज्यों में कृषि विकास को बढ़ाया जा सके ।

(ग) और (घ) उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से

सरकार हर मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों की अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी एजेंसियों द्वारा खरीददारी करती है। अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य के निर्धारण में फसलों की उत्पादन लागत एक प्रमुख कारक होता है। किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने फसलों के उत्पादन की लागत के आंकलन की पद्धति में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि इसे व्यापाक एवं यथार्थपरक बनाया जा सके।

उड़ीसा में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के पूर्व निर्धारित स्थलों पर स्थापित किया जाना

3461. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन "कैलटेक्स" से सम्बन्धित उड़ीसा के ऐसे कुछ मामले सरकार के विचाराधीन हैं जिनमें पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को पूर्व निर्धारित स्थलों पर स्थापित करने, इनके स्वामित्व में परिवर्तन करने तथा इन्हें अस्थायी तौर पर पट्टे पर देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और ये मामले कब से विचाराधीन हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा पूर्व निर्धारित स्थलों पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने का अनुरोध किया गया था, उनका ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में खुदरा बिक्री केन्द्रों को पूर्व निर्धारित स्थलों पर स्थापित करने सम्बन्धी कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा कितने अनुरोधों पर कार्यवाही कर दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह रिपोर्ट की गई है कि पट्टे के नवीकरण का एक मामला, पुनर्गठन के तीन मामले तथा डीलरशिपों के पुनर्स्थापन के सात मामले लम्बित हैं जिनमें से पांच पुनर्स्थापन के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान 18 प्रस्तावों में से 16 को पुनर्स्थापन कार्य हेतु निष्पादित कर दिया गया है जबकि दो प्रस्तावों पर उद्योग के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

3462. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बागवानी फसलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) महाराष्ट्र में ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों का उत्पादन प्रति हैक्टेयर अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में अनुसंधान केन्द्रों का विस्तार करने के लिये अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, मौजूदा समय में भा० कृ० अ० परिषद का महाराष्ट्र में कोई राष्ट्रीय बागवानी फसल अनुसंधान केन्द्र नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) भा० कृ० अ० परिषद ने नासिक में राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है जिसके लिए आठवीं योजना में 1.60 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

1984 के दंगा पीड़ितों को ऋण भुगतान में राहत

3463. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवम्बर, 1984 दंगा पीड़ितों को ऋण भुगतान में राहत देने तथा उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने अपर सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर भी विचार करेगी कि 198 के दंगा पीड़ित कर्जदारों को कोई सहायता/राहत उपलब्ध कराई जा सके, जो उनके द्वारा देय किसी राशि को सामान्यतः बट्टे खाते में डाले जाने के अतिरिक्त हो।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र

3464. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तेल की खोज तथा विकास कार्य को तेज करने हेतु हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र के लिए खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इससे देश में तेल की खोज कार्य को कितना प्रोत्साहन मिलेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इससे देश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन की गति तीव्र होने की आशा है।

दहेज के कारण होने वाली मौत की घटनाओं की जांच के लिए विशेष अदालतें

[हिन्दी]

3465 **श्री मृत्युंजय नायक :**

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम :

श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दहेज के कारण होने वाली मौत की घटनाओं के जांच के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ख) मामलों के विचारण के लिए न्यायालयों का गठन करना राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में है। ऐसे मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है या नहीं इस बारे में निर्णय लेना राज्य सरकारों का कार्य है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

[अनुवाद]

3466. **श्री महेश कनोडिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) यद्यपि, दिल्ली नगर निगम से अनुमान के अनुसार अनधिकृत कालोनियों की संख्या 1207 है, किन्तु उसके सत्यापन के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 30-6-77 को विद्यमान कुल 553 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया है। शेष अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

डी० डी० ए० की आवास योजनाएं

[हिन्दी]

3467. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनेक आवास योजनाएं बन्द की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपयों की लागत वाली अनेक आवास

परियोजनाएं शुरू करने से पहले दिल्ली नगर निगम, जल आपूर्ति संस्थान तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से परामर्श क्यों नहीं किया ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है पानी व बिजली की कमी के कारण कोई आवास योजना बन्द नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

असम में मात्स्यिकी विकास एजेंसियां

[अनुवाद]

3468. **श्री प्रबीन डेका** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कार्य कर रही मात्स्यिकी विकास एजेंसियां कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, असम में मात्स्यिकी के विकास के लिए कितनी धन-राशि जारी की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) असम के पन्द्रह जिलों नामतः कामरूप, नौगांव, सोनितपुर, दरांग, लखीमपुर, शिवसागर, कारबी-आंगलोंग, काछार, करीमगंज, डिबरूगढ़, कोकराझार, बरपेटा, जोरहाट और ग्वालपाड़ा में मत्स्य पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेंसी योजना के अधीन जलकृषि के विकास के लिए असम को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1989-90	15.00
1990-91	12.00
1991-92	9.00

पनधारा विकास हेतु विश्व बैंक सहायता

3469. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992-93 में गुजरात में किन-किन स्थानों पर विश्व बैंक सहायता से पनधारा (वाटरशेड) विकास परियोजनायें शुरू की जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एकीकृत पनधारा विकास परियोजना (मैदानी) गुजरात राज्य के साबरकांठा, राजकोट, बड़ोदरा तथा भड़ौंच जिलों में जारी रखी जाएगी ।

प्रेशर रेगुलेटरों की कमी

3470. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में प्रेशर रेगुलेटरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि इस समय पश्चिमी बंगाल में एल० पी० जी० के घरेलू सिलिंडरों के लिए प्रेशर रेगुलेटरों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रैयत भूमि का अवैध हस्तान्तरण

[हिन्दी]

3471. श्री ललित उरांव : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैयत भूमि का अवैध हस्तान्तरण रोकने और आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों के अवैध कब्जे को खाली करवाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 1989 का संख्या 33 नामक एक अधिनियम है। इस अधिनियम में, भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने और इसे गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों के अवैध कब्जे से खाली कराने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं :—

(1) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने हेतु अधिसूचित किसी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करता है अथवा खेती करता है, या उसे आवंटित भूमि को अन्तरित करवाता है;

(2) गैर-कानूनी ढंग से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि अथवा परिसर से वेदखल करता है, अथवा किसी भूमि परिसर अथवा पानी के उपयोग के उसके अधिकार में हस्तक्षेप करता है तो वह एक अवधि की कैद जो 6 महीने से कम नहीं होगी और जिसे जुर्माने सहित पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के दण्ड का भागी होगा;

(3) शीघ्र परीक्षण की व्यवस्था के प्रयोजन से राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के परीक्षण हेतु प्रत्येक जिले के एक सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेंगी; और

(4) प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार, न्यायालय में मुकद्दमों के संचालन हेतु सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी अथवा एक ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी जो कम से कम 7 साल तक एक वकील के रूप में काम कर चुका हो।

अवेअर द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान

[अनुवाद]

3472. श्री के० चोक्का राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवेअर संगठन ने वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की थी;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि आंध्र प्रदेश में व्यय की गई;

(ग) क्या अवेअर दानदाता देशों की इच्छा के विपरीत लाभार्थियों से उन्हें दी गई सहायता में से मार्जिन धनराशि के तौर पर दी गई राशि को वापस मांग रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख)

वर्ष	प्राप्त की गयी राशि	प्रयोग की गयी राशि
1989	333 लाख रुपए	182 लाख रुपए
1990	735 लाख रुपए	688 लाख रुपए
1991-92	478 लाख रुपए	221 लाख रुपए

(ग) और (घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

महानगरों में बेघर लोग

3473. डा० के० डी० जेस्वानी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे महानगरों में अनेक बेघर लोग रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक महानगर में ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार का इन लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बेघर जनसंख्या की गणना प्रत्येक दस वर्ष में मात्र एक बार जनगणना के भाग के रूप में की जाती है। देश के विभिन्न स्थानों में बेघर जनसंख्या के सम्बन्ध में 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, इन नगरों में बेघर व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार आंकलित की गई थी :—

1.	मुम्बई	—	50185
2.	कलकत्ता	—	48440
3.	दिल्ली	—	26772
4.	मद्रास	—	7525

(ग) आवास, राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी राज्य आयोजनाओं से विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए आवासीय स्कीमें तैयार करें। विभिन्न आवासीय साधनों तक निर्धनों और उपेक्षित वर्गों का सुलभता में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय आवास नीति में विशेष उपायों पर विचार किया गया है। तथापि, इस क्षेत्र की महत्ता पर विचार करते हुए केन्द्रीय सरकार भी आवासीय कार्यों के वित्त पोषण हेतु राज्यों और संघशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आवास बैंक, हुडको जीवन बीमा निगम आदि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराती है। राज्य एजेंसियों के द्वारा दी गई छूट और ऋण के द्वारा रैन बसेरों का सुधार शहरी निर्धनों पर पटरियों पर सोने वाले के लिए रात्रि रैन बसेरों का केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालन किया जाता है। हुडकों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों को गृह निर्माण हेतु 55% ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश में इण्डियन आयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन पर बकाया चुंगी

[हिन्दी]

3474. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश नगरपालिकाओं की 1982 से 1990 की अवधि के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन पर चुंगी की कितनी-कितनी राशि बकाया पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो जालौन और ऊरई नगरपालिकाओं की इण्डियन आयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन पर चुंगी की कितनी राशि बकाया है;

(ग) इन नरगपालिकाओं को चुंगी का अभी तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये उपक्रम उक्त चुंगी का भुगतान कब तक कर देंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अनुमानतः 23.65 लाख।

(ख) से (घ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण जालौन और ऊरई नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में बकाया राशि के बारे में अनुमान लगाने में विलम्ब हुआ। स्थगन आदेश के समाप्त होने के बाद निर्धारण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।

समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम

[अनुवाद]

3475. **श्री के० प्रधानी** :

श्री राम नारायण बैरवा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं का राज्य-वार कितने लोगों ने लाभ उठाया; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाए जाने वाले नए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समाजार्थिक कार्यक्रम जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि कार्यान्वित किए जाते हैं जिनमें परिवारोन्मुख आय सृजक योजनाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इन योजनाओं को एकत्रित संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाता है, अर्थात्

(i) राज्य योजना में से निधियां,

(ii) केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों से निधियां,

(iii) राज्य योजना के लिए योगज के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता, और

(iv) संस्थागत वित्त।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर, कल्याण मन्त्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समय-समय पर इन परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इनके कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(1) कृषि में, स० अ० वि० का० क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा कृषि का उन्नत तरीका अपनाया गया है।

(2) असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं सृजित की गई हैं।

(3) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना (आई० टी० डी० पी०) क्षेत्रों में शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(4) संचार सुविधाएं और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता, आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के पड़ने वाले प्रभाव के कुछेक प्रमुख सुनिश्चित चिह्न हैं।

(5) अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु विभिन्न समाजार्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयोग की गई निधियां वांछित प्रभाव पैदा नहीं करती।

(6) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(7) परियोजना प्राधिकारियों के स्तर पर प्रशासनिक तथा विनियमित शक्तियों का एकीकरण सुनिश्चित नहीं किया जाता है।

(8) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में सहकारी ढांचे को पुनर्गठित और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(9) आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए मानिटरिंग और मूल्यांकन पद्धति पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1990-61 और 1991-92 के दौरान गरीबी की रेखा पार करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान समन्वित आदिवासी विकास परियोजना (आई० टी० डी० पी०) क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य मुख्यत: पाचवीं योजना के दौरान शुरू की गई उप योजना कार्यनीतियों को जारी रखना है। इसके अतिरिक्त, आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु, निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) आदिवासी महिलाओं में शिक्षा के विकास के लिए कम साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना करना;

(2) लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों की अंश पूंजी; और

(3) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1990 से 1991 और 1991 से 1992 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल 85 से मार्च 90 तक		अप्रैल 90 से मार्च 91 तक		अप्रैल 91 से मार्च 92 तक	
		लक्ष्य	परिलब्धियां	लक्ष्य	परिलब्धियां	लक्ष्य	परिलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	270000	555110	60000	85630	60000	95580
2.	असम	129050	105440	27250	25111	27250	37645
3.	बिहार	619050	724770	125000	122768	115000	130911
4.	गुजरात	338000	425595	66500	83685	70000	90146
5.	हिमाचल प्रदेश	13490	20772	2134	2872	2134	2472
6.	जम्मू और काश्मीर	—	—	1400	एन०आर०	1400	1000
7.	कर्नाटक	42490	51938	9500	9326	8000	8645
8.	केरल	22380	32749	6957	16248	6957	8353
9.	मध्य प्रदेश	1000000	220279	205000	222416	215000	223662
10.	महाराष्ट्र	387000	487831	80000	89924	80000	100061

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मणीपुर	20712	23074	4400	6055	4400	5186
12.	उड़ीसा	535500	753369	70000	87626	60000	74382
13.	राजस्थान	336400	387487	64039	68928	[illegible]4039	72249
14.	सिक्किम	11200	19105	3015	7818	3030	2951
15.	तमिलनाडु	45618	50734	9000	832	9000	8450
16.	त्रिपुरा	43894	55706	13670	8324	10000	10049
17.	उत्तर प्रदेश	16000	20721	3550	4474	3550	4251
18.	पश्चिम बंगाल	319286	346245	72136	42010	59590	37601
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2766	4054	379	390	425	496
20.	दमण और दीव	2890	3945	570	817	589	678
	योग :	4155726	5288825 (127.27)	824590	892747 (108.28%)	800464	914768 (114.27)

आन्ध्र प्रदेश में अकाल आपात योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता

3476. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

श्री धर्मभिक्षम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 1992-93 के लिए अकाल आपात योजना हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी आर्थिक सहायता मंजूर की गई है और कितनी जारी की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में बिजलीघरों को गैस की सप्लाई

[हिन्दी]

3477. **श्री छीतूभाई गामीत :**

श्री सोमजीभाई डामोर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बिजलीघरों के लिए प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में गैस की आवश्यकता होती है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में गैस सप्लाई की गई;

(ख) गुजरात में बिजलीघरों की उनकी आवश्यकतानुरूप गैस सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन बिजलीघरों को आवश्यकतानुरूप गैस की सप्लाई किए जाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) गुजरात में गैस पर आधारित बिजली घरों के लिए गैस का कुल आबंटन और गत तीन वर्षों में की गई सप्लाई निम्नवत् है :

आंकड़े एम० एम० एस० सी० एम० डी० में

		आबंटन	पूर्ति	
		1989-90	1990-91	1991-92
1. जी० ई० बी० धुवरान	0.42	0.133	0.242	0.428
2. जी० ई० बी० उतरान (फेज-I)	0.75	0.230	0.208	0.212
3. जी० ई० बी० उतरान (फेज-II)	0.05	आपूर्ति अभी आरम्भ करनी है।		

		अबंटन 1989-90	पूर्ति 1990-91	1991-62
4. ए० ई० सी० बेतवा	0.40	—	0.160 (दिस० 90)	0.232
5. जी० आई० पी० सी० ओ०	0.70	—	0.065 (जनवरी 91)	0.363
6. एन० टी० पी० सी०, कावस	2.25	—	—	0.03 (मार्च, 93)
7. एन० टी० पी० सी०, गंधार	1.50	अभी आरम्भ किया जाना है।		
8. जी० ई० बी०, गंधार	1.50	अभी आरम्भ किया जाना है।		

गैस स्वीकार करने के लिए तैयार इन विद्युत संयंत्रों को सप्लाई में कमी होने का प्रमुख कारण गैस की वर्तमान उपलब्धता है। गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कुओं की खुदाई करने और अपेक्षित पाइपलाइनों को बिछाने की कार्रवाई तैयारी की स्थिति में है।

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

[अनुवाद]

3478. श्री आनन्द अहिरवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनको गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किसानों को नयी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सभी राज्यों में प्रौद्योगिकी अन्तरण को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रणाली में प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए अनुसंधानकर्ताओं एवं विस्तार कार्मिकों के मध्य नियमित विचार-विमर्श करने और कृषकों से समय-समय पर भेंट करने की व्यवस्था है।

कृषि विस्तार कार्मिकों की प्रबंधकीय, तकनीकी एवं संप्रेषण दक्षताओं में सुधार लाने के लिए उनके व्यापक प्रशिक्षण हेतु बुनियादी ढांचा भी तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, 188 कृषक प्रशिक्षण एवं 187 कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए कृषकों को संस्थागत तथा भ्रमणशील प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कृषि में संलग्न महिलाओं के मध्य प्रौद्योगिकी अन्तरण में सुधार लाने के लिए अनेक राज्यों में बाहरी सहायता से विशेष परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

आम के बाग

3479. श्री कमल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कितने क्षेत्रफल में आम के बाग थे;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब में 1992-93 के दौरान आम बागान लगाने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पंजाब को कितनी धनराशि दी गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आम के बागान के अधीन क्षेत्र निम्न प्रकार रहा :—

1989-90	10536 हैक्टेयर
1990-91	11822 हैक्टेयर
1991-92	12134 हैक्टेयर

(ख) राज्य सरकार ने 1992-93 के दौरान आम के बागों के लिए कोई क्षेत्र अभिज्ञात नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार ने पंजाब में 1992-93 के दौरान 50 हैक्टेयर पुराने आम के फलोद्यानों के पुन: नवीकरण का लक्ष्य रखा है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र को योजना के अन्तर्गत आम के पुराने फलोद्यानों के पुन: नवीकरण के लिए पंजाब को 59.5 हजार रुपये की राशि आबंटित की गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश

3480. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कल्याण सचिवों और राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों को यह निदेश देने का अनुरोध किया है कि वे कमजोर वर्गों को भूमि के आबंटन के लिए भूमि की खरीद सम्बन्धी परियोजनाओं को वित्तपोषित करें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सिफारिश भी गई है कि इन कमजोर वर्गों के लोगों की जिन योजनाओं के लिए 35,000 रुपये तक की स्वीकृति मिली है उनकी स्वीकृति कल्याण मन्त्रालय द्वारा दी जाए;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में और क्या-क्या सिफारिश की गई थी; और

(घ) सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. 5.00 लाख रुपये की लागत तक की परियोजनायें/योजनाएं राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों द्वारा शुरू की जानी चाहिए और 5.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं निगम द्वारा चलाई जाएंगी।

2. राज्य निगमों द्वारा सीधे ऋण लेने पर लगाए गये प्रतिबन्ध को हटा लिया जाए।

3. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय

निगमों को उनके अनुरोध पर योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों पर ब्याज की दर अधिक होनी चाहिए। यदि निधियों का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

4. दुगनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभप्राप्तकर्ताओं के लिए ब्याज की वर्तमान रियायती दर को जारी रखते हुए जब सहायता का स्तर अधिक हो तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम उच्चतर ब्याज की दर लेने पर विचार कर सकती है।

5. राज्य निगम द्वारा प्रशासनिक व्यय के सम्बन्ध में अधिकतम मितव्ययता आरम्भ की जानी चाहिए जैसाकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा किया गया है।

6. राज्य निगमों का अपने ऋण ब्याज की वसूली में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिये।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही इन सिफारिशों पर क्रियान्वयन आरम्भ किया जाएगा।

डी० डी० ए० आवंटितियों से लिया गया ब्याज

3481. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराया खरीद आधार पर डी० डी० ए० फ्लैटों के आवंटितियों से ली जाने वाली ब्याज दर तथा डी० डी० ए० के पास पंजीकृत लोगों द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर दी जा रही ब्याज दर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोहरी ब्याज दर के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किराया खरीद आधार पर आवंटित फ्लैटों के लिए निर्धारित मासिक किश्त में 12.60% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज घटक शामिल होता है। दूसरी ओर, पंजीकरण के प्रति जमा कराई राशि पर 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि वार्षिक आबंटियों को देय ब्याज, आबंटन के समय फ्लैटों की कीमत में प्रति समायोजित किया जाता है।

(ख) ब्याज की अन्तरीय दरें दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के विचार से लागू की जाती है।

पश्चिम बंगाल में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार

3482. श्री बीर सिंह महतो : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नेहरू रोजगार योजना, शहरी निर्धनों के लिए स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों को सृजित करने हेतु बनायी गयी है, जो पश्चिम बंगाल राज्य सहित देशभर में अक्टूबर, 1989 से चलायी जा रही है। स्व-रोजगार के उद्यमों को आरम्भ करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी निर्धनों की संख्या और प्रत्येक गत तीन वर्षों के

दौरान सृजित किये गए श्रम दिवसों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या	सृजित कार्य श्रम दिवसों की संख्या
1989-90	शून्य	शून्य
1990-91	1,355	66,838
1991-92	7,375	2,07,899

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए आवंटित राशि इस प्रकार है :—

वर्ष		नियत की गयी राशि (लाख रुपयों में)
1989-90	—	839.73
1990-91	—	692.01
1991-92	—	521.10

अवैध कब्जे वाली भूमि को खाली कराने संबंधी विधान

[हिन्दी]

3483. श्री एन० जे० राठवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी भूमि को खाली कराने के संबंध में एक विधान बनाने का है; और

(ख) इसे कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में लोक परिसरों, जिसमें सरकारी भूमि शामिल है, से अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आवास बोर्डों के लिए निधि

[अनुवाद]

3484. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने स्वायत्त आवास बोर्डों अथवा आवास निगमों की स्थापना की है;

(ख) क्या इस तरह के बोर्डों/निगमों को केन्द्रीय सरकार अथवा किसी केन्द्रीय वित्तीय संस्थान से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इन बोर्डों और निगमों का वास्तविक लक्ष्य कितना तथा कितनी उपलब्धि हुई है; और

(घ) इसके लिए वर्ष 1992-93 में वास्तविक लक्ष्य तथा कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अधिकांश राज्य सरकारों ने आवास बोर्डों/निगमों की स्थापना की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, चण्डीगढ़, पांडिचेरी, गोवा, असम, उड़ीसा, दादर नगर हवेली, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों में आवास बोर्ड है।

(ख) केन्द्र सरकार राज्य आवास बोर्डों को कोई प्रत्यक्ष निधियां नहीं दे रही है। तथापि, हुडको, जीवन बीमा निगम आदि जैसे केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ग) और (घ) आवास राज्य विषय होने के नाते आवास बोर्डों के लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी उपलब्धियों पर निगरानी का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

मुर्गीपालन विकास

3485. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पशुधन और मुर्गीपालन क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

नागपुर में गन्ना विकास केन्द्र

[अनुवाद]

3486. **श्री दत्ता मेघे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदर्भ क्षेत्र के लिए नागपुर में गन्ना विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वित्तीय स्थिति के चरमरा जाने के कारण गन्ने के सम्बन्ध में विकास केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में मात्स्यिकी विकास

3487. श्री श्रीकांत जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा का अनुमानतः कितना क्षेत्र मात्स्यिकी कार्य के लिए उपयुक्त है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य का कुल कितना क्षेत्र मात्स्यिकी के अन्तर्गत लिया गया है;

(ग) राज्य में मात्स्यिकी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उड़ीसा में मत्स्यपालन के विकास के लिए अनुमानतः 59000 हैक्टेयर क्षेत्र में ताजे पानी के जलाशय एवं तालाब और 5.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तटीय खारा पानी उपलब्ध है ।

(ख) राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान 8,147 हैक्टेयर ताजे पानी के जलाशय एवं तालाब तथा खारे पानी का 7076 हैक्टेयर क्षेत्र क्रमशः ताजा पानी मत्स्यपालन और खारा पानी झिंगा पालन के अन्तर्गत लाया गया है ।

(ग) सरकार द्वारा मत्स्यपालन विकास के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :

केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ताजा पानी मत्स्यपालन एवं खारा पानी मत्स्यपालन के विकास हेतु 13 मछलीपालक विकास एजेन्सियों तथा 4 खारा पानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियां स्वीकृत की गई । ये एजेन्सियां इच्छुक मत्स्यपालकों को लीज पर भूमि की व्यवस्था करने तथा प्रशिक्षित करने के साथ-साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं । ये इच्छुक मछुआरों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त मत्स्यपालक विकास एजेन्सी तथा खारा पानी मत्स्य-पालक विकास एजेन्सी कार्यक्रमों के तहत पहले वर्ष कल्चर आपरेशन शुरू करने के लिए मत्स्यपालकों को वर्तमान जलाशयों तथा तालाबों के जीर्णोद्धार, नए तालाबों के निर्माण के लिए राजसहायता और आदानों की आपूर्ति करती हैं ।

(घ) गत तीन वर्षों में मत्स्यपालन के विकास के लिए उड़ीसा सरकार की 13 मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों के लिए 72.09 लाख रुपये तथा 4 खारापानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों के लिए 236.83 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्गमित की गई है ।

झुग्गी झोपड़ी निवासियों को दिये गए भूखण्डों का स्वामित्व अधिकार

[अनुवाद]

3488. श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को दिए गए भूखण्डों के स्वामित्व अधिकार बदल दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में कमजोर वर्गों को दिए गए भूखण्ड भी दूसरों के अधिकार में चले गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके मामले में भी स्वामित्व अधिकार बदलने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों में भूखण्ड अनुज्ञप्ति शुल्क आधार पर आवंटित किए गए थे। अनधिकृत दखलकारों को मालिकाना हक प्रदान करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किए अनुसार, लीजहोल्ड भूखण्डों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा स्कीम की घोषणा के पश्चात् रोहिणी आवासीय स्कीम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई० डब्ल्यू० एस०) के भूखण्डों के साधारण मुख्तारनामाधारकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कुछ भूखण्डों के बारे में हस्तान्तरण का उल्लेख है।

(घ) और (ङ) मालिकाना हक के परिवर्तन का निर्णय लीजहोल्ड भूखण्डों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के लिए स्कीम के आधार पर किया जाएगा।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए हरियाणा के लम्बित पड़े विधेयक

3489. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा संविधान सभा द्वारा पारित किए गए उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और ये कब से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि विधेयकों पर, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और राज्यसरकार के साथ परामर्श करके, कारंवाई की जाती है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कारंवाई कब तक पूरी हो जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	प्राप्ति की तारीख	विधेयक विधेयक का नाम	टिप्पणी
1.	22-4-1987	भारतीय बिजली (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1987	राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है।
2	9-5-1988	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988	राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ा है।
3.	9-5-1988	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988	राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ा है।
4.	17-4-1989	भारतीय बिजली (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ा है।
5.	3-5-1989	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ा है।
6.	14-1-1992	हरियाणा नशरों का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 1991	राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है।

तेल कंपनियों द्वारा नई, कम लागत वाली परियोजनायें आरंभ करना

3490. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल कंपनियों द्वारा 1991-92 के दौरान शुरू की गई कम लागत वाली परियोजनाओं के कम्पनीवार नाम क्या हैं, तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) 1991-92 के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा पूरी की गई कम लागत वाली नई परियोजनाएं के कम्पनीवार नाम, लागत तथा प्रत्येक कंपनी की क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान कम लागत वाली नई परियोजनायें शुरू करने के लिए रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कोई भी परियोजना निम्न लागत परियोजना के रूप में वर्गीकृत नहीं है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

3491. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को मंजूर करते समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उनके क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल रोजगार के सृजन पर जोर देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है/उठाने का विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकीय आर्थिक सक्षमता की स्थापना के लिए परियोजना का मूल्यांकन करते समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऐसी परियोजनाओं को रोजगार-सृजन की क्षमता पर भी विचार करती है। यह जानकारी सहकारी समितियों/राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों में भी शामिल की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक

[हिन्दी]

3492. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में अवैध रूप से पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् : तथापि हमारे पास यह सूचना नहीं है कि पाकिस्तानी नागरिक जो अवैध रूप से दिल्ली में ठहरे हैं, वे विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में रह रहे हैं।

(ख) पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश करने, ठहरने और वापसी को नियमित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है जब और जहां किसी पाकिस्तानी नागरिक के भारत में निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने, अवैध रूप से रहने का पता लगता है तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन उस पर मुकदमा चलाने अथवा उसे स्वदेश वापस भेजने की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की शक्तियां राज्य सरकारों आदि के पास मौजूद हैं।

नकदी फसलें

3493. श्री काशीराम राणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में नकदी फसलों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस राज्य को कितनी सहायता दी गई; और

(ग) गुजरात में नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान गुजरात में प्रमुख नकदी फसलों अर्थात् तिलहन का 18.11 लाख मीटरी टन गन्ने का 96.20 लाख मीटरी टन और कपास की 11.19 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठें) तथा तम्बाकू का 1.58 लाख मीटरी टन का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) गुजरात को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत 658.75 लाख रुपये और गहन कपास विकास कार्यक्रम के लिए 18.66 लाख रुपये की सहायता दी गयी है।

(ग) नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के राज्य सरकार के प्रयासों का पूरा करवाने के लिए राज्य में कई केन्द्र क्षेत्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ बीज, खरपतवारनाशी/शाकनाशियों, पौध रक्षण रसायनों, वनस्पति रक्षक उपकरणों, उन्नत फार्म उपस्करों आदि को राजसहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध कराना शामिल है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया आवासों और दुकानों का जाली आवंटन

3494. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 और 1992 में अब तक के दौरान सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए आवासों और दुकानों के जाली आवंटन के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं, और

(ग) इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1-1-91 से 24-7-92 तक की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग को मकानों के जाली

आवंटन के आरोप की दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

असम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम से ऋण

[अनुवाद]

3495. **श्री प्रबीन डेका** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उसके पास कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इनका कब तक निपटान कर दिया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आज की तिथि के अनुसार निगम के पास 19 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(ग) 19 आवेदन पत्रों में से केवल 16 आवेदन पत्र 7-7-92 को प्राप्त हुए थे और इन पर कार्रवाई की जा रही है। 3 आवेदन पत्र अपूर्ण थे तथा और विवरण मांगा गया था। इन आवेदन पत्रों में से दो के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है तथा अन्तिम निर्णय के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। शेष एक के सम्बन्ध में असम निगम से अभी भी विस्तृत विवरण प्रतीक्षित है।

गुजरात में तेल की खोज

3496. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गैस और तेल का उत्पादन कितने स्थानों में होता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन स्थानो में तेल का कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गुजरात में तेल की खोज के इन कार्यों पर तेल उत्पादन लागत और लाभ का अनुपात क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान खोज में मिले तेल से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कितना वास्तविक लाभ हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अहमदाबाद, मेहसाना, अंकलेश्वर, कैम्बे और बड़ौदा के क्षेत्रों में 52 स्थान आते हैं।

(ख) तेल उत्पादन निम्नवत् हैं—

आंकड़े मि० मी० टन में

शहरों के नाम	1999-90	1990-91	1991-92
अहमदाबाद	1.600	1.450	1.346
मेहसाना	2.640	2.720	2.515
अंकलेश्वर	1.992	2.155	2.137
कोम्बे	0.029	0.032	0.036
*बड़ौदा	0.054	—	—
जोड़	6.315	6.357	6.034

*मई 1990 से बड़ौदा उत्पादन अंकलेश्वर परियोजना में दिखाया जाता है क्योंकि बड़ौदा अधिष्ठापनों को अंकलेश्वर परियोजना के तहत रखा गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए परिवहन लागत और सांविधिक वसूलियों सहित लागत इस प्रकार है—

क्रूड तेल	2200 रुपये/टन
प्राकृतिक गैस	1644 रुपए/1000 एम^3

लाभ अनुपात निम्नवत् है—

क्रूड तेल	4.44%
प्राकृतिक गैस	17.95%

(घ) वर्ष 1991-92 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस से अर्जित शुद्ध आय 102.25 करोड़ रुपए (एल० पी० जी० और वैक्स सहित) है।

सहकारिता के आधार पर समुद्री मत्स्यन

3497. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारिता के आधार पर समुद्र मत्स्यन को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में सहकारी संस्थाएं गठित की गयी हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार इन समुद्री सहकारी संस्थाओं को केन्द्र सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सामुद्रिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए निर्मुक्त सहायता का राज्यवार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	1989-90	1999-91	1991-92
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.77	0.12	140.43
2.	गुजरात	123.47	155.31	45.15
3.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
4.	केरल	0.00	526.00	1068.00
5.	महाराष्ट्र	219.50	284.18	161.91
6.	उडीसा	7.95	8.40	29.50
7.	तमिलनाडु	4.96	4.60	16.13
8.	पश्चिम बंगाल	162.41	152.87	306.98
9.	दमन एवं दिव	0.00	2.59	7.75
	योग	573.06	1133.97	1775.85

बलात् धर्म परिवर्तन

[हिन्दी]

3498. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कश्मीर की जेलों में हिन्दुओं के बलात् धर्म परिवर्तन के मामले प्रकाश में आये हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) कश्मीर में जैलों में हिन्दुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी आवास के लाइसेंस में शुल्क वृद्धि

[अनुवाद]

3499. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मकानों के लाइसेंस शुल्क में हर तीन वर्ष के पश्चात् लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) वर्ष 1987 से अब तक श्रेणी-वार/कालोनीवार/वर्षवार कितने सरकारी मकानों का निर्माण किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी वास के लाइसेंस शुल्क में संशोधन, परिवर्धन/परिवर्तन तथा नये मकानों के निर्माण के कारण वर्तमान सरकारी सम्पत्ति के पूंजी लागत में वृद्धि के आधार पर किया गया है।

(ग) 1987 से टाइप/इलाके/वर्षवार निर्मित क्वार्टरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1987 से टाइपवार/इलाकेवार/वर्षवार निर्मित क्वार्टरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	इलाका	टाइप-वार विवरण						होस्टल	योग
		I	II	III	IV	IV(दि)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87-88	कलकत्ता	—	—	336	—	—	—	—	336
	अगरतला	28	12	16	—	—	—	—	56
	शिलांग	4	8	4	—	—	—	—	16
	कोहिमा	8	16	—	—	—	—	—	24
	इम्फाल	4	16	16	—	—	—	—	36
	मद्रास	—	—	54	48	—	32	50	184
	हैदराबाद	—	—	64	32	—	36	—	132
	दिल्ली	98	454	205	—	—	18	18	773
		142	506	695	80	—	86	68	1577
88-89									
	दिल्ली	28	62	230	—	128	24	184	666
	चण्डीगढ़	45	68	52	—	—	—	—	165
	शिमला	16	16	—	—	—	—	—	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मद्रास	48	120	112	—	—	—	30	310
	हैदराबाद	—	32	—	—	—	—	—	32
	लखनऊ	56	56	80	32	—	—	—	224
		193	354	474	32	158	23	214	1417
89-90									
	दिल्ली	—	274	300	—	—	—	—	574
	कानपुर	121	145	54	30	—	4	—	354
	इलाहाबाद	—	—	—	—	—	3	—	3
	हैदराबाद	—	—	—	—	—	—	32	32
	बंगलौर	—	—	—	—	—	—	30	30
	शिलांग	—	—	—	4	—	—	—	4
	कोहिमा	—	—	40	—	—	—	—	40
	मद्रास	90	210	60	—	—	—	40	400
	इन्दौर	42	84	—	6	—	—	—	132
	कानपूर	56	—	—	32	—	24	—	112
		389	716	454	72	—	31	102	1681
90-91									
	बंगलौर	—	64	70	42	—	8	—	184
	मद्रास	—	54	102	—	—	—	—	156
	कोचीन	32	48	—	24	—	4	—	108
	कलकत्ता	288	112	88	—	—	—	—	488
	नागपुर	—	72	80	—	—	—	—	152
	शिलांग	—	—	—	4	—	—	—	4
	इम्फाल	—	16	—	—	—	—	—	16
		320	366	340	70	—	12	—	1108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-92									
	दिल्ली	—	—	—	—	256	21	—	277
	कलकत्ता	—	160	—	48	—	—	—	208
	अगरतला	—	—	6	—	—	—	—	6
	चण्डीगढ़	90	152	—	—	—	—	—	242
	कोचीन	—	16	16	—	—	—	—	32
	इन्दौर	—	—	—	6	—	—	—	6
	कानपुर	—	—	—	6	—	4	—	10
	शिमला	—	—	—	24	—	4	—	28
		90	328	22	84	256	29	—	809

पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्यों को सहायता

[हिन्दी]

3500. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यों में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य-वार आवंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुलिस बल का आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी और गत वर्ष की तुलना में उसमें कितनी वृद्धि की गयी है और यह धनराशि राज्य सरकारों को कब तक आवंटित कर दी जायेगी;

(ग) पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने का अभियान केन्द्रीय सरकार द्वारा कब चलाया गया था और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) यह सहायता अनुदान और ऋण के किस अनुपात में विभाजित की जाती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ङ) राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत, भारत सरकार राज्य पुलिस की कार्य दक्षता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती आ रही है तथा उनके प्रयासों को और बढ़ा रही है। इस योजना के अधीन, राज्य सरकारों को राहत स्वरूप अनुदान और ऋण (50:50 के अनुपात में) दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान, राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत विभिन्न राज्यों को 20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

विभिन्न राज्य सरकारों के आवंटन के लिए 30 करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। राज्य की जनसंख्या, पुलिस की संख्या, थानों की संख्या और राज्य में अपराध की स्थिति को ध्यान में रखकर राज्यों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निधि जारी की जाती है। राज्यों से मिली सूचना से पता चलता है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस की गतिशीलता, थाना स्तर तक संचार व्यवस्था, और प्रशिक्षण ढांचे को बढ़ाने में योजना लाभदायक सिद्ध हुई है।

अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती

[अनुवाद]

3501. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान प्रस्तावित "रैपिड एक्शन फोर्स" सहित विभिन्न केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए बल वार कुल कितने जवानों की भर्ती की गई; और

(ख) 1992-93 के दौरान बलवार अनुमानतः कितनी भर्ती की जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

सी०सु०ब०	के०रि०पु०ब० (त्वरित कार्रवाई बल सहित)	के०औ०सु०ब०	भा०ति०सी०पु०	असम राइफल	जोड़
2385	22369	4713	1063	1796	32326

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

सी०सु०ब०	के०रि०पु०ब० (त्वरित कार्रवाई बल सहित)	के०औ०सु०ब०	भा०ति०सी०पु०	असम राइफल	जोड़
1611	4000	4700	602	1827	12740

कृषि उत्पाद

3502. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा "कृषि उत्पाद" की श्रेणी में रखा है; और

(ख) यह वर्गीकरण किन मार्ग-निर्देशों के आधार पर किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अधिनियम 1962 के अन्तर्गत "कृषि उत्पाद" की श्रेणी में रखे गये जिन्सों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) खाद्य तिलहन

(2) पशुचारा, जिनमें खली और अन्य सान्द्र भी शामिल हैं

(3) कच्ची कपास चाहे वह ओटाई हुई हो या बिना ओटाई हो, तथा बिनौला

(4) कच्चा पटसन; और

(5) वनस्पति तेल।

इसके लिए पृथक से कोई मार्गनिर्देशन जारी नहीं किये गये हैं।

खाद्य प्रसंकरण उद्योग

3503. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों और इस समय कार्य कर रही कम्पनियों द्वारा शुरू किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू किए गए; और

(ग) 1992-93 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी सेक्टर के दो उपक्रम हैं अर्थात् माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि० (एम० एफ० आई० एल०) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि० (नेरामक) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमि० के 19 यूनिट हैं जिनकी कुल लागत 2613.00 लाख रुपये के लगभग है और इनमें से 17 यूनिट कार्यरत हैं। नेरामक के अधीन यूनिट की लागत 357.55 लाख रुपये है और यह कार्यरत है।

(ख) यद्यपि ये दोनों उपक्रम घाटे में चल रहे हैं परन्तु माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमि० सुधार दिखा रही है और शीघ्र लाभ लेने लगी है।

(ग) 1993 के दौरान माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लि० की कार्यान्वयनाधीन परियोजनायें निम्नलिखित हैं :

1. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अन्य उत्पादन सुविधाओं का कार्यान्वियन और संस्थापन।

2. रोलर आटा मिल, फरीदाबाद (हरियाणा) की कार्यविधि में विस्तार/विविधीकरण।

3. उदयपुर-राजस्थान, बदायूं-उत्तर-प्रदेश, और भागलपुर-बिहार में पोषाहार उत्पादन सुविधाओं की स्थापना।

नेरामक का असम मे एक लघु फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु कार्यवाही शुरू करने और नेरामक के सामान्य ब्रांड नाम के अन्तर्गत पैकेजिंग सामग्री हेतु बफर स्टाक का सृजन करने, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के विपणन की स्थापना जैसे अपने विद्यमान कार्यकलापों में विविधीकरण करने का भी प्रस्ताव है।

उड़ीसा में मत्स्य बन्दरगाह

3504. **श्री के० प्रधानी :**

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने मत्स्य बन्दरगाह हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा के विद्यमान मत्स्य बन्दरगाहों का दर्जा बढ़ाने तथा नए मत्स्य बन्दरगाह स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये बन्दरगाह कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उड़ीसा में चांदीपुर, चूड़ामणि चूड़ामणि एस्टेट, बालूगांव, कालूपडाघाट, सबेलिया, पथेरा, नैरी और बहाबलपुर में नौ मात्स्यिकी बन्दरगाहों का निर्माण किया गया है।

(ख) जी, हां। छोटे बन्दरगाहों और मत्स्यावतरण केन्द्रों पर मात्स्यिकी बन्दरगाह सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन केन्द्रीय शेयर के रूप में एक वर्तमान एवं छः नए बन्दरगाहों के निर्माण की लागत का 50% देने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना	स्वीकृत		निर्मुक्त		पूरा होने की संभावित तिथि
	तिथि	राशि (लाख रुपये में)	तिथि	राशि (लाख रुपये में)	
I. वर्तमान बन्दरगाहों का उन्नयन					
नैरी	मार्च 92	6.00	मार्च 92	2.00	मार्च 1994
II. निर्माणाधीन नए बन्दरगाह					
धन्द्रबाधा	अप्रैल "88	8.32	जून "88	1.00	मार्च 1994
पंचूबिसा	मार्च "92	32.68	अक्टू "91 फर० "92	5.00 5.00	मार्च 1993
कासाबांस	मार्च "92	46.40	मार्च "92	20.00	मार्च 1994

1	2	3	4	5	6
सोरान	मार्च "92	9.97	मार्च "92	3.98	मार्च 1994
रूसीकुल्या	मार्च "92	9.40	मार्च "92	4.70	मार्च 1994
पालूर	मार्च "92	17.00	मार्च "92	8.50	मार्च 1994

इसके अतिरिक्त, तालूचा (84.94 लाख) तांतियापाल (99.88 लाख), खारनासी (99.33 लाख) और जम्बू (98.40 लाख) में चार मात्स्यिकी बन्दरगाहों के निर्माण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल० पी० जी० एजेंसियों का आबंटन

3505. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भूतपूर्व सैनिक द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल० पी० जी० एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और एल० पी० जी० एजेंसियां भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकृत की गयीं;

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास भूतपूर्व सैनिकों को इन बिक्री केन्द्रों/एजेंसियों के आबंटन सम्बन्धी कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने बिक्री केन्द्रों/एजेंसियों का आबंटन भूतपूर्व सैनिकों को किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार रक्षा श्रेणी के अन्तर्गत 154 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें तथा 229 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थीं।

(ख) शून्य।

(ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) अनुमोदित विपणन योजनाओं में कुल एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों का $7\frac{1}{2}\%$ रक्षा श्रेणी के लिए आरक्षित है।

दिल्ली में जाली प्रमाण पत्रों की बिक्री

[हिन्दी]

3506. श्री एन० जे० राठवा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने 1991 के दौरान और 1992 में अब तक जाली डिग्रियां, प्रमाणपत्र और डिप्लोमा बेचे जाने के कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक मामले का पता लगाया गया है।

(ख) एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

(ग) थाना पहाड़गंज में अभियुक्त के खिलाफ भा० द० सं० की धारा 420/468/471 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

(घ) सहायक पुलिस आयुक्तों/थाना प्रभारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों और गश्त लगाने वाला कांस्टेबलों को इस बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ तुरन्त कारंवाई करने के बारे में समझाया गया है।

खाद्यान्न उत्पादन

[अनुवाद]

3507. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान नवीनतम अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों का कितना उत्पादन कितना हुआ;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान अन्य प्रमुख कृषि उत्पादों का नवीनतम अनुमानित उत्पादन कितना रहा;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में राज्यवार तथा उत्पादवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और क्या उपलब्धियां रही;

(घ) किन-किन राज्यों में वृद्धि दर कम अथवा राष्ट्रीय औसत से कम थी;

(ङ) किन-किन उत्पादों की वृद्धि दर कम अथवा राष्ट्रीय स्तर से कम थी; और

(च) वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे राज्यों में तथा ऐसे उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1991-92 के लिए खाद्यान्न, तिलहन और अन्य प्रमुख नकदी फसलों के उत्पादन के अग्रिम प्राक्कलन नीचे दिए गए हैं :

	(मिलियन टन में)
खाद्यान्न	169.0 से 170.5
कुल नौ तिलहन	18.8
कपास (प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की मिलियन गांठें)	9.8
जूट तथा मेस्ता (प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की मिलियन गांठें)	10.1
गन्ना	244.8

(ग) 1991-92 के लिए उत्पादन में वृद्धि की दर का लक्ष्य खाद्यान्न फसलों के लिए 3.4% और गैर-खाद्यान्न फसलों के लिए 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। वृद्धि-दर का लक्ष्य चावल के 3.5 प्रतिशत, गेहूं के लिए 3.0 प्रतिशत, मोटे अनाजों के लिए 2.5 प्रतिशत और दलहनों के 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। समग्र रूप से वृद्धि को हासिल करने के लिए राज्यों के कार्यनिष्पादन और उनकी कार्य-क्षमता पर विचार करते हुए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य तदनुसार निर्धारित किया जाता है।

(घ) 1991-92 के दौरान जिन राज्यों में नकारात्मक वृद्धि हुई है, वे हैं—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

(ङ) खरीफ चावल, अनाज, दालों, खरीफ मूंगफली, अरण्डी के बीज, तिल, कुसुम और सोयाबीन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 1991-92 के दौरान कमी आई है। 1991-92 के दौरान रबी/ग्रीष्म चावल, रबी, मूंगफली, तोरिया और सरसों, सूरजमुखी, जूट एवं मेस्ता तथा गन्ने का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है।

(च) सरकार फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं : चावल विकास का एकीकृत कार्यक्रम; गेहूं, दाल, मक्का एवं कदन्न के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत कपास विकास जूट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आने वाले लोग

3508. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ और राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कितने मारे गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान मई, 92 तक कच्छ और राजस्थान सीमा पर 421 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 7 व्यक्ति मारे गए।

(ग) राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर कुछ संवेदनशील और सामरिक महत्व के स्थानों पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सीमा पार से अवैध प्रवेश को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा संगठनों को आवश्यक उपकरण और साधन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विजयपुर से दिल्ली तक गैस पाइपलाइन

3509. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विजयपुर से नई दिल्ली तक गैस पाइपलाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भिलाई अथवा कोरबा या बस्तर, मध्य प्रदेश से पाइपलाइन बिछाने की व्यवहार्यता को अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय में राजभाषा

[हिन्दी]

3510. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में प्रशिक्षण के माध्यम के सम्बन्ध में सरकार के राजभाषा नियमों और आदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० एम० जैकब) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एन० एफ० एस० सी०) नागपुर में प्रशिक्षण माध्यम के सम्बन्ध में राजभाषा नियम और सरकारी आदेश का यथा संभव अनुपालन किया जा रहा है । इस समय, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में अनुदेश दिए जा रहे हैं । सभी बाह्य व्यायाम, प्रदर्शन और उपकरण व्यायाम हिन्दी में कराए जाते हैं ।

सरकारी आवास का कब्जा बनाए रखने हेतु अनुमति देने सम्बन्धी नीति

[अनुवाद]

3511. **श्री मोहन रावले** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में उन भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व सांसदों को सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति देने के लिए क्या नीति है जो उन्हें उस समय आबंटित किए गए थे जब वे केन्द्रीय मन्त्री/संसद सदस्य थे ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : केन्द्रीय मंत्री, पदत्याग करने पर अपने कब्जे वाले निशुल्क सुसज्जित साधारण पूल वास को एक माह के लिए रख सकते हैं, इस

अवधि से अधिक मय तक रहने हेतु उनसे विभागीय प्रभारों सहित मूल नियम 45-ख के तहत किराया अथवा यदि किराया पूलड किया गया है तो मूल नियम 45-क के तहत पूलड् मानक किराया, जो भी अधिक हो, वसूल किया जाता है। संसद सदस्य संसद न बने रहने पर सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर एक माह के लिए वास रख सकते हैं। इसके पश्चात्, इनको वास खाली करने तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की क्षति दर जमा करनी होगी। भूतपूर्व मंत्री/सांसद द्वारा अनधिकृत कब्जे के मामले में, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, .971 के तहत वास कब्जे को खाली कराने लिए कार्रवाई की जाती है।

कर्मचारियों को सरकारी आवासों का आवंटन

3512. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 वर्ष से अधिक समय से नौकरी कर रहे बहुत से सरकारी कर्मचारियों को अभी तक आवास आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) साधारण पूल में उपलब्ध मकानों की संख्या, सरकारी आवास मांगने वाले सरकार के कर्मचारियों की संख्या, से बहुत कम है।

(ग) बजट प्रावधानों की उपलब्धता पर, और अधिक रिहायशी एककों का निर्माण समय-समय पर किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के विभिन्न शहरों में लगभग 9850 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

गुजरात में आतंकवाद और तस्करी की गतिविधियां

3513. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेषतौर पर कच्छ और डांग के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद और तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) गुजरात में आतंकवादी गतिविधियों की कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। घुसपैठ, तस्करी आदि को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा संगठनों को आवश्यक उपकरण तथा साज-सामान उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

तेल क्षेत्रों की खोज

4514. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए कितने नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों की भांति भारतीय कम्पनियों को वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लि० के साथ संयुक्त अभियान विकास के लिए लगभग पांच तेल/गैस क्षेत्र निजी कम्पनियों को दिए जाने की आशा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान इन क्षेत्रों से 8 मिलियन टन तेल का उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त उत्पादन भागीदारी करार के अधीन 28 छोटे आकार वाले तेल/गैस क्षेत्रों को भी निजी कंपनियों को दिए जाने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में लगभग 11.5 मिलियन टन तेल और 5 बिलियन घन मीटर गैस के वसूली योग्य भंडार होने का अनुमान है। मोटे तौर पर विदेशी कंपनियों की समान शर्तों पर ही भारतीय कंपनियां इस प्रस्ताव में भाग लेने के योग्य होंगी।

दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमणाधीन भूमि

3515. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमणाधीन भूमि के सन्दर्भ में 19 अगस्त 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सम्पदा निदेशालय ने उन दुकानदारों, जिनके बारे में के० लो० नि० वि० ने सूचना दी है, जिन्होंने अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण किए हैं, को नोटिस जारी किए हैं। तथापि, अधिकांश दुकानदारों ने किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण करने से इन्कार किया है। इसलिए के० लो० नि० वि० से दुबारा निरीक्षण करने और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

जहां तक तहबाजारी धारकों द्वारा अतिक्रमण का सम्बन्ध है सरोजनी नगर मार्किट में अतिक्रमण होने की कोई सूचना नहीं है। आई० एन० ए० मार्किट में अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है, और इन्दिरा मार्किट, आर० के० पुरम में तहबाजारी धारकों द्वारा उनको आवंटित की गई भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण की सूचना है। इन मामलों में दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई विशेष कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है।

दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण

3516. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मन्त्री दक्षिण दिल्ली अतिक्रमण के बारे में 15 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न 123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध उत्तर में उल्लिखित अतिक्रमण को इस बीच हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण किए थे। तथापि, अधिकांश दुकानदारों ने किसी अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण न होने की सूचना दी है । अतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को एक और निरीक्षण करने तथा अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है ।

एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग

3518. **श्री अमल दत्त :**

श्री निर्मल कांति चटर्जी :

श्री सुशांत चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों की त्वरित खोज और विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण के सम्बन्ध में 26 मई, 1992 के "पाइनियर" में "बोनान्जा फार फोरेन फर्मस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में उपलब्ध संसाधनों की खोज और विकास कार्य को तेज करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस कार्य का ठेका दिया गया है; और

(घ) उक्त ऋण का किस ढंग से उपयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इन ऋणों से भारत सरकार को भुगतान संतुलन सम्बन्धी समर्थन प्राप्त होगा । इस ऋण के अधीन कोई विशिष्ट ठेका नहीं दिया जाता है क्योंकि यह ऋण हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नीति-प्रोत्साहन के कार्यक्रमों के लिए है जिसकी डिजाइन देश में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन को गति देने के लिए तैयार की जाती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ

3519. **डा० आर० मल्लू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को यथाशीघ्र यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) दिल्ली, नई दिल्ली में रहने वाले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन उन्हें नर्सिंग होम की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। नई दिल्ली/दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में भा० कृ० अनु० परिषद ने अपने कुछ संस्थानों में औषधालय (डिस्पेन्सरी) खोली है और भा० कृ० अनु० परिषद के कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसे औषधालयों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992

3520. **श्री रवि राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डेरी किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) (क) जी, हां।

(ख) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण दी गई हैं।

(ग) सरकार ने इस आदेश के सामान्य कार्यान्वयन के लिए नियंत्रक की नियुक्ति कर ली है। नियंत्रक ने विशिष्ट क्षेत्राधिकार के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को भी नियुक्त कर ली है। ये दोनों प्राधिकारी, इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल करेंगे।

विवरण

इस आदेश में, सचिव, पशुपालन तथा डेयरी विभाग की अध्यक्षता में एक दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड के गठन की व्यवस्था है जिसमें उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी-विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अतिरिक्त सहकारी डेरी क्षेत्र के दो प्रतिनिधि तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद के कार्य से जुड़े निजी क्षेत्र के दो प्रतिनिधि भी इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यह बोर्ड दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद के उत्पादन, विनिर्माण, बिक्री, खरीद तथा वितरण के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देगा।

2. इस आदेश के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण या व्यापार तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 90 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता। केवल वही व्यक्ति पंजीकरण प्राप्त कर सकेंगे जिनके पास 10,000 लीटर प्रतिदिन से अधिक दुग्ध के सम्भाल या प्रतिवर्ष 500 मीटरी टन से अधिक दुग्ध ठोस पदार्थ वाले दुग्ध उत्पाद की स्थापित क्षमता हो। प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक, पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट मिल्क शैड से दुग्ध एकत्र या अधिप्राप्त करेगा।

3. यह आदेश डेरी संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर की सफाई आवश्यकताओं तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का अपनाया जाना भी सुनिश्चित करता है। अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी यह आदेश 9 जून, 1992 के प्रभावी हुआ।

राजस्थान सीमा पर कंटीले तार लगाना

3521. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए कंटीले तार लगाने का कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान सीमा के संवेदनशील हिस्सों में कांटेदार तारों वाली बाड़ लगाने का काम प्रारम्भ किया है। सुरक्षा के नियमों तथा साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस काम को कई चरणों में किए जाने की योजना है। निश्चित किए गए सभी हिस्सों में यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिए जाने की आशा है।

न्यू पैटर्न (हुडको) स्कीम, 1979 के पंजीकृत लोगों को भूखण्ड देने का प्रस्ताव

3522. **डा० वसन्त पवार** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार न्यू पैटर्न (हुडको) स्कीम, 1979 के पंजीकृत लोगों को भूखण्ड देने का है, क्योंकि प्राधिकरण निर्मित फ्लैट देने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भूखण्ड आबंटन के लिए कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पंजीकृत लोगों के फ्लैट पाने हेतु 13 वर्ष के धैर्यपूर्वक इन्तजार को देखते हुए ये भूखंड रियायती दरों पर आबंटित करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के सम्बन्ध में जांच

3523. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत में हुई मौतों की घटनाओं के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) दोषी पाये गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में सम्बन्धित एस० डी० एम० द्वारा जांच कराई गई है। तथापि, 17-3-91 को पुलिस स्टेशन गोकुलपुरी में श्रीमती रायसिना की मौत से सम्बन्धित एक मामला दर्ज किया गया।

(ख) और (ग) मामलों के ब्यौरे उनका निष्कर्ष तथा दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	मृतक का नाम	मृत्यु की तारीख	थाने का नाम	मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष	पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1989	(1) श्री विजय कुमार	19-3-89	सीलमपुर	एस० डी० एम०/शाहदरा का विचार था कि श्री कुमार की मृत्यु के पीछे कोई जालसाजी नहीं की गई थी।	एक पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर उसकी निन्दा की गई।
	(2) श्री अनन्त राउत्रा	8-9-89	सुल्तानपुरी	एस० डी० एम०/पंजाबी बाग का विचार था कि पुलिस द्वारा श्री राउत्रा की कोई पिटाई नहीं की गई।	दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया।
	(3) श्री ओम प्रकाश	19-10-89	गीता कालोनी	जांच करने का काम चल रहा है।	एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया।
1990	(1) श्री जोगिन्द्र पाल गुप्ता	22-8-90	माडल टाउन	एस० डी० एम० का विचार था कि मौत दिल की एक बीमारी के कारण हुई।	तीन पुलिस अधिकारियों का डिस्ट्रिक्ट लाईन में स्थानान्तरित कर दिया गया।
	(2) श्री शम्मू खान	5-6-90	सीलमपुर	एस० डी० एम० का विचार था कि पुलिस हिरासत के दौरान शम्मू खान	एक सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ भा० दं० सं० की धारा

1	2	3	4	5	6
				की पिटाई किए जाने के कारण मौत हुई।	304/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया, जिसे निलम्बित कर दिया गया।
1991	(1) श्री राणा सिंह	11-1-91	शाहदरा	एस० डी० एम०/शाहदरा ने पुलिस द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किया जाना नहीं पाया।	—
	(2) श्री राम स्वरूप	2-2-91	आर० के० पुरम	एस० डी० एम० का विचार था कि शारीरिक हमला किए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। तथापि, उन्होंने पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही का बरतना पाया।	दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
	(3) श्रीमती रायसीना	17-3-91	गोकलपुरी	कोई जांच नहीं की गई।	पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भा० दं० सं० की धारा 302/201/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में भेज दिया गया है।
	(4) श्री जय राम	19-8-91	पटेल नगर	एस० डी० एम० का विचार था कि मृतक को पुलिस अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पीटा गया।	चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भा० दं० सं०

1	2	3	4	5	6
					की धारा 302/342/34 के अधीन एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
	(5) श्री जगन्नाथ	10-5-01	लाहौरी गेट	एस० डी० एम० द्वारा पुलिस को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।	एक पुलिस अधिकारी को निलम्बन आधीन रखा गया तथा उसके खिलाफ भा० दं० सं० की धारा 304/330/348/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया।
	(6) श्री राजेश	7-9-91	सुल्तानपुरी	एस० डी० एम० द्वारा पुलिस को मृत्यु के लिए सीधा जिम्मेवार नहीं ठहराया गया।	दो सहायक उप-निरीक्षकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने पर निलम्बित किया गया।
	(7) श्री मुकेश	28-11-91	कमला मार्किट	जांच की जा रही है।	—
1992 (30-6-92 तक)	(1) श्री रतन सिंह बिष्ट	10/11-1-92	हौज खास	एस० डी० एम० का विचार था कि आत्महत्या के कारण मौत हुई तथा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया।	—
	(2) श्री दर्शन लाल	17-3-92	वैलकम	जांच का काम जारी है।	दो पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। थाना वैलकम में भा० दं० सं० की धारा 342/323/34 के अधीन 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

बिक्री कर की चोरी

3524. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च ने हाल ही में कराये गए सर्वेक्षण के परिणाम दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग को सौंप दिए हैं जिसके अनुसार राजधानी में व्यापारियों द्वारा केवल पांच मदों पर 1,000 करोड़ रुपये के बिक्री कर की चोरी है;

(ख) यदि हां, तो वे पांच मदें कौन-कौन सी हैं;

(ग) सरकारी राजकोष के साथ इतने बड़े पैमाने पर चोरी और हेरा-फेरी किस प्रकार की गई है;

(घ) विद्यमान बिक्री कर ढांचे में कौन-कौन सी मुख्य कमियां हैं तथा उन्हें ठीक करने तथा कानून को दोषरहित बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) दोषी व्यापारियों से इतनी बड़ी राशि को किस प्रकार से वसूल कर करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) दिल्ली प्रशासन के बिक्रीकर विभाग द्वारा दिल्ली में बिक्रीकर राजस्व में कमी का आकलन" विषय पर एक अध्ययन के लिए नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एन० सी० ए० ई० आर०) को प्राधिकृत किया था। एन० सी० ए० ई० आर० ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट बिक्रीकर विभाग को सौंप दी है जिसमें वर्ष 1989-90 के लिए पांच उपयोगी वस्तुओं के सम्बन्ध में एक निश्चित अवधारणा के अनुसार बिक्रीकर में चोरी का अनुमान 139 करोड़ रुपए से लेकर दूसरी अवधारणाओं के अनुसार 1711 करोड़ रुपए तक है, वर्ष 1990-91 के लिए उन्हीं पांच वस्तुओं के बारे में यह अनुमान 144 करोड़ रुपए से लेकर 1775 करोड़ तक है।

(ख) सूखे, मेवे, दीवाल घड़ियां और कलाई घड़ियां, बिजली का सामान, दवाईयों, और औषधियां और लोहा इस्पात।

(ग) बिक्री और खरीद के आंकड़े छुपाना, किसी इकाई का बिक्रीकर विभाग में पंजीकरण न करवाना, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का व्यापार करने वाले "अधिकृत खरीद व्यापारियों को स्वीकृत की गई छूट का गलत प्रयोग करना तथा जाली व्यापारियों के नाम दिखाना।

(घ) कर मुक्त खरीद की सुविधा का गलत प्रयोग, पड़ौसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में कर भिन्न दरें और कर छट प्राप्त वस्तुओं की संख्या और प्रकृति में भिन्नता, वर्तमान बिक्रीकर संरचना की प्रमुख कमियां हैं। दिल्ली में बिक्रीकर की दरों को युक्तिपूर्ण बनाए जाने के मामले को दिल्ली प्रशासन समझ रहा है।

(ङ) इन कदमों में अब तक पंजीकृत न किए गए व्यापारियों को पंजीकृत करना, वैधानिक फार्मों के गलत प्रयोग को रोकना, ऐसे फार्मों को गलत ढंग से प्रयोग किया हुआ पाए जाने पर निरस्त करना, व्यापारियों का सर्वेक्षण/उन पर छापा डालना, बिक्रीकर अधिशेष की वसूली करने के लिए व्यापारियों का अद्यतन कर निर्धारण, बिक्री कर के बकाए दारों की पहचान करना और जाली व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को निरस्त करना शामिल है।

भारत पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना

3525. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत-पाक सीमा पर और 91 कि० मी० भाग पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में, पंजाब में 77.3 किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र में और राजस्थान में 119.2 किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र में बाड़ लगाने के कार्य को स्वीकृत दी है ।

हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन

3526. श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन की स्वीकृति के समय तथा अनुप्रवाहगामी सुविधाओं सहित इसे अन्ततः शुरू करते समय इसकी लागत कितनी-कितनी थी;

(ख) इस पाइपलाइन की चरणबद्ध स्वीकृति क्षमता कितनी थी तथा वास्तविक क्षमता की तुलना में इस क्षमता का, इस लाइन की शुरूआत से वर्षवार कितना उपयोग हुआ; और

(ग) क्या अनुप्रवाहगामी सुविधाओं को इस लाइन की उपयोगिता हेतु इसके साथ चलने देने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1700.17 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के मुकाबले एच० बी० जे० पाइपलाइन परियोजना अन्ततः 1748.06 करोड़ रुपए की लागत पर पूरी हुई ।

(ख) एच० बी० जे० पाइपलाइन की डिजाइन की गयी क्षमता 18.2 एम० एम० एस० सी० एम० डी० है । वर्षवार औसत उपयोग निम्नलिखित है :—

वर्ष	एम०एम०एस०सी०एम०डी०
1987-88	0.67
1988-89	3.62
1989-90	7.20
1990-91	8.84
1991-92	10.74

(ग) एच० बी० जे० पाइपलाइन से उपलब्ध सकल गैस की वचनबद्धता पहले ही विभिन्न डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं को कर दी गई है ।

आकाशवाणी, पटियाला के निदेशक के जीवन को बचाने के लिए किए गए प्रयास

3527. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री दिलीप भाई संघानी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिवंगत श्री० एम० एल० मनचन्दा, आकाशवाणी पाटियाला के स्थानापन्न निदेशक, जिनकी 27 मई, 1992 को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, के जीवन को बचाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये;

(ख) क्या आतंकवादियों ने उनकी रिहाई की कोई शर्त रखी थी;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने आतंकवादियों के साथ इस सम्बन्ध में यदि कोई बातचीत की तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि दिवंगत श्री एम० एल० मनचन्दा, आकाशवाणी पटियाला के स्थानापन्न निदेशक का पता लगाने के लिए किए गये अनेक प्रयासों में गहन तलाशियां लेना तथा छापे मारना शामिल हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) श्री मनचन्दा की सुरक्षित रिहाई के लिए सभी संभव प्रयास किए गए।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय बब्बर खालसा द्वारा जारी किये गये 12 सूत्री मांगें

(i) सुखदेव सिंह सुखा तथा हरजिन्दर सिंह जिन्दा द्वारा भारत के राष्ट्रपति को लिखे गये पत्रों को रेडियो पर तथा टेलीविजन पर 9 बजे अपराह्न पंजाबी भाषा सहित अनेक भाषाओं में प्रसारित किया जाए।

(ii) आकाशवाणी-चंडीगढ़, भटिन्डा तथा पटियाला से प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को केवल पंजाबी भाषा में ही प्रसारित किया जाए।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि जालंधर दूरदर्शन उच्च गुणवत्ता के पंजाबी कार्यक्रम दिखाएगा। खालसाई संस्कृति के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। टेलीविजन पर कुल कार्यक्रमों के केवल 5% कार्यक्रम हिन्दी में दिखाएं जाएं जिनकी पंजाबी स्कालरों की समिति द्वारा जांच की जाये।

(iv) रेडियो स्टेशनों तथा टेलीविजन केन्द्रों पर कार्यरत सभी गैर-पंजाबी कार्मिकों को हटाया जावे। कलाकारों के बारे में भी यही शर्त लागू होगी।

(v) पंजाबी के समाचारों को प्राइम टाइम पर प्रसारित किया जाये और हिन्दी के बुलेटिनों को समाप्त कर दिया जाए।

(vi) समाचार वाचकों तथा दूरदर्शन उद्घोषकों में अधिक संख्या में सिख होने चाहिए।

(vii) पंजाबी के टेलीप्रिंटरों का प्रयोग शुरू किया जाए।

(viii) रेडियो तथा दूरदर्शन को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उग्रवादियों को प्रोपर कवरेज दिया जाना चाहिए।

(ix) "पंजाब ए यात्रा" कार्यक्रम जिसका उद्देश्य उग्रवादियों को बदनाम करना था, को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए माफी मांगी जाए।

(x) पंजाबी बुलेटिनों में उग्रवादी शब्द का प्रयोग बन्द कर दिया जाना चाहिये और इसके स्थान पर पंजाबी शब्द खाड़कू प्रयोग किया जाना चाहिए। आतंकवादी, उग्रवादी, विद्रोही जैसे शब्द का प्रयोग बन्द किया जाये।

(xi) उग्रवादियों के प्रतिनिधियों को दूरदर्शन तथा रेडियो पर उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(xii) प्रत्येक कार्यक्रम अथवा समाचार बुलेटिन को प्रारम्भ करने से पहले इस समय प्रत्येक किए जा रहे "नमस्कार" के स्थान पर "सत श्री अकाल" का प्रयोग किया जाये।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण

3528. **श्री के० वी० तंग्काबालू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर में अनेक आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो माह के दौरान कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मई और जून, 1992 के महीनों में 67 उग्रवादियों ने प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992

3529. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध की खपत तथा प्रतिवर्ष 500 टन दुग्ध उत्पादन बनाने वाले डेयरी एककों को हाल ही में लागू किए गए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के अन्तर्गत सरकार से पंजीकरण कराना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस आदेश के विरुद्ध डेयरी एककों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इन एककों को अगस्त, 1991 में लाइसेंस मुक्त कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992, प्राथमिक रूप से पूरे देश में दुग्ध का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा दुग्ध उत्पाद का विनियमन करता है जिसका उद्देश्य जन साधारण के हित में वांछित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की वर्धित आपूर्ति बनाये रखना है।

(ग) और (घ) 17 जुलाई, 1992 को खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में दुग्ध उत्पाद विनिर्माण इकाइयों को सलाह दी गई है कि ये इस आदेश के कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट कठिनाईयों और समस्याओं को प्रस्तुत करें।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

3530. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तमिलनाडु में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कहां-कहां शुरू की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) नारीमनम, अदियक्कमंगलम्, कमलापुरम, नन्नीलम, उत्तरी मद्रास, रिवारूर, काबिलकलाप्पल, मायावरम, रामनाड तथा अरियालुर क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण। कामोरक्षी, काट्टारकुड्डी, तिरुकादयेर, वेट्टईकाडु, तागात्तूर, तट्टानकोईल, काट्टोमेडु, आट्टीकाडई, नेदुनथोरि, पालानगडी, रोयानाल्लूर, आदबातुर, कानक्कल, कावलाकुड्डी, मनालुर, मनगुडी, नीडामंगलम, अरुमलाई, इनीड, पुन्डी, कुडावासल, पुडूवूर, पेन्नापुर, राजामंगलम, तथा उचिपुलि में अन्वेषणात्मक ड्रीलिंग की गई।

(ख) 32 संरचनाओं में 56 अन्वेषण कुओं की खुदाई की गई और/या जांच की गई जिनमें से 9 को तेल धारक और 4 को गैस धारक होना प्रमाणित किया गया।

पशुधन विकास

3531. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में पशु संख्या की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में चारा बैंक स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्थान में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय प्याज अनुसंधान केन्द्र

3532. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्याज अनुसंधान केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में राष्ट्रीय प्याज अनुसंधान केन्द्र का आधुनिकीकरण/विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, इस समय देश में प्याज के लिए कोई राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कीटनाशकों से जहर फैलना

3533. श्री नवल किशोर राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों से जहर फैलने की राज्य-वार कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ख) सरकार ने इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विगत तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) के दौरान कीटनाशियों के कारण फैले जहर के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) कीटनाशियों के कारण यह जहर फिर फैलने से रोकने के लिए कीटनाशियों के उपयोग में सावधानी बरतना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से जो कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर विषाक्तता प्रभाव के समुचित अध्ययन के बाद ही कीटनाशियों का पंजीकरण करती है।

(2) कीटनाशियों के प्रत्येक डिब्बे पर लगे लेबल और उसके साथ दिए जाने वाले विवरण पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ उनके सुरक्षित उपयोग के निदेश जैसे बरती जाने योग्य सावधानियां, विषाक्तता के लक्षण, प्राथमिक उपचार के उपाय और एन्टीडोट आदि जानकारी भी शामिल की जाती है।

(3) सरकार के विस्तार कार्यकर्ता एवं कीटनाशी उद्योग संगठन कृषकों एवं अन्य उपयोगकर्ताओं को कीटनाशियों के सुरक्षित उपयोग/रखरखाव, सुरक्षात्मक वस्त्रों के उपयोग और कीटनाशियों के उपयोग के दौरान बरती जानी वाली सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण देते हैं।

(4) पंजीकरण समिति ने कीटनाशियों के उपयोग पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं :

अठारह कीटनाशियों का पंजीकरण अस्वीकार कर दिया गया। नौ कीटनाशियों के देश में उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नौ अन्य कीटनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशियों के कारण फैले जहर के मामलों की (राज्यवार) संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	238	311	372 (9/91 तक)
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य (1/92 तक)
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य (9/91 तक)
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य (2/92 तक)
5.	गोवा	शून्य	शून्य	सूचित नहीं किया
6.	गुजरात	शून्य	54	24 (9/91 तक)
7.	हरियाणा	10	189	17 (12/91 तक)
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	सूचित नहीं किया
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य (3/92 तक)
10.	कर्नाटक	शून्य	23	शून्य (12/91 तक)
11.	केरल	1526	748	117 (9/91 तक)
12.	मध्य प्रदेश	105	सूचित नहीं किया	शून्य (2/92 तक)
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य (3/92 तक)
14.	महाराष्ट्र	655	734	961 (9/91 तक)
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य (12/92 तक)
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	सूचित नहीं किया
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य (3/92 तक)
18.	उड़ीसा	17	शून्य	शून्य (12/91 तक)
19.	पंजाब	149	सूचित नहीं किया	70 (12/91 तक)
20.	राजस्थान	शून्य	284	287 (3/92 तक)

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	शून्य	सूचित नहीं किया	शून्य (3/92 तक)
22	तमिलनाडु	7	739	303 (9/91 तक)
23.	त्रिपुरा	शून्य	सूचित नहीं किया	शून्य (12/91 तक)
24.	उत्तर प्रदेश	301	33	5 (3/92 तक)
25.	पश्चिमी बंगाल	सूचित नहीं किया	सूचित नहीं किया	सूचित नहीं किया
26.	अंदमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य (9/91 तक)
27.	चण्डीगढ़	सूचित नहीं किया	सूचित नहीं किया	सूचित नहीं किया
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य (12/91 तक)
29.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	सूचित नहीं किया
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य	सूचित नहीं किया
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य (3/92 तक)
32.	पांडिचेरी	1095	61	सूचित नहीं किया

मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाओ अभियान

[हिन्दी]

3534. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की प्रमुख सड़कों, पैदल पथों और मुख्य बस स्टापों से अतिक्रमण हटाने हेतु अभियान चलाने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अभियान किस तारीख से शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सड़कों, फुटपाथों और बस स्टापों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाना प्रारम्भ किया है। प्रथम चरण में, अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 20 प्रमुख सड़कों और 66 महत्वपूर्ण बस-स्टापों को चुना गया। दूसरे चरण में, दिल्ली के केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्रों की ओर आने वाले यातायात के लिए खुले रास्ते उपलब्ध कराने का विचार है। इसके अलावा रिंग रोड और बाहरी रिंग रोड को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल कर लिया गया है।

भारतीय और विदेशी मछुआरों के बीच झड़पें

[अनुवाद]

3535. श्री विजय एन० पाटील : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मछुआरों और भारत के समुद्री जल क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाले विदेशी जलपोतों के बीच बार-बार होने वाली झड़पों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारत के समुद्री जल-क्षेत्र के अन्दर चलने वाले विदेशी मत्स्य जलपोतों ने इस वर्ष के कितने भारतीय मछुआरों तथा मत्स्य जलपोतों का अपहरण किया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और हमारे मछुआरों को क्या सुरक्षा प्रदान की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन की निगरानी हेतु तट रक्षक प्राधिकारी हैं। उनके अनुसार भारतीय मछुआरों के साथ भारत के समुद्री जल क्षेत्र में चल रहे विदेशी जलपोत से झड़पें हुई, ऐसी किन्हीं घटनाओं की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका से जुड़ी अप्रयोगमूलक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में तटरक्षक जलपोत एवं वायुयान नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

अन्य देशों के साथ लगी सीमाएं

[हिन्दी]

3536. श्री केशरी लाल : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों की सीमाएं अन्य देशों के साथ लगी हैं;

(ख) सेक्टर-वार देश की सीमा कितने किलोमीटर लम्बी है; और

(ग) देश की सीमा के जिस भाग में घुसपैठ सरलता से हो जाती है उसकी सेक्टर-वार लम्बाई कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, पश्चिम-बंगाल की सीमाएं दूसरे देशों के साथ लगती हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा	क्षेत्र	लम्बाई (लगभग)
भारत-अफगानिस्तान	जम्मू व कश्मीर	106 कि०मी०
भारत-बंगलादेश	पश्चिम बंगाल (कुछ भागों का सीमांकन नहीं किया गया)	2216.70 कि०मी०
तदैव	असम	262 कि० मी०
तदैव	मेघालय	443 कि०मी०
तदैव	त्रिपुरा	856 कि०मी०
तदैव	मिजोरम	318 कि०म०
भारत-भूटान	सिक्किम	32 कि०मी०
तदैव	पश्चिम बंगाल	183 कि०मी०
तदैव	असम	267 कि०मी०
तदैव	अरुणाचल प्रदेश	217 कि०मी०
भारत-चीन	जम्मू व कश्मीर	1597 कि०मी०
तदैव	हिमाचल प्रदेश	201 कि०मी०
तदैव	उत्तर प्रदेश	344 कि०मी०
तदैव	सिक्किम	220 कि०मी०
तदैव	अरुणाचल प्रदेश	1126 कि०मी०
भारत-म्यानमार	मिजोरम	510 कि०मी०
तदैव	मणिपुर	398 कि०मी०
तदैव	नागालैंड	215 कि०मी०
तदैव	अरुणाचल प्रदेश	520 कि०मी०
भारत-नेपाल	उत्तर प्रदेश	823 कि०मी०
तदैव	बिहार	729 कि०मी०
तदैव	पश्चिम बंगाल	100 कि०मी०
तदैव	सिक्किम	99 कि०मी०
भारत-पाक	जम्मू व कश्मीर	1225 कि०मी०
तदैव	पंजाब	553 कि०मी०
तदैव	राजस्थान	1037 कि०मी०
तदैव	गुजरात	508 कि०मी०

(ग) बंगलादेश, भूटान, म्यानमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं से आमतौर पर सरलता से घुसपैठ की जा सकती है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए संगठन

[अनुवाद]

3537. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने स्वयंसेवी संगठनों को पंजीकृत किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने संगठनों का पंजीकरण करने से इन्कार किया गया है; और

(ग) ऐसे कितने संगठनों का पंजीकरण विशेष मामले के रूप में किया गया है जिनके बारे में सम्बन्धित एजेंसियों ने समुचित जांच नहीं की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीकृत किए गए तथा पंजीकरण करने से इन्कार किए गए संगठनों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठनों की संख्या	विदेशी अभिदाय (विनियमन) के अधीन पंजीकरण करने से इन्कार किए गए संगठनों की संख्या
1989	320	750
1990	615	676
1991	758	433

(ग) नियमों के अधीन कोई औपचारिक जांच नहीं की जाती। तथापि, सरकार ने पंजीकरण की मंजूरी देने/इन्कार करने के सम्बन्ध में आवेदनों पर विचार करने के लिए मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए हैं।

केरल में ट्रैश मछली परियोजनाएं

3539. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने केरल में कहां-कहां ट्रैश मछली परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता दी है; और

(ख) इन स्थानों पर कम मूल्य की मछली को ऊंचे मूल्य के उत्पादों में बदलने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) निम्नलिखित स्थानों पर ट्रैश मछली परियोजनाओं की स्थापना हेतु पूंजी खर्च पूरा करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान "ट्रैश मछली के उपयोग एवं उसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने हेतु स्कीम" के अन्तर्गत इस मंत्रालय ने केरल सरकार को 45 लाख रुपये की धनराशि दी है :—

1. शक्तिकुलंगारा	—	क्विलान जिला
2. अम्बालापुजा	—	अलेप्पी जिला
3. चवक्कड़	—	त्रिचुर जिला
4. कन्नूर	—	कन्नानौन जिला
5. कोट्टीकुलम	—	कसेरगोड़ जिला

परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुर्गीपालन

3440. मेजर डी० डी० खनोरिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में डेयरी और मुर्गीपालन को बढ़ावा देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश में प्रजनन में सुधार करने, आहार और चारे का उत्पादन बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने और परिसंस्करण तथा विपणन को बेहतर सुविधाएं मुहैया करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

डी० डी० ए० के फ्लैटों/भूखंडों के स्वामित्व अधिकार

[हिन्दी]

3541. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० फ्लैटों/भूखंडों के स्वामित्व अधिकार सम्बन्धी नीति की घोषणा के पश्चात् इन फ्लैटों का स्वामित्व अधिकार पाने हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ख) क्या निर्धारित प्रक्रिया अत्यन्त जटिल और खर्चीली है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में भूखंडों/फ्लैटों के परिवर्तन के लिए 27-7-92 की स्थिति के अनुसार 1250 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन स्कीम के तहत रिलीज की गई विवरणिका विस्तृत और स्वतः स्पष्ट है। विवरणिका में उल्लिखित परिवर्तन प्रभार भारत सरकार के तारीख 14-2-92 के आदेशों के अनुसार हैं।

(ग) और (घ) परिवर्तन स्कीम के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के बारे में कोई सार्थक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए, प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका में कर्मचारियों के वेतनमान

3542. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं शिवशंकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि शिवशंकर समिति की सिफारिशों पर आधारित वेतनमान का लाभ विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को 1-4-72 से दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लिपिकीय स्टाफ, सेनिटरी स्टाफ और अन्य अनुषंगी श्रेणियों को भी यह लाभ 1-6-82 से दिया गया है (सैद्धांतिक वेतन निर्धारण 1-4-72 से किया गया)। शिवशंकर समिति की सिफारिशों पर आधारित वेतन नई दिल्ली नगर पालिका के स्टाफ की अन्य श्रेणियों को स्वीकृत करने का प्रश्न न्याय निर्णयाधीन है।

बूथों का निर्माण

[अनुवाद]

3544. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने चण्डीगढ़ के विभिन्न रेहड़ी बाजारों में बूथों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक प्रत्येक रेहड़ी बाजार में ऐसे कितने बूथों का निर्माण किया गया है; और

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान वहां और कितने बूथों का निर्माण किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) चण्डीगढ़ प्रशासन ने चण्डीगढ़ की विभिन्न रेहड़ी मार्किटों के लाइसेंसधारी रेहड़ी वालों के लिए लीज/किराया खरीद पर दो वर्षों में चरणों में दिवस मार्किट बूथों के निर्माण का निर्णय लिया है। पहले चरण में सेक्टर 15-डी तथा सेक्टर 22-सी में बूथों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया है। सेक्टर 15-डी में 140 बूथ पूर्ण हो गये हैं और 124 का कार्य चल रहा है तथा सेक्टर 22-सी में 322 बूथों का निर्माण हो चुका है। भविष्य में निर्माण किए जाने वाले बूथों की संख्या, इस योजना के अन्तर्गत लाभ ग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर होगी।

आतंकवादियों के बीच गठबन्धन

3545. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिट्टे, उल्फा और पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के बीच कोई गठबन्धन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब, जम्मू व कश्मीर के आतंकवादी ग्रुपों जैसे अनेक उग्रवादी गुटों द्वारा उल्फा और लिट्टे जैसे विभिन्न गुटों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार दोनों ही मामले पर कड़ाई से नजर रख रहे हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

जम्मू तथा कश्मीर में बर्खास्त किए गए पुलिस कर्मचारियों की बहाली

[हिन्दी]

3546. **श्री राम बदन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू तथा कश्मीर पुलिस के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर पुलिस के बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों की बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैस समिति की रिपोर्ट

3587. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैश समिति की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक मिल जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति "डेसू" के कर्मचारियों की तरह अपने कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर अनुग्रह राशि दे रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) रिपोर्ट अभी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है और दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् ही उसे सरकार को प्रस्तुत करने का प्रश्न उठेगा।

(ग) अभी नहीं।

नक्सलवाद से निपटने के लिए कार्य योजनाएं

3548. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को पेश की गई कार्य योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार से ऐसी प्रत्येक योजना पर क्या कारंवाई की है;

(ग) वर्ष 1992-93 में इन राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय अथवा अन्य प्रस्तावित सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों के पुलिसकर्मियों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दी गई प्रशिक्षण सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इससे कितने पुलिसकर्मी लाभान्वित हुए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) नक्सलवाद अभियान का समन्वित रूप से सभी पहलुओं से निपटने के लिए योजना बनाने और इसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर इस सम्बन्ध में, एक संयुक्त समन्वय समिति (जे० सी० सी०) गठित की गई है। वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में योजना आयोग ने यह रुख अपनाया कि इस प्रकार के विशेष कार्यक्रमों का वित्त पोषण राज्य अपने योजना स्त्रोतों/करें/केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को, जब कभी आवश्यकता होती है केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनातगी सहित सभी सम्भव सहायता दे रही है।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने, नए पुलिस स्टेशनों, सीमा चौकियों की स्थापना करने, सीमा चौकियों का स्तर बढ़ाकर पुलिस स्टेशनों के समान करने, पुलिस स्टेशनों में कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने, अतिरिक्त वाहनों, उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था करने सहित पुलिस योजना तैयार की है, जिसमें नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, स्टाफ-क्वाटरों, का निर्माण करने, जन-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास इत्यादि उपाय करना सम्मिलित हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के प्रभावित जिलों के लिए पुलिस कार्रवाई योजना तैयार की हैं। राज्य सरकार विकास की दिशा में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

उड़ीसा, राज्य सरकार ने, नक्सलवाद से प्रभावित राज्य के जिलों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें सिंचाई, पशुपालन, वानिकी, मछली-पालन इत्यादि सम्मिलित हैं। योजना में पुलिस प्रशासन के लिए भी प्रावधान हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है जिसमें पुलिस और विकास दोनों पहलु सम्मिलित हैं।

बिहार राज्य सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित राज्य के जिलां के विकास के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है, जिसमें भूमि-सुधार, पशुपालन, मछली पालन, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि के लिए सहायता के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

हैदराबाद सिकन्दराबाद में सर्कुलर रेल सेवा

[अनुवाद]

3549. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों शहरों में वाहन यातायात पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गया है जिससे सड़कों पर भीड़-भाड़ बढ़ गई है तथा प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों शहरों के लिए एक सर्कुलर रेल चलाने हेतु आंध्र प्रदेश की सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उसे कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) यह सही है कि हैदराबाद/सिकन्दराबाद दोनों जुड़वां शहरों में पिछले कुछ वर्षों से वाहन यातायात में वृद्धि हो रही है। यातायात की भीड़भाड़ की समस्या का समाधान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मेसर्ज रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज (राईट्स) द्वारा एक प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता अध्ययन कराया था। तदनुसार मेसर्ज राईटस ने 307 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 23 किलोमीटर लम्बे रूट पर हल्की रेल परिवहन प्रणाली आरम्भ करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार, जहां परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए प्राइवेट/पब्लिक सेक्टर को सहयोजित करने और संयुक्त पूंजी कम्पनी के गठन द्वारा उसके क्रियान्वयन की संभावना का पता लगा रही है, जो इस परियोजना को [निर्माण-स्वामित्व-संचालन अंतरण (बी० ओ० ओ० टी०) आधार पर चलाए, वहां राज्य सरकार से भी कहा गया है कि वह परियोजना की वित्त-व्यवस्था के लिए वित्तीय पैकेज तैयार करे, किन्तु ऐसी संयुक्त पूंजी कंपनी के गठन के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। व्याप्त जटिलताओं को देखते हुए, परियोजना के पूर्णता की अवधि के बारे में बताना इस स्तर पर सम्भव नहीं है।

पोषाहार कार्यक्रम

3550. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने पोषाहार कार्यक्रम सुधार लाने के लिए सहायता हेतु एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन तथा भारत सरकार के मध्य जून 1992 में "शाहदरा कालोनी में कुष्ठरोगियों द्वारा पौष्टिक फसलों की खपत में सुधार के लिए खाद्यान्न उत्पाद" विषयक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना में खाद्य एवं कृषि संगठन का योगदान 75,000 अमरीकी डालर है।

आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु समझौता

3552. श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1988 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और त्रिपुरा नेशनल वालन्टियर्स के बीच त्रिपुरा में आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समझौते की मुख्य बातों को किस सीमा तक लागू किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) त्रिपुरा में जनजातियों की समस्या का सन्तोषजनक हल निकालने की दृष्टि से 12-8-1988 को भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार और त्रिपुरा नेशनल वालन्टियर्स (टी० एन० वी०) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(ख) और (ग) जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, त्रिपुरा पर हुए समझौता ज्ञापन के उपबन्धों को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही कुल मिलाकर पहले ही कर दी गई है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार टी० एन० वी० के कार्मिक सामने आए और अपने शस्त्रों और गोला बारूद को जमा किया। इस प्रकार से त्रिपुरा में सामान्य हालत बहाल हुए। टी० एन० वी० के सभी भूतपूर्व भूमिगत तत्वों को पहले ही पुनः बसा दिया गया है। राज्य विधान सभा में जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में वृद्धि करने के लिए एक संविधान (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम 1988, जो 16-12-1988 से लागू हुआ, के द्वारा त्रिपुरा में जिला परिषदों के अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपाय कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत सरकार ने टी० एन० वी० समझौते को कार्यान्वित करने के लिए 33.26 करोड़ रुपये की सहायता दी है। आकाशवाणी ने जनजाति भाषा में अपने कार्यक्रमों में वृद्धि की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास निर्माण को प्राथमिकता

[हिन्दी]

3553. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवास निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आठवीं योजना के दौरान अब तक कितने फ्लैटों का निर्माण हो चुका है; और

(ङ) योजनावधि के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य नीचे सूचित किए गए हैं :

वर्ष	फ्लैटों के निर्माण के लिए लक्ष्य
1992-93	8,424
1993-94	13,487
1994-95	18,314
1995-96 1996-97	46,306
	86,531

ये लक्ष्य भूमि, निधियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन हैं और रुकावटें, यदि कोई हो, दूर करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से फ्लैटों के निर्माण की प्रगति की समय-समय पर उच्च स्तरों पर समीक्षा की जाती है।

(घ) 1-4-92 से 30-6-92 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 344 फ्लैट बनाए गए हैं।

हरित भूमि का अधिग्रहण

3554. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें शहरीकरण हेतु किसानों से भूमि का अधिग्रहण करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को शहरीकरण हेतु किसानों को हरित भूमि का अधिग्रहण न करने के मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) भू-उपयोग विनियमनों को राज्य सरकारों के विभिन्न अधिनियमों के तहत शासित किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि फलतः कुछ कृषि भूमि को शहरी उपयोग के लिए परिवर्तन करने को बाध्य करती है। तथापि, उपजाऊ नम भूमि को गैर-कृषि भूमि के रूप में यथासंभव परिवर्तन न करने का ध्यान रखा जाता है। यदि, कोई कृषि भूमि बृहद योजना में "कृषि" के रूप में निर्दिष्ट की गई है तो ऐसी भूमि इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, कृषि भूमि के उपयोग को राज्यों द्वारा प्रशासित भूमि सुधार अधिनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। नगर विकास मूलतः राज्य विषय है। तथा भू-उपयोग योजनाएं/बृहद योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्यों द्वारा तैयार की जाती है।

आठवीं योजना के दौरान नए मकानों का निर्माण

3555. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री जगमीत सिंह बरार : क्या शहरी विकास क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से मकान निर्माण योजनाओं में 20,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान देश में कुल कितने नए मकानों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मकान की मांग का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस समय कुल कितने मकानों की आवश्यकता होगी और नए मकानों और पुराने मकानों को मिलाकर उस समय मकानों की मांग और पूर्ति में कितना अन्तर रहेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आठवीं योजना (1992-97) के लिए आवास क्षेत्र हेतु वित्त पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल ने राष्ट्रीय आवास बैंक सहित औपचारिक सेक्टर के विभिन्न संगठनों के निमित्त आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवासीय क्षेत्र के प्रति रुपये 20,000 से रुपये 25,000 करोड़ तक के क्रेडिट का अनुमान लगाया है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार, आठवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान औपचारिक सेक्टर द्वारा 6.5 मिलियन आवासीय एककों का योगदान किया जाएगा।

(ग) और (घ) जनगणना आंकड़ों पर आधारित 1-3-92 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन

निर्माण संगठन ने 36.8 मिलियन (ग्रामीण 23.5 मिलियन और शहरी 13.3 मिलियन) मकानों की कमी होने का आकलन किया है।

यमुना पर पुल

3556. श्री अरविंद त्रिवेदी :

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में यमुना पर कुछ और पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में कुल कितने पुलों का निर्माण किया जाएगा तथा इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा और इन पर कुल कितनी धन-राशि खर्च होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार यातायात की बढ़ती हुई भीड़ को किस प्रकार नियंत्रित करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मौजूदा आई० टी० ओ० पुल (लोक नायक सेतु) के निकटस्थ स्ट्रीम में एक पुल निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ हुआ है। मौजूदा निजामुद्दीन पुल और वजीराबाद पुल के निकटस्थ स्टीम में दो और पुलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस समय ये आयोजना अवस्था में है। इसके अतिरिक्त, महारानी बाग के समीप यमुना पर 8-लेन वाले पुल के निर्माण के लिए दिल्ली प्रशासन, नोएडा और इंफ्रास्ट्रक्टर लीजिंग एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र

[अनुवाद]

3557. श्री राजवीर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया था;

(ख) क्या इस केन्द्र ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस केन्द्र को एक स्वतंत्र एकक के रूप में स्थापित करने का विचार था;

(ङ) यदि हां, तो इस केन्द्र को एक स्वतन्त्र एकक के रूप में स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस केन्द्र के लिए नए स्थान का पता लगाने तथा इसके कार्यकलापों के बारे में निर्णय लेने हेतु कोई समिति गठित की है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और यह कहां पर स्थित होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) महोदय, मांस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वीकृति सातवीं योजना के दौरान जारी की गई। लेकिन प्रशासकीय और वित्तीय कठिनाइयों के कारण केन्द्र अभी तक कार्य शुरू नहीं कर पाया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सातवीं योजना के दौरान केन्द्र के लिए 49.00 लाख रु० का प्रावधान रखा गया था। एक स्वतंत्र केन्द्र स्थापित करने के लिए इस राशि को बहुत कम समझा गया जिसके लिए सभी वांछित आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए कम-से-कम 300 लाख रु० की राशि चाहिए। इस मामले को भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान के कार्यों को देखने के लिए गठित एक समिति को भेजा गया। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि जब तक पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो जाए तब तक पशुधन उत्पाद टेक्नोलाजी (एल० पी० टी०) प्रभाग भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान के अंश के रूप में कार्य कर सकता है। आठवीं योजना में केन्द्र के लिए 300 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान की गई राशि को अन्तिम स्वीकृति मिलने के बाद केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान और बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) जैसाकि (ङ) के उत्तर में बताया गया है।

जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3558. डा० वसन्त पवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बलों को हटाने का है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर में यद्यपि अभी भी स्थिति गठित और चुनौती पूर्ण है, लेकिन इसमें बेहतरी की दिशा में काफी परिवर्तन आया है। फिर भी, पाकिस्तान और आतंकवादी गिरोहों ने जून, 1992 के दूसरे पखवाड़े से हिंसा में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए हैं। वहां पर लगातार तैनात सुरक्षा बलों ने उन पर दबाव बढ़ा दिया है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना तथा सीमा पार से घुसपैठ तथा शस्त्र एवं गोली बारूद लाए जाने को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना जारी रखा है।

संसद सदस्यों से अभ्यावेदन

[हिन्दी]

3559. श्री लाल बाबू राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पावती 15 दिनों के अन्दर भेज दी गई और कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अन्तिम जवाब अभी तक नहीं दिया गया है;

(ग) पावती पन्द्रह दिनों के अन्दर तथा अन्तिम जवाब तीन महीनों के अन्दर न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पत्रों, ज्ञापनों आदि का शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को डी० डी० ए० फ्लैट

[अनुवाद]

3560. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभ उपदान इत्यादि में से एक बड़ी राशि को सरकार द्वारा रोका जा सकता है तथा यदि दिल्ली के आस पास डी० डी० ए० फ्लैटों/प्लाटों के आबंटन की कोई नयी योजना शुरू की जाती है, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विगत में इस पहलू पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस पहलू पर विचार करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों/प्लाटों के आवंटनार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नयी योजना प्रारम्भ करने के लिए मामले की सरकार द्वारा जांच की गई है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैटों/प्लाटों के आबंटनार्थ प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों के पिछले बकाए की अत्यधिक मात्रा को देखते हुए निकट भविष्य में कोई नयी पंजीकरण योजना प्रारम्भ न करने का निर्णय लिया गया है।

बंगलादेशवासियों को वापस भेजने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन

[हिन्दी]

3561. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** :

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेशवासियों को वापस भेजने के लिए जुलाई 1992 में दिल्ली में कोई प्रदर्शन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, और नरेला जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अनुयायियों द्वारा 7 जुलाई, 1992 को संसद मार्ग पर बंगलादेशी आप्रवासियों को वापस स्वदेश भेजने और बड़ी मात्रा में उन्हें भारत में आगमन की रोक थाम करने के उपाय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया।

(ग) बंगलादेशी नागरिकों को वापस बंगलादेश भेजने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस उनकी पहचान करने का अभियान चलाना जारी रखे हुए हैं।

दिल्ली में बंगलादेशियों द्वारा किए गए अपराध

3562. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान तथा 1992 में अब तक दिल्ली में बंगलादेशी नागरिकों द्वारा किए गए आपराधिक मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने अपराधी पकड़े गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दर्ज किए गए मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दर्ज किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए मामले
1991	26	38
1992	39	50
(28-7-92 तक)		

अधिकांशतः मामले जाली वीसा तथा पासपोर्ट से सम्बन्धित हैं। जुए तथा चोरियों आदि से सम्बन्धित मामले भी हैं।

मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां

[अनुवाद]

3563. श्री शरद दिघे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि

पर 149 झुग्गी बस्तियां बस गई हैं और 36 झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को शेष झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों की भूमि पर 149 स्लम पाकेट बन गई हैं। 36 स्लम पाकेटों के सम्बन्ध में नागरिक सुविधाओं के प्रावधान से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गए हैं।

(ख) और (ग) शेष स्लम पाकेटों के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। इस मामले में स्वीकृत नीति यह है कि (i) बम्बई हवाई अड्डे के रनवे के दोनों ओर की मलिन बस्तियां से रनवे का सन्निकटता होने के कारण पक्षी-जोखिम का कारण हैं। (ii) रक्षा मंत्रालय की भूमि जहां अनिवार्य संस्थापनायें स्थापित की जाती हैं। (iii) रेलवे लाइनों के 30 फीट के भीतर हटमेंट और (iv) ऐसी भूमि जो तत्काल उपयोग के लिए अपेक्षित है, के सिवाय केन्द्रीय सरकारी विभागों की भूमि पर स्थित स्लमों में मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना राज्य सरकार का कार्य है।

अयोध्या मामले पर रिपोर्ट

[हिन्दी]

3564. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में श्री एस० आर० बोम्मई के नेतृत्व में गठित समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति तथा संसद के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की, जिसने अयोध्या का दौरा किया, रिपोर्ट सरकार के ध्यान में हैं। रिपोर्ट संसद के सभी सदस्यों को परिचालित की गई तथा संसद के पुस्तकालय में रखी गयी है। सांप्रदायिक सौहार्द :—राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिनांक 23 जून, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति की एक बैठक हुई और दिनांक 18 जुलाई, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई। बैठक होने से पूर्व प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट सदस्यों को परिचालित की गई थी। जब भी अयोध्या में निर्माण गिराने, दीवार का निर्माण करने, सुरक्षा उपायों में कमी करने, समतलीकरण तथा खुदाई अभियान चलाने और चबूतरे का निर्माण करने जैसी गतिविधियां हुई, केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त रूप से मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है।

पुलिस के अत्याचारों से निपटने के लिए विशेष सेल का गठन

[अनुवाद]

3565. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध में एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा लगाए गये आरोपों की जांच करने के लिए कोई विशेष सेल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सेल ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सेल कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं श्रीमान्। सुरक्षा और पुलिस बलों द्वारा मानवीय अधिकारों के उल्लघन के मामलों को समन्वित करने के लिये गृह मन्त्रालय में एक एकक का गठन किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली पासपोर्टों के बारे में शिकायतें

3566. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को प्राप्त जाली पासपोर्टों सम्बन्धी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में मारे गये छापों के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ पासपोर्ट धांधलियों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

पशु प्रजनन कार्यक्रम

3567. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रमुख पशुधन विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई थी :—

(1) केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों में साण्डों का प्रजनन-2616

(2) हिमित वीर्य की खुराकों का उत्पादन-25.8 लाख

(3) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित कर्मचारी-566

(4) प्रशीतित वीर्य से हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में परिवर्तित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या-2237

(5) संतति परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण किए गए सांडों की संख्या-301

(6) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ पशु/भैंसों के प्राथमिक पंजीकरण की संख्या-27000

(ग) सातवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि 1866 लाख रुपये है।

राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान राज्यवार व्यय

क्रम सं०	राज्य	(लाख रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	66.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.64
3.	असम	37.20
4.	बिहार	2.05
5.	हरियाणा	123.03
6.	गुजरात	141.11
7.	जम्मू और कश्मीर	76 94
8.	कर्नाटक	65.65

1	2	3
9.	केरल	98.50
10.	महाराष्ट्र	32.50
11.	मणिपुर	74.80
12.	मेघालय	41.80
13.	नागालैंड	29.96
14.	उड़ीसा	520.77
15.	पंजाब	10.50
16.	राजस्थान	86.70
17.	सिक्किम	30.05
18.	तमिलनाडु	21.89
19.	उत्तर प्रदेश	278.14
20.	पश्चिम बंगाल	55.14
21.	दिल्ली	1.60
		1866.00

जम्मू और कश्मीर के लिए राहत

3568. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जम्मू और कश्मीर के पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार द्वारा जम्मू एवं दिल्ली में, कश्मीरी प्रवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राहत उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के दिनांक 10-7-1990 के आदेश सं० 723 जी० आर० (जी० ए० डी०)-1990 के द्वारा आतंकवादी हिंसा के शिकार लोगों को अनुग्रह-राहत के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उद्योगों के विकास के लिए, (दिनांक 30-11-90 से आदेश सं०-318-जी० आर०-1990 के द्वारा) प्रोत्साहन पैकेज भी जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

शहरी मूलभूत सेवा योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन

3569. श्री सुधीर सावंत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कि :

(क) मूलभूत शहरी सेवा योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना में व्यय की गई धनराशि का राज्य वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं योजना और वर्ष 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र के कस्बों के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सातवीं योजना के दौरान शहरी मूल सेवा योजना पर राज्यवार और वर्षवार व्यय की गई राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवा योजना, जो शहरी मूल सेवा का एक सशक्त और संशोधित रूप है, के अन्तर्गत आठवीं योजना हेतु महाराष्ट्र के लिए अनन्तिम आवंटन 649.50 लाख रुपये है। वर्ष 1992-93 के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के कस्बों के लिए 129.90 लाख रुपये की अनन्तिम धनराशि आवंटित की गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1986-87	1987-98	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5.6	13.60	11.84	11.80
2.	बिहार	कोई योजना नहीं	6.80	—	7.60
3.	गोआ	कोई योजना नहीं	—	—	—
4.	गुजरात	—	—	—	10.90
5.	हरियाणा	3.552	—	—	3.00
6.	कर्नाटक	3.70	—	5.70	7.80
7.	केरल	2.76	—	11.76	7.50
8.	महाराष्ट्र	3.70	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	2.76	—	3.20	3.20
10.	उड़ीसा	7.00	20.18	23.81	17.20

1	2	3	4	5	6
11.	पंजाब	3.40	3.00	9.40	9.10
12.	राजस्थान	5.60	—	5.60	6.50
13.	तमिलनाडु	2.768	—	—	3.00
14.	उत्तर प्रदेश	कोई योजना नहीं	—	—	4.00
15.	पश्चिम बंगाल	2.76	2.00	—	2 30
16.	अरुणाचलम प्रदेश	कोई योजना नहीं	—	—	—
17.	असम	0.90	—	3.40	3.40
18.	हिमाचल प्रदेश	कोई योजना नहीं	—	2.00	2.00
19.	जम्मू और कश्मीर	2.30	2.00	2.10	2.40
20.	मणिपुर	0.60	—	—	1.97
21.	मेघालय	—	5.20	—	—
22.	मिजोरम	—	—	–	—
23.	नागालैंड	—	—	—	—
24.	सिक्किम	—	—	—	—
25.	त्रिपुरा	—	—	3.20	1.60
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
28.	दमन एवं दीव	—	—	—	—
29.	दादर एवं हवेली	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	1.60	—	—	1.00
31.	दिल्ली	कोई योजना नहीं	3.00	6.70	3.70
	कुल :	49.00	55.78	91.52	112.97

दूध की कमी

3571. **श्री छीतू भाई गामीत :**

श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में दूध का संकट व्याप्त है;

(ख) दूध की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादों के निर्माण पर रोक लगाने तथा दुग्ध पाउडर को भी जब्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रबी की फसल न होना

3572. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में उर्वरकों की सप्लाई न होने के कारण 1991 के दौरान रबी की फसलें न होने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार उर्वरकों के संचलन को मानिटरिंग राज्य सरकारों और विनिर्माताओं के साथ होने वाली आवधिक समीक्षा बैठकों में करती है। जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, दोषनिवारक उपाय किए जाते हैं।

छोटे और सीमांत किसान

3573. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे और सीमांत किसानों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए धनराशि किस प्रकार प्रदान की गई थी;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र के हिस्से की बराबर की अनुदान धनराशि उड़ीसा को दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रयोजित इस योजना के अन्तर्गत राज्य को शत-प्रतिशत सहायता देने की मांग की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 5047 खंडों को शामिल करते हुए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत कृषकों को सहायता सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही थी जिसमें प्रति खंड प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान निहित था।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा परिव्यय का समान रूप से वहन किया जा रहा था। संघ शासित क्षेत्रों के मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान की पूर्ति भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना को 1-4-90 से राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सरकार को 1821.45 लाख रुपये के समतुल्य केन्द्रीय शेयर निर्मुक्त किया गया था। इसके अलावा उक्त योजना के एक भाग के तौर पर 1988-89 और 1989-90 के दौरान गेहूं और चावल से सम्बन्धित विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए अभिज्ञात किए गए जिलों में उथले नलकूपों/खुदे हुए कूओं के निर्माण के लिए 798.54 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) उथले नलकूपों/खुदे हुए कूओं के निर्माण की योजना 1-4-92 से राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं

3574. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने ऊर्जा की बचत करने, सुरक्षा पर बल देने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चल रही प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों में ये शामिल हैं : इन हाउस तेल संरक्षण कार्यक्रम, कम कुशलता वाले स्नेहकों के स्थान पर उच्च ग्रेड के स्नेहकों का उत्पादन और बिक्री, मिट्टी

के तेल वाले इंधन-कुशल बत्तीदार नूतन स्टोवों और एल० पी० जी० स्टोवों की बिक्री को बढ़ावा देना, रिफाइनरियों में बिभिन्न उपकरणों की ईंधन-कुशलता में सुधार और उत्पाद वाष्प से ऊष्मा प्राप्त करना सल्फर डाईआक्साइड और लेड उत्सर्जन में कमी और विद्यमान अग्नि-शमन प्रणालियों के प्रभावकारिता में सुधार आदि। आठवीं योजना में तेल संरक्षण, सुरक्षा और पर्यावरण के बचाव पर परिनोजनाएं शामिल की गई हैं।

समुद्री खाद्य पदार्थों का उत्पादन

3575. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विपुल समुद्री सम्पदा का पता लगाकर समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु शुरू की गई स्कीमों से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत में समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु स्कीमें

1. गहन समुद्री मात्स्यिकी में संयुक्त उद्यम, प्रसंस्करण एवं विपणन।
2. भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में परिचालन हेतु विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को किराए पर लेना।
3. परीक्षण मात्स्यिकी।
4. पारम्परिक जलयानों के चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित स्कीम।
5. लकड़ी के जलयानों को चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित स्कीम।
6. मध्यस्थ जलयानों के चलाने हेतु स्कीम।
7. 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मात्स्यिकी जलयानों द्वारा प्रयुक्त हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पुनर्समायोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित स्कीम।
8. गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंकरण में भाग लेने हेतु सहायता।
9. गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के अधिग्रहण हेतु ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में अनुदान सहायता।
10. विविधीकृत मात्स्यिकी हेतु सहायता।
11. टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण हेतु स्कीम।

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत के लिए मार्गनिर्देश

3576. **श्री जीवन शर्मा :** क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली में सड़कों की मरम्मत के लिए मार्गनिर्देश के बारे में 25 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 4464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका और कैंटोनमेन्ट बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए यद्यपि कोई आम मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, किन्तु मानसून के पूर्व, दौरान और पश्चात् क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए समय समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम आदि द्वारा क्षति की मात्रा को देखते हुए मरम्मत का एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाता है। नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सड़कों के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत शीघ्र की जाती है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन ने सड़कों को खोदने तथा गर्तन के लिए अनुदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसे उपयोगिता संगठनों द्वारा किया जाता है। सड़क अनुरक्षण के लिए दिल्ली प्रशासन ने अनुदेश तथा अन्तः उपयोगिता आचार संहिता जारी की है। उन्होंने आवश्यक अनुमोदन आदि प्राप्त करने के पश्चात् शीघ्र मरम्मत के लिए दिल्ली नगर निगम समन्वय समिति, नई दिल्ली नगर पालिका समन्वय समिति और लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) समन्वय समिति नामक तीन समितियों भी गठित की हैं।

शरणार्थियों सम्बन्धी नीति

[हिन्दी]

3577. **श्री छेदी पासवान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों से आए शरणार्थियों के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में देश में शरणार्थियों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार की नीति, शरणार्थियों को उनकी मातृ-भूमि वापस जाने के लिए राजी करने की है। तथापि, तिब्बती शरणार्थियों को भारत में ठहरने की अनुमति दी गई है।

(ग) भारत में शरणार्थियों के गैर-कानूनी प्रवेश को रोकने के लिए अर्द्धसैनिक बलों द्वारा नदी तटीय और सीमाओं पर गश्त गहन कर दी गई है।

दिल्ली में पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना

3578. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री सत्य देव सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशनों में जाने वाले लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या पुलिस कर्मचारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने की कोशिश करते हैं;

(ग) वर्ष 1990, 1991 और 1992 में अब तक इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने, शिकायतकर्ताओं द्वारा सूचित किए गए सभी संज्ञेय अपराधों में पुलिस स्टेशनों में प्र० सु० रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देशों को दोहराया है।

(ग) वर्ष 1990, 1991, 1992 (27-7-92 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष		प्राप्त शिकायतों की संख्या
1990	—	45
1991	—	76
1992 (27-7-92 तक)	—	66

(घ) गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच के बाद की गई वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 1990, 1991, 1992 (27-7-92 तक) की गई कार्रवाई का ब्योरा

	1990						1991						1992 (27-7-92)					
	निरीक्षक	उ० नि०	स० उ० नि०	है० का	का०	कुल	निरीक्षक	उ० नि०	स० उ० नि०	हैड का	का०	कुल	निरीक्षक	उ० नि	स० उ० नि०	है० का०	का०	कुल
निंदा की गई	2	9	—	2	—	=13	2	3	2	6	—	=13	—	2	—	—	—	=2
सेवा समाप्त की गई	—	—	—	—	1	=1	—	—	—	—	—	=—	—	—	1	—	—	=1
गैर-संवेदनशील स्थान पर स्थानांतरित किया गया	1	—	—	—	—	—1	—	—	1	—	—	=1	—	—	—	—	—	=—
चेतावनी दी गई	1	—	—	—	—	=1	2	1	—	1	—	=4	—	—	—	—	—	=—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए धन का आबंटन

3579. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उसकी आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 1300.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जबकि उसकी (परिषद की) मांग 2008.78 करोड़ रु० की थी।

(ग) और (घ) साधनों की अत्यधिक कमी के कारण कम धन आबंटित किया गया है। मध्यावधि समीक्षा के समय योजना आयोग से अतिरिक्त धन देने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

कार्यालय/अतिथि गृहों के किराए पर लिए जाने सम्बन्धी मार्गनिर्देश

[अनुवाद]

3580. श्री विजय एन० पाटील : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी उद्यमों द्वारा कार्यालय/अतिथि गृह/आवासीय परिसरों को किराए पर लेने के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली की अनुसूची-V की परिशिष्ट की मद संख्या-16 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोक्त मद संख्या-16 के सामने कालम-4 के नीचे विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/निबन्धनों की शर्त पर, आवासबद्ध-कार्यालय, आवास अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु गैर-सरकारी भवन किराए पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। सम्पदा निदेशालय के दिनांक 1-9-82 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16013/1/72 नीति IV (III) के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे किराए वाले भवनों का किराया, प्रत्येक पांच वर्ष बाद पुनः संशोधित किया जा सकता है।

कृषि विकास योजना

3581. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री जी० देवराय नायक :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेती को एक अधिक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए कृषि विकास योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यह योजना कब तक शुरू की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि किए जाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है ताकि खेती को अधिक लाभकारी उद्यम बनाया जा सके।

(ख) और (ग) इस उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट योजना या निधि का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

त्वरित कार्यवाही बल

3582. श्री आनन्द अहिरवार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साम्प्रदायिक दंगों से निपटने हेतु एक त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बल के कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बल की कुछ बटालियनें उन राज्य सरकार के सम्बन्धों में दे दी गई हैं जहां पर बार-बार साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं;

(घ) क्या इस बल को राज्यों में नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुछ बटालियनों को त्वरित कारंवाई बल की बटालियनों में बदलकर त्वरित कारंवाई बल गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं। बल की मिश्रित संरचना होगी और इसके कमांड का ढांचा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनों के स्तर से भिन्न होगा। बल का प्रयोग सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए किया जाएगा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनों को त्वरित कारंवाई बल की बटालियनों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है और बल यथाशीघ्र संचालन में आ जाएगा।

बंगलौर में मांस प्रसंस्करण संयंत्र

3583. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त/संयुक्त क्षेत्र की परियोजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बंगलौर में मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु विदेशी सहायता प्राप्त/संयुक्त सेक्टर की किसी परियोजना को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। परन्तु विदेशी इक्विटी भागदारी और अनिवासी भारतीय निवेश से मैसर्स टैटम साची (इन्डिया) लिमि० के एक चूजा मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ छः विभिन्न केन्द्रों में चूजा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना शामिल है जिनमें एक केन्द्र बंगलौर के निकट है। उपर्युक्त परियोजना प्रस्ताव में लगभग 492 करोड़ रुपये का कुल निवेश निर्दिष्ट है जिसमें मैसर्स टैटम फार्मस आफ अमरी.ा की 8.60 करोड़ रुपये की विदेशी इक्विटी और 26.55 करोड़ रुपये की अनिवासी भारतीय इक्विटी का निवेश होगा। सम्पूर्ण परियोजना छः वर्षों में कार्यान्वित होने हेतु प्रस्तावित है।

दिल्ली की जनसंख्या

3584. **श्री चन्दू लाल चन्द्राकर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी है; और

(ख) उसमें से कितने लोग बेघर हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनन्तिम परिणामों के अनुसार दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या 93,70,475 है। इनमें से बेघरों की संख्या की जानकारी नहीं है क्योंकि महापंजीयक द्वारा 1991 की जनगणना की तालिका के आंकड़े पूर्ण नहीं किए गए हैं।

कच्चे पटसन हेतु समर्थन मूल्य

3585. **डा० सुधीर राय** :

डा० असीम बाला :

श्री आयनल अबेदिन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय पटसन निगम कच्चे जूट की खरीद कब तक शुरू कर देगा, ताकि गरीब पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत सरकार ने असम में टी डी-5 ग्रेड के कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1992-93 मौसम के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जबकि 1991-92 मौसम के लिए यह 375 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था अर्थात् इसमें 25 रुपये की वृद्धि हुई है।

कच्चे जूट के अन्य किस्मों और ग्रेडों का तदनुरूपी मूल्य भारतीय जूट आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय द्वारा सामान्य विपणन मूल्य अन्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जायेगा।

(ख) और (घ) भारतीय जूट निगम आवश्यकतानुसार उस मूल्य पर कच्चे जूट से सम्बन्धित मूल्य समर्थन क्रियाकलाप करेगा जोकि बाजार की वर्तमान स्थिति के अनुकूल होगा लेकिन किसी भी दशा में यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा।

कपास हेतु तकनीकी मिशन

3586. **श्री बी० राजरवि वर्मा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की किस्मों में कमी करने तथा इसके उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु तकनीकी मिशन शुरू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कृषि मन्त्रालय में फसल मानक अधिसूचना तथा किस्मों को निर्मुक्त करने के लिए एक केन्द्रीय उपसमिति पहले से ही है, जो पुरानी और नकारा किस्मों की संख्या को कम करने के लिए उन्हें अनाधिसूचित भी करती है। इसके अतिरिक्त, गहन कपास विकास कार्यक्रम के तहत केवल नव-विकसित किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों के वितरण पर सबसीडी देकर पुरानी किस्मों को खेती की उनकी संख्या कम करने की दृष्टि से हतोत्साहित करने के उपाय किए गए हैं।

भारत सरकार का कपास प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

बंगलौर में सड़कों पर उपरि पुलों/भूमिगत पैदल पारपथों के निर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता

3587. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर में सड़कों पर पुलों और भूमिगत पैदल पारपथों के निर्माण हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) क्या विश्व बैंक की टीम ने इस सम्बन्ध में बंगलौर का दौरा भी किया है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) कर्नाटक सरकार ने भूमिगत पैदल पारपथों और फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक परियोजना रिपोर्ट शहरी विकास मन्त्रालय को नहीं भेजी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई परिवहन परियोजना

3588. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सामान्यत: जन परिवहन और विशेषत: उपनगरीय रेल क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने हेतु एक व्यापक मुम्बई परिवहन परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नवम्बर, 1991 में बम्बई नगर परिवहन परियोजना-II की एक पुन: प्रतिपादित परियोजना रूप-रेखा तैयार की तथा उसे महाराष्ट्र सरकार को पेश किया। परियोजना की रूप-रेखा में मुख्यतया (i) संगत परिवहन नीतियों के विकास के लिए मुख्यतया मांग प्रबन्ध के बारे में (ii) व्यक्तिगत परिवहन पर चयनात्मक नियंत्रणों के माध्यम से सड़कों की भीड़-भाड़ कम करना (iii) भाड़ा नीतियां तैयार करने और (iv) एक तरफ प्रभावी संस्थान निर्माण विकसित करने तथा दूसरी ओर, एक नई क्षेत्रीय संरचना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित नई परियोजनाओं में निवेदन करने के सुझाव हैं :—

1. फ्लाईओवर बनाकर चौराहों का ग्रेड सेंपरेशन;
2. रोड ओवर ब्रिजों और रोड अंडर ब्रिजों द्वारा लेवल क्रासिंग को बदलना;
3. भूमिगत पैदल पारपथ;
4. सड़क सुधार, विस्तार और उन्नयन;
5. नई सड़कें;
6. संकेतनकरण और यातायात प्रबन्ध;
7. बस परिवहन;
8. उपनगरीय रेल परिवहन;
9. यात्री जल परिवहन; और
10. प्रौद्योगिकी अर्जन।

उपनगरीय रेल सेवा सुम्बन्धी कार्यक्रम को आगे (क) महत्तम कार्यक्रम और (ख) सामान्य कार्यक्रम में वर्गीकृत किया गया है। बम्बई नगर परियोजना-II के महत्तम कार्यक्रम और सामान्य कार्यक्रम की कुल लागत क्रमश: 2248,88 करोड़ रुपये और 1758.90 करोड़ रुपये हैं।

अन्वेषणात्मक विचार-विमर्श के दौरान, विश्व बैंक ने परियोजना का परीक्षण करने की अपनी इच्छा जाहिर की है बशर्ते कि रेल क्षमता तथा रेल और बस परिवहन के समन्वित दृश्य को ध्यान में रखा जाता है। महाराष्ट्र सरकार और केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ परियोजनाओं पर कई बार विचार-विमर्श हुआ है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने परसों एक सूचना दी थी परन्तु हम सहमत हुए थे कि कोई भी असूचीबद्ध मामला सभा में नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान) प्रेस में एक बहुत परेशान करने वाला समाचार छपा है और इसका उल्लेख दूसरे सदन में भी किया गया है। हमारी प्रारूप योजना विश्व बैंक को भेजी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति, मेरे विचार से सरकार ने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यदि आप चाहते हैं तो आप इस मुद्दे को उस समय भी उठा सकते हैं और आपको उचित उत्तर मिल जाएगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आठवीं पंचवर्षीय योजना को किस दृष्टि से देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे भी उस समय उठाया जा सकता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : एक प्रकार से यह हमारी प्रभुसत्ता का प्रश्न है कि प्रारूप अवस्था में भी...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; जब हम प्रारूप पर ही, योजना पर ही चर्चा करने जा रहे हैं, तो यह समय मुद्दा उठाने का नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह योजना की विषय वस्तु होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस पर चर्चा नहीं होनी होती, तो मैं आपको अनुमति देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चेतन पी० एस० चौहान।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मुरादाबाद-गाजियाबाद तक की रेलवे लाइन के बारे में दिलाना चाहता हूं। मुरादाबाद-गाजियाबाद तक ब्राडगेज सिंगल लाइन है, इस कारण से आने जाने तथा सवारी गाड़ियां पास होने में परेशानी होती है। खासकर सुबह और शाम के समय। दिल्ली के चारों तरफ से जितनी मुख्य रेलवे लाइनें हैं, सभी दिशाओं में आती जाती हैं, वे सब डबल लाइन हैं लेकिन दिल्ली से मुरादाबाद तक का मार्ग जो लखनऊ और असम को कवर करता है, वह सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन होने के कारण गाड़ियों की संख्या बहुत कम है जिस कारण से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अकसर गाड़ियां खचाखच भरी रहती हैं। साथ-ही-साथ मालगाड़ियां की संख्या भी कम होती जाती है और औसत स्पीड उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-मुरादाबाद सेक्शन पर सबसे कम है। दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में लोग रोजाना आकर बस रहे हैं। डबल लाइन बन जाने से यह सुविधा होगी कि मुरादाबाद तक के लोग दिल्ली में आकर

नहीं बसेंगे क्योंकि इसके बन जाने से गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी और लोग सुबह अपने काम पर आएंगे और शाम को वापिस चले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मांग है कि जो गाजियाबाद-मुरादाबाद का सैक्शन है, उसको डबल लाइन में परिवर्तित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल और परसों आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। अतः, आज हम आपको वैसा ही सहयोग देने जा रहे हैं। आप एक के बाद एक अपना वक्तव्य दें। आप में से अधिकांश को अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। लखनऊ में इन दिनों टेलीफोन में बड़ी धांधली हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय कालों की संगठित चोरी हो रही है। शिकायत की गई। पुलिस में मामला दर्ज किया गया लेकिन टेलीफोन वाले मीटर देखने के लिए आ जाते हैं। मीटर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह देखकर चले जाते हैं लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय कालों की जो संगठित चोरी होती है। उसको मीटर को देखने से पता कैसे चलेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कालों का विवरण है। इसमें अमेरिका के लिए काल हो रहे हैं, ब्रिटेन के लिए काल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा साउदी अरेबिया के लिए काल हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अपने फोन की बात कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने मतदाताओं की बात कर रहा हूं। अगर एम० पी० अपने टेलीफोन की शिकायत करे तो अच्छी बात नहीं है। मैं औरों की शिकायत सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसमें सउदी अरेबिया की एक काल ऐसी है कि जिसका चार्ज आया है 7,496 रुपए। क्या काल इतनी लम्बी हो सकती है? सउदी अरेबिया से हमारे सम्बन्ध इतने गहरे हो गए हैं और इतना प्यार बढ़ गया है कि घंटों बात होती है!

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : किसका फोन है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक उपभोक्ता के टेलीफोन से किए गए फोन का विवरण है और मेरे पास उपभोक्ताओं की शिकायत है। अखबारों ने इसके बारे में एक सर्वे किया और ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह है जो टेलीफोन के अधिकारियों से मिलकर किसी की काल किसी के यहां खपा रहा है। गलत टेलीफोन बिल आ रहे हैं, उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। यह भी लखनऊ का उदाहरण है। एक सज्जन के यहां टेलीफोन लगा था। वह टेलीफोन डैड हो गया। वह शिकायत करने गए। टेलीफोन जिन्दा नहीं किया गया। बाद में उन्हें पता लगा कि उनका टेलीफोन कहीं और जिन्दा हो गया। उन्होंने जाकर देखा। दूसरी जगह उन्हीं के नम्बर से काल की जा रही थी और उपभोक्ता दूसरा था। बाद में शिकायत करने पर भी बिल उन्हीं को आ गया जो पहले वाले उपभोक्ता थे। लखनऊ वाले कह रहे हैं कि "या इलाही! ये माजरा क्या है?" काल हम नहीं कर रहे, बिल हमारे पास आ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : "बता तेरी रजा क्या है ?"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो रजा नहीं कजा दिख रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है और मैंने पायलट साहब से भी कहा था। वे सदन में नहीं आए हैं। मैंने कहा था कि इस मामले को सी० बी० आई० को सौंप दीजिए और यह टेलीफोन काल में जो धांधली हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और यह धांधली बन्द होनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोगों की भावनाएं इसमें सामने आई हैं और यह बड़ा गम्भीर मामला है। यह काव्यात्मक रूप में हमारे सामने आया है। मैं समझता हूं कि सरकार इसको देखेगी और जो कुछ हो सकता है वह करेगी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं अपनी ही उदाहरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप ऐसे नहीं बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मुझे 2,39,000 रुपए का बिल आया है। मैंने कहा कि एक टेलीफोन पर इतना बिल कैसे आ सकता है? जनवरी में हमने टेलीफोन लगाया और मई के महीने में 2,39,000 रु० का बिल आ गया। मैंने मन्त्री जी को भी कहा था। मन्त्री जी ने कहा कि इसको देखेंगे। वह कंप्यूटराइज्ड लार्किंग नम्बर वाला सिस्टम है। इसके बावजूद भी इतना बिल आया है। यह बहुत गम्भीर मामला है और इसमें कहीं-न-कहीं कोई गिरोह मिला हुआ है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन डिपार्टमेंट की गलती तो है ही लेकिन साथ-साथ सबको चाहिए कि वे अपने टेलीफोन की निगरानी करें।...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सज्जन अपने टेलीफन की शिकायत करने गए तो पुलिस ने उनको टैरराइज करके बन्द कर दिया। वह यहां का सिख समाज का प्रमुख आदमी था। वह शिकायत करने गए तो पुलिस ने उनको टैरराइज करके बंद कर दिया। इसके बारे में कौन जांच करेगा यह कल परसों की घटना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी अटल जी ने बताया यह वास्तव में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और साऊदी अरब का उन्होंने जिक्र किया, मैं खुद साऊदी अरब में 6 साल तक रहा हूं। वहां पहले यह सिस्टम नहीं था। पहले वहां ऐसा था कि 0091 नम्बर लगाने के बाद फिर हिन्दुस्तान के नम्बर को मिलाना पड़ता था, लेकिन आज सिस्टम उलट गया है। वहां पर लोकल कुछ लोग मिलकर हिन्दुस्तान के पी एण्ड टी डिपार्टमेंट से कोलेबोरेशन किए हुए हैं, गल्फ से भी, यूरोप से भी और अमेरिका से भी। अब होता यह है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि मुझे हिन्दुस्तान में फलां जगह काल करनी है, सपोज कीजिए अटल जी की कांसटीटूएँसी लखनऊ में किसी को काल करनी है तो यहां का जो आदमी होता है, जो यहां के एक्सचेंज में बैठा होता है, वह सीधे साऊदी अरब या लंदन या अमेरिका से बात करा देता है। इस तरह अरबों रुपये का नुकसान हिन्दुस्तान को हो रहा है। इसलिए अटल जी ने जो बात अभी यहां की, वह बिल्कुल सही है।

मेरे पास इस तरह के अनेक काल्स आए हैं, जिसमें बताया गया था कि यह नम्बर हिन्दुस्तान से मिलाकर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं साऊदी अरब में 6-7 साल रहा हूं और मेरे वहां बहुत कांटैक्ट्स हैं, लंदन में भी हैं, अमेरिका में भी है, मैं जानता हूं कि इस तरह के घपले यहां बड़े पैमाने पर

हो रहे हैं···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत सीरियस मामला है, गंभीर मामला है। मैंने इस सम्बन्ध में पहले के मंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि यह बहुत गम्भीर मामला है और इस तरह हिन्दुस्तान को अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की आप सी०बी०आई० से जरूर जांच करायें, उनके हवाले कर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो लिफाफा देखकर ही मजमून भांप लिया और बता दिया। इसके बाद भी यहां चर्चा हो गई। मैं फिर कहूंगा कि जो चर्चा हो गई है उसको मिनिस्टर साहब केयरफुली देखें और इसमें जितनी भी मदद वे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसे देखें और मिनिस्टर साहब के कान तक यह बात अवश्य चली जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सर, मैं एग्री करता हूं कि जो अटल जी ने कहा, जो आपने कहा, वह बिल्कुल दुरूस्त है, 100% दुरूस्त है। सदन के बाकी माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, टेली कम्युनिकेशन विभाग में निचले लेवल पर जो कुछ होता है, मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बारे में पूरी जानकारी करें और इसको रोकने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय : आज बहुत लोगों को बोलने का मौका देने का हमारा विचार है और आप भी मांग रहे हैं, इसलिए मैं सिंधिया साहब से कहूंगा कि वे अपना स्टेटमेंट यदि कल कर सकते हैं तो कल कर दें। दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : जैसी आपकी आज्ञा हो। आज ही करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नाट लाइक दिस इन बिटवीन, मैंने तभी कहा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, भारत के सुरक्षा मंत्री, श्री शरद पवार साहब पिछले दिनों चीन की यात्रा पर गये थे और पहली दफा गये। शायद इस देश का कोई सुरक्षा मंत्री चीन की यात्रा पर गया नहीं है अभी तक। जब सुरक्षा मंत्री चीन की यात्रा पर गये तो वे पहले हांगकांग पहुंचे और हांगकांग से उनको 25 तारीख को चीन जाना था। लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं, जिन्होंने उस यात्रा का जायजा करना होता है, उन्होंने 25 तारीख को उनकी हवाई जहाज से यात्रा का टिकट ही नहीं खरीदा जबकि उनके साथ डेलीगेशन में अन्य लोग भी थे। इसकी वजह से मामला इतना गम्भीर हो गया कि वे 25 तारीख को चीन नहीं जा सके। हमेशा जैसे होता है कि ऐसे हालात में यात्रा को पोस्टपोन किया जाता है, लेकिन वहां उन्हें अपनी टिपकोप्रिपोन करना पड़ा, मतलब यह है कि 24 जुलाई को वे चीन पहुंचे। चीन पहुंचने पर सामान्यतः प्रोटोकोल के अनुसार वहां के रक्षा मन्त्री को उनके स्वागत के लिये हवाई अड्डे पर आना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उनके इस प्रकार यात्रा को प्रिपोन करने के कारण चीन के जिस योग्य प्रतिनिधि को वहां आना चाहिए था, प्रोटोकोल के अनुसार डिफेंस मिनिस्टर को वहां आना चाहिए था, वे नहीं आ पाये, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोटोकोल फौपा हो गया।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दृष्टि से हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का यह अपमान हुआ है। जब उनका अपमान हुआ तो सारे देश का अपमान हुआ माना जा गा। उस अपमान के पीछे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी यात्रा के लिए जो उचित ताल-मेल करना चाहिए था, कोआर्डिनेशनल करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, यही कारण मुख्य प्रतीत

होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी जब स्वयं विदेश मन्त्री भी हैं तो वे सदन में इस सम्बन्ध में एक बयान दें कि यह मामला हुआ कैसे। जब कभी इस प्रकार की ट्रिप अरेंज की जाती है तो दो महीने पहले से सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी सदन को बतायें, स्टेटमेंट करें कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी वातें मैं उठाना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर है कि दोनों मंत्रालयों के आंतरिक विवादों के कारण ऐसा हुआ, यह कहा जा रहा है। अतः मैं इस सम्बन्ध में सदन में बयान देने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने प्रतिभूति घोटाले के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उनके पास पहले से ही घोटाले के मूल कारणों की कतिपय जानकारी थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर आज चर्चा करने नहीं जा रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : परन्तु यह क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि इसे जानकी रमन समिति द्वारा शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न उठाया गया है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री निर्मल कांति चटर्जी को अनुमति नहीं दी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह एक घोटाला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हल्दिया उर्वरक निगम को बन्द करने के सरकार के निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है। मुझे केन्द्रीय सरकार से पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है। हल्दिया उर्वरक निगम के चेयरमैन ने हल्दिया उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक को एक पत्र लिखा है कि आधुनिकीकरण निवेश के साथ हल्दिया परियोजना को पुनः प्रतिष्ठित करने की पहल को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। अन्य बजटीय प्रावधानों के लिए प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और प्रबन्धन के पास हल्दिया उर्वरक निगम को बन्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। यह एक गंभीर स्थिति है।

वर्ष 1986 से यह निगम कार्य नहीं कर रहा है। सरकार से पिछले वर्ष इसे चालू करने की अपेक्षा की गई थी। ऐसा करने के स्थान पर उन्होंने जून माह तक वेतन के भुगतान के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वह धन भी खत्म हो गया है। जुलाई से कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलेगा। तथापि, हल्दिया उर्वरक निगम के चेयरमैन द्वारा नाम और पदनाम के साथ गैर-आवश्यक स्टाफ की सूची बनाने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। वे उन्हें नौकरी से निकालने के लिए सूची बना रहे हैं और हल्दिया उर्वरक निगम को बन्द करने जा रहे हैं। यह एक अत्यधिक गंभीर स्थिति है। हजारों श्रमिक नौकरी से बाहर होंगे। पश्चिम बंगाल में एक एकक परिसमाप्त हो जाएगा। यह नई औद्योगिक नीति का पहला शिकार होगा।

12.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

मैं उर्वरक मंत्री महोदय से मामले पर तुरन्त विचार करने का अनुरोध करता हूं। सरकार को

धनराशि आबंटित करनी चाहिए ताकि जुलाई से आगे कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। अतिरिक्त धन दिया जाना चाहिए ताकि एकक को पुनर्जीवित किया जा सके। यह एक गम्भीर स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है। ऐसा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहा है। वेतन के भुगतान के लिए धन नहीं दिया गया है; कच्चे माल को खरीदने के लिए धन नहीं दिया गया है। वे संसाधनों और निधियों के पूर्ण अभाव में इन उपक्रमों को समाप्त होने दे रहे हैं। बजटीय अनुदान भी नहीं किए गए हैं। प्रधान मन्त्री कह रहे हैं कि यहां कोई छंटनी नहीं की गई है। वित्त मन्त्री यह कह रहे हैं कि कोई छंटनी नहीं की गई है परन्तु इन उपक्रमों को समाप्त करने के लिए ऐसा जान बूझकर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मामले पर सरकार को अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वह इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि महत्वपूर्ण उपक्रम इस तरह से बन्द किए जाते हैं तो इस देश का क्या होगा? हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। (व्यवधान) हम इस जानकारी को प्राप्त करना चाहेंगे। लाखों लोग इसमें शामिल हैं। ऐसा कैसे इस तरह से हो सकता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हल्दिया उर्वरक निगम को बन्द करने का निर्णय लिया गया है। जब तक बजटीय सहायता नहीं दी जाती है, कर्मचारियों को जुलाई माह का वेतन नहीं मिलेगा महोदय, कई बार, हमने हल्दिया उर्वरक निगम में उत्पादन पुनः शुरू करने के लिए इस समस्या को उठाया था। हमें यह कभी नहीं बताया गया था कि इस एकक को बन्द कर दिया जाएगा और यह बताया गया था कि उत्पादन पुनः शुरू करने के लिए इस एकक को पुनर्जीवित करने हेतु, सरकार हर कदम उठाएगी। परन्तु अब स्थिति यह है कि उन्होंने एकक को बन्द करने का निर्णय लिया है। यह बंगाल का ही नहीं वरन् पूर्वी भारत का एक महत्त्वपूर्ण एकक है। अतः, सरकार को हल्दिया में उत्पादन पुनः आरम्भ करने हेतु निर्णय लेना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री—दोनों मन्त्री यहां उपस्थित हैं—को यहां वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें यहां उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम क्या आप उत्तर दे रहे हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : जी हां (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार आपके अनुरोध पर उत्तर दे रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के बरौनी यूनिट को भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक एक्सपर्टस की कमेटी बनी थी। उसने कहा कि 58 करोड़ रुपए की इसको कैपीटल इनवैस्टमेंट मिल जाएगी तो एक हजार मेट्रिक टन की कैपेसिटी जो लिखी हुई है वह नहीं तो 750 मैट्रिक टन प्रतिदिन का उत्पादन यह कर सकती है। लेकिन 58 करोड़ रुपये नहीं देकर एच० एफ० सी० के बरौनी यूनिट को भी बन्द करने की साजिश की जा रही है। इससे इस देश के कैमिकल फर्टिलाईजर के उत्पादन पर बड़ा भारी असर पड़ेगा, बेरोजगारी होगी और बड़े पैमाने पर

अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा फर्टिलाईजर को आयात करने में खर्च करनी पड़ेगी। इसके बाद एक नहीं कई कमीशनों के घोटाले सामने आएंगे। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हल्दिया के साथ-साथ बरौनी फर्टिलाईजर यूनिट को भी चालू रखने के लिए एक्सपर्टस कमेटी ने जो कहा है कि इनवैस्टमैंट किया जाए, 58 करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट से इस यूनिट का फुल कैपेसिटी यूटीलाइजेशन हो सकता है, वह किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, एक मिनट, अब हमारे समक्ष दो बातें हैं।

पहले तो, क्या हमें सुनकर मात्र अपनी कल्पनाओं और तरंग के अनुसार चलना चाहिए अथवा दूसरे, क्या हमें उस सूची के अनुसार चलना चाहिए जो मेरे पास है। यदि मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकारता जाऊं तो मेरे विचार से प्रत्येक को अवसर मिलेगा। प्रत्येक माननीय सदस्य को एक मिनट लेना चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक माननीय सदस्यों को अवसर मिल सके जैसाकि माननीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया था। मेरे विचार से दूसरी बात बेहतर है। मुझे आशा है, आप सभी इससे सहमत हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप अपने हाथ खड़े करने का कष्ट न करें, क्योंकि मेरे पास आपके नाम हैं और मैं एक के बाद दूसरे को पुकारूंगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने हल्दिया उर्वरक परियोजना, बरौनी और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के सम्बन्ध में जो बताया है वे महत्वपूर्ण कारक हैं। क्योंकि, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उर्वरक परियोजनाओं में समस्याएं हैं। मैं केवल माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का इरादा न तो गुप्त रूप से और न ही अन्य किस तरह से एककों को बन्द करने या कर्मचारियों को निकालने का है। मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है—ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास कुछ तथ्य हैं, जिन्हें लेकर वे साथ-साथ आ सकें और सम्बन्धित मंत्रियों और यदि सम्भव हो तो प्रधान मन्त्री को मिल सकें।

श्री बसुदेव आचार्य : कई बार हम उनसे मिले हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। हम सब एकजुट होकर कोशिश करें और अपने दिमाग का प्रयोग करें और इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करें। उर्वरक उद्योग से मामले में यह अपेक्षा की जाती है कि हम सब एक साथ मिलकर बैठें और समाधान निकालें। इसमें कोई राजनीति नहीं है। साथियों, इसे करें ताकि कार्य चलते रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, पहले मजदूर संघ नेता श्री कुमारमंगलम को अनुमति दें—क्या आप पूर्ववर्ती मजदूर संघ नेता हैं या अभी भी मजदूर संघ नेता हैं?—इसे आरम्भ करने के लिए अवसर दें। मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मन्त्री आ गए हैं। डा० चिन्ता मोहन आ गए हैं। (व्यवधान) उन्हें सभा को आश्वासन देना चाहिए कि हल्दिया उर्वरक परियोजना बन्द नहीं होगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं विश्वस्त हूं, माननीय संसद की मंशा समस्या का समाधान करने

की है। मैं सुझाव दूंगा कि डा० चिन्ता मोहन और मैं दोनों ही माननीय सदस्यों के साथ बैठेंगे, इसे गहराई से देखेंगे और समाधान निकालेंगे।

हमारा इरादा इसे बन्द करने का नहीं है बल्कि हम समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। हमें समस्या का समाधान ढूंढ़ने दीजिए और हम इस मामले में आपके साथ रहेंगे। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : डा० चिन्ता मोहन आए हैं। उन्हें सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि हल्दिया उर्वरक इकाई को बन्द नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगाराजन कुमारमंगलम ने भी इस बात को माना है और बताया है कि वे उन सभी लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं जो इस उद्योग को बन्द करने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं। डा० चिन्ता मोहन भी आपसे मिलकर इस मामले पर परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं। अतः हमें सदन के बाहर इस बारे में परस्पर विचार-विमर्श करने दीजिए और वह आपको एक निमन्त्रण भेजेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : जब सम्बन्धित मंत्री जी इस सदन में उपस्थित हैं तो उन्हें सदन को आश्वासन देना चाहिए कि इसे बन्द नहीं किया जाएगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : सदस्यों की चिन्ता बहुत उचित है। हमें यहां जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे इस क्षेत्र में लागू नहीं किया जा रहा है और वास्तव में श्रमिक उत्तेजित हैं। उद्योग में श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है और यही वास्तविक चिंता का कारण है और यही मैं कह रहा हूं संसद सदस्यों के साथ इस विषय पर चर्चा करने के अतिरिक्त यहां पर इस पर बहस भी होनी चाहिए और इसके लिए समय का नियतन किया जाना चाहिए। हम भी इस बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। यदि वे श्रमिकों की छंटनी कर रहे हैं तो मेरे विचार से उनके पास मंत्रियों को भी 'गोल्डन हैंडशेक' के साथ निकालने का भी एक प्रस्ताव होना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री वर्तमान प्रधान मन्त्री के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

आपके पहले भाग पर सदन में चर्चा करने के सम्बन्ध में हम इसे कार्य मंत्रणा सीमिम में उठाएंगे। हम इस पर चर्चा करने के लिए समय निकालेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, फर्टिलाइजर मिनिस्टर आ गए हैं। वे साफ-साफ कहें कि नहीं होगा। यह एक दस्तावेज है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें सदन को आश्वासम देना चाहिए कि इसे बन्द नहीं किया जाएगा। हमारे पास नोटिस की एक प्रति है कि जब तक धनराशि नहीं दी जाती है, बजटीय समर्थन नहीं दिया जाता है, तब तक तो श्रमिकों की अस्थाई छंटनी की जाएगी और यूनिट को अन्ततः बन्द कर दिया जाएगा। अतः मंत्री जी यहां पर हैं। वे अभी-अभी आए हैं।

जब हमने शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाया कि हल्दिया उर्वरक इकाई को बन्द नहीं

किया जाएगा तो उन्हें दुर्गापुर और बरौनी इकाइयों सहित इस इकाई को पुनः चालू करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए जोकि सम्पूर्ण पूर्वी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक इकाइयां हैं। यदि इन इकाइयों को बन्द किया जाता है तो इससे सारे पूर्वी भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मन्त्री महोदय को इस सदन को आश्वासन देना चाहिए कि सरकार उन इकाइयों को बन्द नहीं करेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम कतिपय नियमों का पालन करेंगे। आप इस बात से सहमत होंगे कि जो सदस्य अपने नाम 10 बजे से पहले देते हैं किसी भी विषय को उठाने के लिए उनके नाम सूची में शामिल किए जाते हैं। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि जो सूची मेरे सामने है, उसी के अनुसार नाम पुकारे जाएंगे।

यदि आपने अपना नाम 10 बजे से पहले दे दिया है और यदि आपका नाम सूची में आ जाता है तो आपको हमारे कार्यालय के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल धैर्य बनाए रखना चाहिए और अध्यक्ष महोदय ने हाल ही में आपके धैर्य की सराहना भी की थी। अध्यक्ष महोदय ने आपको आश्वासन दिया था कि वे शून्यकाल के दौरान आपको बोलने का अवसर देते हुए उदारता का परिचय देंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : धैर्य हमेशा सही नहीं होता। लोगों की नौकरियां समाप्त हो रही हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी, इस विषय को आपने शून्यकाल के दौरान उठाया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसे सरकार के ध्यान में लाया गया है और सरकार ने इस विषय पर विचार किया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री इससे किस प्रकार अनभिज्ञ हो सकते हैं। उन्होंने इसे बन्द करने का निर्णय लिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी क्या आपने सही मुद्दों को उठाने के लिए किसी नियम के अन्तर्गत कोई नोटिस दिया है ?

श्री बसुदेव आचार्य : हम मन्त्री जी से आश्वासन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शून्यकाल में इस तरह का मामला नहीं उठा सकते और हम आशा नहीं कर सकते हैं कि सरकार शीघ्र ही उस पर उत्तर दे···

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मंत्री महोदय इस सदन में उपस्थित हैं। वह इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सम्पूर्ण सदन इस बात की मांग का रहा है कि मन्त्री जी को उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० चिन्ता मोहन, आज आप आकर्षण का केन्द्र बन गए हैं। वे चाहते हैं कि आप कुछ कहें। क्या आप कुछ कह सकते हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेलकूद विभाग और महिला तथा बाल विकास विभाग (कुमारी ममता बनर्जी) : यह मामला मेरे राज्य से सम्बन्धित है। मैं आपको बता सकती हूं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति अत्यधिक खराब है। 22,900 से अधिक छोटे उद्योग और 107 बड़े उद्योग बन्द हैं। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक स्थिति बहुत ही खराब है। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि···(व्यवधान)···मैं आपकी सहायता करना चाहती हूं। मैंने मन्त्री जी के साथ इस मामले पर बातचीत की है। मन्त्री महोदय को यह देखने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए कि ये उद्योग बन्द न हों। इन इकाइयों को चालू रखना चाहिए। यही मेरा मत है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी आपके विचार से सहमत हैं। हमें माननीय मन्त्री जी की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बरौनी यूनिट का बजटरी सपोर्ट विदड्रा कर लिया गया है और आप कह रहे हैं कि क्लोस डाऊन नहीं करेंगे। जब बजटरी सपोर्ट विदड्रा कर लिया है तो आप ही कोई समुचित, स्पेसिफिक तरीका बताइए, कि बरौनी हल्दिया एवं दुर्गापुर क्लोस डाउन नहीं होगी। क्या आप बजटरी सपोर्ट जारी रखेंगे, यह साफ-साफ बताइए।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : मैंने हल्दिया जाकर श्रमिकों से मुलाकात की थी। सरकार को श्रमिकों की समस्याओं के प्रति अत्यधिक सहानुभूति है। माननीय मंत्री जी ने जो पत्र मुझे दिखाया है उसको मैं पढ़ूंगा। मैं माननीय सदस्यों से मिलकर उनके साथ इस पर चर्चा करूंगा। मैं उनके साथ मिलकर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान निकालूंगा। सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या भारत की संसद को गुमराह किया गया है ? हम देखते हैं कि हम कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को लिखते आ रहे हैं कि इसके लिए बजटीय प्रावधान नहीं है और कम्पनी को बन्द के आलावा कोई अन्य चारा नहीं है। उन्होंने केवल एक काम यह किया है कि उन्होंने यह देखने के लिए कानूनी परामर्श लिया है कि श्रमिकों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मन्त्री जी चाहते हैं कि हम उनकी बात पर विश्वास करें कि मन्त्री जी को इस निर्णय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। क्या अधिकारी सरकार को जानकारी दिए बिना इकाईयों को बन्द करने के लिखते रहे हैं ? यहां मन्त्री जी उपस्थित हैं। उन्हें बोलने दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस प्रकार कार्य करती है ? क्या मन्त्री जी को नहीं मालूम कि क्या किया जा रहा है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि उन्हें मालूम नहीं है तो उन्हें सरकार से हट जाना चाहिए। उन्हें यह सब कुछ मालूम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और सभी बहुत नाराज हैं। जैसाकि आप कहते हैं कि अनेक कर्मचारियों, श्रमिकों को निकाला गया है, मेरा सुझाव है कि श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य विभिन्न नेता कार्य मंत्रणा समिति में हैं आप कृपया कर मामलों का समय निर्धारित करिये जिन्हें आप सदन में चर्चा करने हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं। उसके बाद आप मामले पर सदन में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमें मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि नोटिस जारी कर दिया गया है और प्रबन्धक द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्या ऐसा है कि मंत्री जी की जानकारी के बिना हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के प्रबंधकों चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक श्रमिकों को निकालने के लिए इस प्रकार की सूचना जारी कर दी थी ? प्रबन्धकों ने इस इकाई को बन्द करने का निर्णय ले लिया है क्योंकि श्रमिकों को देने के लिए वेतन का पैसा उनके पास नहीं है। उत्पादन नहीं हो रहा है। उन्होंने इस इकाई के उत्पादन को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाये यद्यपि तीन समितियों ने अपने प्रतिवेदन दिए हैं और अपनी सिफारिशें की हैं। इस इकाई को पुनः चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

जब तक सरकार बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम नहीं उठाती है तब तक इस इकाई को किस प्रकार बचाया जा सकता है ? उन्हें सदन को बताना चाहिए, सदन को आश्वस्त करना चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमें सदन में कुछ मानदण्ड बनाए रखना चाहिए। यह सच है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी उत्तेजित हैं। श्रमिकों को निकाल दिया गया है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, यह सब सच है। अब आप यह मामला सरकार की जानकारी में लाये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रक्रिया यह है कि आपको प्रक्रिया के संगत नियमों के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बरौनी का मामला उठा रहे हैं, लेकिन मन्त्री महोदय ने सिर्फ हल्दिया के बारे में बताया है, बरौनी के बारे में मन्त्री महोदय रेसपांस नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप भी सरकार में थे और एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास था।

श्री नीतीश कुमार : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिए, अचानक कोई मामला उठाया जाता है और यदि मन्त्री तथ्यों के विपरीत जानकारी देते हैं तो वे जवाबदेह है, तब आप उनसे पूछ सकते हैं। यह भी ठीक और उचित है कि आप एक सूचना जारी करे, एक अवसर दें उसके बाद सदन में मामला उठायें, उस पर बारीकी से चर्चा करें ताकि सरकार सही बयान लेकर सामने आ सके। यदि आप सूचना नहीं देते और अचानक मन्त्री महोदय से पूछते है, तो वह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बरौनी क्या मामला रेज किया है, मन्त्री महोदय बताएं कि बरौनी का क्या करने जा रहे हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी सरकार में थे। मानलीजिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, तो क्या उसका उत्तर देना संभव है? यह असंभव है। देश काफी बड़ा है। जैसाकि आपने कहा कि अनेक फैक्ट्रियां बन्द की जा रही हैं। किन्तु माननीय मन्त्री महोदय के लिए अचानक इतने तथ्यों और आंकड़ों के साथ सामने आना असंभव है।

श्री नीतीश कुमार : यह कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मन्त्री महोदय को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ समय देना चाहिए। अब, जैसाकि आप सब संहर्ष सहमत हो गए हैं, सूची के अनुसार में माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सेशन शुरू हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि सदन के वरिष्ठतम सदस्य सदन का काफी समय ले लेते हैं और हम लोगों को अपनी बात कहने का समय नहीं मिल पाता है। कई मामले इस प्रकार के सदन में उठाए जाते हैं, जिनको माननीय सदस्य किसी और तरीके से भी सदन में उठा सकते हैं। माननीय सदस्यों को कम समय में अपनी बात कहनी चाहिए, ताकि बाकी सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्यों को संक्षेप में अपनी बात कहनी चाहिए। सदन का आधे घण्टे का समय इन्होंने बरबाद कर दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं पुनः संसद सदस्यों के ध्यान में यह बात लाऊं कि हमने उनकी चिंता को समझ लिया है। मैंने एक वक्तव्य दिया है कि सरकार का छंटनी अथवा ऐसी ही किसी अन्य कार्रवाई को प्रच्छन्न रूप से करने का इरादा नहीं है। मैंने यह भी कहा है कि उर्वरक उद्योग में कुछ समस्या है। माननीय मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कामगारों की समस्या के प्रति सहानुभूतिशील हैं। उन्होंने आगे भी कहा है कि वे संबंधित संसद सदस्यों से इस पर चर्चा करना चाहेंगे ताकि कोई समाधान ढूंढा जा सके, कामगरों की तकलीफें कम की जा सकती हैं तथा एककों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसके बाद हमने हमेशा यह कहा है कि हम चर्चा के लिए सहमत हैं तथा बी० ए० सी० द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए। अब और अधिक क्या बचा है? (व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : क्या माननीय मन्त्री सम्बन्धित पत्र लेने गए हैं या सदन से बाहर चले गए हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा के केन्द्र तीर्थराज पुष्कर का अस्तित्व खतरे में है। आसपास की पहाड़ियों से वर्षा के पानी के साथ भारी मात्रा में रेत और मिट्टी सरोवर में जमा हो गई है, प्राकृतिक जल स्रोत अवरुद्ध हो गए हैं। थार मरुस्थल का बढ़ता हुआ फैलाव भी इसमें सहायक बन रहा है। आसपास की पहाड़ियां भी वृक्ष विहीन होने से पुष्कर का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। किनारे पर स्थित घाटों के पास ही विदेशियों के ठहराने के होटलों का दूषित जल भी पुष्कर सरोवर में आ कर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। देश के कोने-कोने से जाने वाले तीर्थ-यात्रियों को पुष्कर के पुण्य स्नान के लिए जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। हजारों पांडे-पुजारियों की रोजी-रोटी खतरे में है। पुष्कर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशियों के निरन्तर आगमन से लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। परन्तु पुष्कर सरोवर सूखने की स्थिति में होने, हरियाली नष्ट होने, रेगिस्तान के प्रसार तथा पर्यावरण प्रदूषित के कारण पुष्कर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अतः केन्द्रीय सरकार के पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग से प्रबल शब्दों में अनुरोध है कि अन्य तीर्थस्थलों की भांति पुष्कर सरोवर के सर्वांगीण विकास हेतु एक व्यापक एवं बृहद विकास योजना बनाकर पुष्कर सरोवर में जमा रेत और मिट्टी निकलवाकर दूर फिकवाई जाए। इसके साथ ही सघन वृक्षारोपण किया जाए, होटलों को किनारे से हटाया जाए।

मान्यवर, सिंधिया जी यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने अन्य 12 तीर्थ क्षेत्रों का विकास विशिष्ट योजना में सम्मिलित किया है उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ विकास योजना को भी सम्मिलित करें। पर्यटन की दृष्टि से लाखों पर्यटक वहां आते हैं, यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र है, इसलिए इसकी रक्षा की जाए।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस मामले को उठाना चाहूंगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अन्य परियोजनाओं के साथ अमालापुरम में 375 मेगावाट गैस आधारित ऊर्जा परियोजना की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। जैसाकि आप भली-भांति जानते हैं कि ते० प्र० गैं० आ० के खुदाई कार्यों के कारण गोदावरी बेसिन में प्रचुर गैस है तथा आंध्र प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि तत्काल ही गैस आधारित ऊर्जा परियोजराएं विकसित और आरम्भ की जाएं।

ऊर्जा की कमी के कारण आंध्र प्रदेश के इस उपजाऊ क्षेत्र में कृषक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस ओर ध्यान दें कि अमालापुरम की 375 मेगावाट गैस आधारित ऊर्जा परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण शीघ्र स्वीकृति दे दें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री इस परियोजना को तत्काल स्वीकृति दे दें।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा): माननीय महोदय, श्री रमेश सिंह मुण्डा ने बिहार से खूंटी कांस्टीच्यूएंसी से लोक सभा का चुनाव लड़ा था और अभी उप-चुनाव में विधान सभा का भी चुनाव लड़ा था। बिहार सरकार के इशारे पर रमेश सिंह मुण्डा को 24 तारीख को हत्या के मामले में बिना वजह गिरफ्तार करके खूंटी जेल में बन्द कर दिया है। आज पूरे झारखण्ड के इलाके में बिहार सरकार के इशारे पर आदिवासियों पर पुलिस के द्वारा जुल्म किया जा रहा है और हत्या हो रही है।

गोड्डा जिले में कीर्तनिया के पास तीन लोगों की हत्या इस महीने की 5 तारीख को की थी। उसके बाद रामगढ़, हजारीबाग जिले में तामरमोड़ पर पुलिस के द्वारा गोली चला कर एक बच्चे को मार दिया गया। फिर बड़का गांव हजारीबाग में बिरजू महतो, उसके पिता, भाई और बहन को पुलिस ने गोली से मार दिया और उसको नक्सलवादी की उपाधि दे रहे हैं। इस तरह से पूरे झारखण्ड के इलाके में पुलिस पागल हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों का सवाल है। आदिवासियों को झूठे मुकदमे में पुलिस फंसा कर जेल में वन्द कर रही है। अभी जिनको जेल में बन्द किया वे लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार थे।...(व्यवधान) हम भारत सरकार को यह बताना चाहेंगे कि इस इलाके में धारा-144 लगी हुई है। इस इलाके में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासियों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। एक-एक आदमी को पुलिस जेलों में बन्द कर रही है। दो महीने पहले जब से हमने बिहार सरकार से समर्थन वापिस लेने के लिए कहा है तो तब से आदिवासियों को जेलों में बन्द किया जा रहा है और गोली से मारा जा रहा है।...(व्यवधान) हम सरकार से कहेंगे कि यह आदिवासियों का सवाल है...(व्यवधान) पुलिस आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। हम गृह मन्त्री जी से उसका बयान देने की मांग करते हैं। आदिवासियों को झूठा मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। रांची से एक डी० एस० पी० जो एक नेता के रिश्तेदार हैं...(व्यवधान) वहां पर आयोग की इन्वेस्टीगेशन में उनका नाम दिया गया। सात-आठ आदिवासियों को एक-दो महीने में मारा गया है। उसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगरे (वर्धा): उपाध्यक्ष महोदय, 20 जुलाई को राजुर कोलियरी, यवतमाल डिस्ट्रीक्ट महाराष्ट्र में, खदानों की छत ढह जाने से एक व्यक्ति पिलाराम संजोरी मलबे के नीचे दब गया उसका शव बाहर निकाला गया। कई घंटों तक वैसे ही रखा गया और वहां के अधिकारियों ने

कोई ख्याल नहीं किया। उसके रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया गया। इस सात-आठ सौ एजीटेटेड वर्कर्स एरिया मैनेजर के बंगले पर गए। मैनेजर मिलने नहीं आए। लेकिन उन्होंने पुलिस को बुलाया और गोली मारी गई। इसमें दो-तीन लोग मारे गए। इस मामले की जांच होनी चाहिए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करानी चाहिए और न्याय करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र जी, आपको अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे परियोजना देश की मुख्य रेलवे परियोजना है जोकि अब चल रही है। कोंकण रेलवे परियोजना पूरी होने पर कन्याकुमारी को मुम्बई से जोड़ दिया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार काम जारी है। लेकिन चल रही परियोजना के लिए उचित वित्त प्रदान नहीं किया जा रहा है। सरकारी बंध-पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रतिभूति घोटाले की छाया बैंकों पर भी पड़ी है तथा इस प्रकार के बंध-पत्र खरीद रहे हैं जो सरकारी प्रतिभूति स्वरूप के हैं। वहां इस बात का भय है कि भारतीय रेलवे में कुछ उच्च अधिकारी पूरी परियोजना को बेकार करना चाहते हैं तथा वे समुचित धन लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। भारतीय रेल वित्त निगम ने बंध-पत्र जारी किए हैं। अतः, भारतीय रेल वित्त निगम का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि चल रही परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए समुचित धन उपलब्ध कराया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तत्काल मामले की जांच करे अन्यथा सरकार को निर्धारित बैंकों को मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए कि वे बंध-पत्र खरीदने के द्वारा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करें। अन्यथा काम रुक जाने का भय है क्योंकि बहुत से ठेकेदारों के पहले ही काम छोड़ देने की तैयारी कर ली है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष, यहां पर सिंधिया जी बैठे हैं और उनके साथ नवनीत पर्यटन मन्त्री महोदया भी हैं, मैं चाहूंगा वे सुनें। हमारे देश में स्टार टी० वी० का जिस तरह से हमला हो रहा है उस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय चिंतित है। मैं इसलिए यह सवाल उठा रहा हूं कि हमारे···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय रविराय जी बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। यह पूरे सदन से सम्बन्धित है न कि केवल सरकार से।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : क्या यह सही है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए स्टार टी० वी० का इस्तेमाल किया जाता है? आज हिन्दुस्तान में गैर-कानूनी रूप से डिश एंटिना लगाकर काफी तादाद में लोग स्टार टी० वी० देख रहे हैं और हमारा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय इस पर काबू नहीं पा रहा है और

न ही टेलीविजन कंट्रोल एक्ट को बदल पा रहा है। इसलिए सरकार का एक हिस्सा यानि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय स्टार टी० वी० के अतिक्रमण पर काबू नहीं पा रहा है। जबकि पर्यटन मन्त्रालय स्टार टी० वी० के इस्तेमाल का फैसला कर चुका है, जबकि हमें इसके विज्ञापन से कोई राजस्व नहीं मिलता है। इस तरह से सरकार की दोहरी नीति कैसे चलेगी। मैं पर्यटन मन्त्रालय की मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार क्यों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती है? जिस तरीके से हमने विदेशों में सांस्कृतिक मेलों का आयोजन किया था उससे हमें विदेशी मुद्रा का काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं, जबकि इससे हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। इसलिए मैं सिंधिया जी से और उनकी सहकर्मी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि टूरिज्म मिनिस्टरी स्टार टी० वी० का इस्तेमाल क्यों करना चाहती है? मन्त्री जी इस बारे में रिस्पांड करें और बताएं कि सरकार का क्या फैसला है, क्योंकि यह एक नीति का सवाल है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय मन्त्री को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

श्री तारित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, स्पष्टत: मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को नोट कर लिया है। हमारा पर्यटन बजट और हमारा प्रचार बजट पूर्णत: सीमित है तथा विदेश मे टी० वी० टाइम और मैगजीन टाइम खरीदना बहुत महंगा है। निस्संदेह, भारत के सम्बन्ध में हमारी फिल्में विदेश में देखी जानी चाहिए तथा हम चाहते हैं कि विदेशों से पर्यटक यहां आए अत:, यह मामला विचाराधीन है। पर्यटन मन्त्रालय में भी हमारे पास विदेशी मुद्रा बजट है। किन्तु हम इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना तथा इसमें विस्तृत क्षेत्र को शामिल करना चाहते हैं। अत: यह मामला पर्यटन मन्त्रालय के विचाराधीन है। माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। मैं इस मुद्दे पर उस दृष्टिकोण से देख रहा हूं जैसा कि इसे माननीय सदस्य रवि राय जी द्वारा व्यक्त किया गया है। मैं इसे उस दृष्टि से देखूंगा।

लेकिन 7 और 8 फिल्में हो सकती हैं जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं, अत:, कवरेज पूरे उत्तर पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व तथा अन्य क्षेत्रों में भी, जिसे स्टार टी० वी० कवर करता है, करनी होगी। इसकी दरें भी अन्य विदेशी टी० वी० चैनल की अपेक्षा कम हैं। लेकिन आपने जिस नजरिए इस पहलू पर विचार व्यक्त किए हैं मैं उस दृष्टिकोण से भी इसे देखूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं दुर्गापुर में एम० ए० एम० सी० कस्बों के निवासियों पर सी० आर० पी० एफ० द्वारा किए गए घोर आक्रमण की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यह पूर्णत अकारण हमला था जिसमें 30 लोग घायल हो गए थे, उनमें से 9 को हस्पताल ले जाना पड़ा तथा उनमें से एक की हालत गम्भीर है। सी०आर० पी०एफ० के एक ट्रक की स्कूटर से टक्कर हो जाने के बाद क्षेत्र में तनाव हुआ तथा उसके बाद सशस्त्र सी० आर० पी० एफ० के जवानों ने एम० ए० एम० सी० कस्बे में प्रवेश करके घरों में घुस गए तथा लोगों को मारना-पीटना शुरू कर दिया और यहां तक कि बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार को स्पष्ट करना चाहूंगी कि इससे पहले भी केन्द्रीय बलों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है जिससे कि राज्य में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया। नाडिया में भी पहले ऐसा हुआ है। अतः, मैं दोषी जवानों के लिए शीघ्र दण्ड दिलाने की मांग करती हूं तथा जिन पर हमला किया गया है उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। दुर्गापुर के सांसद सदस्य भी यहां हैं। वे इसका ब्योरा देंगे।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस सम्माननीय सदन के ध्यान में हाल ही में हुई एक घटना के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। 27 जुलाई की शाम को एम० ए० एम०सी० कस्बे में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में सी० आर० पी० एफ० की एक गाड़ी (वेन) एक जाते हुए स्कूटर से टकरा गई तथा दो यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गए। कुछ राहगीर इस दुर्घटना पर उत्तेजित हो गए और सी० आर० पी० एफ० के उन कार्मिकों से झगड़ा करने लगे जिनके कारण दुर्घटना हुई थी। और उसके बाद वे लोग इधर-उधर चले गए। लेकिन कुछ देर के बाद सी० आर० पी० एफ० के जवान निकटवर्ती अमरावती, दुर्गापुर की बैरकों से शस्त्रों सहित बाहर आ गए तथा एम० ए० एम० सी० बस्ती में दंगा-फसाद मचा दिया। उन्होंने स्थानीय निवासियों को निर्ममता से पीटा तथा अनेक लोगों को घायल कर दिया। 30 लोगों को हस्पताल ले जाया गया। उन सी० आर० पी० एफ० के जवानों द्वारा घरों तथा दुकानों में तोड़-फोड़ की गई। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल मामले की जांच करे तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड दे। **(व्यवधान)**

श्री तारित बरण तोपदार : महोदय, ऐसी बातें अंग्रेजों के समय में हुआ करती थीं। यह शर्म की बात है कि एक स्वतन्त्र देश में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। केन्द्रीय बल तोड़ फोड़ व नागरिकों पर हमले करते रहें। यह गम्भीर मामला है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल हो गया है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में एक अहम प्रश्न अपने आप उभरने लगा है कि क्या हमारा देश उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण कर पाएगा ? इस सवाल का उत्तर न राजनीतिज्ञों के पास, न सैनिक अधिकारियों और प्रशासन के पास है। देश में आतंकवाद और उग्रवाद के फैलने का प्रधान कारण सरकार की ढुल-मुल नीतियों, राजनीतिज्ञों की संकीर्ण राजनीति, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ है जिसकी पूर्ति के लिए पुलिस बल का प्रयोग करते हैं, न कि राष्ट्रहित में अपराधियों को दबाने के लिए फलतः जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, वे इसका भरपूर दुरुपयोग करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की राजनीति में पुलिस को तत्वों से लाभ उठाने की चाह सी लग गई है। देश में आतंकवाद और उग्रवाद सभी मजबूत होता है जब राजनीतिज्ञ ताकतवर अपराधियों और पेशेवर शातिरों के बल पर अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ लोग कुख्यात अपराध-कर्मियों को संरक्षण प्रदान कर पुलिस बल को अकर्मण्य बनाते हैं। फलतः पुलिस कर्त्तव्यहीनता के कारण उग्रवाद एवं आतंकवादियों शक्ति के बदले शक्ति के सामने सरकार किंकर्त्तव्यविमूढ़ सी होती जा रही है।

अतः देश में अमन-चैन, सुख-शांति और सुधार लाना है तो उग्रवाद एवं हिंसक शक्तियों को कठोरता से सम्पूर्ण नष्ट करना होगा। इसलिए चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुधार लाना होगा, जिससे गरीब एवं दलित लोग निर्भीकता से मतदान कर सकें।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम 10 मिनट और बैठेंगे ताकि कुछ और सदस्य बोल सकें। यदि प्रत्येक सदस्य एक मिनट बोलता है, तो कई सदस्य बोल सकते हैं, लेकिन जिनको अवसर मिलता है वे शीघ्र अपना भाषण समाप्त नहीं करते । भाषण समाप्त करने की समस्या है। हमें शीघ्र अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दामोदर घाटी निगम एक महत्वपूर्ण बहु-उद्देश्य सरकारी उपक्रम है तथा दामोदर घाटी निगम की माजिया सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही एक महत्वपूर्ण योजना नहीं है, बल्कि बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में विद्युत की कमी है तथा 1245 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को यह सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन दो राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी; इस परियोजना पर पहले ही 470 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसकी प्रथम इकाई को मार्च, 1991 में चालू किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है। निर्माण कार्य इसलिए बन्द किया गया है क्योंकि इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई जानी है वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नहीं दी जा रही है।

महोदय, इकनामिक टाइम्स में एक समाचार था कि सरकार माजिया सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को एक निजी कम्पनी को सौंपने की योजना बना रही है। 470 करोड़ रुपये खर्च करने तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कार्यादेश देने के पश्चात्, यदि इसमें किसी निजी कम्पनी को दिया जाता है तो निर्माण कार्य में और विलम्ब होगा। प्रथम यूनिट जिसे मार्च, 1991 में चालू किया जाना था, उसमें और विलम्ब होगा तथा समस्त पूर्वी भारत को नुकसान होगा। इस परियोजना जो पश्चिम बंगाल के एक पिछड़े जिले में लग रही है के निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अतः मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए तथा इस प्रतिष्ठित तथा महत्वपूर्ण परियोजना को निजी कम्पनी को नहीं सौंपा जाना चाहिए। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज देश में कई राज्य सरकारें व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं का निजीकरण कर रही हैं। ऐसा व्यापक स्तर पर हो रहा है।

जैसाकि समाचार में बताया गया है, कर्नाटक में, बड़ी संख्या में प्राइवेट मेडिकल कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं। इस समय, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी विधान पालिका द्वारा व्यावसायिक संस्थानों पर नियन्त्रण सम्बन्धी विधान में परिवर्तन तथा संशोधन किया है। उनके चिकित्सा संस्थानों, इंजीनियरिंग संस्थानों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को निजी ऐजेंसियों को सौंपा जा रहा

*कार्यवही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। मेडिकल तथा तकनीकी कालेजों के लिए केपीटेशन फीस लेना जारी है और इस तरह शिक्षा की स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है हम गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर की कीमत पर शिक्षा का वाणिज्यकरण जारी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें देश में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों के निजीकरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उचित विधान बनाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह यह सहमति हुई थी कि केवल सूची के अनुसार ही नाम पुकारे जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले आवासों की गिरती हुई हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। यह योजना काफी समय से देश में चल रही है जिसमें गांव के हरिजनों और आदिवासियों को आवास बनाकर दिए जाते हैं। मैंने देखा है कि हमारे यहां पिछले 5 सालों में जितने आवास बने हैं, उनका प्राक्कलन यानी एस्टीमेट बहुत ही कम है जबकि पिछले 5 सालों में महंगाई दुगनी से भी ज्यादा बढ़ गई है, इन आवासों के प्राक्कलन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, जिसकी वजह से ये आवास ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। जो बनाए गए हैं, उनकी हालत इतनी कमजोर है कि वे एक वर्ष में ही गिर जाते हैं। सरकार ने यह योजना गरीब हरिजनों और आदिवासियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई है लेकिन इसमें इतने कम पैसे का आबंटन किया जाता है जिससे उन्हें वास्तव में लाभ नहीं पहुंचता है और इन्दिरा आवास एक साल में ही गिर जाते हैं। मेरी मांग है कि पिछले 5 वर्षों में जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, इन्दिरा आवास के लिए भारत सरकार उनके प्राक्कलन को भी उसी तरह बढ़ाए। इनके पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए ताकि इन गरीब आदिवासी और हरिजनों के आवास की व्यवस्था हो सके।

दूसरी मेरी मांग है कि गांवों में जहां भी ये आवास बनाये जाएं आबादी के बीच में बनाये जाने चाहिए ताकि हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा भी हो सके।

[अनुवाद]

श्री वाइल आल अंकलोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल में बाढ़ की गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसे ही मानसून बढ़ रही है, इससे लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की अत्यधिक हानि हो रही है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है भारी वर्षा तथा बाढ़ में अब तक कई जानें जा चुकी हैं। कई हैक्टेयर में नगदी तथा खाद्य फसलें नष्ट हो गई हैं; भारी वर्षा से सैकड़ों घर गिर गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष को 'प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा' वर्ष के रूप मना रहा है। लेकिन अपने अपर्याप्त संसाधनों तथा अल्प मशीनरी से राज्य सरकार लोगों को राहत प्रदान करने में कठिनाई महसूस कर रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राहत कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को तुरन्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैंने इसे उठाने के लिए सूचना भी दी है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मुझे आपके लिए नियम तोड़ना पड़ता है, तो मुझे दूसरों के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। श्री अंजलोज ने आपका मामला बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री योगेन्द्र झा।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 31 तारीख से, यहां हजारों लोगों का प्रदर्शन और रोज धरना बोट क्लब पर चल रहा है, वह इसलिए कि हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, उनके अलावा सबसे पहले साहित्य एकाडेमी ने मैथिली भाषा को स्वीकृत किया था, जिनमें से अब तक 6 भाषाएं ऐसे हैं जो आठवीं अनुसूची के बाहर हैं जबकि साहित्य एकाडेमी ने उन्हें स्वीकृत किया हुआ है।

मैथिली भाषा का साहित्य है, लिखित इतिहास और काफी समृद्ध साहित्य है और एक हजार वर्ष से, दसवीं और बारहवीं सदी से है। वह भाषा भारत और नेपाल के अधिक आबादी वाले इलाके यानी तराई में भी बोली जाती है। नेपाल सहोदर देश है और उससे भाषायी सांस्कृतिक बंधन के लिए यह सहयोग का एक आधार है।

7 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर तक और पी० एच० डी० तक की भी पढ़ाई हो रही है और यह भाषा है। संविधान के मुताविक अपनी संसद में शपथ के लिए भी इसका कई बार प्रयोग हो चुका है। इन सब बातों को दिमाग रखते हुए मेरा आग्रह है कि सरकार का जो विधेयक लाने का विचार है, उसमें आठवीं अनुसूची में मैथिली भाषा को भी शामिल करें।

यह दावा जो मैंने कहा है, वह करोड़ों लोगों का है। भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में इस भाषा में बहुत काम हुआ है। अनेक लोक साहित्य, लोक काव्य इसमें लिखे गए हैं। कई कवि हुए हैं एक किसान वीर लड़ित बारे में, शैलेब के बारे में चूनाभट्ठी के बारे में, दयाल सिंह के बारे में सैकड़ों और हजारों वर्षों से लोक काव्य लाखों कण्ठों से गाए जाते हैं। इसलिए आपके जरिए उपाध्यक्ष महोदय मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम भोगेन्द्र झा जी की बात का समर्थन करते हैं कि मैथिली भाषा को भारत सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : 8 मई, 1992 को भारत के राष्ट्रपति ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वशी तथा मान खुर्द के बीच एक नई उपनगरीय रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। रेलवे ने 100 दिन में उसे बन्द कर दिया क्योंकि 29 जुलाई को लगभग 300 मीटर रेल लाइन धंस गई। यह कल ही बन्द हो गई। इससे उपनगरीय यात्रियों के लिए समाचा उत्पन्न हो गई।

विगत दुर्घटना की चेतावनी रेलवे प्राधिकारियों को एक माह पहले दे दी गई थी लेकिन रेल प्राधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तथा विगत आठ माह में मुख्य लाइन उपनगरीय रेलवे पर, पांच गम्भीर दुर्घटनाएं हुई तथा 18 व्यक्ति मारे गए तथा सैकड़ों यात्री घायल हुए। फिर भी रेल प्राधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य में लापरवाही की है।

यह दुर्घटना केवल यात्रियों के सौभाग्य से ही नहीं हुई।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यथा शीघ्र इस सम्बन्ध में व्यक्तव्य दें तथा उपनगरीय रेल यात्रियों को ऐसा सभी दुर्घटनाओं से बचाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक नियम है। हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं ?

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : मैं उत्तर गुहाटी में आई० आई० टी० के लिए भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने उत्तर गुहाटी में आई० आई० टी० की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। प्रस्तावित आई० आई० टी० उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। लेकिन समस्या यह है कई किसानों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। यह बताया गया हैं कि देश की सबसे बड़ी आई० आई० टी० संस्थान खड़कपुर 1100 बीघा में है, मद्रास 800 बीघा में, दिल्ली से 750 बीघा में कानपुर 700 बीघा में तथा मुम्बई आई० आ० टी० 800 बीघा में है। यह आशंका है कि इस समस्त सौदे में कुछ घोटाला है तथा कुछ लोग इस सौदे में दलाली खाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी पाया गया है कि कृषि भूमि को छीनने के अतिरिक्त लगभग 346 लोगों को अपने गृह राज्य से बेदखल किया जाना है।

इसलिए, मैं सरकार से इस भूमि सौदे की जांच करने तथा इस मामले में बेदखल किए जाने वाले किसानों की समस्या की जांच करने का अनुरोध करता हूं। किसानों का उचित रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, उड़ीसा में हाल ही में आए समुद्री तूफान तथा बाढ़ से 27 तारीख को 15 व्यक्तियों की जानें गई थीं। पारा द्वीप के निकट कम दबाव का क्षेत्र बनने से वाला सोर, पुरी, कटक तथा गंजम के चार तटीय जिलों पर इसका प्रभाव पड़ा तथा उसके परिणामस्वरूप काफी विस्तृत क्षेत्र में तबाही हुई है। इसमें फसलों पर भी प्रभाव पड़ा है। खारे पानी से इस क्षेत्र में खड़ी फसलों को क्षति पहुची है। विशेषकर लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। गंजम जिले में 1990 में तबाही हुई थी, तथा वित्तीय कठिनाइयों तथा निधियों की कमी के कारण उस समय हुई क्षति को पूरा नहीं किया जा सका था। इस बार भी बाढ़ से कई खण्डों में अत्यधिक क्षति हुई है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि श्री बलराम जाखड़ को इस विषय में एक वक्तव्य देना चाहिए। वे यहां थे। पहले, यह मसला उठाया गया था। इसलिए, उन्हें इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह 12 बजे प्रारम्भ हुआ था। पन्द्रह मिनट बढ़ाया जा रहा है। जिन्होंने अपने नाम दिये हैं, केवल उन्हें ही बोलने के लिए कहा जायेगा। कई व्यक्ति बोलना चाहते हैं। आप को मेरे साथ सहयोग करना है। हम यहां कितने समय तक बैठ सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं उनकी बात के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान) इस मामले के सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य दिया जाना चाहिए। उड़ीसा में एक दल भेजा जाना चाहिए। (व्यवधान) स्थिति की समीक्षा करने के लिए उड़ीसा में एक दल भेजा जाना चाहिए। 20 से अधिक व्यक्ति मरें हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के हजारीबाग जिले के नार्थ करनपुरा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की स्वीकृति भारत सरकार एवं एन० टी० पी० सी० दे चुकी है। इसमें 5-500 मेगावाट के दो यूनिट बनाने की मंजूरी हो चुकी थी। अभी सुनने में आया है कि भारत सरकार हजारीबाग में उस पावर स्टेशन को न बनाकर, उसे शिफ्ट करके दूसरी जगह में जाना चाहती है। इससे वहां के आदिवासियों में आक्रोश है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन को वहीं पर बनाया जाए क्योंकि अगल-बगल में बड़े पैमाने पर कोयले की खदानें खुली हुई हैं। इससे उन कारखानों को बिजली दी जा सकेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोगों का आक्रोश भयंकर रूप ले लेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इसलिए सुपर थर्मल पावर स्टेशन को वहीं पर बनाया जाए।

13.18 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्वालियर में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान की स्थापना के लिए स्थान

नगर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान (आई० आई० टी० एण्ड टी० एम०) को ग्वालियर में स्थापित करने का मुद्दा लोक सभा में उठाया है और यह वक्तव्य उनके प्रश्न के उत्तर में है।

संस्थान पर्यटन विभाग की सहायता से स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। इसका एक अधिशासी मण्डल है जिसके अध्यक्ष पर्यटन राज्य मन्त्री हैं और यात्रा व्यवसाय, होटलों, शैक्षिक संगठनों, प्रबन्धन विशेषज्ञों और पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सहयोजित किए गए हैं।

संस्थान 1983 में कुतब होटल में कुछ कमरों में खोला गया था और दिसम्बर 1988 में इसे बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली स्थित अरूणाचल भवन में लाया गया था जहां से 4,166 वर्ग फुट किराए की जगह पर कार्य कर रहा है। इसके स्टाफ में एक निदेशक, उपनिदेशक (फिलहाल दोनों पद रिक्त हैं) व्याख्याताओं के चार पद (जिनमें से केवल दो पद भरे गए हैं) और लगभग 8 सहायक कर्मचारी हैं।

अभी तक इस संस्थान का मुख्य कार्य, नई दिल्ली में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों के अलावा, चार केन्द्रों पर 4 सप्ताह की अल्पावधि के प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना ही रहा है—

—गरवारे इंस्टिट्यूट आफ कैरियर एजूकेशन एण्ड डिवलैपमेंट, बम्बई

—केरल पर्यटन तथा अध्ययन संस्थान, त्रिवेन्द्रम

—पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ

—राजस्थान पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान, जयपुर

इसके अलावा, टैक्सी चालकों, आप्रवासन कर्मचारियों, आई० एफ० एस० प्रोबेशनर्स, पुलिस कार्मिकों, प्रोतोकोल अधिकारियों, दुकानदारों, दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों पर राज्य पर्यटन विभाग के

कर्मचारियों के लिए एक से चार सप्ताह की अवधि वाले लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पर्यटन के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए शुरू किए गए हैं ।

संस्थान की अन्य भूमिका विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा पर्यटन प्रशासन में निष्णात पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देना है । इसके लिए संस्थान ने 1990 से अब तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिवाजी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और अहिल्या बाई विश्वविद्यालय को 2 से 4 लाख रुपए के एक बारगी अनुदान दिया है ।

संस्थान के लिए एक स्थायी परिसर का 1987 से पर्यटन विभाग के विचाराधीन रहा है । 1988 में नोएडा में लगभग 5 एकड़ का एक भू-खंड अभिनिर्धारित किया गया था लेकिन इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए क्योंकि संस्थान का आधारभूत स्वरूप अभी बना था । संस्थान के अधिशासी मण्डल की 19 सितम्बर, 1991 को आयोजित 17वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यात्रा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की जरूरत का वास्तविकता के आधार पर पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया जाए । विचार-विमर्श के दौरान यह अभिमत दिया गया कि मांग को देखते हुए फिलहाल एक पूर्ण-विकसित विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है ।

इसके अलावा, एक राष्ट्रीय पाक संस्थान स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी पर्यटन विभाग में विचारार्थ आया । पर्यटन सेक्टर के लिए प्रशिक्षित जन-शक्ति की जरूरत और प्रस्तावित दोनों संस्थानों के तुलनात्मक संस्थागत लाभों को समग्र रूप से दृष्टि में रखते हुए निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय पाक संस्थान को, जिसमें एक होटल भी होगा, नोएडा में रखा जाए क्योंकि यह दिल्ली के निकट है और भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान को ग्वालियर में स्थापित किया जाए जहां यह विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा । जब इस संदर्भ में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान के लिए स्थायी परिसर के प्रश्न की जांच की जा रही थी, तब जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने संस्थान की स्थापना करने के लिए ग्वालियर में 20 एकड़ भूमि की निशुल्क पेशकश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा । संस्थान के निदेशक मण्डल की 26 फरवरी, 1992 को आयोजित 18वीं बैठक के समक्ष यह मामला रखा गया और अधिशासी मंडल ने संस्थान को ग्वालियर में स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया ।

मैंने माननीय सदस्यों की सूचनार्थ संक्षिप्त वास्तविक भूमिका का उल्लेख किया है ताकि निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया जा सके :—

—पर्यटन सेक्टर में जनशक्ति के विकास की समग्र आवश्यकताओं को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया था कि नोएडा में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान की बजाए पाक संस्थान की स्थापना की जाए । पाक संस्थान को इसके होटल सहित नई दिल्ली के निकट स्थापित करना अधिक लाभकारी होगा । पाक संस्थान में समग्र पूंजी-निवेश प्रस्तावित भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान के परिसर की तुलना में कहीं अधिक होगा । अतः इसका अर्थ यह हुआ कि नोएडा में जो परियोजना पहले प्रस्तावित की गई उसके स्थान पर अब प्रस्तावित परियोजना को स्थापित करना बेहतर नहीं है तो अच्छा अवश्य ही है ।

—उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में संस्थान के अन्तर्गत पहले से ही प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं । दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं । यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएं जहां पर्यटन से सम्बन्धित कार्यकलापों

का विकास किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर में स्थानीय लोगों को ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं मिलें तथा उन्हें लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें।

—इन निर्णयों का समग्र उद्देश्य देश में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना है न कि वर्तमान सुविधाओं में कमी करना। भले ही संस्थान का मुख्यालय कहीं पर हो, दिल्ली और अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। इसमें टैक्सी-चालकों, आप्रवासन कार्मिकों आदि के लिए चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।

—कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था कि संस्थान को ग्वालियर स्थापित करने के निर्णय पर कुछ विद्यार्थियों ने असन्तोष व्यक्त किया है। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, वर्तमान वर्ष के लिए एक पूरा कार्यक्रम पहले ही तैयार हो चुका है और सुनियोजित रूप से चलाया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले किसी भी विद्यार्थी ने मुझसे इस विषय में संपर्क नहीं किया है। मेरे मंत्रालय के अधिकारी भी इन विद्यार्थियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं और यह मामला उनके ध्यान में भी नहीं लाया गया है। न केवल दिल्ली में चलाए जा रहे वर्तमान पाठ्यक्रमों को कार्यक्रमानुसार पूरा किया जाएगा अपितु आगामी वर्षों में भी ये पाठ्यक्रम चलते रहेंगे। इसलिए दिल्ली के विद्यार्थियों को किसी भी तरह प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा।

—पर्यटन मन्त्रालय संस्थान हेतु 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार तथा जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का आभारी है। इस उदार पेशकश से संस्थान अपना वांछित स्तर प्राप्त कर सकेगा।

—अन्त में, मैं माननीय सदस्यों की अनुमति से कहना चाहूंगा कि इस संस्थान के परिसर का पूरा मामला पांच वर्षों से अधिक समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। संयोगवश इन सभी कारणों के मेल से अर्थात् राष्ट्रीय पाक संस्थान की स्थापना, मध्य प्रदेश सरकार का मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में अध्यापन सुविधाओं से जोड़ने से ग्वालियर और मध्य प्रदेश को बहुमूल्य निधि प्राप्त हुई है। दूसरी ओर, नोएडा को इसकी तुलना में बेहतर ही मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य इस परिवर्तन पर असन्तोष व्यक्त न करके इसका स्वागत करेंगे।

———

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे। श्री सुरेन्द्र रेड्डी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या बात हुई यह, यह मेरे क्षेत्र का मामला है।···इस पर 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहकर यह कहना क्या चाहते हैं ?···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी भी कोई माननीय मन्त्री वक्तव्य देंगे, तो आप उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। यह नियम है। अत: श्री अग्निहोत्री आप कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं।

अब श्री सुरेन्द्र रेड्डी बोलेंगे।

———

1.28 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आजम जही मिल, वारंगल टाउन (आंध्र प्रदेश) को आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों की श्रेणी से हटाए जाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : महोदय, आजम जही मिल का पंजीकरण 1931 में हुआ था और वारंगल टाउन में स्थित है। सामान्यत: यह मिल तेलंगाना क्षेत्र के विशेषकर वारंगल के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में एकमात्र संगठित कपड़ा मिल है और वारंगल जिले में सबसे बड़ा उद्योग है। यह 2000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से विभिन्न सहायक क्रियाओं के माध्यर से करीब 30,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार ने आजम जही मिल को आर्थिक रूप से अक्षम मिलों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। आजम जही मिल यूनियन ने प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वे सम्बन्धित अधिकारी को, अजाम जही मिल को बन्द की जाने वाली मिलों की सूची से मुक्त रखने और लगभग 30,000 व्यक्तियों की आजीविका बचाने और आजम जही मिल को एक आधुनिक संगठित मिल बनाने के लिए इसके आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक निधियों के आबंटन की व्यवस्था करने सम्बन्धी निर्देश दें। यदि यह सम्भव न हो तो मैं भारत सरकार से, इस मिल को राज्य सरकार को सौंप देने का अनुरोध करता हूं।

(दो) काजू श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी देश में अन्य बागान श्रमिकों के बराबर नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : मैं माननीय सभा का ध्यान, देश में काजू श्रमिकों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश के काजू कारखानों में 1.5 मिलियन से भी अधिक श्रमिक रोजगाररत हैं जिसमें अधिकांश महिलायें हैं। उनकी साप्ताहिक मजदूरी मात्र 12 से 45 रुपए है। उन्हें प्रतिदिन 12 घण्टे काम करना पड़ता है। अत्यधिक कार्य और अल्प-पोषण के कारण वे अक्षम हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। वे सप्ताह के सातों दिन कार्य करते हैं। चूंकि उन्हें एक दिन का भी विश्राम नहीं मिलता, उनके हाथ सहज ही जख्मी और खराब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कार्य करते समय बहुधा दस्ताने उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। उन्हें मिट्टी और पानी से हाथ धोना पड़ता है और उन्हें हाथों की सफाई के लिए साबुन नहीं दिया जाता है। काजू के कारखानों की स्थिति पूरी तरह स्वस्थ्यकर और कार्य करने के लिए सुरक्षित नहीं है।

पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में कई गरीब महिलाओं के लिए काजू कारखाने आजीविका के एकमात्र उपलब्ध साधन हैं। काजू श्रमिकों ने अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कोई मजदूर संघ नहीं बनाया है।

इस तरह मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों को काजू श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अन्य बागान श्रमिकों के बराबर नियत करने की सलाह दें।

(तीन) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के उपबंधों को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भारत सरकार ने एक विशेष अधिनियम-आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 प्रथमत: पांच वर्ष के लिए बनाया। फिर इसकी अवधि 1992 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। हालांकि नए प्रावधानों में उपभोक्ताओं या कृषकों के हित की कोई बात नहीं है, फिर भी व्यापारियों के लिए निम्न प्रावधान कठोर हैं :—

1. विशेष न्यायायलय द्वारा संक्षिप्त सुनवाई में ही निर्णय।

2. आवश्यक रूप से कम से कम तीन माह की व अधिकतम दो साल तक के कारावास का प्रावधान।

3. पूरे स्टाक को जब्त करना व उसे उचित मूल्य की दूकानों से कम मूल्य पर बेचना।

4. इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती घोषित करना।

5. व्यापारी को तुरन्त गिरफ्तार करके पुलिस की या न्यायिक हिरासत में रखना।

6. ऐसे अपराधों के लिए आगे अपील पर भी पाबन्दी लगाया जाना।

भारतवर्ष के सम्पूर्ण व्यापारियों में इन प्रावधानों के कारण घोर असंतोष है और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए कल (28-7-92) बोट क्लब पर प्रदर्शन भी किया था और 7 अगस्त से निरन्तर इसका विरोध करने के लिए प्रांत अनुसार धरने का कार्यक्रम है। क्योंकि सरकार इन विशेष प्रावधानों को वापस लेने के बजाए अगस्त, 1992 से और आगे बढ़ाना चाहती है। अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन प्रावधानों की अवधि नहीं बढ़ायी जाए और इन प्रावधानों को समाप्त किया जाए।

(चार) बिसालपुर सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान करने और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नारायण बेरवा (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले की आबादी लगभग 12 लाख है जिसकी लोगों का मुख्य जीविकोपार्जन का मुख्य धन्धा खेती पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यद्यपि यहां की बनास नदी अजमेर जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराती है परन्तु सरकार आजादी के 44 वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। इस क्षेत्र की जनता के अथक प्रयास से गत कुछ वर्षों से बिसलपुर योजना कार्य प्रारम्भ किया गया है। यद्यपि अभी तक योजना अजमेर एवं जयपुर जिले के पीने के पानी के

लिए है परन्तु टोंक जिले के गरीब, निर्धन, त्रसित किसान अभी तक भी सिंचाई के साधनों से महरूम हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बिसलपुर योजना को सिंचाई परियोजना के रूप में भी स्वीकृति प्रदान करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान की पुरजोर अपील करता हूं जिससे टोंक जिले के किसान खुश हाली की अग्रसर हो सकें और हमेशा पड़ने वाले अकाल से जूझ सकें।

(पांच) **बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता**

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : बिहार में पर्याप्त चीनी मिलें न होने से किसानों का एक तिहाई गन्ना ही चीनी मिलें पेर पाती हैं। इससे सरकार को जहां भारी राजस्व प्राप्त होना चाहिए वहां नुकसान होता है। किसानों का दो तिहाई गन्ने की फसल या तो बर्बाद हो जाती है या फिर खेत में ही समय पर पेराई नहीं होने के कारण सूख जाती है। फिर उसे खेतों में जला दिया जाता है जिससे किसानों को फायदेमंद दाम नहीं मिल पाता है। अगर किसानों के पूरे गन्ने का इस्तेमाल चीनी मिलें करने लगें तो उससे सरकार को कर के रूप में करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे।

मिलों की कमी से राज्य में चीनी का उत्पादन कम होता है जबकि गन्ना हमारे पास पर्याप्त है। किसानों का दो तिहाई गन्ना कोल्हुओं और क्रेशरों पर जाने से राज्य सरकार को लगभग करोड़ों रुपये का नुकसान प्रतिवर्ष होता है। साथ ही किसानों को गन्ने के मूल्य के रूप में कम रुपए मिलते हैं। मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी जिले में गन्ने की अच्छी फसल होती है। यहां के लोग गन्ने की खेती वृहद पैमाने पर करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड में केन्द्र सरकार द्वारा 90 में चीनी मिल स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण भी कराया गया। परन्तु आज तक औराई में चीनी मिल स्थापित नहीं हो सकी है। यहां एक मिल के स्थापित हो जाने से औराई, मिनापुर, कटरा, रून्नी सैदपुर, पिपराही, बेलखंड, तरियानी आदि प्रखंडों के किसानों को लाभ होगा।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि औराई में अविलंब चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी कर जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

(छह:) **नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी द्वारा हो रहे भूमि के कटाव को रोकने के लिए उपयुक्त योजनाएं आरम्भ किए जाने आवश्यकता**

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : गंगा नदी के तटबंध के साथ-साथ काफी विशाल क्षेत्र में भूक्षरण हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में इस नदी के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन का भूक्षरण हो चुका है। यह संरक्षण नवद्वीप से लेकर सान्यालचर, चनाडेह और कल्याणी तक हुआ है। यह एक गम्भीर समस्या है। इस गम्भीर भूक्षरण के कारण इन क्षेत्रों के लोग बेघर हो गए हैं और उनके पुनर्वास की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इससे न केवल कृषियोग्य भूमि को ही नुकसान हुआ है बल्कि बड़ी संख्या में स्कूल इमारतें और अन्य संस्थान भी नष्ट हो चुके हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मामले की जांच करे तथा समुचित योजनाएं बनाए

(सात) केरल में कालीकट स्थित पासपोर्ट कार्यलय की कार्य प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : देश में कालीकट, केरल स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए सर्वाधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन अन्य पासपोर्ट कार्यालयों की तुलना में इस कार्यालय की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। 1991 में, इस कार्यालय में निपटान के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्रों संख्या 2.5 लाख थी। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए एक पासपोर्ट अधिकारी तथा पांच अधीक्षक हैं।

इसके परिणामस्वरूप, इतनी भारी संख्या में आवेदन पत्रों को पुलिस सत्यापन हेतु भेजने में दो माह से भी अधिक का समय लग जाता है। केरल में कई युवाओं को पासपोर्ट जारी होने के न कारण— यद्यपि उन्हें बीजा जारी कर दिया गया था—उन्हें विदेशों में रोजगार देने से इन्कार कर दिया गया है।

यह कहा जाता है कि कालीकट में कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न होने के कारण वहां आवर्जन कार्यालय नहीं खोला जा सका। लेकिन कारीपुर में एक हवाई अड्डे द्वारा अपना काम शुरू कर देने के बाद भी प्राधिकारियों द्वारा आवर्जन कार्यालय खोलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतः यह अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.40 म० प० पर पुन समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.39 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भेजना के लिए 2.40 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.47 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 47 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मद्रास रिफाइनरीज लि० तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझोता ज्ञापन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझोता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखें संख्या एल० टी० 2370/92]

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

(2) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखें संख्या एल० टी० 2371/92]

(3) आयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखें संख्या एल० टी० संख्या 2372/92]

(4) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखें संख्या एल० टी० 2373/92]

(5) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2374/92]

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्यकरण तथा वर्ष 1988-89 के लिए उसकी वार्षिक रिपोर्ट की पुनरीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखें संख्या एल० टी० 2375/92]

2.48 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अधीन देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा करेगी। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे न तो सदन को और न ही माननीय मंत्री जी को यह बताने की आवश्यकता है कि दीर्घकालिक परिणामों के संदर्भ में सूखा बाढ़ की तुलना में विनाशकारी है। बाढ़ के विपरीत सूखे का दुष्प्रभाव दीर्घकालिक प्रकृति का होता है। हमें याद है कि काफी समय पूर्व पंडितजी ने कहा था कि बाढ़ का हितकर प्रभाव भी पड़ता है। अब यह एक ऐसी समस्या है जिसका हम नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं। हम वर्षा पर नियंत्रण नहीं लगा सकते हैं। ये न तो संसद की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का अनुसरण करती हैं और न ही भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिदेशों द्वारा उन्हें दिशा प्रदान की जाती है। प्रश्न यह है कि इसके दो प्रकार के परिणाम होते हैं जिनकी ओर मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मुझे केवल प्रश्न करने हैं।

एक तो अल्प-कालिक परिणाम हैं और उन अल्प-कालिक परिणामों से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ष कभी यहां, कभी वहां सूखा पड़ता रहता है। सबसे पहले तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली आकस्मिक योजना होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह पहली चीज होनी चाहिए क्योंकि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की आय के समस्त साधन बन्द हो जाते हैं। दूसरे हमारे पास एकमुश्त योजना होनी चाहिए। देश के अन्य हिस्सों से इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य और चारे के परिवहन हेतु प्रबन्ध होना चाहिए। तीसरे—मुझे यहां थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है और मैं वाकई नहीं जानता कि समाधान क्या है—चूंकि आय का उपार्जन पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सकता। खाद्य वस्तुओं तथा चारे पर सबसिडी दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि इसमें कठिनाइयां हैं। हमारे देश के बाहरी ताकतों द्वारा सबसिडी दिए जाने पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है। बजट में भी हम सबसिडी घटाने पर विचार कर रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्री अकेले दे सकते हैं या नहीं। मुझे वास्तव में नहीं पता है। लेकिन सबसिडी तो देनी ही होगी। उसके बाद, आयात हस्तक्षेप की समस्या है। जैसी हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति है, उसमें जब तक उस सीमा तक हमारी आयात-निर्यात नीति में संशोधन नहीं किया जाता तब तक आयात में हस्तक्षेप करना काफी कठिन होगा पिछले वर्ष आयात को कम करने के बाद, हमने पहले से ही इसमें छूट देना शुरू कर दिया है और इस मार्च और अप्रैल माह के दौरान हमारे व्यापार सन्तुलन में रिकार्ड घाटा हुआ है। जब तक कुछ खाद्यान्नों का आयात नहीं होता है तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। खाद्यान्नों के भण्डारण का स्तर काफी नीचे होने के कारण, यह बात मुझे कहनी पड़ रही है और मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्री इसका क्या उत्तर देंगे। लेकिन मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि यह प्रश्न बार-बार मेरे मस्तिष्क में आ रहा है। और मुझे इसका उत्तर पता नहीं सूझ रहा। यह मैं आप पर छोड़ता हूं। ये तो अल्प-कालिक प्रभाव वाले परिणाम हैं।

लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ने वाले परिणाम भी हैं। दीर्घकालीन प्रभाव वाले परिणाम के सम्बन्ध में, मैं सूखे को पानी की अनुपलब्धता—न केवल मात्रा की दृष्टि से बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी के रूप में लेता हूं। हम यह प्रसिद्ध लोकोक्ति तो जानते ही हैं कि "वैसे तो पानी सर्वत्र दिखता है लेकिन पीने के लायक एक बून्द भी नहीं है।" आपको पानी दिखाई तो पड़ता है लेकिन आप सूखे की समस्या से निपट नहीं पाते हैं। मैं, पेयजल आपूर्ति की समस्या पर कृषि मन्त्री तथा उनके माध्यम से जल संसाधन मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में दीर्घावधि में अच्छे किस्म के जल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जोकि 'आर्सेनिक विष' से दुष्प्रभावित किया जा रहा है। मुझे यह पता नहीं है कि क्या वे इस बारे में जानते हैं अथवा नहीं। हुगली नदी के बायीं ओर के अनेक जिलों में आर्सेनिक

रसायन के अत्यधिक जमाव के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। न केवल पानी की ऊपरी सतह अपितु गहरी तथा तीसरी सतह भी आर्सेनिक रसायन से दुष्प्रभावित हैं। 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, माल्दा, बर्दवान तथा वीरभूम जिले इस प्रकार प्रभावित हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा भी इस प्रकार का अध्ययन किया गया है, तथा यह बताया गया है कि भौगोलिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप छोटा नागपुर पहाड़ों के आर्सेनिक रसायन की कुछ परतें इतने गहरे स्तर पर भी बहकर आ रही हैं। इस प्रकार का दूषित जल न तो कृषि के काम आ सकता है और न ही पीने के काम में लाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार असमंजस की स्थिति में है। सारे नल कूपों—दोनों ही कम गहराई वाले तथा अधिक गहराई वाले, पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है तथा उन्हें भूमि में से निकालना पड़ेगा। पेयजल प्राप्त करने के लिए सम्भवत: 1000 मीटर नीचे की गहराई तक जाना पड़ेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के विनाश का एक असहाय साक्षी बनी हुई है। पेयजल अथवा अच्छे किस्म के जल की समस्या सूखा जैसी स्थिति भी पैदा करती है तथा इस स्थिति से उभरने हेतु कुछ उपचार करने होंगे।

दीर्घावधि उपाय क्या हैं? हमारा वर्षा पर कोई नियन्त्रण नहीं है। परन्तु सूखे का जल की उपलब्धता तथा वर्षा की उपलब्धता से सीधा सम्बन्ध नहीं है। यदि हम ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का जिनके द्वारा हम पानी संग्रहित कर सकते,हों, को नियंत्रित कर सकते तो हम लोग समस्या का कुछ ज्यादा अच्छी तरह समाधान कर सकते थे। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी और अनेक बार हमने कहा है कि हम अपने संसाधनों के विस्तार को कम नहीं करेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश, अभी भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा करना है और उनमें से कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरूआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अत:, जब तक हम अपने संसाधनों को ऐसी सिंचाई परियोजनाओं, जिन पर कार्य चल रहा है, शीघ्र ही पूरा करने हेतु केन्द्रित नहीं करते हैं, तब तक हम वर्षा की कमी के दुष्प्रभाव को कम नहीं कर पायेंगे और इस प्रकार सूखा से प्रभावित क्षेत्र को कम नहीं कर सकेंगे। उदाहरणार्थ तीस्ता, जिसके लिए केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। इस वर्ष यह अधिक संगत है विशेषकर इसलिए कि उत्तरी बंगाल के कुछ जिले, पश्चिम बंगाल में अन्यत्र स्थानों पर वर्षा होने के बावजूद सूखा से प्रभावित हैं। दूसरे, यदि जल प्रबंधन का कार्य ग्राम पंचायती संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है जोकि सर्वमान्य हो।

अत: दीर्घावधि उपायों के लिए जिनकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि हमें संसाधनों को सारे देश की अनेक परियोजनाओं पर केन्द्रित करने के बजाय आपको कुछ क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा परियोजनाओं को यथासंभव शीघ्र पूरा करना चाहिए। जैसे कि तीस्ता के मामले में किया जाना चाहिए। दूसरे स्थानीय निर्वाचित निकायों को जल प्रबन्ध के रख-रखाव का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे विचार से यदि जितनी वर्षा हम चाहते हैं नहीं होती है तो सूखे के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है तथा ये कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं मन्त्री महोदय के विचारार्थ छोड़ रहा हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में सूखे की स्थिति जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय की पुन:रीक्षा करते समय यह समझना उचित तथा तर्कसंगत होगा कि हमारे यहां सभी सम्भावित स्रोतों से वास्तव में कितनी जल की उपलब्धता है।

यह विचित्र बात है कि कुल उपलब्ध जल की मात्रा में से लगभग 97 प्रतिशत जल लवणीय है

जोकि समुद्र तथा महासागरों में हैं। बाकी 3 प्रतिशत जल की मात्रा में से काफी अलभ्य हैं जोकि या तो हिम नदी में जमा हुआ है या भूतल गहराई में हैं। हम लोग नदियों, झीलों तथा लभ्य जल साधनों के उपलब्ध जल पर अपनी तृष्णा को मिटाने, गन्दगी को हटाने, फसलों की सिंचाई करने तथा उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने हेतु आश्रित हैं। हमारे उपयोगों के लिए उपलब्ध जल केवल 0.3 प्रतिशत ही हैं। दुर्भाग्यवश, इतने कम तथा बहुमूल्य जल को जरूरत से अधिक काम में लाया जा रहा है। औद्योगिक कचरा, मल-जल तथा फसलों के बह जाने से हमारी नदियां तथा झीलें रसायनिक गन्दिगी से भर जाती हैं और जल आपूर्ति प्रदूषित हो जाती है। भूमि-कटाव से बांध के पास नदियों में मिट्टी जमा हो जाती है, तथा जल विद्युत योजनाओं से काफी मात्रा में अपूर्णनीय भू-जल भण्डार सोख लिया जाता है तथा उससे सूखा हो जाता है।

एक विश्वव्यापी आंकड़ों से यह पता चलता है कि खराब जल प्रबन्धन के कारण प्रतिदिन 25000 हजार लोगों की मृत्यु होती है। विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 4.6 मिलियन पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चे पेचिस से मर जाते हैं।

इस पृष्ठ भूमि के साथ हमें विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए स्थानीय समस्या के बारे में विचार करना होगा तथा उसी के अनुरूप कार्य करना होगा।

3.00 म० प०

उड़ीसा राज्य में जल की भीषण समस्या हैं। यहां पर खराब जल प्रबन्धन के कारण बाढ़, सूखा, मृत्यु अथवा जन-धन की क्षति बहुत अधिक होती हैं। बांध क्षेत्रों जैसे स्वर्णरेखा जलागार परियोजना में लोगों कों विस्थापित करने पर ध्यान न दिया जाना, अनियन्त्रित वनों की कटाई के परिणामस्वरूप कालाहांडी तथा बोलंनगिर जिलों में वर्षा तथा भू-जल स्तर (टेबल) में कमी, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था आदि, कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं। नौंवी लोक सभा में, मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न 316 के उत्तर में तत्कालीन मन्त्री महोदय ने 4 अप्रैल, 1990 को बताया था कि उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई क्षमता की केवल 50.3 प्रतिशत क्षमता को ही सृजित किया गया है, जबकि उसी अवधि में यह सारे देश में यह 70 प्रतिशत था। अतः इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य के लिए काफी सुधार किए जाने की गुन्जाइश है।

इसके अलावा, गंजाम जिला जोकि उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है, एक कृषि प्रधान जिला है। इसके एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, में सात विधान सभा क्षेत्र हैं अर्थात् छत्तरपुर, गोपालपुर, बरहामपुर, छिकिटि, मोहाना, परलखमुंडी तथा रामगिरि हैं। यह बड़े खेद की बात है कि इन सभी खण्डों में खराब जल संसाधन प्रबंधन हैं। गत वर्षों के महापुरुषों द्वारा अपनी दूरदृष्टि तथा लोकोपकारी गुणों के कारण उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये जल साधनों की भी उपेक्षा की जा रही हैं।

इस बात को सोदाहरण संक्षेप में स्पष्ट करने के लिए परलाखेमुडी तालुक जहां का मैं हूं, में 527 बड़ी तथा छोटी परियोजनाएं हैं, जोकि पूरे उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक है। यह स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द्र गजपति जिनकी जन्म शताब्दी पूरे उड़ीसा में वर्ष भर वे उत्साह से मनाई जा रही हैं, के प्रयासों के कारण हुआ है। उन्होने इस प्रकार के कृषि आधारभूत ढांचे को बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च

किए हैं। तथापि विषमता यह है कि उनके गृह नगर में गर्मी के महीनों में पानी की भीषण कमी रहती है। वहां का जो मुख्य जल स्रोत सीता सागर है वह जलीय पौधों के कारण गाद से भर जाता है जिससे गर्मियों में यह सूख जाता है।

इसके अलावा, बैंजल सरिता, जोकि परलखमुंडी शहर के बाहर है, जल आपूर्ति का एक चिर-स्थायी स्रोत है, अभी भी उपयोग में नहीं लाया गया है। अनेक वर्षों तक राज्य सरकार को यहां की स्थिति से अवगत कराने तथा अनुरोध करने पर अन्त में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री जे० बी० पटनायक ने 1989 के शुरूवात में इस समक्ष परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस बिलम्ब से शुरू की गई प्रमुख सिंचाई योजना का वास्तविक कार्यान्वियन भी एक स्वप्न ही है। विलम्ब से कार्यान्वियन के कारण इस परियोजना की लागत जोकि वर्ष 1979 में अनुमानतः 75 लाख थी वह वर्ष 1989 में बढ़कर 3.5 करोड़ रुपये हो गई है। प्रचलित लोकोक्ति 'समय का टाका नौ टाकों के बराबर होता है' इस परिस्थिति में अधिक सत्य साबित नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि उचित समय पर उचित राशि व्यय की जानी चाहिए।

कई ऐसे गांव हैं, विशेषतः कृषि पर आधारित छत्तरपुर, मोहाना तथा रामगिरी विधान सभा क्षेत्र, जहां पर न तो सिंचाई सुविधाएं हैं और न मूलभूत पेयजल सुविधाएं। छत्तरपुर के मामले में, सिंचाई परियोजनाओं का अब तक कार्यान्वियन नहीं हुआ है, जबकि जनजातिय बाहुल्य रामगिरी तथा मोहाना के मामले में, जो थोड़े बहुत जल संसाधन उपलब्ध हैं वहां, गांवों में उचित सड़क सम्पर्क सुविधा न होने के कारण पहुंचना कठिन होता है।

जबकि मैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आम बजट में आबंटित वित्तीय राशि को सिद्धांततः स्वीकार करता हूं। यह केन्द्र सरकार के लिए अत्यावश्यक हो जाता है वह यह सुनिश्चित करे कि इन वित्तीय आबंटनों का यथाशीघ्र सही ढंग से उपयोग किया जाए ताकि लोगों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं, जहां बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सदैव बढ़ती हुई मांग की अपेक्षा जल संसाधनों की उपलब्धता बहुत कम हैं। अतः सरकार, हमारे देश की प्रमुख नदियों, जिनका लाखों क्यूसेक मूल्यवान जल बेकार, समुद्र में चला जाता है, को आपस में जोड़कर जल संसाधनों का राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का जो मास्टर प्लान हैं, उसको कार्यान्वित कर अच्छा कार्य करेगी।

अन्ततः, सूखे की स्थिति की पुनरीक्षा जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम सूखे से संबंधित समस्याओं पर विचार न कर लें। जब सूखा पड़ता है तो इसके कारण भीषण अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। अतः केन्द्रीय पूल से अकाल क्षेत्रों में अधिक खाद्यान्न भेजा जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य में, खासकर अल्पवृष्टि वाले मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर में पिछले दो महीनों से सूखे के कारण वहां की खेती सूख गई है जिसके परिणामस्वरूप संतोषजनक फसल नहीं होगी। अतः मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इससे की पूर्व वहां भूखमरी की स्थिति पैदा हो, वह केन्द्रीय पूल से उड़ीसा को ज्यादा बीज एवं खाद्यान्न शीघ्र भिजवाए, जैसाकि उसने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के लिए किया है। कुछ राज्यों जैसे त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के सरगुजा जिलों में, जहां भूख के कारण कुछ मौतें हुई हैं वहां के लिए भी अनुकूल विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी सुझाव देता हूं कि सारे देश में, खासकर सुदूर कृषि क्षेत्रों जैसे उड़ीसा राज्य के गंजम जिले, जहां धान/चावल को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त गोदामों की वास्तव में जरूरत है, भारतीय खाद्य निगम के और अधिक गोदाम बनाए जाने

चाहिए। परिणामस्वरूप केबल सरकारी अधिप्राप्ति, मिलाकर तथा धान उपजाने वाले किसानों की समस्याएं आदि काफी समस्याएं हैं। छोटे किसानों को उदार ऋण तथा राजानुदान प्रदत्त उर्वरक निशुल्क दिया जाना चाहिए।

अत: मैं, हमें प्रचलित लोकोक्ति 'इलाज से परहेज बेहतर है' को याद रखना चाहिए। अब, स्वतन्त्रता के प्राप्ति के 44 वर्षों बाद भी, हमें यह भरसक प्रयास करना चाहिए कि, हम पूर्णतः मौसम पर आश्रितता से मुक्त हो जाएं तथा वर्ष-दर-वर्ष प्रकृति के सनक का शिकार न बनें।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वाले तो कभी सदन में हाजिर ही नहीं रहते।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सरकारी पक्ष उदासीनता बरत रहा है सदन के प्रति।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : कोरम नहीं है सदन में।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोरम की घंटी बजाइये।

श्री गोपीनाथ गजपति : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही विरोधाभास है कि जब हम देश में सूखे की स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, अभी-अभी समाचार मिल रहे हैं कि खाड़ी में गहरे दबाव के कारण समुद्री तुफान आ गया है तथा वह पारादीप-बालसोर तट को पार कर गया है जिसके कारण अब तक वहां 15 लोग मर चुके हैं तथा कई क्षेत्रों में तबाही हुई है। यह भी रिपोर्ट आई है कि कई मकानों को क्षति हुई है, कई पेड़ जड़ समेत उखड़ गए हैं, दूरसंचार तथा विद्युत व्यवस्था टूट गई हैं, अच्छा फसल वाले काफी बड़े क्षेत्र में खारा पानी भर गया है जिसके बारे में आज ही सुबह मेरे विद्वान मित्र साथी श्री शिवाजी पटनायक ने मामला उठाया था। गंजम जिले के दक्षिणी भाग में भी निरन्तर वर्षा होने के कारण सम्पत्ति का काफी नुकसान हुआ है तथा वंशधरा और रूसीकुल्य नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बहने लगी है।

मेरी उड़ीसा राज्य तथा केन्द्र सरकार से यह पुरजोर अपील है कि वे इस गम्भीर स्थिति का सामना युद्ध स्तर पर करें जिससे और अधिक जान तथा माल के नुकसान को बचाया जा सके। धन्यवाद, महोदय।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अन्ततः इस सरकार को देश में व्याप्त गंभीर सूखे की स्थिति की समस्या पर विचार करने के लिए समय मिल गया··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अच्छा हिन्दी में बोलूं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारे जो मंत्री महाशय इधर बैठे हैं, वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर पायेंगे इसलिए की बार-बार वे कह रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

हमें सरकार से पिटा-पिटाया उत्तर मिलता है कि नौवें वित्त आयोग ने आपदा सहायता कोष में उपलब्ध राशि के वितरण हेतु कुछ निर्देश निर्धारित किए हैं वे केवल उसकी वितरक एजेंसी हैं। यदि ऐसा मामला है, तो क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं? कि मन्त्रालय बनाने की क्या आवश्यकता है? कृषि विभाग के लिए हमने मंत्री क्यों रखा है, यदि वे केवल उस वितरक एजेंसी के प्रमुख हैं?

महोदय, सदन में माननीय मन्त्री महोदय भी उपस्थित हैं जब उपलब्ध कोष के वितरण हेतु नौवें वित्त आयोग से पूछा जाता है तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि उनके दायित्व समाप्त हो गए हैं? क्या सरकार ने कभी भी एक क्षण के लिए सूखे के कारण जो समस्याएं उठी खड़ी हुई हैं उनके बारे में सोचा भी है?

हमें रिपोर्ट मिली है कि इस वर्ष गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है।

सूखे की स्थिति मुख्यतः वर्ष 1991-92 में मानसून के न आने के कारण हुई है इसके कारण देश के उन राज्यों के 70 लाख लोगों पर, तथा 18 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके कारण खरीफ की 7 लाख टन खाद्यान्न को भी क्षति हुई है। इस 7 मिलियन टन खाद्यान्न की कीमत 3 करोड़ रुपया है। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपये की नगदी फसलें जैसे तिलहन, कपास की भी क्षति हुई हैं। और मवेशियों की काफी बड़ी संख्या पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है।

हमें पता है कि भीषण सूखे के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आएगी जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और बड़ी संख्या में किसान तथा कामगार बेरोजगार हो जायेंगे इन सभी समस्याओं का सामना सही समय पर करना होगा।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक जिम्मेदार सरकार है। यदि वह जिम्मेदार सरकार हैं तो क्या उसे ऐसी स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर स्थिति का सामना करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं करनी चाहिए?

एक माननीय सदस्य : क्या हमें सूखे का भी पूर्वानुमान लगाना चाहिए?

श्री वी० धनंजय कुमार : एक जिम्मेदार सरकार को हमेशा सूखे, बाढ़ की तबाही तथा देश की और कोई ऐसी स्थिति जोकि अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करती है, और जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी तथा कीमतें बढ़ती हैं, का पूर्वानुमान पहले ही कर लेती हैं।

मैं, कर्नाटक में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर आ रहा हूं। कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग के जिलों जैसे बीदर, गुलबर्गा, रायचुर तथा बीजापुर और तुमकुर जिला जहां के आप निवासी हैं, मुझे यह भी बताया गया है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में चिकनयाकन्ना हाल्ली तथा गुब्बी में जैसे स्थान भी अल्प वृष्टि के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गुलबर्गा शहर में तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि भीषण पेयजल की कमी के कारण वायुयान द्वारा वहां पेयजल पहुंचाना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पानी वायुयान से पहुंचाया गया था या रेल से? क्या उन्होंने पेयजल की आपूर्ति रेल से की या वायुयान से?

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : क्या आप अगली बार उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे ?

श्री वी० धनंजय कुमार : यह कोई किसी चुनाव क्षेत्र से लड़ने का प्रश्न नहीं है। यदि आपको इस सदन में निर्वाचित होकर आना है, या देश के किसी भाग में जाते हो तो आपको सर्वप्रथम इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं पीठ को ही सम्बोधित कर रहा हूं। पीठ भी देश के लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिन समस्याओं को लेकर उतनी ही चिंतित है।

महोदय, कर्नाटक में 8.12 लाख हैक्टेयर कृषि क्षेत्र पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा था। भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का भी अनुरोध किया गया था। लेकिन हमें घिसा-पिटा उत्तर दिया जाता है। उसके अलावा, दिया गया उत्तर यह है कि कर्नाटक में स्थिति असाधारण गम्भीरता वाली नहीं है—यह एक नया शब्द है—और इसलिए आप किसी भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए प्राधिकृत नहीं होते हैं। पहली अवस्था में, हमारे पास अतिरिक्त निधियां नहीं हैं। हम केवल एक वितरक एजेन्सी हैं। केन्द्र सरकार का कहना है कि स्थिति असाधारण गम्भीरता वाली नहीं है और इसलिए आप अतिरिक्त सहायता के लिए प्राधिकृत नहीं है। अगर यही बात है तो फिर आप स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल के बाद दूसरा दल क्यों भेजते हैं ? आप रिपोर्ट क्यों प्राप्त करते हैं ? आप हमसे सदन में इस स्थिति पर चर्चा क्यों करवाते हैं ? अगर आप लोगों का बचाव नहीं कर सकते है, अगर आप जरूरतमंदों को सहायता नहीं प्रदान कर सकते हैं तो सम्भवत: ये सारी बातें केवल आंसू पोछना हैं और हम केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ··· **(व्यवधान)**

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) : यदि घड़ियालों की आंखों में कोई आंसू हों तो।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह निर्णय लोगों को करना होगा। एक हवाला अग्नवाड़ी प्रणाली का दिया गया था जिसके आधार पर स्थिति का निर्धारण किया जाता है। माननीय मन्त्री महोदय दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बता रहे थे कि यह राज्य सरकार ही है जिसे प्रणाली बदलनी है और स्थिति का निर्धारण करना है। अगर ऐसी बात है तो हम यहां बैठकर कैसे उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो चुनाव क्षेत्रों द्वारा उठाए जाते हैं। हम जरूरतमन्दों के प्रति न्याय कैसे कर सकते हैं इस तथा-कथित जिम्मेदार सरकार से क्या आशाएं कर सकते हैं ? महोदय क्या इसे केवल इस रूप में शब्दबद्ध किया जा सकता है कि सूखे की स्थिति मनुष्य द्वारा नहीं उत्पन्न की गई है और यह भगवान द्वारा किया गया है। एक विधिक शब्दावली है 'शक्तिशाली प्रधान' (विज् मेजर)। ऐसी स्थिति में तो सम्भवत: हम प्रभावित लोगों को भगवान के हवाले छोड़ने जा रहे हैं और केवल भगवान ही उन्हें बचाने आ सकता है। और सरकार जिसके हाथों में समस्त कार्यों का नियन्त्रण है, इन लोगों की सुरक्षा के लिए कभी नहीं आएगी।

महोदय, यह सरकार, विशेषरूप से सत्ता दल के माननीय सदस्य हमेशा यही कहते रहे हैं कि कानून का सम्मान किया जाना चाहिए और न्यायालय के आदेशों को मानना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम सूखे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कृपया विषय से न हटिए। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कृपया दीजिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : अयोध्या के सम्बन्ध में हम न केवल सत्ता दल के सदस्यों से अपितु वामपंथी दलों के सदस्यों से भी यह प्रवचन सुनते रहे हैं कि आप न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। महोदय, एक मामले में, मध्य प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने भारत सरकार के लिए यह निदेश जारी करने की मांग की थी कि वह सूखा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शीघ्र सामने आए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शीघ्र ही आदेश पारित कर दिए इसने भारत सरकार को यह निदेश जारी किए हैं कि वह आवश्यक राहत सहायता शीघ्र भेजे और यह सहायता उससे बिल्कुल अलग होगी जो मध्य प्रदेश को 9वें वित्त आयोग के मार्गनिदेशों के अन्तर्गत देय है क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह उस आदेश पर मौन क्यों साधे हुए हैं ? वह आदेश लगभग तीन सप्ताह पूर्व जारी किए गए थे लेकिन अभी भी उसका कार्यान्वयन शुरू नहीं किया गया है। क्या इससे मैं यह समझूं कि यह तथाकथित उत्तरदायी सरकार न्यायालय के आदेशों का तनिक भी सम्मान नहीं करती हैं ? हम लोगों को कहां-कहां जाने के लिए कहें ? क्या सूखे जैसी स्थिति में राहत सहायता प्राप्त करने के लिए हमें उनको न्यायालय के दरवाजे खट-खटाने के लिए कहना चाहिए और यदि यह सरकार उसके आदेशों की परवाह ही न करे यो न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लेने के बाद भी उसका क्या फायदा ? तब शायद, हमें उन लोगों को भाग्य के ही भरोसे छोड़ना पड़ेगा ?

मैं यहां मौजूद दोनों माननीय मंत्रियों—कृषि मन्त्री महोदय और वित्त मन्त्री महोदय—से बल-पूर्वक यह अपील करूंगा कि वे मामले पर विचार करें और इस सम्बन्ध में मार्गनिदेशों को पुनः तैयार करें कि प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जानी है और ऐसे अप्रत्याशित असाधारण रूप से गम्भीर मामलों में—जैसाकि मेरे मित्र इस बारे में कह रहे थे कि सूखे का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता—जब इसका पूर्वज्ञान नहीं किया जा सकता है, तो इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या है ? इस प्रकार की स्थिति में आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं ? क्या आप नहीं सोचते हैं कि ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए हमें कुछ धन अलग से रखना चाहिए ? आप पुनः सभी मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाएं। उन्हें इस सम्मानित सदन में हुई चर्चाओं के सारांश से अवगत कराएं। आप उन्हें बताएं कि लोग क्या चाहते हैं और जन प्रतिनिधि इस सदन में किस बात पर आगाह करते रहे हैं। उसके बाद, मार्ग-निदेशों को फिर से तैयार कीजिए कि धन का वितरण कैसे किया जाएगा; सहायता कैसे दी जानी होगी; जिससे कि स्थिति से समुचित रूप से निपटा जा सके।

वर्तमान सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में सूखे की स्थिति को लेकर तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दल भेजकर स्थिति का निर्धारण करने और यहां प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर भी करीब-करीब पांच प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप के गठन को लेकर भी प्रश्न उठाए गए हैं जिसका कार्य सूखे की स्थिति का आकलन करना था। लेकिन इन सभी प्रश्नों का घिसा-पिटा उत्तर दिया जाता है कि मार्ग-निर्देश 9वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः अपील करूंगा कि संपूर्ण स्थिति पर पुनः सोच-विचार किया जाए और प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जाए जिससे कि स्थिति का सामना समुचित रूप से किया जा सके।

मैं एक अन्तिम अपील करना चाहूंगा कि कर्नाटक के प्रति कृपया कोई सौतेला व्यवहार मत कीजिए। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है कि वे कर्नाटक के सहातार्थ कभी आए हों। वे कर्नाटक पर कभी विचार ही नहीं करते हैं और उनका कहना है कि कर्नाटक एक धनी राज्य है। लेकिन हम जानते हैं कि कर्नाटक राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलाया जा रहा है। कर्नाटक में सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र ढह चुका है। मैंने उसका सन्दर्भ दूसरे दिन दिया था। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मन्त्री महोदय के हाथों कर्नाटक के लोगों को न्याय मिलेगा।

मैं आप लोगों को मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस देश में सुखाड़ और सुखाड़ से उत्पन्न अकाल की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, इस बात का प्रमाण उपस्थिति से भी लगता है, इस सदन में। देश में कई हिस्सों में अकाल पड़ा है तो यहां सत्ता पक्ष की बेंचों पर सदस्यों का भी अकाल पड़ा है। इतने महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा हो रही है और दिलचस्पी नहीं है। जाखड़ साहब यहां बैठे हुए हैं, रामचन्द्रन साहब यहां बैठे हुए हैं, यह इनकी मजबूरी है।

पूरा मामला सिर्फ इनसे सम्बन्धित नहीं है लेकिन चूंकि रिलीफ इनके मंत्रालय में आता है, पशुपालन इनके मन्त्रालय में आता है और अनाज का उत्पादन इनके मन्त्रालय में आता है इसलिए कृषि विभाग के मन्त्री और राज्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ यह कृषि से सम्बन्धित बात नहीं है। जितनी चर्चा हुई है, उसमें दो तरह की बात कही गई है और कही जा सकती है और यही कही जायेगी कि क्या हम दीर्घकालीन योजना बना रहे हैं, सिंचाई का किस प्रकार प्रबन्ध कर रहे हैं। छोटे-छोटे बांध नहरों के द्वारा, पाइनाहार, जो हम लोगों के यहां होता है, उसके द्वारा ट्यूबवेल के द्वारा, मतलब सतही जल या भूगर्भ जल का इस्तेमाल बड़ी योजनाओं के द्वारा, मध्यम योजनाओं के द्वारा या पंचायत स्तर पर छोटी-छोटी योजनाओं के द्वारा, यही सारी सलाह सभी माननीय सदस्यगण दे रहे हैं। लेकिन क्या इन बातों को दर्ज कर लेने के बाद भी कृषि मन्त्रालय ही सक्षम है? उसी के मुताबिक नीति बने? इससे सम्बन्ध है सिंचाई का, पेयजल का घनघोर संकट, जहां भी अकाल पड़ता है, होता है। उसका सम्बन्ध ग्रामीण विकास मन्त्रालय से है, प्रधान मन्त्री स्वयं ग्रामीण विकास के मन्त्री हैं। इसका सम्बन्ध बिजली से है, जिस इलाके में सुखाड़ की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, वहां पर बिजली की आपूर्ति नियमित होनी चाहिए, तो ऊर्जा मन्त्री को भी देखना चाहिए। लेकिन जब भी कोई सवाल उठता है, यहां इस सदन में तो केन्द्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है. हम लोग थे तो यही जवाब मन्त्रालय की तरफ से दिलवाया जाता था कि कैलेमिटीज रिलीफ फण्ड बना दिया गया है, पूरे देश के लिए 805 करोड़ रुपये का और हर राज्य के लिए राशि निर्धारित कर दी गई है। उसमें तीन हिस्सा केन्द्र देता है, एक हिस्सा राज्य का होता है। अब बिहार जैसे राज्य में, जहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ आना ही है, वहां पर मात्र 32 करोड़ रुपये का यह फण्ड है। 32 करोड़ रुपये का फण्ड है, रिलीफ के लिए, हम लोग सदस्य विधान सभा में रहे हैं और देखते रहे हैं, जब कैलेमिटीज रिलीफ फण्ड नहीं बना था तो उससे ज्यादा का रिलीफ वहां वितरित होता था। लेकिन अब कैलेमिटीज रिलीफ फण्ड बन गया और 32 करोड़ के अन्दर ही वहां करना है।

इसी प्रकार से कई राज्यों का है। हम सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, राज्यों की राज्य-वार तुलना करके। मेरी दृष्टि में कैलेमिटीज रिलीफ फण्ड पूरे देश के लिए भी नाकाफी है लेकिन खास-कर उस राज्य के लिए, जिसमें प्रत्येक साल प्राकृतिक प्रकोप होना ही है, चाहे बाढ़ आए या सुखाड़, जिस प्रकार कोस्टल इलाकों में हर साल किसी-न-किसी इलाके में समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर बर्बादी होनी ही है, उसी प्रकार इस राज्य में बाढ़ से बर्बादी होगी और कहीं सूखे से बर्बादी होगी।

जिस दिन यह सवाल आया था और चारों तरफ से माननीय मन्त्री महोदय पर प्रश्नों की बौछार

हो रही थी और आसन से यह निर्देश दिया गया कि इस पर अलग से बहस कराई जाएगी, उस समय स्थिति और भी ज्यादा भयानक थी। दिल्ली में थोड़ी वर्षा हो गई और कुछ और जगहों पर हो गई तो उसके बारे में दिलचस्पी घट गई। आज सुबह भी हमारी बातचीत बिहार के कृषि मन्त्री से हुई है तो उन्होंने बताया कि भयानक स्थिति है। हम लोग उस दिन पूछना चाह रहे थे, इनसे पूरक प्रश्न कि बिहार जैसे राज्य के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, वहां जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों को भी कुछ मालूम है कि कहां क्या दिक्कत हो रही है, सभी स्टेट के लोगों को मालूम होता है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है तो जवाब वही पिटा-पिटाया कि राज्य सरकार मांग करे। मतलब हमारा पूरा का पूरा समाज संवेदन-हीन हो गया है, सरकार भी संवेदनहीन है और समाज भी संवेदनहीन है पहले अकाल पड़ता था तो पूरे मुल्क में उसके लिए चर्चा होती थी और किसी प्रकार से अकाल का सामना करने के लिए वहां राहत मुहैया कराया जाता था, कि तात्कालिक रूप से उन लोगों को राहत दी जाए और इसके लिए सभी लोग सामने आते थे। 66-67 में हम लोगों का कालेज में पढ़ने के लिए दाखिला हुआ था उस समय मुझे याद है हमारे बिहार में भयानक अकाल पड़ा था, 67 में वहां संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी और वहां अकाल का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया गया और एक भी आदमी को मरने नहीं दिया गया। आज वे संवेदना नहीं दिखती है।

उड़ीसा के माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं और यह सिर्फ उड़ीसा का सवाल नहीं रह गया है यह पूरे देश का सवाल है भूख से हर साल वहां कालाहांडी और दूसरे इलाकों में लोग मर रहे हैं वहां पर परमानेंट सूखा है, स्थाई तौर पर सूखा है लेकिन संवेदना नहीं दिखती है। अगर संवेदना दिखती तो हमारे माननीय कृषि मन्त्री श्री बलराम जाखड जी यह नहीं कहते कि जो रोएगा उसी को मां दूध पिलाएगी। यह समाज के मुखिया का, देश के प्रधान का, जनतांत्रिक देश का नेतृत्व करने वाले की यह भाषा नहीं हो सकती कि कोई राज्य मांगेगा तो हम देंगे। सवाल यह था कि कहां टीम गई है और कहीं से क्या रिपोर्ट लाई गई। क्या कोई राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी और टीम भेजने का आग्रह किया, क्या करेंगे हम इनकी लाचारी को भी समझते हैं। ये जो जवाब देंगे वही जवाब हम लोगों से दिलवाया गया था कोई दूसरा जवाब ही नहीं है लेकिन सवाल इनका, इस पक्ष का या उस पक्ष का नहीं है, सब लोगों को मिल करके सोचने का है। एक केलामिटी रिलीफ फंड बना दिया गया, नौवें फाइनेंस कमिशन की अनुशंसा के अनुरूप बन गया और अब दो हजार ईस्वी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है तो खैर हम शुक्रगुजार हैं। उस दिन माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि दसवीं फाइनेंस कमिशन जो बनी है, पंत साहब की अध्यक्षता में, उसमें भी इस पर फिर से विचार होगा, रिएलोकेशन के लिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बार साट) : महोदय, दसवें वित्त आयोग के सदस्य यहां हैं। उन्हें बात सुननी चाहिए।

डा० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं सुन रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, इसमें हमारा सुझाव है कि दसवें वित्त आयोग में इस पर जरूर चर्चा हो और इसको रिव्यू करके दुरुस्त किया जाए, लेकिन हमारा सुझाव है कि इस पर कितने दिन तक बैठेंगे। जब भयानक रूप से कहीं पर कोई आपत्ति आ जाती है तो केन्द्र सरकार में विचार शुरू होता

है कि नेशनल केलामिटी है या नहीं अब नेशनल केलामिटी की परिभाषा क्या होगी, इसके लिए कोई मापदण्ड नहीं बना। इसके लिए आदमी के मन में जो विचार आएगा, अगर किसी को लगेगा कि आंध्र प्रदेश में तूफान से लोग मरेंगे, तो आंध्र प्रदेश के लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा भारी अकाल है यह तो बहुत खराब स्थिति है। हमारे यहां अकाल से लोग मरेंगे। जब कालाहांडी, उड़ीसा में अकाल से लोग मरते हैं तो वहां के लोगों को लगता है कि यह नेशनल केलामिटी है लेकिन इसका कब तक फैसला कर पाएंगे। जब आंध्र प्रदेश में इतना भयंकर साइक्लोन आया तब वहां प्रधान मन्त्री, उपप्रधान मन्त्री गए, सारे लोग गए और बहस होती रही कि नेशनल केलामिटी है या नहीं, तो यह हिसाब जाखड़ साहब के जमाने में चलेगा, मंत्रालय में, कि नेशनल केलामिटी है या नहीं तो इससे काम चलने वाला नहीं है हमारी संवेदनहीनता का परिचय है, संवेदनशून्यता का परिचय है।

हम लोगों को चाहिए कि पूरी स्थिति का मुकाबला करने के लिए नए सिरे से विचार करें। ये 805 करोड़ रु० से इस देश के सूखे का मुकाबला नहीं हो सकता है, इसके लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है और जब तक इच्छाशक्ति नहीं रहेगी, तब तक एक-दूसरे पर टालने वाली बात होती रहेगी। राज्य सरकार ने नहीं मांगा इसलिए हमने राहत नहीं भेजी और वहां से ये मांग नहीं आ रही है इसलिए हम इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर मांग आ भी जाती है तो कहां से पूरा करेंगे ?

यह जवाब तो कृषि मन्त्री जी खड़े हो करके दे देंगे और बड़ी आसानी से कहेंगे कि जो माननीय सदस्यों ने कहा हम उनके विचार से सहमत हैं, उनकी फिलिंग को शेयर करते हैं यह सब होना चाहिए। दीर्घकालिक योजना भी बननी चाहिए और अल्पकालीन राहत भी पहुंचनी चाहिए। चारा भी मिल जाना चाहिए, पीने का पानी भी मिल जाना चाहिए, सब इन्तजाम हो जाना चाहिए और एक आदमी को भी भूख से मरने नहीं दिया जाएगा, यह सब चीजें कर देंगे लेकिन जब कहा जाएगा तब कहेंगे कि पैसा नहीं है, हर चीज का जवाब डा० मनमोहन सिंह जी यह देंगे कि पैसा नहीं है। पैसा केवल राहत बांटने के लिए इस देश में नहीं है लेकिन हर्षद मेहता जैसे दलालों का बैंक घोटाला करने के लिए पैसा है। चार हजार करोड़ रुपया चला गया और रिलीफ फंड, देश के पूरे 90 करोड़, 87 करोड़ लोगों को बचाने के लिए, 805 करोड़ रुपया और 10-5 दलालों के लिए 35-37 सौ करोड़ रुपया वे खा जाएं इसकी कोई परवाह नहीं है। यही है हमारे इस समाज की संवेदना और यही है इस सरकार की संवेदना, यही है इस सरकार की प्रायरटी, प्राथमिकता, इसलिए कोई भी बोले चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो एक ही बात बोलेगा लेकिन इसका मुकाबला कैसे होगा ?

हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, हमारे यहां पानी की कमी नहीं है। हमारे यहां जो जल उपलब्ध है, सरफेस वाटर उपलब्ध है या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है यदि इसका हम समुचित ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहां पानी की दिक्कत नहीं हो सकती है। हमारे यहां नदियां बहती हैं, हमारे यहां पर्वत हैं, सारी चीजें हैं लेकिन उसका इंतजाम करना पड़ेगा।

सारी चीजों के इन्तजाम के लिए इच्छा-शक्ति को संजोकर, उसका इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर लांगटर्म मेजर्स लेने होंगे, ताकि सूखा न पड़े, बाढ़ न आए। दूसरी बात यह है कि तात्कालिक रूप से पीड़ित मानवता को बचाने के लिए हम कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करेंगे कि राज्य सरकारों की रिपोर्ट का इंतजार न करें, राज्य सरकारों को दिए गए केलेमिटी फंड पर भरोसा न करें, वहैना बेअदबी की माफी हो, इस बहस का कोई मतलब नहीं है। अगर यही उत्तर आना है कि पैसा नहीं है या यह राज्य सरकारों का विषय है तो फिर हम यहां पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम बहस करते हैं तो

सचमुच में पूरी स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री को यहां पर बुलाया जाए, 15 दिन के नोटिस की क्या जरूरत है, रातदिन बड़े पैमाने पर सम्पर्क करके इस काम को किया जाए। हमारे यहां वर्षा नहीं है और जो लेट वर्षा हुई है, उससे भी धान की फसल पूरी नहीं हो सकी है, जो मुख्य खरीफ की फसल है, तो क्या स्थिति होगी।

यह आज दिखाई नहीं देगा, भूख से मौत दिसम्बर और जनवरी के बाद दिखाई पड़ेगी, यह भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि युद्धस्तर पर काम करने की आवश्यकता है। आपकी जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, राजनीति इच्छाशक्ति के साथ जाखड़ साहब को सभी राज्यों के लोगों से सम्पर्क करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद देश में इतने बड़े इलाके में सूखा पड़ने की सभावना है. इस स्थिति का मुकाबला करना है।

सूखे जैसा विषय राजनीति विषय नहीं हो सकता है। हर किसी के पास सुझाव हो सकते हैं। इस देश में इतनी ताकत है, उस ताकत को संजोकर बड़े-से-बड़े खतरे का विपत्ति का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इनीशिएटिव लेने का काम आपको करना होगा। आप इनीशिएटिव लें, आपके जो रेसोर्सेस हैं और जो रेसोर्सेस दूसरे लोगों के पास हैं, उनको संजोवर तत्काल इसका मुकाबला करें और लांगटर्म मेजर्स के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि सदा-सर्वदा के लिए बाढ़ और सूखे से देश को मुक्त कराया जा सके।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे देश के विभिन्न भागों में पड़े सूखे के सम्बन्ध में हो रही इस चर्चा में भाग लेने पर काफी प्रसन्नता है। वास्तव में, मेरा सूखे की स्थिति से कोई सीधा सरोकार नहीं है क्योंकि मैं मुख्यतया बम्बई शहर से हूं। लेकिन यदि मैं महाराष्ट्र राज्य के लिए यह वकालत नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असफल हो जाऊंगा।

जहां तक इस सूखे की स्थिति की गम्भीरता का प्रश्न है, पर्याप्त आंकड़े रिकार्ड पर आ चुके हैं जिन्हें पूर्व के वक्ताओं द्वारा दिया गया है और वास्तव में इस सदन में तारांकित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों से भी इस सम्बन्ध में काफी आंकड़े प्राप्त किए जा चुके हैं। 9 जुलाई, 1992 को प्रश्न सं० ?2 के उत्तर में यह बताया गया था कि महाराष्ट्र में 68.60 हैक्टेयर कृषि भूमि सूखे से प्रभावित हुई है और इसलिए महाराष्ट्र राज्य ने केन्द्र से 780.41 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, भिन्न-भिन्न आंकड़े दिए जाते हैं। धनराशि की तुलना में महाराष्ट्र राज्य को भुगतान की गई विपदा राहत निधि केवल 33 करोड़ रुपए की है। अब, महाराष्ट्र के विभिन्न प्रकाशनों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 1991-92 की खरीफ और रबी फसलों के दौरान काफी लम्बी अवधि तक मानसून न होने के कारण बाद में हुई अनिश्चित वर्षा ने खरीफ और रबी दोनों फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह आकलन किया है कि, राज्य की पैसेवारी के अनुसार यह देखा गया कि उक्त 21,545 खरीफ गांवों के अतिरिक्त, 1,790 गांवों की पैसेवारी 50 अथवा 50 पैसे से भी कम है। इसलिए 30 जनवरी, 1992 को महाराष्ट्र सरकार ने इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया था। जहां तक अन्तिम पैसेवारी रबी गांवों का सम्बन्ध है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15 मार्च, 1992 को घोषित किया गया है और उनके अनुसार अन्तिम पैसेवारी के 6,111 गांवों को 50 पैसे अथवा इससे कम पाया गया था। यह बताया गया है कि इस वर्ष राज्य में 40,000 गांवों में से, लगभग 29,000 गांव अभावग्रस्त हैं। मैं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी

वर्षा के कारण हुए नुकसान का जिक्र नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं आज केवल अभाव की स्थिति के प्रश्न को ही ले रहा हूं। 18 जुलाई, 1992 तक की वर्तमान रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि 300 तहसीलों वाले 29 जिलों मे से 129 तहसीलों में 50 प्रतिशत अथवा इससे कम वर्षा हुई है। इसलिए जहां तक इस वर्ष का प्रश्न है, स्थिति अधिक अच्छी नहीं है।

पिछले वर्ष प्रदत्त सहायता में महाराष्ट्र सरकार ने इस आशय के साथ 834.76 करोड़ रुपए वास्तव में व्यय कर दिए कि केन्द्र से सहायता मिल जाएगी। अब कई सदस्य बोले हैं और मैं भी यह कहते हुए उनसे सहमत हूं कि जहां तक देश में प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने की जो वर्तमान प्रणाली है, वह दोषपूर्ण है। नौवें वित्त आयोग ने कुछ सूत्र निर्धारित किए हैं और इसमें संकटकालीन सहायता कोष के लिए निश्चित राशियों को अलग रखा गया था। उस राशि को राज्यों द्वारा पहले ही निकाल लिया गया। महाराष्ट्र ने 33 करोड़ रुपये निकाले थे। इसके पश्चात वे कहते हैं कि यदि संकट परम विरल किस्म का होता है, तो केवल तभी केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी जाती है। इसके लिए केन्द्रीय दल महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों का दौरा करके वापस आ गया है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, उन्होंने महाराष्ट्र में 58 से 60 करोड़ हैक्टेयर को प्रभावित क्षेत्र पाया है और यह भी पाया गया था कि महाराष्ट्र द्वारा लगभग 800 और इससे भी अधिक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद यह दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, और अधिक धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह संकट परम विरल नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि परम विरल आपदा के निर्धारण हेतु उनके सिद्धांत क्या हैं। इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। इसलिए ये दल गए और वापस आकर यह रिपोर्ट दे दी कि सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे लोगों को आश्चर्य हुआ है। इससे महाराष्ट्र सरकार को भी आश्चर्य हुआ है।

जैसाकि मुझे प्रश्नों के उत्तर से पता चला है कि इसके लिए अन्तर मंत्रालय समिति भी गठित की गई थी और इस समिति ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। दिनांक 9 जुलाई, 1992 को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 272 के उत्तर में यह बताया गया था कि अन्तरमंत्रालय दल ने केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया था जिन्होंने 18 मई और 2 जून, 1992 को हुई अपनी बैठक में सूखे की स्थिति का आकलन करने हेतु गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा किया था।

> "और तह ग्रुप केन्द्रीय दल की सिफारिशों से सहमत था कि उपरोक्त राज्य में सूखे की स्थिति को विरल संकट की स्थिति नहीं माना जा सकता जिसके लिए किसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता हो।"

इसलिए न केवल केन्द्रीय दल बल्कि अन्तरमंत्रालय ग्रुप ने भी स्थिति पर विचार किया और वे इस बात से सन्तुष्ट हैं कि यहां स्थिति विरल संकट की नहीं है।

मुझे इस पर आश्चर्य है। वास्तव में नियम क्या हैं? आप चाहते क्या हैं कि राज्यों में इससे अधिक कुछ घटित हो जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के लिए स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे? वे नियम क्या हैं? कृपया हमें यह बताया जाए।

मैं यह महसूस करता हूं कि यह सब यह दिखावा करने के लिए किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार कुछ कर रही है।

मुझे यह पता नहीं है कि क्या निर्णय सरकार के पास भेज दिए गए हैं क्योंकि अन्तरमन्त्रालय ग्रुप ने यह निर्णय 19 मई और 2 जून को हुई अपनी बैठक में लिया था और मुझे यह फिर भी याद है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत में हमें यह बताया गया हैं कि हमें यह मामला केन्द्र सरकार के पास उठाना चाहिए । इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को कोई भी सूचना नहीं दी गई है । वे तो बस केन्द्रीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे यह सोच रहे हैं कि यह दल जो गया था उसने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी होगी और केन्द्र सरकार उन्हें कुछ सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है।

इसलिए यह स्थिति अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं है और इस परिस्थिति विशेष में ऐसी बात से अवश्य बचना चाहिए ।

निस्संदेह ही इसका वित्त आयोग आएगा और मुझे यह आशा है कि वे इस फार्मूले में संशोधन करेंगे और अन्य फार्मूला निकाल पाएंगे । लेकिन जब पूरे देश में सूखे की स्थिति ऐसी है कि उन्हें 300 करोड़ अथवा 200 करोड़ रुपये तक की सहायता चाहिए तब हम इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि इसे राष्ट्रीय स्तर का संकट माना जाए ? इसके लिए कुछ पुनर्विचार करना पड़ेगा । अन्यथा हम राज्य सरकार की कभी भी सहायता नहीं कर सकेंगे ।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महाराष्ट्र में यह 300 करोड़ न होकर 67 अथवा 89 कोड़ रुपये है।

श्री शरद दिघे : नहीं। कुछ राज्यों में यह 300 करोड़ रुपये है लेकिन जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है यह 844 करोड़ रुपये था। वास्तव में यही राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यय की गई थी। राज्य सरकारें इतनी राशि को राहत उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें विभिन्न गांवों में बैलगाड़ियों से पीने के पानी की आपूर्ति करनी होती है और सब प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं तथा यदि यह सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो राज्य में राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं ?

इसलिए कुछ पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है । इस फार्मूले में दसवें वित्त आयोग को संशोधन करना होगा और जहां तक सूखे की स्थिति का प्रश्न है, इसके लि राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु केन्द्र सरकार को भी नए नियम बनाने होंगे ।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र महतो (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य के झारखंड क्षेत्र से आता हूं और झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बराबर सूखा प्रमुख रूप से होता है। लेकिन, आजादी के बाद आज तक हमारे यहां बराबर सूखे का प्रकोप रहा है। हमारे क्षेत्र में बराबर सूखा होता आया है तो इसमें किसी तरह की हमें वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। हमारे क्षेत्र में बड़े किसान नहीं होते बल्कि छोटे और मझोले किसान होते हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां की जमीन ऊंची और नीची है, इसलिए आजादी के बाद आज तक वहां न सिंचाई के लिए किसी तरह का साधन बनाया गया और न उस ऊंची-नीची जमीन के लिए लिफ्ट इर्रीगेशन का इन्तजाम किया गया । और न ही छोटे-छोटे चैक डैम बनाए गए । इस तरह से सिंचाई की सुविधा हमारे क्षेत्र को नहीं दी गई । हमारे वहां पर जो डैम बने हैं पंचेत डैम, उसके बाद माइथल डैम या अभी हमारी सुवर्ण रेखा परियोजना बनी है जिसमें करीबन 1200 करोड़ रुपये की लागत पर डैम को बनाया गया और जब डैम की शुरूआत की गई थी

तो यह कहा गया था कि हम लोग जमीन की सिंचाई कर सकेंगे इसलिए हमें जमीन का अधिग्रहण करने दिया जाए। उस समय सुवर्ण रेखा परियोजना शुरू हुई थी तो तीन सरकारों, बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार ने एग्रीमेंट किया और डैम की शुरूआत की गई। हमारे किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वे डैम पूरे नहीं हुए और न ही उनके द्वारा सिंचाई हो पा रही है। यह स्थिति हमारे वहां बनी हुई है। जो बड़ी-बड़ी तीन परियोजनायें बनाई गई पहले बिहार के झारखंड क्षेत्र में 10 प्रतिशत सिंचाई होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6 प्रतिशत ही सिंचाई हो रही है।

इसलिए हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि उसकी जो पहाड़ी योजना है उसको हमारे क्षेत्र में लागू किया जाए ताकि वह आज की सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सहायक सिद्ध हो सके। सूखे के निवारण हेतु भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के० एल० राव की तरफ से एक योजना बनाई गई थी उस योजना में यह था कि गंगा नदी से एक नहर काटकर हमारे क्षेत्र में दामोदर नदी में मिलाए जाने की बात थी। यदि इसको किया जाता तो उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की स्थिति नहीं बनती। इसलिए हम चाहेंगे और हमारी मांग है कि सूखे के निवारण हेतु हमारे इलाके में चैक डैम और लिफ्ट इरीगेशन को प्राथमिकता दी जाए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र में सभा के अन्दर सूखे की स्थिति पर कई प्रश्न पूछे गए और मंत्री महोदय ने इनके उत्तर भी दिए हैं। मांग यह है : सूखा राहत के लिए कितनी राशि दी जाएगी ? मुझे यह पता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखे की स्थिति पर कई बार चर्चा की गई है। एक के बाद एक आने वाले मंत्री यही उत्तर देते रहते हैं कि यह राहत नौवें वित्त आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप दी जाती है। इसलिए इस पर यहां बात करने का क्या लाभ है ? यह बात मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि आज की चर्चा का हमारे माननीय कृषि मंत्री जी क्या उत्तर देंगे। जो भी हो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे यह सूखा हो अथवा चक्रवात अथवा बाढ़ हो, हमारे देश पर इन प्राकृतिक विपत्तियों का प्रभाव पड़ता है।

4.00 म० प०

ये प्राकृतिक विपत्तियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमने अभी तक आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं और इसका कारण हमारी नदियों पर संसाधनों की कमी होने के कारण नियंत्रण और उचित सिंचाई व्यवस्था की कमी होना आदि है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे यह देखा जा रहा है कि सूखा क्षेत्र ज्यादा होता जा रहा है। सूखे से प्रभावित क्षेत्र दो प्रकार के हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दीर्घकाल तक सूखे से प्रभावित रहते हैं।

4.01 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उड़ीसा राज्य में कालाहांडी और बोलनगीर के सभी क्षेत्र दीर्घकाल से सूखे से प्रभावित हैं। वहां निरन्तर अकाल देखने को मिलता है और वहां पर 40 रुपये के हिसाब से स्त्रियों को बेचा जाता है। जैसाकि आप जानते हैं कि सन् 1975 से इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने कालाहांडी और बोलनगीर जिले का दौरा किया था। यह एक

ऐसा अमानवीय दृश्य था कि इसे देखकर वे हतप्रभ रह गई। किन्तु हालांकि 20 वर्ष का समय बीत चुका है फिर भी इस क्षेत्र में लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मैं कालाहांडी और बोलनगीर जिलों की बात कर रहा हूं।

इसी प्रकार आंध्र के रायलसीमा क्षेत्र में लम्बे समय से सूखा पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कुछ भागों में जहां तक मुझे पता है, 26 जिलों में लम्बे समय से सूखा पड़ रहा है। इसके लिए नीति बनाना आवश्यक है। नीति कैसी होनी चाहिए दीर्घकाल तक सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय नीति कैसी होनी चाहिए। आवश्यक यह है कि आने वाले समय के लिए लोगों की शिकायतों को कैसे कम किया जा सकता है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि ऐसे में राहत का प्रश्न सामने आता है। हम राहत के बारे में बातें तो अधिक करते हैं। जो बात आवश्यक है वह यह कि देश के दीर्घकाल तक सूखा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाए और इसे कम करने तथा इसमें कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

इसी प्रकार से इस देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लम्बे समय तक बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। आपको पता है कि उड़ीसा में पिछले छः महीनों के दौरान एक के बाद एक करके दो चक्रवात आए हैं। जब तूफान आता है तब आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार से यह हर चीज को हानि पहुंचा देता है और यह कितनी हानि पहुंचा देता है। मेरे विचार से उड़ीसा में गरीबी के कारणों में से एक कारण इसके कुछ भागों में दीर्घकाल तक आने वाली बाढ़ इसके साथ-साथ सूखा और चक्रवात है। स्व० श्री गोपबंधु दास उड़ीसा को राष्ट्र की मुख्य धारा में ले आए थे क्योंकि वे सूखे और तूफान आदि से प्रजनित गरीबी को देखकर बहुत दुःखी हुए थे। इसमें कोई शंका नहीं है कि राहत दी जाती है। पर क्या इससे इसमें कमी आएगी ? यही कारण है कि तुरन्त कार्य आरम्भ किए जाएं। अब इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 43 वर्ष बीतने पर तो स्थायीत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

सरकार को एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। चक्रवात और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए। इस बात में कोई संशय नहीं है कि हर व्यक्ति यह मांग करेगा कि राज्य को कुछ सहायता दी जानी चाहिए। कम संसाधनों वाली कोई भी राज्य सरकार यह कार्य नहीं कर सकती। राज्य इस कार्य को नहीं कर सकते। सूखे को कम करने के लिए जो चीज आवश्यक है वह सिंचाई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूमिगत और नदी जल उपलब्ध हैं। हम यह कार्य संसाधनों की कमी के कारण पूरा नहीं कर सके हैं। इसके बारे में जिक्र करने के लिए मेरे पास अवसर है। क्या यह काम केवल पैसे से किया जा सकता है ? क्या यह कार्य लोगों के सहयोग से नहीं किया जा सकता है ? अपने जीवनकाल में मैंने देखा है जब हजारों लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि जलमग्न हो गई थी और जब फसल नष्ट हो गई तब सरकारी तंत्र पानी बाहर निकालने में असफल रहा लेकिन हजारों लोग संगठित हुए और उन्होंने अपने परिश्रम से सरकार से धन लिए बिना नदी के मुंह को खोला। यह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है।

हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यह जानता है कि वे कौन सी समस्याएं हैं जिन्हे देश झेल रहा है और इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को चाहिए था कि लोगों के सहयोग से काम किया जाए। लेकिन, दुर्भाग्यवश कांग्रेस जो सत्ता में है, लोगों से दूरी बनाए हुए हैं और वह कार्यों को अपने लाभ और कमीशन आदि के लिए ठेकेदारों द्वारा ही करवाना चाहती है। इसके परिणामस्वरूप, जनशक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। वह ऊर्जा जिसका संचार गांधी जी ने लोगों में किया था, अब

नहीं रही है। अब सरकार राजनीति खेल रही है कि किस राज्य को अधिक और किस राज्य को कम मिलेगा। यह वह राजनीति है जिसे केन्द्र खेल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह सही समय है कि राष्ट्र को इन आपदाओं से बर्बाद होने से बचाना चाहिए। पूरे राष्ट्र को संगठित करना चाहिए और सरकार को लोगों के सहयोग से इन्हें कम करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। सरकार को इसे करने में असफल नहीं होना चाहिए और इसके अतिरिक्त राहत का प्रश्न आता है तो हम देखते हैं कि नौवें वित्त आयोग के मार्गनिर्देश अपर्याप्त हैं। अब मैं इसके बारे बोलूंगा।

अकाल राहत के लिए उड़ीसा को 47 करोड़ रुपये मिले। पिछले चार वर्षों में उड़ीसा में तीन बाढ़ आई और दो बार चक्रवात आया और तत्कालीन प्रधान मंत्रियों ने वहां का दौरा किया। हालांकि पिछले वर्ष प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव और कृषि मन्त्री श्री के० सी० लेंका ने भी वहां का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का जायजा किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? वे नौवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बोलते हैं जब मैं मांग करता हूं कि इन आपदाओं को राष्ट्रीय आपदाओं की तरह समझना चाहिए मुझे याद है कि माननीय कृषि मन्त्री जी ने मुझे कहा था कि उड़ीसा सरकार इस प्रकार से बरताव नहीं कर रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उड़ीसा सरकार इस प्रकार से बरताव नहीं करती है अथवा कुछ गलत सूचनाएं नहीं भेजती है अथवा यूं कहे कि वह स्थिति की गम्भीरता को कम करके आंकती है लेकिन प्रधान मन्त्री ने स्वयं वहां का दौरा किया था और स्थिति का जायजा लिया था। जब गंजम जिले में भयंकर बाढ़ आई थी तो उस समय प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर थे मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि वह वहां का दौरा करें। वह वहां गए थे और उन्हों 50 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था और वह 50 करोड़ रुपये उड़ीसा में कभी भी नहीं पहुंच पाए।

अब महोदय, आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं जब इन चार महीनों के दौरान उड़ीसा को सूखा, बाढ़ और चक्रवात ने घेर लिया। उड़ीसा सरकार किस प्रकार लोगों को आवश्यक सहायता दे सकती है जब केन्द्र अपने मार्ग-निर्देशों में परिवर्तन नहीं करता?

मुझे याद है जब मैं भूख हड़ताल पर था मुझे जेल ले जाया गया जहां 5 फुट 6 इंच की एक चारपाई थी लेकिन मेरी लम्बाई 6 फुट 1 इंच है। मैंने जेलर से कहा कि मैं इस पर सो नहीं सकता। इस पर जेलर ने कहा आपको इसी पर सोना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या चारपाई आदमी के हिसाब से रखनी चाहिए अथवा आदमी को ध्यान में रखकर चारपाई रखनी चाहिए अथवा चारपाई के नाप के अनुसार आदमी को लाया जाना चाहिए।

मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान वित्त आयोग के प्रतिवेदन की तरफ खींचना चाहता हूं जिसने कुछ मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं क्या आप कभी कुछ यंत्रवत् और नौकरशाही की दृष्टि से देखने जा रहे हैं? अथवा अपने पास मानव हृदय है? यदि अपने पास मानव हृदय है यदि आप सोच सकते हैं कि यह मानव की तकलीफों का प्रश्न है तो आपको ऐसी स्थिति से निपटने के तरीके खोजने होंगे। जब तक वह सहानुभूति नहीं दिखाई देती, जब तक परस्पर स्वयं लोगों की परेशानियों को प्रतिध्वनित नहीं करती, तब तक औपचारिक उत्तर देकर अथवा सदन में इन मुद्दों पर चर्चा करने से ही समस्याओं को हल नहीं किया जा सकेगा।

मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा की वर्तमान त्रासदी को देखते हुए कृषि मन्त्री को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। न केवल उड़ीसा में, बल्कि देश भर के उन सभी

क्षेत्रों को पहचानना चाहिए जो चक्रवात, सूखे और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं और दस वर्षों की अवधि के अन्तर्गत चक्रवात के प्रभावों का कम करने के विचार से और बाढ़ों को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए वही हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए जिसके द्वारा हम बाढ़ और सूखे चक्रवात की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी माननीय वित्त मन्त्री जी सदन में सो रहे हैं आप इनको जाने दीजिए जरा आराम कर ले। इनको सो लेने दीजिए, इनको भी सुविधा रहेगी, आराम करें क्योंकि अभी इनका बिजिनैस नहीं आया है। अभी भी जागे नहीं हैं सोये हुए हैं।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, हमने 17 को ही सूखे की स्थिति पर ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि हम इस विषय पर कितनी देर तक चर्चा करते रहेंगे। इसका समय पहले ही पूरा हो चुका है और मुझे अभी भी कई नाम प्राप्त हो रहे हैं।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : कहीं तो समय सीमा होनी चाहिए।

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहांडी) : इसे आज और अभी समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मेरी ध्यानाकर्षण सूचना को मुख्य रूप से इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि इस पर चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय : ठीक है मैं एक अथवा दो सदस्यों को अनुमति देता हूं तत्पश्चात् माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, जिन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी थी उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आपको उन दो सदस्यों में सम्मिलित किया जाता है।

श्री सुबास चन्द्र नायक : मैं कालाहांडी का प्रतिनिधित्व करता हूं और वहां बच्चे बेचे जा रहे है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है मैं अधिक-से-अधिक सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा। कृपया अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति जी, सूखे के सम्बन्ध में इस सदन में दो दिनों से चर्चा चल रही है। देश में जो सूखे से उत्पन्न स्थिति है, इस सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने उसकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है और चिन्ता व्यक्त की है। वह बहुत गम्भीर है। आज देश के कई ऐसे भाग हैं जो सूखे की भयंकर चपेट में हैं। सम्भवतः माननीय मन्त्री जी को यहां

दिल्ली में कुछ बदल दिखायी पड़ रहे हैं, उन्हें देखकर वे शायद यह समझ रहे होंगे और देश के कुछ भागों में वर्षा होने के जो समाचार मिल रहे हैं, उनके आधार पर वे समझते होंगे कि सूखे से शायद देश को राहत मिली होगी। लेकिन माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्री जी को यह प्रश्न गम्भीरता से लेना चाहिये क्योंकि कई वर्षों के लगातार सूखे के कारण आज देश में गम्भीर स्थिति है और यह देश संकट से गुजर रहा है।

इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में सदन ने बहुत ही आक्रोश के साथ मन्त्री जी से मांग की थी और देश को चेतावनी दी थी कि सूखे से निपटने के लिए सरकार को कोई न कोई कार्य-योजना तैयार करनी चाहिए। यह ज्यादा दिनों की बात माननीय मन्त्री जी नहीं है। इसी सदन में एक प्रश्न में आपका उत्तर था कि मैं गम्भीर हूं और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से चिंतित है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी जब सभी सदस्यों के सभी प्रश्नों के जवाब में अपना वक्तव्य देंगे, तो इस संकट का सामना करने के लिए आप देश के सामने कोई आपातकालीन योजना निश्चित रूप से घोषित करेंगे।

माननीय सभापति जी, मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भी आज सूखे की चपेट में है। यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों को छोड़कर बाकी उत्तर प्रदेश के जो शेष जनपद हैं, वे सूखे के घेरे में पड़े हुए हैं और इसका मुख्य कारण है कि उन जनपदों में पिछले वर्ष भी वर्षा का औसत कम था और प्रकृति ने इस बार भी उन जनपदों के उन क्षेत्रों में वर्षा का अनुपात बहुत कम है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सचेत है, लेकिन माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप शीघ्र ही सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आप दिल्ली में आमंत्रित करेंगे तथा अपनी ओर से किसी समिति का गठन करेंगे और इस संकट को समाप्त करने के लिए आप दीर्घकालीन और तुरन्त कोई ऐसी योजना देश के सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे इस सूखे की स्थिति से उनको राहत मिल सके।

माननीय सभापति जी, आज देश के संकट की अवस्था में माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में ऐसे बहुत बड़े भू-भाग हैं जो क्षेत्रीय असन्तुलन के कठघरे में खड़े हुए हैं, जहां विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं और वे सारे भू-भाग छोटे-छोटे राज्यों से बहुत बड़े हैं। मैं माननीय मन्त्री जी, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, जिसे बुंदेलखण्ड के नाम से जाना जाता है और जिसमें 21 जनपद आते हैं, वहां से मैं भी निर्वाचित हो कर आया हूं। वहां से अर्जुन सिंह जी, श्रीमती विजयाराजे सिंधिया और वित्त राज्य मन्त्री भी वहीं से निर्वाचित होकर आए हैं, जिसे बुंदेलखण्ड कहते हैं, वह आज पठार पर बसा हुआ है। वहां आज पीने का पानी नहीं है। सूखे की चपेट में है। यह पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के साधनों की कमी की समस्या आज से नहीं है पिछले 40 वर्षों से चली आ रही है और ये समस्याएं इस क्षेत्र में एक महामारी के रूप में खड़ी हुई हैं। लेकिन इस समय तो यह क्षेत्र सूखे की चपेट में है। भले ही उस क्षेत्र से आज किसी के मरने की खबर नहीं आई है, लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां आज पेयजल का संकट खड़ा हो गया है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर ऐसे बहुत से अपेक्षित क्षेत्र है, जो आपके कई प्रदेशों जैसे हरियाणा, केरल और असम आदि से

जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में बड़े हैं, लेकिन आज वे क्षेत्र सूखे की लपेट में हैं। आज सूखे की काली छाया इन प्रदेशों के इन क्षेत्रों में छाई हुई है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर पीने से पानी का भयंकर संकट है, सिंचाई के साधन बहुत कम उपलब्ध हैं। इसी कारण से 40 वर्षों मे उस क्षेत्र में उद्योग नहीं पनप सके हैं। सारा जनजीवन खेती पर आधारित है। पिछले वर्ष भी सूखे की स्थिति थी और आज तो भयंकर सूखे की स्थिति है। खरीफ की फसल बोई नहीं जा सकी है और जब वर्षा का स्तर इतना कम है तो रबी की फसल भी उस क्षेत्र में नहीं होगी। लोगों के लिए उस क्षेत्र में रोटी की समस्या होगी, छात्रों के सामने सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करने में समस्या होगी।

केन्द्र सरकार द्वारा आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० नाम की योजनाएं, गांव का पानी गांव में रखने की जो योजना तैयार की गई है उसकी गति बहुत धीमी है। सूखे के इस काल में मैं कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपके हृदय में पीड़ा है, आप इंसान के दुख दर्द को समझना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड है, दो दिन में उस क्षेत्र का दौरा करें। आपको पता लगेगा कि वहां का नौजवान आज किस प्रकार से रोटी के लिए जानवर चारे के लिए, पीने के पानी के लिए तरह रहे हैं। मैं आपका विशेष रूप से उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि भारत सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं और जिसकी गति धीमी है, केन्द्र सरकार को उस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार को धन देना चाहिए। उसके लिए केन्द्र सरकार जो उपेक्षा कर ही है उसके लिए चिन्ता करनी चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सूखे के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाएं। ये क्षेत्र आज 40 वर्षों से पीने का पानी प्राप्त नहीं कर सके हैं। ये क्षेत्र आज इस प्रकार से सूखे की चपेट में हैं कि कल रोटी के मोहताज हो जाएंगे। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में आप विशेष योजनाएं बनाए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, देश में व्याप्त सूखा स्थिति के विस्तार में जाये बिना मैं कृषि मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि वह अतिशीघ्र कार्यवाही कर सके। देश में व्याप्त स्थिति बहुत गम्भीर हैं। कृषि उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की कमी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर देगी। मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्रालय सूखे की स्थिति की किस प्रकार जांच पड़ताल कर रहा है। पिछले वर्ष मात्र दस लाख टन गेहूं के आयात ने वित्त मन्त्रालय और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब जैसे कि आंकड़े उपलब्ध हैं, आज की तारीख में, विभिन्न राज्यों में और विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पादन में कमी आई है आंकड़े बताते हैं कि कृषि उत्पादन में कमी तकरीबन 10 से 12 प्रतिशत की हुई है सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं मैं नहीं जानता हूं। जहां तक खरीद का सम्बन्ध है इसमें कम से कम 10 प्रतिशत की कमी हुई है जून के अन्त तक आंध्र प्रदेश में पौधा रोपण कार्य समाप्त हो जाना चाहिए था। अब जुलाई खत्म होने वाला है। पौधशाला नष्ट हो चुकी है। आज वहां पीने का पानी नहीं है और आंध्र प्रदेश सरकार ने, जहां तक मुझे मालूम हैं, अभी तक कदम उठाने प्रारम्भ नहीं किये है जो खेतिहर किसानों की सहायता करेंगे। पौधशालाएं सिंचाई न होने अथवा वर्षा का जल न मिलने से पूर्णतः नष्ट हो गई है और बीजों की भी कमी है। मैं नहीं जानता कि इस बात का आकलन किया गया है कि क्या खरीफ फसल के लिये बीजों की कमी है अथवा नहीं है। कृषि मन्त्री के पास उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक भण्डार हो सकता है लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजों की समस्या हैं। उन्हें

अभी पौधशालाएं उगानी पड़ेंगी और तत्पश्चात् पौधा रोपण किया जाएगा। यहां उर्वरकों की भी कमी है और इन सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश में किसानों के पास धन भी नहीं है।

हमें चक्रवातों से बार-बार से नुकसान हुआ है। 1989 में, भयंकर चक्रवात आपका और श्री वी० पी० सिंह ने उस चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था और केन्द्र ने उसके लिये केवल 80 करोड़ रुपये दिए थे। उसके पश्चात् उन्होंने आंध्र प्रदेश की जल प्रबन्ध प्रणाली से निपटने के लिए कोई सहायता तक नहीं दी थी। बाद में पिछले वर्ष सितम्बर में भारी वर्षा तथा बाढ़ आयी और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी। राज्य अथवा केन्द्र ने किसानों को कोई विशेष सहायता नहीं दी। अब आंध्र प्रदेश में पानी तथा पशुओं के चारे की कमी की स्थिति है अब पशुओं की संख्या भी कम हो गयी है। वहां पर जितने भी पशु है उन्हें कसाईखानों में बेचा जा रहा है। इस प्रकार देशभर में पशुओं की संख्या कम हो गयी है जिससे देश में पारिस्थितिकीय असुन्तुलन हो जाता है। अब महोदय, कृषि मन्त्रालय के तीनों मंत्रियों को तीन हैलीकाप्टर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, अपने कार्यालयों में उन्हें आपात कक्ष खोलने चाहिए तथा उन्हें राज्यों से यह जानकारी प्राप्त करली चाहिए कि राज्यों के कौन से भाग में बीज उपलब्ध नहीं हैं, सरकारी बैंक ऋण नहीं दे रहे, राष्ट्रीय कृषि बैंक ऋण नहीं दे रहा इत्यादि। आंध्र प्रदेश में बार-बार चक्रवात आने के कारण किसान अपने ऋण लौटा नहीं सके। महोदय क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया? तकनीकी तौर पर उन्होंने किताबों में लिखा है कि ऋणों का भुगतान कर दिया गया है और ऋण दुबारा दिए गए हैं। किन्तु परिणाम यह है कि कृषि करने वाले किसानों के हाथ में पैसा है ही नहीं। कृपया तकनीकी बातों से मत बंधे रहिए। अब आपको किसानों के पास जाकर यह देखना चाहिए कि खरीफ के मौसम में आदान प्राप्त हो सकें। यदि आप उर्वरकों अथवा उर्वरकों की खरीद के लिए धन का प्रबन्ध नहीं करते तो मुझे विश्वास है कि देश को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कृषि उत्पाद के पांच से दस प्रतिशत से आप परेशानी की स्थिति में पहुंच जायेंगे, इससे आपकी सरकार हिल सकती है और बचाव के लिए कोई सामने नहीं आयेगा। अतः, मुख्य मंत्रियों अथवा कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करें और उनसे उनकी योजनाओं के बारे में पूछें और क्या वे खरीफ के मौसम में सहकारी बैंक से ऋण दे सकेंगे या नहीं। यह मुख्य कारण है। मेरा सुझाव है कि आपको ब्याज अथवा ऋण ही क्षमा कर देना चाहिए। अथवा पिछले ऋण को अलग रखकर नए ऋण दें। मैं इस बात को दोहराता हूं कि किसानों को नए ऋण दिए जाने चाहिए ताकि खरीफ के मौसम में वह कुछ आदान ले सकें और इस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ा सकें।

महोदय, यह कहते हुए मुझे खेद है कि कृषि मन्त्रालय का प्रशासनिक तंत्र सो रहा है। वे हर बात को बड़ी लापरवाही से लेते हैं। वे कार्यवाही तभी करते हैं जब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाता है अतः, मैं कृषि मन्त्री जो एक किसान हैं—शहर के किसान—से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित करें। देश के तीन चौथाई से अधिक भाग में अच्छी वर्षा होती है। अब जबकि बरसातें आ गयी हैं, कृपया सोये न रहें और बातों को लापरवाही से न लें। यदि बरसात हो भी लें, जब तक आप आदान नहीं देते और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं करते तो सफलता नहीं मिलेगी। मैं माननीय कृषि मन्त्री से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि ऋण देने सम्बन्धी तकनीकी बातों को भूल जायें। देश को बचाने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए किसानों को नए ऋण दिए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इनका हैलीकाप्टर वाला सुझाव एक्सैप्ट कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : माननीय सभापति जी, आज हम जिस गम्भीर स्थिति पर चर्चा कर रहे है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह चर्चा कोई पिछले 45 वर्षों से होती आ रही है लेकिन 45 वर्षों में हमारी चर्चा का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। हमारी सरकार की इतनी अनुदार नीति रही और खासकर के कृषि के सम्बन्ध में इतनी अनुदार नीति रही कि हम आज तक 45 वर्षों में अपने देश के पूरे खेतों को पानी नहीं दे पाये। केवल 31 प्रतिशत ही हम खेत को पानी दे पाये हैं। बड़े विद्वान प्रधान मंत्री, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट लोग भी आये लेकिन भारतीय कृषि की दशा बड़ी उदासीन रही।

हम कह डालते हैं कि भारत किसानों का देश है और इसमें किसान रहते हैं लेकिन किसान बराबर दुखी रहते हैं, कभी भी हमने किसानों के प्रति कोई उचित व्यवहार नहीं किया, न उनके लायक कोई काम किया। आज स्थिति यह है कि बराबर हमें सूखे के ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। सूखा देश की स्थाई समस्या हो गया है और जब तक हम इसका स्थाई समाधान के निदान के लिए कोई योजना नहीं बनाए गे, तब तक हम इसपर काबू नहीं पा सकेंगे। लोग कहते हैं कि सूखा इतना पड़ा है कि पानी की भी दिक्कत हो गई है और हम पीने के लिए पानी भी नहीं दे पाते हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप नाम बदलवा दीजिए, बाहर टी० वी० पर आ रहा है। राम शरण यादव जबकि बोल रहे हैं श्री राम प्रसाद सिंह।

सभापति महोदय : करेक्ट कर दिया।

श्री राम प्रसाद सिंह : तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो एक तत्कालीन इरीगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारी भी यह मान्यता है कि इस देश में सतही जल और भूगर्भ जल की कमी नहीं है लेकिन हमारी योजनाएं न तो सतही जल के लिए बनी हैं और न भूगर्भ जल के लिए कोई बड़ी योजना बनती है। हमारे देश में बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, उनपर काफी खर्च होता है लेकिन आज वह बड़ी योजनाएं भी असफल हो रही हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में कम बारिश होती है, बिहार में लगभग 44 इंच बारिश होती है, पंजाब में केवल तेरह, चौदह या 15 इंच ही बारिश होती है लेकिन पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था हो गई है और मैं इसका श्रेय खासकर के तत्कालीन मुख्य मन्त्री प्रताप सिंह कैरों को देना चाहता हूं···उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उसका परिणाम है कि आज पहले वहां धान की फसल नहीं होती थी, लेकिन आज पंजाब धान की पैदावार में भी आगे है, लेकिन बिहार जैसा प्रदेश जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन योजनाओं के अभाव में उस पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज 115 वर्ष पुरानी मेरे क्षेत्र की सोन नहर सिंचाई प्रणाली से किसानों को पानी नहीं दे पा रहे है, क्योंकि यह योजना बेकार हो गई है, इससे 10 लाख हैक्टर जमीन की सिंचाई होती थी। इसके आधुनिकीकरण के लिए मैंने कई बार शून्यकाल में और वैसे भी कृषि और जल संसाधन मन्त्री का ध्यान दिलाया है, वहां के किसानों ने बोट क्लब पर इसके लिए आकर धरना भी दिया है, लेकिन इस ओर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इसकी वजह से जहां सूखे के समय पानी की कमी होने से हमारे किसानों को सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, वहीं पर बरसात के दिनों

में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही इस पुरानी योजना के आधुनिकीकरण के लिए कार्यवाही की जाए।

सभापति महोदय, बिहार में कदवन और कदमचट सिंचाई योजनाएं वर्षों से लम्बित पड़ी हैं, केन्द्र सरकार इन योजनाओं के प्रति उदासीन है, जिसकी वजह से योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस बारे में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी योजनाएं तो बड़े-बड़े इंजीनियर बना देते हैं, लेकिन सरकार को छोटी योजनाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। छोटी योजनाओं को वर्तमान में राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस ओर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे निजी ट्यूबवेल के लिए किसानों को सबसिडी देनी चाहिए, किसानों को बिजली और डीजल उपलब्ध करवाना चाहिए, जो अभी हम नहीं करवा पा रहे हैं। बिहार में 1500 मेगावाट बिजली के संयंत्र लगे हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन कुल 300-400 मेगावाट ही हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, डीजल भी किसान को हम नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ भी केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस काम को केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट जो राज्य सरकारें तैयार करती हैं, इन योजनाओं को केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर 100-100 एकड़ के ताल बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें पानी का स्टोरेज किया जा सके और उससे धना, दलहन, तिलहन की फसल ली जा सके।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से जो 805 करोड़ रुपए की व्यवस्था सूखा-राहत के लिए की गई है, बिहार में देश की जनसंख्या का 10 प्रतिशत है, लेकिन बिहार के लिए सिर्फ 32 करोड़ रुपया दिया गया है। इस राशि को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि राज्य सरकार इस स्थिति का मुकाबला कर सके।

मैं बिजली मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कोयलकारो परियोजना -को मंजूरी दी है, लेकिन इस कार्य के बारे में पदाधिकारी उदासीन हैं। उस दिन हमें आश्चर्य हुआ जब बिजली मन्त्री जी ने कहा कि बिहार सरकार इस बारे में उदासीन है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। इसी तरह से कहलगांव संयंत्र बिजली मन्त्री जी ने फरवरी में चालू किया, लेकिन वहां के चेयरमैन ने जानकारी दी है कि यह अभी सिर्फ चालू हुआ है, लेकिन अभी यहां पर बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में डिहरी पनबिजली प्रोजेक्ट 4 वर्ष से बन रहा है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। यहां से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। उसमें समय लग गया, पैसा भी खर्च हो गया और टैक्नीशियन्स की गड़बड़ी के कारण योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। मैं चाहूंगा कि योजनाओं के साथ-साथ छोटी-छोटी और मध्यम योजनाएं भी चालू की जाएं। किसानों को ट्यूबवेल दिया जाए, बिजली दी जाए और डीजल की व्यवस्था करायी जाए। छोटी-छोटी योजनाओं के बारे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पिछले 45 वर्षों से बड़ी-बड़ी योजनाओं के माध्यम से धन तो बहुत खर्च किया गया, लेकिन देश को लाभ नहीं मिला। केवल 31 प्रतिशत खेतों को ही पानी दिया जा सका। इसलिए छोटी-छोटी योजनाएं किसान के लिए बनानी चाहिए: छोटी-छोटी योजनाएं केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर न छोड़े, बल्कि इसमें स्वयं पहल करके, राज्य सरकार को पैसा देकर, इनको अपने माध्यम से कार्यान्वित करे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुखाड़ की समस्या है उसका हल कर पायेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : चेयरमैन साहब, बारिश न होने की वजह से पंजाब में भी काफी दिक्कत हुई। पंजाब में भी सूखे का प्रकोप हुआ। पानी न होने की वजह से भाखड़ा डैम में पानी नहीं आया तथा पानी न आने की वजह से नहरों में पानी नहीं चला, न बिजली बनी। इसलिए वहां दिक्कत हुई। किसानों ने मेहनत कर ट्यूबवेल लगाए, लेकिन पानी तीस-तीस फुट नीचे चला गया और किसानों को बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने कुइयां खुदवायी। एक कुई खुदवाने पर 10 हजार रुपए खर्च हुए।

चेयरमैन साहब, 1960 में जो ट्यूबवेल लगता था उस पर चार हजार रुपए खर्चा आता था, अब जो ट्यूबवेल लोगों ने लगवाए हैं उस पर 1 लाख 4 हजार रुपये खर्चा आया है। जितना रुपया पंजाब के किसानों ने खर्च किया है उसकी वजह से उन पर करोड़ों रुपया कर्जा चढ़ गया है। मैं हिन्द सरकार से विनती करता हूं कि उन्होंने मेहनत करके रुपया लगाकर सारी पैडी की फसल बीज दी है, जितनी पंजाब के किसान ने मेहनत की है उतनी हिन्दुस्तान के किसी भी जगह नहीं हुई। पंजाब से 70 प्रतिशत गेहूं दक्षिण को जाता है, इतना गेहूं कहीं किसी सूबे से नहीं आता जितना पंजाब से आता है। पंजाब का किसान मेहनती है। सूखा पड़ने की वजह से किसान और मजदूर दोनों दुःखी हैं, दोनों को बहुत दिक्कत हुई है और उन पर बेशुमार कर्जा चढ़ गया है। उन्होंने कुइयां लगवायी हैं, ट्यूबवेल लगवाए हैं, इंजन लगवाए हैं। उन्होंने धान की फसल सारी की सारी वहां लगा दी है। अब परमात्मा ने ऐसा किया कि वहां पर बारिश आ गयी है। बारिश होने की वजह से सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं हिन्द सरकार से विनती करता हूं कि जो मंत्रिमण्डल है इसमें पंजाब का कोई मंत्री नहीं है, सारे मंत्री बाहर के ही हैं, मेरी विनती है, मेरा कहना फर्ज बनता है कि 650 करोड़ रुपया पंजाब के जिम्मे कर्जा पड़ा है। वहां लोग बहुत दुःखी हैं, वहां कारखाना कोई नहीं है सिर्फ खेती ही एक धंधा है। 90 प्रतिशत किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है। मैं हिन्द सरकार से कहना चाहता हूं, मंत्री जी यहां नहीं हैं, वे कहते हैं कि मैं पंजाब का हूं, वे न राजस्थान के हैं और न पंजाब के हैं, दोनों तरफ के लोग उनको देखते हैं। इसलिए मैं उनसे विनती करता हूं कि पंजाब के किसानों पर जितना सरकारी कर्जा है वह माफ कर दिया जाए। प्राईम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो पंजाब के जिम्मे कर्जा है वह माफकर दूंगा, मगर अभी तक नहीं किया गया। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि पंजाब के किसानों का कर्जा माफकर दिया जाए ताकि और अधिक फसल पैदा करके किसान दक्षिण भारत को दे। जयहिन्द।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति महोदय, मैं बिहार की बाढ़ स्थिति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ या सुखाड़ आता है। उत्तर में गंगा, गंडक, कमला और कोसी जैसी अनेक नदियां हैं जोकि साल भर पानी देती हैं। उस इलाके में सुखाड़ आ जाए तो मैं कहूंगा कि यह सुखाड़ प्रकृति प्रदत्त नहीं है बल्कि इंसानी विफलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे उत्तर बिहार में गंडक योजना और कोसी व बागमती योजना भी चल रही है। इन योजनाओं से यह संभावनायें थी कि उत्तर बिहार को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के विशाल भू-भाग को अन्न मिलेगा। वह आज प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्तर बिहार में सुखाड़ पड़ा हुआ है और जल का भंडार भी है तो यह अपने आप में एक विरोधाभास है। इतना विशाल जल भंडार होने के बाद आपकी सरकारी नीतियों ने वहां ऐसी स्थिति ला दी है जिसकी वजह से सुखाड़ पड़ा हुआ है। गंडक नहर का रख-रखाव नहीं हो रहा है और वहां से पानी का निकास भी नहीं हो रहा है। गंडक नहर से छोटी-छोटी नालियां नहीं निकाली जा रही हैं और न उसकी देखभाल हो रही है। जब अधिकारियों के पास

जाता हूं तो कहते हैं कि पैसे का अभाव है। बिहार के मंत्रियों के यहां जाता हूं तो कहते हैं कि केन्द्र पैसे नहीं देता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि गंडक, कोसी और बागमती योजनाओं को राष्ट्रीय योजना के रूप में बनाया जाए और केन्द्र सरकार देखकर उत्तर बिहार में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करे जिससे उत्तर बिहार और दूसरी जगहों को भी अन्न प्राप्त हो सके और अपना पेट भर सकें। हमारे पूर्व-वक्ता ने सही कहा है कि जो छोटे-छोटे प्राईवेट ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और लिफ्ट इर्रीगेशन होने के बाद भी उनको बिजली नहीं मिल रही है। यहां पर कृषि मंत्री जी के साथ-साथ बिजली मंत्री और जल-संसाधन मंत्री को भी रहना चाहिए था जिससे वे समुचित उत्तर दे सकते जबकि वे यहां नहीं हैं।···(व्यवधान)

उत्तर बिहार में अनेक नदियां हैं जिनसे लिफ्ट इर्रीगेशन हो सकता है, उसके लिए यन्त्र भी लगाए गए हैं। वहां बिजली का अभाव नहीं हो रहा है। हमारे पूर्व-वक्ता ने सही कहा कि यहां बिजली और डीजल नहीं मिल पा रहा है। जो ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं वे भी बन्द पड़े हुए हैं। योजनाएं लागू की गई हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर बिहार में किसानों से कर्ज की वसूली हो रही है और किसान का अन्न पैदा नहीं हो रहा है, त्राहि-त्राहि मची हुई है। उस कर्ज को जनता दल की सरकार ने और केन्द्र सरकार ने माफ किया था। लेकिन उस माफ से भी लोगों को फायदा नहीं हुआ है। उससे छोटे किसान तबाह हो रहे हैं। मेरी मांग है कि गंडक, कोसी और जो दूसरी योजनाएं हैं उनको राष्ट्रीय योजना में लाया जाए। मेरी मांग है कि कर्ज की वसूली को माफ किया जाए और उसको तत्काल रोका जाए।

नीतीश कुमार जी ने सही कहा है कि राज्यों को प्राकृतिक प्रकोप के समय दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाई जाये। ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराया जाये। अकाल की अवस्था में छोटे-छोटे किसानों और मजदूरों का ह्रास हो जाता है इसलिए ऐसी योजना बनाई जाये जिससे गांवों में रोजगार की व्यवस्था हो सके।

उत्तर बिहार में खासकर पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिले में हर साल बाढ़ आती है। वहां पर मसान डैम की योजना को लागू करना है। उस पर सरकार का पांच करोड़ रुपया खर्च हो गया है, उसका काम बन्द है उसके चलते बाढ़ का प्रकोप होता है। पानी चला जाता है तो सुखाड़ पैदा हो जाता है और बिजली का भी अभाव हो जाता है। हमारे माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा ने उत्तर बिहार के लिए सिंचाई, बिजली और सुखाड़ से बचने के लिए एक योजना पेश की है उसमें कई बार लोक सभा में चर्चा भी हुई है। मैं श्री बलराम जाखड़ से कहूंगा कि वे उस योजना पर विचार करे और केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को सहायता दे। क्योंकि ऐसी विशाल योजनाओं को लागू करने में बिहार सरकार असमर्थ है। केन्द्रीय सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण बिहार सरकार को जितनी रकम मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। बिहार में इस कारण अभाव ही अभाव है। लोग वहां पर भूखे मरें या अकाल से मरें, आपको कोई चिन्ता नहीं है। आप सो रहे हैं। मेरा कहना है कि अपनी इस बेरुखी नीति को बदलिए और बिहार को समुचित सहायता दें और वहां पर जांच दल भेजिए।

बिहार में कृषि की अनेक सम्भावनायें हैं। वह क्षेत्र हरियाणा या पंजाब से किसी मायने में कम नहीं है। यदि सुखाड़ का स्थाई हल हो, बिजली, सिंचाई की व्यवस्था हो और ऋण माफ कर दें तो वहां काफी अनाज हो सकता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर बाढ़ और सूखे की स्थिति रहेगी। उत्तर बिहार में कृषि की अनेक सम्भावनायें हैं। आप इसको सारे देश का संकट मानें, खाली उत्तरी

बिहार या बिहार का संकट नहीं मानें, यह आपके लिए भी संकट है । अगर इसको दूर नहीं किया गया तो वहां जनाक्रोश पैदा होगा और आन्दोलन होगा । इसमें केन्द्रीय सरकार नहीं बच पायेगी । इसलिए मेरी अपील है कि इस बात पर विचार करें और उत्तरी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना बनाकर सहायता करें । उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा बड़ा राज्य है उसको उपेक्षा के दृष्टिकोण से मत देखिए । यह आग से खिलवाड़ करना है ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय(इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : एक समस्या है । यह मूल चर्चा बहुत कम समय के लिए हुई थी । इसके बारे में हमने लगभग तीन दिन लिए थे और में अत्यधिक महत्व वाले मामलों को समझता हूं । आखिरकार सूखा एक आम बात नहीं है । हम सबको इसे बड़े गंभीरता से लेना चाहिए । सदस्यों ने भाग लिया, मैं जानता हूं अब भी बहुत से सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं । किन्तु की समय कमी की समस्या है और भी चर्चायें होनी है और यदि इसे बढ़ाते जायेंगे तो सभा का कार्य चलाने में बहुत कठिनाई होगी । अवसर तथा समय के असमान वितरण के बारे में कुछ शिकायतें हैं, हम उसे देख सकते हैं । मैं ऐसा नहीं समझता कि वह असम्भव है । किन्तु एक विशेष मामला मानते हुए, मैं आशा करता हूं कि सदस्य उसको समझेंगे कि इस विषय पर हमने पहले ही बहुत समय लगा दिया है ताकि मंत्री महोदय लगभग 5.15 पर उत्तर दे सकें । भाग लेने वाले अन्य लोगों को अपने प्रश्न शीघ्र रखने चाहिए ताकि अधिकाधिक सदस्य अपने प्रश्न पूछ सकें । जहां तक हो सके हमें अधिक विवरण में नहीं जाना चाहिए ताकि मंत्री 5. 5 पर उत्तर दे सकें । फिर हम अगली चर्चा कर सकते हैं जिसे कल समाप्त करना है । अन्यथा, पूरी समय-सारिणी जिसे पहले ही बहुत अव्यवस्थित कर दिया गया है, पूरी तरह बिगड़ जाएगी । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धनदुका) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि पिछले दो दिनों से······

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आज अब तक कोई भी सी० पी० आई० एम० का सदस्य नहीं बोल सका । उन्हें कोई अवसर क्यों नहीं दिया गया ? क्या आप हमें समय देंगे अथवा नहीं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप केवल समय बर्बाद कर रहे हैं । मैंने आपको बता दिया है हम इसका समाधान करेंगे आप बैठ जाएं । आपकी बारी भी आएगी (व्यवधान) पार्टी ग्रुप के माध्यम से नाम आएंगे ।

श्री सैयद मसूल हुसैन : आज भाजपा के कितने सदस्य बोले थे ? मैं यह जानना चाहूंगा । सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम०) से कितने बोले ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : समय बर्बाद न करें । मैं आपका नाम पुकारूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा सभापति महोदय, सारे देश में अकाल की जो गम्भीर समस्या खड़ी होने वाली है, उसके बारे में पिछले दो दिनों से हमारे साथी संसद सदस्यों ने बहुत सारी बातें की हैं।

सभापति महोदय, आपने सुना होगा कि गुजरात में बार-बार सूखा पड़ता है और वहां पर स्थिति इतनी गम्भीर होती जा रही है कि वहां पर किसानों और पशुओं का जीना मुश्किल हो गया है। वहां पीने के लिए पानी तक नहीं है। इसके अन्दर सौराष्ट्र, बनासकांठा, भड़ौच आदि जिले आते हैं लेकिन गुजरात के 19 जिलों में से 18 जिलों में अकाल की स्थिति है। वहां आज यह हालत हो गई है कि कोई फसल नहीं हुई है और कृषि मंत्री यहां बैठे हैं उनको मालूम है कि गुजरात से ही सबसे ज्यादा फसल बीमा का कलेम हुआ है। गुजरात के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल फसल बीमा के लिए और उसके पैसे के लिए मंत्री जी से मिल चुके हैं और उन्होंने इस काम को जल्दी-से-जल्दी पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। परन्तु दुख है कि गुजरात सरकार की नाकामयाबी के कारण काम रुका हुआ है। केन्द्र की ओर से पूरा सहयोग हुआ है, इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, गुजरात के अन्दर जो अकाल पड़ रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि जो नदियों पर बांध बनाने चाहिए, वे नहीं बनते हैं। इसमें नर्मदा नदी पर बांध बनाने के लिए वर्षों से बहस चल रही है। एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा चल रहा है। अगर नदी पर बांध बनाया गया होता तो गुजरात के अन्दर आज अकाल का सामना करने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिल सकती थी परन्तु उसके अन्दर बहुत देरी हो रही है। नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिले और कार्य जल्दी से पूरे किए जाने के प्रयत्न किए जायें। इसके साथ-साथ गांवों में जो बरसात होती है, उसके लिए बड़े तालाब बनाने चाहियें ताकि वहां पानी इकट्ठा करके काम लाया जा सके। साथ ही छोटी-छोटी नदियों पर बांध बनाए जाने चाहिए ताकि वे कम समय में तैयार होकर अकाल के समय सहायता के रूप में काम आ सकें। यदि गांवों में तालाब नहीं बनाए जायेंगे या छोटी नदियों पर बांध नहीं बनेंगे तो बरसात का सारा पानी समुद्र में बहकर चला जाएगा। अभी गुजरात के कुछ हिस्से में अच्छी बरसात हो रही है। कच्छ के अन्दर 30 प्रतिशत पानी गिरा है, वे लोग खुश हैं लेकिन जो फालतू पानी होता है, वह समुद्र में बह जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटे-छोटे बांध नदियों पर विकसित किए जायें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि गुजरात के उस समय के कृषि मंत्री श्री केशूभाई पटेल ने बड़ी योजना बनाई थी, उसे पूरा किया जाए जो गुजरात के अन्दर बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। सभापति महोदय आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब वहां अकाल पड़ता है तो किसान अपने बैल को तिलक लगाकर अपनी आंखों में आंसू भरकर छोड़ देते हैं।

5.00 म० प०

हम उसे रास्ते में छोड़ देते हैं बेटे की तरह। वहां भी किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। मैं जिस जिले से आता हूं वह अहमदाबाद जिला है। वहां हमेशा सूखा पड़ता है। कोई भी उद्योग नहीं है वहां के लोगों के जीविकोपार्जन के लिए। वहां लोग वर्षा की खेती पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जब बरसात नहीं होती तो उन्हें अपने गांव छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ता है और वे लोग बाहर आ जाते हैं। राज्यों के पास सीमित संसाधन हैं। इसलिए मेरी कृषि मंत्री जी से और सरकार से प्रार्थना है कि

गुजरात सरकार की जो मांग है, जो मास्टर प्लान बनाकर भेजा जाता है उसके तहत आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद।

श्री प्रेम चन्द राम (नवादा) : सभापति महोदय, यहां सूखे पर जो चर्चा चल रही है उस पर बोलते हुए मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत साथियों ने इस पर प्रकाश डाला है।

मैं बिहार से आता हूं और बिहार के भी उस मध्य बिहार से जो सदा सिंचाई और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बराबर उपेक्षित रहा है। इस बार देश के कई भागों में तो सूखा है, कहीं-कहीं पर बाढ़ भी है लेकिन खासकर समूचा बिहार इस बार सूखे की चपेट में है। दो तीन दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी लेकिन बाद में पुरवैया चली तो जो जमीन को पानी मिला था अब वह भी सूख गया है। मैंने पिछली 22 अगस्त, 1991 को सिंचाई मंत्री के साथ डिस्कशन में हिस्सा लिया था। मैंने कहा था कि हर बार चर्चा कराई जाती है, हर बार हर संसदीय क्षेत्र से सदस्य जीतकर आते हैं। व्यक्ति बदल जाते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व होता रहता है कभी उस पार्टी का कभी इस पार्टी का। चर्चा भी होती है लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है।

मैंने बताया था कि नवादा कांस्टीट्यूएंसी से होकर एक नदी गुजरती है जिसे सकरी नदी कहा जाता है और वह बिहार की "मिनी कोसी" मानी जाती है। जिस प्रकार बाढ़ के दिनों में लोग कोसी से भयभीत होते थे उसी तरह से सकरी नदी में भी उस किनारे जो लोग बसते हैं वह घबराते हैं कि बरसात होने वाला है तो हम लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। जब बिहार में मुख्य मंत्री चन्द्रशेखर सिंह जी थे जो अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने अपर सकरी परियोजना बांध बनाने का शिलान्यास किया था। उसका शिलान्यास हुए दस साल हो गए लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं जब यहां आया तो पिछली बार भी मैंने कहा था। अभी इस बार मैंने प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। चूंकि स्टेट का सवाल है जनता को आपने भरोसा दिलाया था कि अपर सकरी परियोजना का निर्माण किया जाएगा और उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है जिससे जनता में निराशा है और लाखों हैक्टेयर भूमि उससे लाभान्वित हो सकती है अगर उसको सीरियसली लिया जाए, उस पर निर्माण कार्य अगर शुरू कराया जाए। इससे मैं समझता हूं कि मध्य बिहार की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे वह जिले नालंदा हो, बेगूसराय हो, नवादा हो, गया हो या और जिले हों, इनके भाग भी उससे लाभान्वित होंगे। अगर इन कुछ जिलों की जमीन का आंकड़ा लिया जाए तो लाखों हैक्टेयर से ऊपर होगी। ऐसी योजनाओं को उपेक्षित छोड़ा जाता है और दूसरी तरफ सभापति महोदय मैं बताऊं कि आज जिन्दगी और मौत की बात हो रही है। सूखा मौत का नाम है, बाढ़ भी मौत का नाम है। इन दोनों का समाधान जरूरी है। दोनों का परस्पर सम्बन्ध है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों पर उचित ध्यान दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि भारत जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यह गरीब रह जाएगा।

बल्कि कृषि के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल स्थान हासिल कर सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की उदासीनता और सरकार के पास इच्छा-शक्ति का अभाव, उसका इस मामले में कोई कार्यवाही न करना, यह बताता है कि सरकार के पास इच्छा-शक्ति नहीं है, अपने लिए ज्यादा सोचना और देश की जनता के बारे में कम सोचना, यही कारण है कि एक-न-एक घोटाले की यहां बराबर चर्चा हुआ करती है।

सभापति जी, सूखा सूखा है। यदि देश में सूखा है तो उस देश में चाहे कोई भी सरकार को,

उसको रहने का नैतिक अधिकार नहीं है ! यदि वह सरकार इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं देती है तो वह कैसे कह सकती है कि हम पूरे देश की हकूमत चलाते हैं, जबकि देश की जनता भूख से तड़फ रही है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। अभी यहां कुछ लोग कह रहे थे कि जनवरी से भुखमरी आने वाली है, लेकिन भुखमरी तो अभी से आ गई है। मजदूर जो रोज काम करता है, उसके सामने भुखमरी की समस्या आ गई है। आज उसको काम नहीं मिल रहा है। जब भी रोपने का काम शुरू होता था तो रोपने के काम में पुरुष और नारी दोनों हाथ लगते थे लेकिन आज दोनों हाथ खाली हो गए हैं। मजदूर के सामने अभी से मौत का सवाल आ खड़ा हुआ है।

अतः मैं कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि हर साल बाढ़ कंट्रोल के नाम पर जो अरबों रुपये बहाये जाते हैं, बाढ़ को सदा के लिए कन्ट्रोल करने की व्यवस्था होनी चाहिए हमारी नदियां जीवन-दायिनी कही जाती हैं, लेकिन आज वे जीवन लेने वाली सिद्ध हो रही हैं, जिन्दगी लेने का काम कर रही है। इनको फिर से जीवन-दायिनी के रूप में बदला जा सकता है बशर्ते कि एक बार आपको जरूर महंगा पड़ेगा। यह सरकार तो पहले ही काफी कर्जा ले रही है, कर्जदारों में अपना नाम लिखा रही हैं, आप ऐसा कर्जा लीजिए ताकि भविष्य में फिर से कर्जा लेने की नौबत ही न आए। इसलिए मैं कहूंगा कि जितनी परियोजनाएं आपके पास लम्बित हैं, प्रस्ताव आपके पास आए हैं, जल-आयोग के पास हैं, प्लानिंग कमीशन के पास है, प्रधान मंत्री जी ने बताया था कि अपर सकरी बांध निर्माण योजना के बारे में उन्होंने प्लानिंग कमीशन को लिखा है, इसलिए प्लानिंग कमीशन को चाहिए कि उस योजना को प्राथमिकता के आधार पर ले। आपका यह कहना कि स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रियोरिटी नहीं भेजती है तो स्टेट गवर्नमेंट से प्रियौरिटी मांगी जानी चाहिए और ऐसी तमाम योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। सरकार राहत के काम तत्काल शुरू करे। उसे इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि दिसम्बर, जनवरी या फरवरी में वह स्थिति आयेगी। मौत अभी से शुरू हो गई है। इन्सानों का मरना शुरू हो गया है। इन्सान के हाथ खाली होने शुरू हो गए हैं।

अतः इसके स्थाई निदान के लिए मैं भारत सरकार से अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, वह मानवीय समस्या है, इंसानियत की समस्या है, उसे देखे और अपनी इच्छा-शक्ति का परिचय दे। आज भारत की जनता इस सरकार की तरफ आंखें उठाये बैठी है कि अब यहां से कुछ आने वाला है, कुछ राहत मिलने वाली है। मैंने 1966 के अकाल को भी देखा था उस अकाल में लूट भी हुई थी तो भी जनता भूखों नहीं मरी। जो लोग रिलीफ के काम चलाते थे, वे आधा पैसा अपनी रिलीफ के लिए ले लेते थे लेकिन फिर जनता भूख से नहीं मरी। बाहर के लोग भी यहां आते थे, जो केयर-टेकर प्रोग्राम चला रहे थे, कुछ लोग अमेरिका से आए थे, दूसरे देशों से आए थे, वे सभी झुलस कर मर रहे थे लेकिन ईमानदारी का परिचय दिया करते थे। गर्मी के दिनों में वे भी झुलसकर मर रहे थे। अगर यहां ईमानदारी हो, ईमानदारी से यहां एक योजना को लागू किया जाए तो कभी सुखाड़ की समस्या हमारे सामने इतने भयंकर रूप में नहीं आ पायेगी, यह समस्या कभी बढ़ नहीं सकती।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः इस सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी बातें वह बोलती है, उतनी करे। इच्छा-शक्ति का परिचय दे, इच्छा-शक्ति रखे और इस देश के गरीब लोगों को, जनता को न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल करे, तभी इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दी गई सूची में मैं तीसरे स्थान पर था। आपने उस सूची पर ध्यान नहीं दिया और आप उन सदस्यों को अवसर दे रहे हैं जो सदन में शोर करते हैं। मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। अतः मैं विरोध करता हूं।

***श्री सुबास चन्द्र नायक** (कालाहण्डी) : सभापति महोदय, मैं देश में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसके बारे में नियम 193 के अन्तर्गत सभा में चर्चा की जा रही है। जैसाकि आप जानते हैं, महोदय, उड़ीसा अभिशप्त राज्य है। हमें लगभग प्रतिवर्ष किसी न किसी प्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ता है। सूखा, बाढ़ और तूफान उड़ीसा में नियमित घटनाएं हैं। जैसाकि पिछले तीन वर्षों में देखा गया है कि सूखे और बाढ़ की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में रही है। कटक से कालाहण्डी तक सभी 13 जिलों में प्रति वर्ष लोग इन आपदाओं का सामना कर रहे हैं। कृषक मुख्यतः सूखे के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बड़े कृषक किसी प्रकार काम चला लेते हैं, लेकिन मुख्यतः छोटे व सीमांत किसानों को इसका सामना करना पड़ता है। अतः मैं माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा में छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए ऋणों में छूट दी जाए।

महोदय, यदि मैं अपने जिले कालाहण्डी के लोगों की समस्याओं को सरकार के ध्यान में नहीं लाऊंगा तो मैं अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहूंगा। यह सर्वविदित है कि कालाहण्डी सूखाग्रस्त जिला है। लेकिन, यह भाग्य की विडम्बना है कि कभी-कभी उस जिले में भारी वर्षा होने से बहुत अधिक हानि होती है। मुझे आज टेलीफोन से कुछ संदेश प्राप्त हुए जिनमें बताया गया है कि पिछले तीन दिनों की भारी वर्षा के कारण सड़कें टूट गई हैं तथा खरीअर से भवानीपटना में दूरसंचार सम्पर्क टूट गया है। जूनागढ़ और भवानीपटना के बीच राज्य सड़क क्षतिग्रस्त हुई है तथा इसमें कई स्थानों पर दरार पड़ गई है। लेकिन इन स्थानों के बीच सड़क के टूटने व क्षतिग्रस्त होने से दूरसंचार सम्पर्क टूटा हुआ है। कालाहण्डी की वर्तमान स्थिति को बताने का कारण केवल यही है कि वर्षा, बाढ़ और सूखे के कारण लोगों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित किया जा सके।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं चेरापूंजी क्षेत्र में, जोकि उस समय असम में था, हर वर्ष भारी वर्षा होती है। वहां अधिक वर्षा होती है। इस अतिरिक्त वर्षा से पानी की कमी हो जाती है। कई बार उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि सब ओर वर्षा का जल होता है। महोदय, दूसरी ओर कालाहण्डी के लोगों के भाग्य की विडम्बना देखिए। लगभग हर वर्ष वहां बहुत कम बारिश होती है जोकि उस पिछड़े क्षेत्र में चिरकालिक सूखे का मुख्य कारण है। अतः सूखा कृषकों की कमर तोड़ देता है क्योंकि कृषि के लिए वे वर्षा के जल पर ही निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त कालाहण्डी, ढेनकनाल, फूलबानी, कोरापुट, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर और बोलनगीर उड़ीसा के जिले भी भीषण सूखे की चपेट का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि सहडोल, झाबुआ और मध्य प्रदेश में पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग इस सूखे से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकारें केन्द्र से पर्याप्त धनराशि की मांग कर रही हैं। भारत सरकार कह रही है कि विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई राशि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है। उड़ीसा सरकार शिकायत कर रही है कि केन्द्र द्वारा आबंटित की गई राशि अभी तक राज्य के पास नहीं पहुंची है महोदय, पिछले वर्ष उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए चन्द्रशेखर सरकार ने 50 लाख रु०

*मूलतः उड़ीसा में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अनुमोदित किए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 35 लाख रु० अनुमोदित किए हैं। मैं नहीं जानता कि उड़ीसा की सरकार को अब तक कोई अनुदान क्यों नहीं प्राप्त हुआ है। जैसाकि मैंने कहा कि उड़ीसा के प्रत्येक जिले में सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। वहां कुछ ऐसे जिले हैं जहां लोग अपनी भूमि पर खेती करने के लिए वर्षा के जल पर निर्भर करते हैं। अतः यदि हम राज्य में सूखे की स्थिति से निपटना चाहते हैं यदि हम वास्तव में कृषकों की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो उड़ीसा के प्रत्येक भाग में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। नई सिंचाई परियोजनाओं की बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि विद्यमान सिंचाई परियोजनाएं जो भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं आवश्यक मरम्मत कराने की आवश्यकता है। इसके साथ ही समय-समय पर उनका उचित रख-रखाव भी किया जाना चाहिए। लेकिन यह दुःख की बात है कि न तो केन्द्र और न हीं राज्य सरकार के पास इस मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के लिए धन है। अतः वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए अलग से धन निर्धारित किया जाना चाहिए।

महोदय, भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने गरीब और अकालग्रस्त कालाहण्डी जिले का दौरा किया था। इस जिले पर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। अपने शासन के दौरान उन्होंने जिले के कई दौरे किए थे। उन्होंने 'आडाप्ट' (ए० डी० ए० पी० टी०) नामक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत विशेष प्रबन्ध किए थे ताकि कुछ कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि सीधे कालाहण्डी पहुंचे जिसके परिणामस्वरूप लोग अपनी जीविका अर्जित कर सकें। वे केन्द्र द्वारा आबंटित राशि जोकि 'अडाप्ट' योजना के अन्तर्गत दी जा रही थी, से सीधे लाभ उठा रहे थे। लेकिन यह दुःख की बात है कि जब वी० पी० सिंह की सरकार ने पदभार संभाला तो योजना बन्द कर दी गई। लोक सभा का सदस्य बनने के बाद, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा। मैंने इस योजना को क्रियान्वित करने की ओर सदन का ध्यान दिलाया। मैंने इस सदन में शून्यकाल के दौरान समस्याओं पर प्रकाश डाला। माननीय कृषि मन्त्री अवश्य इस मुद्दे को नोट कर लें। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कृषि राज्य मन्त्री श्री के० सी० लेंका जी यहां है। उन्हें अवश्य ही विभिन्न कार्यक्रमों की जांच करनी चाहिए तथा सरकार से यह सिफारिश करनी चाहिए कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना गरीबी समाप्त करने हेतु क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (अडाप्ट) को पुनः लागू किया जाए। उन्हें वर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय श्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा कालाहण्डी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कालाहण्डी, बोलनगीर और फूलबनी जिलों के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया है कि वे वास्तव में गरीब और पिछड़े हुए जिले हैं। इन जिलों में विकास सम्बन्धी गतिविधियों ने तेजी लाने की दृष्टि से विशेष योजनाएं आरम्भ की जानी चाहिए। माननीय श्री के० सी० लेंका, कृषि राज्य मन्त्री ने कालाहण्डी के लोगों की वास्तविक स्थिति देखी है। उनकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। मैं कुछ दिन पहले उड़ीसा के योजना मन्त्री से मिला था। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि कालाहण्डी के लिए उन्होंने कुछ विशेष योजनाएं तैयार की हैं तथा ये योजनाएं केन्द्र को भेजी गई हैं। यदि भारत सरकार को वास्तव में वे योजनाएं प्राप्त हुई हैं, तो उन योजनाओं को अनुमोदित कराने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। यदि वे योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं तो लोगों की दशा में सुधार होगा। वे लोग जो अपने जन्म स्थान को छोड़ रहे हैं और भारत के अनेक भागों में स्थानांतरित हो रहे हैं तथा नौकरी के लिए दूर-दराज के क्षेत्र में चले गए हैं, जाना बन्द कर देंगे और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों का लाभ उठायेंगे।

महोदय, यह दुःख की बात है कि कालाहण्डी और बोलनगीर के लोग बहुत ही गरीबी में अपने

दिन काट रहे हैं। अनेक लोगों को दो समय का भोजन भी नहीं मिल रहा है। लोग नौकरी की तलाश में अपनी रोज की रोटी के लिए जन्म स्थान छोड़कर जा रहे हैं। पटनागढ़ में एक आदमी ने केवल 40/-रु० में अपने बच्चे को बेच दिया। जब लोगों की स्थिति इतनी खराब है तो यह दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा की राज्य सरकार कालाहण्डी, बोलनगीर, ढेनकुनाल और सुन्दरगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं इस सदन का ध्यान आपके द्वारा इस आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन जिलों के गरीब सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के बचाव के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। मैं माननीय कृषि मन्त्री तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों को भी कालाहण्डी के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने का अनुरोध करता हूं तथा उन्हें और अधिक लम्बे समय तक गरीबी का सामना नहीं करने देना चाहिए अन्त में, महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब सदन में कृषि और सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाती है तो माननीय वित्त मन्त्री सदा उपस्थित नहीं रहते। लेकिन हम आज प्रसन्न हैं कि माननीय वित्त मन्त्री डा० मनमोहन सिंह अब सदन में उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूं कि वे उड़ीसा राज्य, विशेषकर कालाहण्डी को सभी प्रकार की राहत पुनर्वास और विकास सहायता प्रदान करने के लिए धनराशि देने में सहायता करेंगे। जैसाकि मैंने बताया, उड़ीसा कृषिगत राज्य है। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के अभाव में इस राज्य में कृषि विकास संभव नहीं हो पाया है। अतः मैं कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा में सिंचाई के अन्तर्गत लाने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने हेतु ड्रिप सिंचाई और सूखाग्रस्त प्रभावित कृषकों को बचाया जाए जैसाकि हरियाणा राज्य में किया गया है। यदि ऐसा किया जाता हूं तो कालाहण्डी में किसी को खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। यह मेरी मांग है।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : सभापति महोदय, हमारे देश में हर साल कहीं सुखाड़ और कहीं बाढ़ से तबाही होती है। नेपाल से पानी आकर हर साल उस क्षेत्र को तबाह करता है। जैसे विदेशी आक्रमण होने पर केन्द्र सरकार का दायित्व होता है कि उसका मुकाबला करे वैसे ही इससे भी मुकाबला करना चाहिए। केन्द्र सरकार को हमारे क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए, नेपाल सरकार से बात करके कोई व्यवस्था करनी चाहिए। गंगा और कोसी के कटाव से 35 सालों से लाखों लोग बेघर हैं। जिसका जन्म सड़क पर हुआ है वह बाप बन गया हैं और मालूम पड़ता है कि वह दादा बन जाएगा तब भी उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बिहार में अनेक कठिनाइयां है। नेपाल से पानी आकर हर साल जो तबाही करता है उसका मुकाबला करने के लिए बिहार सरकार के पास सामर्थ नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह उसका मुकाबला करे।

जब सुखाड़ पड़ता है तो बोरिंग करके और नहर आती है तब नालियां बनाकर किसान को राहत दे सकते हैं। इसके लिए पहले बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यदि बिजली नहीं होगी तो बोरिंग बेकार होगी।

सदन में मन्दिर मस्जिद के मसले को लेकर 4-5 दिन से झमेला हो रहा है लेकिन देश की अन्य समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

5 मई को जनसत्ता पेपर में निकला है कि बिहार में 12 साल से आडिट नहीं हुआ है। वहां 90 हजार दफ्तर हैं, उनमें से तीन हजार दफ्तरों का आडिट हुआ है जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला पाया गया है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। केन्द्र सरकार वहां पर आडिट पार्टी भेजकर आडिट

कराए । बिहार में अफसर लूट करते हैं । मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां पर दस्ता भेजकर आडिट करवाया जाए । जिस जगह सुखाड़ है वहां पर राहत दी जाएं और बाढ़ से बचाने की व्यवस्था की जाए। मेरा यही कहना है ।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, आज पूरे देश में सुखाड़ की स्थिति है । कोई भी राज्य सुखाड़ से नहीं बचा है । जहां कहीं भी कोई आदमी जाता है, वहां उसे सूखा पड़ा हुआ ही दिखाई देता है । दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी ये सब हमें देखने को मिल रहा है । केन्द्र में अधिक समय तक कांग्रेस की ही हुकूमत रही है । उसने इसकी रोकथाम के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया । हम आज तक सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं ।

देश के करीब 70 प्रतिशत लोग खेती पर जिंदा रहते हैं । केवल 30 प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों में काम करके जिंदा रहते हैं । तमाम बातों को देखने से मालूम होता है कि सरकार की निगाह इस तरफ नहीं है । सरकार फाइव स्टार होटल बनाने में रुचि रखती है और विलासिता की चीजों को अधिक बढ़ाने में रुचि रखती है लेकिन जहां तक सिंचाई का इंतजाम करने का सवाल है, इस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जोकि इससे तबाह न हुआ हो ।

पंजाब जैसे राज्य में जहां 6 फुट पर पानी मिलता था, आज उस पंजाब में 20 फुट पर पानी मिलता है । पंजाब से हमारे लोक सभा के सदस्य कह रहे थे कि आज से 2-3 बरस पहले जो पानी 6 फुट पर मिलता था, आज वह पानी 20 फुट पर भी नहीं मिल रहा है । यह आज पंजाब की स्थिति है । मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा और बिहार की स्थिति और बदतर है । बिहार में पानी बहुत कम मिलता है । सरकार 30-40 फुट गहरी पाइप किसानों को बोरिंग के लिए देती है जबकि उन्हें 100 फुट पाइप की जरूरत पड़ती है । देश की स्थिति आज बहुत खराब है । कम-से-कम अभी से ख्याल किया जाए जिससे सिंचाई के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें ।

हमारे देश में जल की कमी नहीं है । पंजाब में 5 नदियों को बांध दिया गया है । बिहार में केवल गंगा नदी को बांध दिया जाए तो बिहार एक इंच जमीन भी सूखी नहीं रहेगी । तमाम जगहों की सिंचाई हो जाएगी लेकिन यह काम नहीं हो रहा है । जहां से गंगा निकली है अगर वहां से गंगा का पानी इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी अगल-बगल का किनारा सूखा नहीं रहेगा । अगर एक साल तक बारिश नहीं हुई तो गंगा के पानी से सिंचाई हो सकेगी लेकिन यह काम नहीं हो रहा है । अगर मिर्जापुर में गंगा को बांध दिया जाए और आठ किलोमीटर खुदाई करने के बाद गंगा के पानी को सोन नदी में गिरा दिया जाए तो 10 जिलों के किसान आत्मनिर्भर हो जायेंगे । पानी पहले बिहार को मिलता था लेकिन जब से पानी का बंटवारा हुआ है तब से बंटवारा ठीक से लागू न होने की वजह से बिहार को नुकसान हो रहा है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ पानी के सम्बन्ध में जो बंटवारा हुआ, उसके हिसाब से बिहार को पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है अगर उसे पूरा हिस्सा मिले तो बिहार कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा अंग्रेजों ने सोन नहर इसलिए बनाई थी कि उसके आसपास के जिले इससे फायदा उठा सकें । जो दुश्मन थे, उन्होंने वह काम कर दिखाया जिससे कि लोगों को फायदा हो । लेकिन भारत सरकार इस काम के लिए पैसा देने में हिला-हवाला कर रही है । पिछले साल एक करोड़ रुपया इस काम के लिए गया था लेकिन अब भारत सरकार का कहना है कि हमारा खजाना खाली है और हम बिहार को रुपया नहीं दे सकते हैं ।

यह भारत सरकार का कहना है। मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार से कि किसानों को पंपिंग सैट के लिए आपके पास रुपया नहीं है, किसानों को अगर पाइप खरीदना है तो आपके पास रुपया नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना है तो रुपया नहीं है, खाद के लिए रुपया नहीं है तो हर्षद मेहता के लिए कहां से रुपया चला आता है ? क्यों चला आता है हर्षद मेहता के लिए रुपया ? अगर बैंक का मैनेजर कानून के मुताबिक हर्षद मेहता को 17 हजार करोड़ रुपये देने का अधिकारी है तो क्या किसानों के लिए 5000 रुपये देने के लिए भारत सरकार अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जरा अपनी आंख खोलिए।

आज तो यहां रहना चाहिए था, जल संसाधन मन्त्री जी को लेकिन मन्त्री जी लापता हैं। रहना चाहिए था बिजली मन्त्री जी को, इसलिए रहना चाहिए बिजली मन्त्री को कि भगवान का पानी नहीं भी हो, अगर बिजली रहे तो हम गंगा का पानी उठा सकते हैं, बोरिंग का पानी उठा सकते हैं, सिंचाई उससे हो सकती है लेकिन बिजली मन्त्री जी आज लापता हैं। पांच वर्ष पहले 5 करोड़ रुपये का एक पावर ग्रिड बिहार के जगदीशपुर में बनाने का शिलान्यास हो गया, भारत सरकार के द्वारा शिलान्यास हुआ। मैं जब मन्त्री जी से पूछता हूं, रुपया गया, कहते हैं कि मैंने 6 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दे दिया है, जब वहां बिहार बिजली बोर्ड के चेयरमैन से पूछता हूं, वह कहते हैं कि मेरे पास रुपया नहीं आया है यह स्थिति भारत सरकार की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मन्त्रीजी से कि आज तमाम लोगों को यहां रहना चाहिए था और इस बात पर विचार करना चाहिए था कि बिहार के साथ अन्याय होगा या न्याय करना भी आप लोगों ने सीखा है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, बिहार के साथ अब अन्याय नहीं किया जाये, इतना भी हुआ जो, सो हुआ। अब अगर न्याय नहीं किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि बिहार के लोग लड़े बिना नहीं मानेंगे। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जहां के तमाम नौजवान दूसरे राज्यों में रहकर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं।

अगर दिल्ली का मुआयना किया जाए तो 10 लाख से कम नौजवान दिल्ली में नहीं रहते हैं, अपना पेट पालने के लिए, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में सिंचाई का इन्तजाम कराया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, गंगा नदी को बंधवाया जाए, जन वितरण प्रणाली को ठीक से चालू कराया जाए, जिससे गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्न मिल सके, नहीं तो जन वितरण प्रणाली की दुकानें उन लोगों के पास हैं, जो लोग बांटने का काम नहीं जानते हैं इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के पैमाने पर सूखा है इसलिए किसानों को ऋण दिया जाए, पाइप खरीदने के लिए, किसानों को ऋण दिया जाए, पम्पिंग सैट खरीदने के लिए, किसानों को ऋण दिया जाए ट्रैक्टर खरीदने के लिए और साथ ही साथ किसानों को ऋण दिया जाए इसलिए कि वह अपना बोरिंग चालू करा सकें, बिजली लगा सकें नहीं तो सूखे का मुकाबला नहीं होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अन्त में मंत्री जी से फिर निवेदन करता हूं कि बिहार के साथ न्याय किया जाए, अन्याय नहीं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से हूं जो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पिछड़ा तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। अनन्तपुर जिले में वर्षा 544 मि० मी० है जो राज्य में सबसे कम तथा देश में दूसरे नम्बर पर सबसे कम है। इस वर्ष भी, अनन्तपुर जिले में कुछ क्षेत्रों

में अत्यधिक कम वर्षा हुई थी। कई काश्तकारों ने जिले में कोई फसल नहीं उगाई है तथा देर आए मानसून ने खरीफ की फसल की बीजाई तथा रुपाई, पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, विशेषकर अनन्तपुर जिले में।

हम मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करते हैं। दुर्भाग्य से, दक्षिण-पश्चिम मानसून हमारे प्रति दयालु नहीं है। तालाब, सिंचाई नहरें, पेयजल कुएं, बोर वैल्स सूख गए हैं तथा लोग तथा पशु पानी की कमी से परेशान हैं। विश्व बैंक के विशेषज्ञ दल ने जिसने अनन्तपुर जिले का दौरा किया था, यह चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया को तुरन्त रोका नहीं गया तो अनन्तपुर रेगिस्तान में बदल जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उक्त जिला मरुस्थल बन रहा है।

अनन्तपुर जिला जो आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक रायलासीमा क्षेत्र का भाग है, मरुस्थलीकरण के गम्भीर खतरें का सामना कर रहा है तथा इस जिले के लोग लगातार सूखे के कारण तड़फ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। ग्रामीण जनसंख्या का, पड़ौसी राज्यों कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में स्थानांतरण हर वर्ष होता है। पशुओं का बूचड़ खानों में बेचा जाना लोगों की दुर्दशा पर एक दुःखद टिप्पणी है, विशेषकर इस जिले के किसानों तथा श्रमिकों की।

चूंकि स्थिति भयानक है तथा यह एक बड़ी समस्या है, केवल राज्य सरकार ही मरुस्थलीकरण की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं कर सकती।

अनन्तपुर जिले को मरुस्थल बनने से रोकने के लिए अनन्तपुर मरुस्थल निवारण तथा विकास अभिकरण का गठन करना तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करके, आवश्यक निधियां प्रदान करना आवश्यक हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समुद्री चक्रवातों तथा बाढ़ों से प्रभावित होंगे तथा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे तथा अकाल से प्रभावित होंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है—अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री ए० वेंकट रेड्डी अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए० वेंकट रेड्डी : राज्य तथा केन्द्र सरकारें समुद्री चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए करोड़ों रुपये खर्च करेंगी जबकि वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में प्रायः अधिक रुचि नहीं ले रही हैं और लोगों के आंदोलन के बावजूद भी अकाल के दिनों के दौरान कोई धनराशि खर्च नहीं कर रही है।

मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि सूखे का प्रभाव समुद्री तूफानों तथा बाढ़ों के प्रभाव की तुलना में अधिक गम्भीर है। यदि सूखा पड़ा हुआ है तो लोगों को तथा पशुओं को पेयजल तथा खाद्यान्नों की कमी के कारण परेशान होना पड़ता है। मवेशी चारे तथा जल की कमी के कारण परेशान होते हैं।

मैं सरकार से इस सूखा प्रभावित क्षेत्र को गम्भीरता से लेने तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए कार्य करने का अनुरोध करता हूं। सरकार को सूखा से प्रभावित क्षेत्रों पर बाढ़ तथा चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से उदारता से अनुदान राशि देने का अनुरोध करता हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार इस मामलों में आवश्यक कार्य करेगी।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, पहले तो मेरी खुशकिस्मती इसलिए है कि कृषि मन्त्री जी राजस्थान से सम्बन्धित हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी इस समय राजस्थान की स्थिति है उससे वे भली-भांति परिचित हैं। वे भी उतने ही दु:खी होंगे, कष्ट में होंगे वे भी चाहेंगे कि राजस्थान राज्य को इस समय अधिक-से-अधिक सहायता मिलनी चाहिए।

मान्यवर, सूखे की विनाशकारी छाया हिंदुस्तान के पांच राज्यों के 65 से अधिक जिलों में, जहां कम से 7 करोड़ की आबादी है, पड़ रही है। एक सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के कुल 170 से 180 लाख हैक्टेयर में पैदावार सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। राजस्थान के 30 में से 27 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। सूखे की चपेट में 30 हजार से 40 हजार गांव आ चुके हैं। उनमें से 16 हजार गांव सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, डूनगढ़पुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा राजसमंद आदि गांव सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। यही नहीं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मणिपुर ने केन्द्र सरकार से धन की मांग की है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए टीम भेजी थी, उसकी मीटिंग 18 मई और 2 जून को हुई, उसका क्या निर्णय है माननीय मन्त्री जी बताने का प्रयास करें।

मेरा निवेदन है कि सूखे की समस्या को दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। केन्द्र को आपातकालीन योजना बनानी चाहिए और जहां स्थिति गम्भीर है वहां नियमों से बाहर जा कर सहायता देने पर विचार करना चाहिए। विपदा कोश से धनराशि आवंटित की जानी चाहिए और सूखे से निपटने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिए। नदियों के पानी को रोक कर उन पर बांध की व्यवस्था हो। मेरा कृषि मन्त्री जी आपसे विनम्र अनुरोध है कि राजस्थान में कुछ जगह बारिश आ गई है, लेकिन फिर भी राजस्थान इस समय भयावह अकाल से जूझ रहा है। हालांकि अपने बल बूते पर, जितने राज्य सरकार के साधन हैं उनके आधार पर राज्य सूखे से निपटने के लिए लगी हुई है। लेकिन प्राकृतिक आपदा इतनी गम्भीर है कि उसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने सीमित साधनों के आधार पर राज्य सरकार कुछ कर सकने की स्थित में नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने योजना बनाकर अकाल राहत के लिए केन्द्र सरकार से 1.74 अरब रुपये की विशेष सहायता मांगी है। किन्तु राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार ने सहायता देने से इंकार कर दिया।

केन्द्र का कहना है कि राज्य जो स्थाई प्राकृतिक आपदा सहायता कोश है उससे काम चलाए। उससे काम नहीं चल सकता। राजस्थान को अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए ?.80 अरब रुपये

की आवश्यकता है केन्द्र ने जानबूझ कर आंकलन कम किया है। राजस्थान में पूर्व में भी अकाल पड़े हैं जिनसे निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने पहले भी विशेष सहायता दी है। 1987 के वर्ष में अकाल पर 6.50 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। उस समय भी केन्द्र सरकार ने विशेष सहायता दी थी।

इसलिए माननीय मन्त्री जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपके घर में ही सूखा पड़ा है, आपका निर्वाचन क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार की ओर से 1.74 अरब रुपये की विशेष सहायता, जो राजस्थान सरकार ने मांगी है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से आप यह राशि विशेष सहायता के रूप में जैसे पूर्व में देते रहे हैं, देने की घोषणा करेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, आज भी राजस्थान में बहुत से ऐसे जिले हैं खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर, माननीय मन्त्री जी का स्वयं का क्षेत्र है जहां पर बारिश की भयंकर शार्टेज है और सूखा नहीं बल्कि अकाल जैसी परिस्थिति है। सरकार की तरफ से वहां राहत कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके पास रिसोर्सिज नहीं हैं।

मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन क्षेत्रों में विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में जहां बहुत सूखा है, वहां मवेशी हताहत हुए हैं। बहुत से किसानों के खेतों में धान तक नहीं हुआ। उनको कंपनसेशन और आपात राहत की ज्यादा मदद दी जाए। पूरा समर्थन करके सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि सूखाग्रस्त के किसानों को राहत मिल सके।

5.41 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी गिनती में मेरे ख्याल में चालीस माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, जहां तक सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं उसमें भाग लेना चाहता था। जहां तक समय के आबंटन का प्रश्न है, मैं सरकार में कोई दोष निकालना नहीं चाहता क्योंकि मैं अत्यधिक छोटे अल्पसंख्यक दल से सम्बन्धित हूं। लेकिन मैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि सूखा, सिंचाई और ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों के अलावा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए समय किस प्रकार बिताया जा रहा है। पिछले बजट सत्र में लगभग चालीस सदस्य एक लिखित अभ्यावेदन के साथ आपके पास आए थे जिसमें उन्होंने सिंचाई और ऊर्जा के सम्बन्ध में चर्चा हेतु कुछ समय दिए जाने की मांग की थी। इस सदन में प्रत्येक सदस्य ने विभिन्न सिंचाई हेतु बांधों के निर्माण के लिए स्थाई तौर पर राहत उपायों के सम्बन्ध में बोलने का प्रयास किया। लेकिन मैं बड़े गौर से देख रहा हूं कि आप किस प्रकार समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे यहां बोलने का और किसी प्रकार का प्रचार पाने का कोई शौक नहीं है। संसदीय कार्य मन्त्री बता रहे हैं कि नियम 193 के सौजन्य से हम पूरे देश में सूखे की स्थिति जैसे इस गम्भीर मसले पर वाद-विवाद कर रहे हैं। लेकिन यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे कार्य मंत्रणा समिति में इतनी लापरवाही से लिया जाये। क्या मैं

आपको ईमानदारी से बताऊं कि मुझे इसका बड़ा दुख है ? जहां तक इन गम्भीर मामलों का सम्बन्ध है, जैसी स्थितियां चल रही हैं, मैं समझता हूं कि यह सदन सारी महत्ता खो चुका है। हम संवेदनशील मुद्दों पर चार-पांच दिनों से विचार-विमर्श कर रहे हैं ताकि कुछ मत प्राप्त किए जा सकें। इस प्रकार की स्थितियां है। मुझे खेद है। मैं यहां केवल अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोल रहा हूं। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मुझे अनुमति दी गई है अथवा मुझे अनुमति नहीं दी जाएगी। बात केवल यही है कि नियम 377 और इसी तरह के नियमों में अन्तर्गत विभिन्न अन्य अवांछित मुद्दों पर सदन का कीमती समय किस प्रकार व्यतीत किया गया है। मैं एक नया सदस्य हो सकता हूं किन्तु मैं संसद की कार्यवाहियों से अपरिचित नहीं हूं। मैं बहुत-कुछ देख चुका हूं। मैं बड़ा व्यथित मन में से ऐसे विचार व्यक्त कर रहा हूं यद्यपि मैं···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो···

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं अपना निवेदन कर चुका हूं। मैं अप्रिय स्थिति नहीं लाना चाहता हूं। मैं यहां बोल सकता हूं लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको विषय की समझ है। माननीय मन्त्री जी भी मान गए हैं। यदि आप पांच अथवा दस मिनट के लिए बोलना चाहें तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : देवगौडा जी के लिए मेरे मन में बहुत बड़ा आदर है, मैं रोज उनसे बात करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं यहां कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता हूं। मुझे यहां साफ-साफ बात कहने दीजिए। मैं यह समझता था कि पीठासीन अधिकारी मुझे बुलायेंगे। मैं हर समय चिल्लाना नहीं चाहता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए। यदि हमें यह पता होता कि आप बोलना चाहते थे तो हम पहले भी समय दे सकते थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : तीन रोज से पर बहस हुई है, जो चाहता है उनको बोलने दिया जाता है। जब 535 मैम्बर हैं तो उनको चांस दिया जाए।

[अनुवाद]

प्रत्येक व्यक्ति सूखे के सम्बन्ध में बोलना चाहता है। आप इस प्रकार समय बर्बाद क्यों कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें विषय की समझ हैं और मुझे यह व्यक्तिगत तौर पर मालूम है। हम उनके विचार सुनना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उनको कष्ट हुआ इसलिए उनको मौका दे दिया गया और भी बोलने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : औरों को भी देंगे, आज नहीं बाद में देंगे।

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, मैं यहां किसी भी सदस्य का महत्त्व कम नहीं करना चाहता। किन्तु जिस प्रकार इस सदन का कीमती समय बिताया जा रहा है, उस सम्बन्ध में हमारे अपपने विचार हैं। सदस्यों को इस प्रकार महसूस नहीं करना चाहिए। इस सदन में जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, मुझे उन्हें देखकर दु:ख हो रहा है। हम यह बहुत कुछ देख चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे रहने दीजिए।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, मैं केवल दो अथवा तीन प्रश्न करना चाहूंगा। इसी सदन में तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने स्वीकार किया है कि कर्नाटक में लगभग 8.12 लाख हैक्टेयर फसल नष्ट हो गई है। 9 जुलाई के अपने उत्तर में आपने यह स्वीकार किया है। मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं, विशेषकर इस मुद्दे के सम्बन्ध में कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का किस प्रकार प्रयास किया है। मैं आपके अपने वक्तव्य में दिये उत्तर को पढ़ूंगा :

> "वित्तीय राहत व्यय की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को आपद राहत (कोष) निधि के रूप में संग्रह का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपाय करने आवश्यक होते हैं।

यह ठीक है।

> "केन्द्रीय सरकार को केवल अति प्रचंड आपदाओं, जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर निपटना आवश्यक हो, के मामले में अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए।"

यह सही है। लेकिन जब आप अगले पैरा पर आते हैं, आपने स्वयं कहा है :

> "चूंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों में सूखे की स्थिति को अति प्रचंड नहीं माना गया है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि इन राज्यों को किसी प्रकार की केन्द्र द्वारा सहायता नहीं दी जाएगी।"

जब यह मामला था, पिछले पैरा में यह कहा गया था :

> "वर्ष 1992-93 के लिए 63.25 करोड़ रुपये की आपद राहत निधि दी गई है जिसमें से गुजरात और महाराष्ट्र को क्रमश: 33 करोड़ रुपये दिया गया है और तीन किस्तों में 17.43 करोड़ और 20.81 करोड़ रुपये क्रमश: केरल और मध्य प्रदेश को अग्रिम रूप में दिए गए हैं।"

आपके अपने वक्तव्य में, मैं यह पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक की उपेक्षा करने का सही कारण क्या है? मैं इस सम्बन्ध में दोष नहीं निकालना चाहता कि अन्य राज्यों को इतना अधिक धन क्यों

दिया गया था। लेकिन आपके अपने वक्तव्य में, आपने यह कहने का प्रयास किया कि लगभग 8:12 लाख हैक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और मैं इस सदन में आपसे एक और बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। विभिन्न राज्यों में अधिकारी दल भेजा गया है। केन्द्रीय सरकार की ओर से वही अधिकारी दल कर्नाटक में क्यों नहीं भेजा गया है? यह एक दूसरा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। और विभिन्न राज्यों में अधिकारी दल के जाने और रिपोट भेजने के बाद उस रिपोर्ट की अन्त:-मंत्रालयीय दल द्वारा पुन: जांच की जायेगी। तब अन्त:-मंत्रालयीय दल उस रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय लेगा जो उस अधिकारी दल द्वारा भेजी जायेगी जिन्होंने तत्स्थानिक अध्ययन किया है : उस रिपोर्ट की अन्त:-मंत्रालयीय स्तर पर इन अधिकारियों द्वारा किस प्रकार जांच अथवा पुन:-विचार किया जाएगा जिन्हें क्षेत्र स्तर के कार्य और उसकी समस्याओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है? ये दो कठिनाईयां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस निकाय की और उस अधिकारी दल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की किस प्रकार अवहेलना की जा सकती है जो वहां गए हैं, जिन्होंने तत्स्थानिक अध्ययन किया, स्थानीय क्षेत्र के लोगों की ज्वलंत समस्याओं की गहराई से जांच की? और अन्त:-मंत्रालयीय दल रिपोर्ट के खिलाफ किस प्रकार निर्णय ले सकता है? यदि वे रिपोर्ट से सहमत हैं, तो ठीक है। आपने यह भी कहा है कि अन्त:मंत्रीय दल एक वक्तव्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट से सहमत नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। जहां तक विभिन्न राज्यों के लिए राहत निधियों के आबंटन का सम्बन्ध है, उसके लिए एक समान प्रक्रिया अथवा मार्गनिर्देश होने चाहिए। मैं 'क' राज्य अथवा 'ख' राज्य में दोष नहीं निकाल रहा हूं और न ही इस सम्बन्ध में बात कर रहा हूं कि क्या किसी को कम अथवा ज्यादा धनराशि दी गई है। मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन जहां तक राहत निधियों के आबंटन का प्रश्न है कुछ मार्गनिर्देश अवश्य होने चाहिए।

गुलबर्ग के विषय में मैं एक-दो वाक्य कहना चाहूंगा। माननीय रेल मंत्री, जो माननीय कृषि मंत्री के मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, वहां गए और मौके का जायजा लिया। उन्होंने मंत्रालय से जल आपूर्ति हेतु रेलवे टैंकरों के लिए आदेश दिया जो आंध्र प्रदेश में है। रेल द्वारा मंत्रालय से गुलबर्ग को जल की आपूर्ति की जा रही है और इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि रिपोर्ट कैसे प्राप्त हो रही हैं अथवा सूचना किस प्रकार एकत्रित की जाती है।

मैंने 10 तारीख को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न के उत्तर और 9 तारीख को इस सदन में तारांकित उत्तर को पढ़ा है। दोनों उत्तरों के बीच अत्यधिक अन्तर, विसंगति और तथ्यों का बेमेल वर्णन है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा: अपने विवेक और अनुभव से उन्हें इस तरह की गलत जानकारी इस सदन या दूसरे सदन में भेजने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे अधिक, स्थिति के महत्व के बारे में निर्णय लेते समय अधिकारियों या नौकरशाही को मुख्य भूमिका नहीं निभानी चाहिए।

पिछली बार मैं सदन में 2 या 3 रुपए के चैक प्रस्तुत करना चाहता था जो कर्नाटक सरकार द्वारा कृषकों को राहत के रूप में जारी किए गए हैं। परन्तु आपने मुझे ऐसा न करने की सलाह दी। मैं पीठासीन द्वारा दी गई सलाह से सहमत हूं। जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है केन्द्र से राज्यों के लिए अवश्य कुछ मार्गनिदेश होंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री से यह देखने लिए पुन: अनुरोध करूंगा कि एक-दूसरे राज्य में कोई भेद न हो और किसी भी राज्य से सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे। मेरे विचार से हम तब तक बैठेंगे जब तक माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेते क्योंकि अब 6 बजने में 10 मिनट हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से दत्तचित होकर अपने प्रदेश, अपने इलाके की व्यथा सबको सुनाई और बताई और इस सम्बन्ध में किस प्रकार से क्या करना है, सुझाव भी दिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं तो चार मुद्दे उठते हैं जो यहां बहस में आये हैं। एक तो यह है कि इस सूखे के क्या नतीजे, क्या इफैक्ट्स, क्या प्रभाव पड़े ? कितना हमारा दुख-दर्द है, कितनी लोगों की व्यथा है, कितनी भूख है, कितनी राहत की कमी है, कितनी पशुओं को चारे और पानी की आवश्यकता है, सारा काम इस वातावरण में किस प्रकार से हो, वह सब लोगों ने व्यक्त किया है।

दूसरा मुद्दा यह है कि इमीजिएट कंटीजेंट प्लान क्या है ? इस सूखे से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं और इसमें किस प्रकार की हमारी योजनायें हैं ?

तीसरा जो मुद्दा रहा, यहां हाउस में सब सदस्यों ने कहा कि इसके लिए कोई दूरगामी स्थायी प्लानिंग होनी चाहिए।

चौथा सबसे बड़ा कांटा जो सबके मन में खटकता वह है कलेमटीज फण्ड्स का। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी और चिमटकर रह गयी। इसमें से निकलना तब तक नहीं होता जब तक हम दूसरे फाइनेंस कमीशन तक नहीं पहुंचते हैं—उसका क्या किया जाये इसके बारे में भी बात आई। इन सब बातों में जाने से पहले मुझे ख्याल आता है कि इस दुख दर्द का क्या इफेक्ट हुआ है जिसमें कोई दो राय नहीं हैं। सूखा नाम ही बहुत भयंकर है। जैसे एक आदमी सूख जाता है तो गड़बड़ हो जाती है और पानी सूख जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। पानी के बिना आदमी नहीं रह सकता है क्योंकि पानी के बगैर उसकी गाड़ी नहीं चल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूखे से सबको भुगतना पड़ता है। इससे न लोगों को, न केन्द्रीय सरकार को और किसी राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। मैं तो कहूंगा कि वित्त मंत्री नहीं बैठे हैं, छोटे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं। असल में वित्त मंत्रालय भी वर्षा पर डिपेंड करता है। अगर बरसात अच्छी होती है तो कोई चक्कर नहीं पड़ता, फिर खजाना पूरा रहता है, कमी नहीं होती। न खाने की कमी होती है, न धन की कमी होती है। मैं खुद इस बात से चिन्तित रहता हूं। आपको तो अपने-अपने प्रदेश की बात लगी रहती है लेकिन मुझे तो सबकी चिंता करनी है। आप मुझ से पूछते हैं कि सूखे का क्या करोगे ? मेरी एक बहन बैठी थीं माननीय सदस्या, वह कह रही थीं कि मंत्री जी अगर पानी भी नहीं दे सकते तो मंत्री क्या करते हैं ? काश ! मैं पानी की बरसात करवा सकता तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास वहांशक्ति नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करके लड़ाई कर लेता कि उस मन्दिर की लड़ाई को छोड़ दो,

पानी बरसा दो।...(व्यवधान)...मैं अपने राम से मांग लेता कि यहां बरस जाओ। मैं इतना कहना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : इस सदन में अंग्रेजों के जमाने से कहा जाता है—

[अनुवाद]

बजट को हमेशा मानसून में जुए के रूप में वर्णित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : यह यथार्थ है, यह फैक्चुअल पोजीशन है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मैं इसे जानता हूं। उसको पता नहीं होगा जिसने खेती नहीं की होगी। अग्निहोत्री जी बैठे हैं। आपने खेती की थी या नहीं?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अभी भी कर रहा हूं और बाप-दादा तक कर रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मुझे पता है सूखा क्या है। मुझे पता है कि बरसात में यहां 70 प्रतिशत ऊपर वाले पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन अगर हमारे पंजाब में जब अंग्रेजों की सरकार थी, उसके बाद तरक्की करते-करते भी समय लगता है, लेकिन फिर भी पचास-साठ के दशक में नहर भी होती थी लेकिन थोड़ा पानी होता था जिसमें 25 या 30 प्रतिशत पानी खेत में लगता था और उस वक्त नहरें कट जाती थीं।

एक माननीय सदस्य : आप पंजाब की बात कर रहे हैं या राजस्थान की?

श्री बलराम जाखड़ : मैं दोनों की बात कर रहा हूं। राजस्थान भी मेरे पुरखों का है। मेरे दादा वहां से आए थे। मैं तो वास्तव में भारतमय हो गया हूं। मैंने कभी छोटी बात नहीं सोची और न मैं इंसान-इंसान में फर्क समझता हूं, न प्रदेश-प्रदेश में फर्क समझता हूं और न ऊंच-नीच की बात मैं कभी करता हूं यह मेरे दिमाग में खटकती है। नीतीश जी ने मेरा जवाब दे ही दिया था। आप इस कुर्सी पर रहे हैं, आपको पता है यहां क्या मुसीबतें हैं, क्या दिक्कतें हैं। लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी नहीं हैं; चले गए...।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं बैठा हूं।

श्री बलराम जाखड़ : उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था कि यह क्या तमाशा बना रखा है। लेकिन क्या करें यह तो लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, इसको कोई काट नहीं सकता। संविधान ने सब रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं सारी संस्थाओं के लिए। मैं अकेला क्या करूं? मैं अकेले आपके दर्द को समझना चाहता हूं। आपने कह दिया आपने कानून की बात नहीं मानी, इन्दौर हाईकोर्ट की बात नहीं मानी। यह कैसे हो सकता है। मैं तो आपकी बात भी मानता हूं। हाईकोर्ट तो बहुत बड़ी बात है।...(व्यवधान) इन्होंने यह नहीं कहा था कि आप और दे दें। उन्होंने कहा था कि फौरन दे दो।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ ने निदेश दिया था कि केन्द्रीय वन का मध्य प्रदेश के लिए दौरे के अनुकरण में केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को कोई चीज देय है तो उसे शीघ्र दे दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

हमने कुछ रखा ही नहीं था। ऐसे कैसे कर सकते हैं ?

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : 250 करोड़ रुपए मांगे थे और 18 करोड़ दिए। क्या यह राशि ठीक है।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने तो लक्ष्मण रेखा की बात की है । आप इस रेखा को समझिए । मैं तो इसे दिल में महसूस करता हूं। यह कैसे शुरू हुआ इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।

6·00 म० प०

जब नाइन्थ फाइनैंस कमीशन आया और बात हुई तो प्रदेशों ने भी हमें मजबूर किया कि सेन्टर चौधरी कौन होता है, पैसा तो हमारा है और आये साल तो सूखा पड़ता नहीं है। जब पड़ेगा तो एक साल पड़ेगा, तीन साल बाद पड़ेगा, 5 साल बाद पड़ेगा, फिर वह पैसा उनके पास क्यों रहे। उस पैसे को हम रखेंगे और जब जरूरत होगी तो उसको अपने हिसाब से खर्च करेंगे, लगायेंगे। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि 10 वर्ष का एक सिस्टम बना दो, औसत निकाल लो और उस औसत के हिसाब से उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। अब मुसीबत यह आयी कि जब उल्टा पड़ गया, जिसे कहते है कि दवा लेने के लिए गए और उल्टी आ गयी, सब कुछ उल्टा हो गया। आप समझ गए होंगे कि मांगने कुछ गए थे, दर्द मिल गया।

यह सारा सिलसिला है, इस तरीके से बात हुई वर्ना खुद पुराने जमाने में मैंने देखा है, यहां भारद्वाज जी बैठे हैं, पुराने जमाने में राजस्थान में 1987-88 में जितना बड़ा संकट आया था, मेरे ख्याल में उतना कभी नहीं आया, सारी शताब्दी में नहीं आया और मैंने खुद देखा कि लोगों ने अपने पशुओं को घर से किस तरह छोड़ा तिलक लगाकर और 5 रुपए का नोट डालकर पशुओं को छोड़ दिया था कि जा मां, अब मैं तेरी रखवाली नहीं कर सकता। यह सब मैंने खुद देखा है। मैंने यह भी देखा कि 37 लाख रुपए का चन्दा इकट्ठा करके हमने 13 हजार पशुओं को सीकर जिले में चार कैम्पों में चार महीने तक चराया। इसलिए मुझे पता है कि उस वक्त कैसा महसूस होता है। जो बात मैं पहले कह रहा था, वही बात अब फिर दोहरा रहा हूं। मुझे इस बात का पता है कि किस तरीके से होता है और मैं चाहता हूं, मैंने सवा छः सौ करोड़ रुपया राजस्थान को दिया था, 200 करोड़ रुपया राजस्थान से लेकर, 850 करोड़ रुपये उन सूखे के दिनों में, उस काम पर लगाये थे। मैं स्वयं चाहता था कि यह पैसा लग जाना चाहिए था लेकिन वह बंट गया, आपने बांट दिया। सारों ने अपना-अपना हिस्सा ले लिया यह सोचकर कि आये साल तो कौन-सा सूखा पडेगा, जब पडेगा तो उसे लगायेंगे, नहीं तो हमारे पास है ही। अब वे लगाते भी हैं, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के पास, भार्गव जी, 200 करोड़ रुपये अब भी बाकी हैं, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। उनको मैंने कहा कि नहीं, पहले इसको खर्च कर लो, उसके बाद जितना भी तुमको आगे दे सकते हैं, वह और कर देंगे।

इसलिए मैं कह रहा था कि सूखे की जो स्थिति है, मुझे उसका पूरा ज्ञान है, बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है। मुझे अपने बूटे और जो फसल होती है, उनसे बिल्कुल उसी तरह लगाव है जैसे मुझे अपने बच्चों से लगाव होता है। मैंने उनको पलते हुए, पालते हुए देखा है। मैंने उनको मरते हुए देखा है। मैंने रेगिस्तान में बाग लगाये हैं। मैं आपको बताऊं कि जब बिल्कुल सूखा

था चारों तरफ टीले थे और वह भी तीन दफा मुझे लगाने पड़े। लोग मेरे घर आकर कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, यहां तो कभी एक बेर का पेड़ भी नहीं लगा, तुम बाग लगाना चाहते हो। छाल तक जल गयी थीं उनकी लेकिन आज वही लहलहाते खेत हैं, जब पानी ज्यादा आ गया। आज हमारे यहां डैम बन गये, भाखड़ा डैम बन गया, पौंग डैम बन गया, थाई डैम बन गया, लहलहाते खेत हो गये और वे ही टीले सीधे हो गये और उनमें कोई झंझट नहीं रहा। सब कुछ पानी से बनता है, सीधी-सी बात है। मुझे उनके दर्द का पता है किस तरीके से सबके दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि उस व्यथा को आप सबके साथ बांट लूं और उनके साथ सब कुछ कर सकूं।

इम्मीडियेटली हम जो काम करना चाहते थे, मैं बैठा नहीं था, मैं खुद चिन्तित था कि बरसात नहीं हुई तो कल सारा देश पूछेगा कि क्या कर रहे हो। खाना कहां से आयेगा? पिछली दफा भी फसल नहीं हुई और 6 मिलियन टन का नुकसान हुआ। खरीफ की फसल इतनी बढ़िया थी कि बस पूछो मत, जिसका कोई हिसाब नहीं था लेकिन अगस्त के आखीर में और सितम्बर के शुरू में बरसात बिल्कुल फेल हो गयी और 6 लाख की खरीफ की फसल का नुकसान हुआ। वह तो थोड़ी कृपा हुई, केवल एक आसरा रहा कि हमारे तिलहन, गेहूं और दूसरे अनाजों में रबी की फसल अच्छी हो गयी जिससे कुछ बात बन गयी। कहने को तो तब भी कह सकते हैं कि प्रोक्योरमैंट कम हुआ। प्रोक्योरमैंट कम हुआ लेकिन अनाज कम नहीं हुआ। आज भी मेरे किसान के पास अनाज है और मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा कि वह इतने दामों पर उसे बेच दे क्योंकि हमने उसको सपोर्ट प्राइस दिया है, हमने उसको प्रोक्योरमैंट प्राइस नहीं दिया है और न मैं किसी को करने दूंगा कि वह किसान को मजबूर करके उसके दाम दिलवाये। जब सारे लिबरेलाईजेशन करते हैं तो किसान के ऊपर क्या ठेका लगा रखा है कि उसको हम इसी हिसाब से देंगे। कहने को तो सारे कह देते हैं जब किसान की बात होगी तो कहते हैं कि किसान को भाव क्यों नहीं देते हो—ऐसे दोनों तरफ तो नहीं हो सकता कि दोनों हाथ में लड्डू भी रख लो और हाथ से खा भी लो···(व्यवधान)···हां ठीक है, वह करेंगे। इस हिसाब से करना चाहते हैं।

एक बात यहां और कहना चाहता हूं, जो हम आगे प्रैक्टिकल में करेंगे, सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा था कि हमने एकदम से सारे अफसरों को भेजा।

[अनुवाद]

सहकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने खरीफ आकस्मिकता फसल पर चर्चा हेतु जून, 1992 के प्रथम पखवाड़े के दौरान 16 मुख्य राज्यों का दौरा किया।

[हिन्दी]

सारे अफसरों को सारी जगह, 16 स्टेट्स में भेजा कि वे जाकर वहां बात करें कि किस तरीके से इसका मुकाबला करें कि खुदा-न-ख्वास्ता अगर गड़बड़ हो गयी, भगवान न करे कि गड़बड़ हो जाये, लेकिन अगर हो जाये तो उसके लिए क्या करना चाहते हो।

[अनुवाद]

"सूखे का सामना करने हेतु किए गए प्रबन्धों की पुनरीक्षा करने के लिए जून में सभी राज्यों के राहत उत्यायुक्तों का सम्मेलन हुआ था।"

वह किया।

"तत्पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों में सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु संकट प्रबंधन ग्रुप (क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप) की पिछले दो महीने के दौरान तीन बार बैठक हुई।"

[हिन्दी]

तीन दफा उसकी मीटिंग की। मैं चीफ मिनिस्टरों को भी बुला सकता था, लेकिन नहीं बुलाया क्योंकि वह नीचे के लैवल पर ही हो गया। भगवान ऐसा न करे कि कभी ऐसा हो। अब मुझे रिपोर्ट मिली है कि ड्राउट अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। कुछ पाकेट में ही सिर्फ है। आज की जो मैट्रोलौजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हैं, वह बड़ी आशावादी है। एक नीनो एलीमेंट है जिसके हिसाब से वे कहते थे कि बहुत कम बरसात होगी, लेकिन कल ही मेरे पास उनका पत्र आया है। मामला ठीक हो गया है और अब ठीक ढंग से चलने के आसार हो गए हैं।

आपके जो उड़ीसा में आया वह यह है, सारा। भारत के ऊपर से गुजर रहा है। यूं आकर गुजरा है। यह मैं आपको मैट्रोलौजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया चित्र दिखा रहा हूं। इसमें आंध्र प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश नीचे रह गया हैं। यह ऊपर-ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से करना चाहता था। मैंने उसका प्रबन्ध किया।

[अनुवाद]

"ऊपर सचिव के अधीन क्राप वैदर वाच ग्रुप स्थिति की पुनरीक्षा हेतु प्रत्येक सप्ताह बैठक कर रहा है जिसने अन्य विषयों के साथ डीजल की आपूर्ति स्थिति और विद्युत स्थिति की पुनरीक्षा की जा रही है।"

[हिन्दी]

मुझे इत्तला दी है, मुझे माननीय सदस्यों ने बताया कि डीजल नहीं मिल रहा है, पावर नहीं मिल रही है। मैं इन दोनों मंत्रालयों के पीछे लगा हुआ हूं। मेरा डिपार्टमेंट उनके पीछे लगा रहता है। तेल वालों के पीछे लगा रहता है, बिजली वालों के पीछे लगा रहता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अब आगे भी यह ठीक चलेगा। करेक्ट चलेगा, यह आप कैसे सुनिश्चित करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : कल ही मेरे पास लैटर आया है। मैं अभी दो बजे उसको पढ़कर आया हूं। उससे मेरी तसल्ली हुई है। काफी अच्छा है। गुजरात में, मध्यप्रदेश में पानी बरसा है। भार्गव जी, आपके राजस्थान में तो बरसात क्या बाढ़ आ गई है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी जो बातें आप बता रहे हैं, वे सब बातें आपसे पहले माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप नई बात क्या बता रहे हैं। आप हमें यह बताइए कि आप क्या कोई सूखे से बचाव के लिए और बाढ़ से रक्षा के लिए आपात्कालीन योजना की घोषणा करने जा रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : वही तो मैं बता रहा हूं। मैं यही आपको बता रहा था कि मैंने क्या-क्या किया है। कैसे-कैसे किया है। कंटिजेंसी की बात ही तो मैं आपको बता रहा था कि यह-यह किया, बात की, उसको बुलाया, सारा कुछ किया। लक्ष्मण रेखा की बात बताई। मेरी मजबूरी बताई। नीतीश जी समझते हैं। मैं इनको मैं गवाही के रूप में पेश करता हूं। इसके लिए जिस तरह का बंदोबस्त करना चाहिए, यह सब हमने किया।

अब आपने बिहार के मुतल्लिक बात कही और मुझसे कहा कि आप इतने कठोर हृदय कैसे हो

गए कि जब उन्होंने नहीं कहा, तो आपने नहीं किया। अब आप समझते हैं कि हमारी आंखें और कान तो स्टेट्स हैं। हम जो कुछ करते हैं, कराते हैं, वह सब स्टेट के माध्यम से करते हैं। अब आप जानते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली कोई एक हाथ से तो बजती नहीं है। ऐसे एक हाथ हवा में घुमाते रहें, तो ताली नहीं बजेगी। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर करते हैं। इनसे पूछिए ये वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं, मेरी क्या लड़ाई रहती है, मेरी क्या मांग रहती है, इनके पास क्या था, जो ये दे सकते हैं। ये सारी बातें सोचनी पड़ती है।

जैसे आप कहते हैं, वैसा ही मैं भी पहले सोचता था कि हमारी दूरगामी परियोजनाएं हों। सारा का सारा पानी पी जाऊं और जब जरूरत हो, तो वहां सिंचाई कर दूं। मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं और पानी की कीमत जितनी मैं समझ सकता हूं, उतनी कोई दूसरा शायद नहीं समझ सकता। मैंने पंजाब के सारे खाले और नाले पक्के करवाए हैं। इस प्रकार से 25 प्रतिशत पानी की बचत की है और 8 प्रतिशत जमीन की बचत की है। यह काम बड़े सुन्दर तरीके से किया है। मैं उसकी कीमत जानता हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सारा कर रहे हैं। सारा पैसा भेजने के बाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हमने उनको किस्तें ज्यादा दीं, एक्सलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत उनको ज्यादा पैसा दिया। एक किस्त की बजाय, दो-तीन और चार-चार किश्तें देने की बात की है। कैलेमिटी रिलीफ फण्ड की बात जो हम कर सकते थे, वह हमने की है। जो मेरी सामर्थ्य में था, जो संभव था वह मैंने किया है। उसके लिए करना चाहता था। अब आईन्दा की बात रह गई है। मैं आपकी बात समझता हूं, आप चाहते हैं कि सैंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे। इस बात को हम पहले कर लें। सैंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपकी आवाज और शक्ति इकट्ठी सुन रहे हैं और जितना इनसे हो सकता है, जैसे पहले दिया करते थे यदि वह बात होती तो हम मांगते। अब भी मैं कोशिश करूंगा कि हमें कुछ दें लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं। उन नजबूरियों से निकल सकते हैं कि नहीं, इतनी बात है। चाहता मैं भी हूं और चाहते आप भी हैं लेकिन अगर मेरे पास होता मैं जरूर आपके पास रख देता।

हम आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग अकेले सैंटर से नहीं होगी, अकेले स्टेट से नहीं होगी। मैं पंजाब का उदाहरण देता हूं। पंजाब का भांखड़ा नहीं बनता, पोंग नहीं बनता, थाई अब बनने वाला है, नहीं बने तो मामला वैसे ही था। फिर न हरियाणा में सिंचाई होती, न ही अनाज मिलता। पंजाब में, पंजाब, हरियाणा, ऊना तहसील, हिमाचल का कांगड़ा जिला और चंडीगढ़, ये सारा एक प्रदेश था और इसमें सन् 50 में 3? हजार टन अनाज कम पड़ता था जो बाहर से मंगाकर खाना पड़ता था। आज चंडीगढ़ अलग, ऊना अलग, कांगड़ा अलग, छोटा सा पंजाब है, वह 65 प्रतिशत अनाज भंडार में भरता है सिर्फ पानी की वजह से। हमारा धान नहीं होना था, हमने धान आपको दिया, तरकीबन 78 लाख टन दिया। गेहूं तकरीबन पिछले साल से 5-7 लाख टन ज्यादा हुआ है। इसी तरह से दो लाख हैक्टर में सूरजमुखी उगाकर दिया है।···(व्यवधान) अकेले सेन्टर से कुछ नहीं होता है, स्टेट्स को भी उसी तरह से काम करना पड़ेगा···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सारी बात पंजाब की बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे सारे भारत की बात बता रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट की लीडरशिप क्या कर सकती है । यदि आप चाहें कि सेन्टर सारा कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा ।

श्री तरित बरण तोपदार : जैसे भाखड़ा सक्सैसफुल हुआ इस तरह से और प्रदेशों में जहां-जहां दूसरे प्रोजैक्ट्स हैं, वे भाखड़ा की तरह सक्सैसफुल क्यों नहीं हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं बता रहा हूं । बात उसी पर चल रही है ।

श्री नीतीश कुमार : ये तो लाचार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनकी बात तो सुन लें ।

श्री बलराम जाखड़ : नीतिश जी को कितनी हमदर्दी है, वे इस बात से गुजरे हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, भूतपूर्व कृषि मंत्री वर्तमान कृषि मंत्री का समर्थन करते हैं···

अध्यक्ष महोदय : वे उनकी मुश्किलों को समझते हैं ।

श्री श्रीकांत जेना : परन्तु उन्हें भूतपूर्व अध्यक्ष का दृष्टिकोण न अपनाने दें । तो सदस्य कहीं नहीं रहेंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अगर अकेले स्टेट करना चाहे तो नहीं होगा, अकेले सैंटर भी कुछ नहीं कर सकता है । यह स्टेट की लीडरदाशिप पर, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वह क्या करती है और किस तरह से काम चलाती है ।

माननीय सदस्य ने वहां से कहा था कि अगर प्रताप सिंह कैरो होता, मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूं, मैं बिहार वाले सदस्यों से कहना चाहता हूं कि क्यों 1500 मेगावाट बिजली हैं सिर्फ, क्यों सोन नहर बन्द रहे, यह सेण्टर नहीं कर पाएगा, यह स्टेट करेगी, उनको करना चाहिए । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : मनुष्य मुख्य कारक है । वह सृजक और उत्पादक है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : आप विद्युत उत्पादन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता देते हैं ? आपने कहा था कि···**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है । प्रत्येक राज्य सरकार को योजना के अनुसार धनराशि दी जाती है । प्रत्येक राज्य के लिए योजना है । किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है । कम से कम मैं तो किसी भेदभाव के बारे में नहीं सोच सकता हूं । **(व्यवधान)**

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यहां भेदभाव है । यह अलग बात है कि आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं । आप भी सरकार के विचार सुनने में

वास्तव में दिलचस्पी रखते होंगे। और यहां पर कृषि मंत्री के अलावा अन्य कोई अधिक प्रमाणिक राय नहीं दे सकता है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं दिल से बात करता हूं। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यथार्थवादी हूं। यथार्थ की बात कह रहा हूं। समय के अनुसार काम कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी स्टेट के साथ कोई भेदभाव करूं लेकिन इतनी बात जरूर है कि दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर प्रदेश की लीडरशिप तगड़ी है, काम करने वाली है, नीयत ठीक है, सेवा करने की है तो स्टेट तरक्की करेगा। अगर वह स्टेट तरक्की करने वाला नहीं है तो तरक्की नहीं करेगा और इससे देश को नुकसान होगा, लोगों को नुकसान होगा। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वे अपने-अपने प्रदेशों में जो भी काम कर सकते हैं, करें और यहां जो मुझसे करवाना है, वह हमें बतायें, मुझे ऐतराज नहीं है। हमारी आलोचना करो, हमें धमकाओ, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। हमने सेवा करने की शपथ ली है। हम इसके हिसाब से चलेंगे। जितना हम देना चाहते थे, दिया। हमने लड़ाई भी की। जो राशि हमारे डिपार्टमेंट को आवंटित की गई उस पर हमने कहा कि हमारा काम इससे नहीं चल सकता है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और हम काम करना चाहते हैं। हमें ज्यादा दो। पांच हजार से साढ़े सात हजार करवाया। साढ़े 400 करोड़ रिसर्च में पहले वह देना चाहते थे, हमने 1300 करोड़ करवाया।

कैलेमिटी रिलीफ फंड की बात के बारे में मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक मीटिंग करें। चाहे तो फाइनान्स मिनिस्टर करें। हम उसे कैबिनेट के सामने रखना चाहते हैं। अफसरों के सिवाय किसी को मैं भेज नहीं सकता हूं। मैं अकेला सब जगह जा नहीं सकता हूं। पांच उंगलिया होती हैं तो हाथ बनता है। जब नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने नाइन्थ फाइनांस कमीशन लगाया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उस बंधे हाथ से क्या दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं, वह आपके सामने हैं। अगर मैं कब्जा करके बैठता हूं, उसको नहीं दे रहा हूं तो मेरी जिम्मेवारी है।

[अनुवाद]

गुजरात में हमने निम्नलिखित किया :—

—विपदा राहत (कैलमिटी रिलीफ) के सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश को अग्रिम रूप से जारी किया।

—त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत कटौती को फिर से देना शुरू किया।

—जवाहर रोजगार योजना (ज० रो० यो०) की अगली किश्त को जारी किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य अनुदान का अतिरिक्त आवंटन। यह एक लाख रुपए होता है।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हमने निम्नलिखित किया :

—जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दूसरी किश्त को अग्रिम रूप से जारी किया।

—राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की गति को देखते हुए, 1992-93 के लिए सी० आर० पी० के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की द्वितीय तिमाही किश्त को अग्रिम रूप से जारी किया।

—जल योजना के अन्तर्गत तिमाही किश्त को अग्रिम रूप से जारी किया।

महाराष्ट्र में हमने निम्नलिखित दिया :

—सी० आर० पी० के सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश को अग्रिम रूप से जारी किया।

—सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अग्रिम मात्रा, मई के महीने में 1,35,000 टन, जून से सितम्बर तक प्रतिमाह 1,65,000 टन और अक्तूबर से दिसम्बर तक 1.6 लाख टन।

—व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त को अग्रिम रूप से जारी किया।

—व्यय पर निर्भर करते हुए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत निधि को अग्रिम रूप से जारी किया।

—सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में तीन माह के लिए मानदण्डों में छूट जिससे पेय जल योजना में पूरी तरह से शामिल होते हुए भी गांवों की पेयजल मांग को पूरा करने के लिए कार्य शुरू किया जा सके।

—राज्य सरकार से उपयुक्त प्रस्तावों की प्राप्ति पर अनुपूरक पोषण कार्यक्रम हेतु महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त निधि देने पर विचार।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, दल ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक धनराशि 80 करोड़ रुपए आंकी है। राज्य सरकार के पास 200 करोड़ रुपए की खर्च न की गयी धनराशि उपलब्ध है। इसलिए उसे किसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को पेयजल तथा चारा प्रदान करने के उपाय बढ़ाने चाहिए।

[हिन्दी]

वह उनको पहले खर्च करें, फिर उसके बाद और जरूरत पड़े तो और आपको देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। उन्हें समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

यह सारी बातें, जिस तरीके की जहां-जहां हुई हैं, वह बताई। अब बिहार की बात आप करें, बिहार वालों ने बगैर···

एक माननीय सदस्य : इण्डियन फिशरमैन के लिए आपने क्या किया ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा, नहीं।

(व्यवधान)

ऐसा नहीं, आपके मन में आया, उसका जवाब उनसे नहीं आयेगा।

श्री बलराम जाखड़ : हर एक चीज के लिए स्टेट गवर्नमेण्ट करती है, सैण्टर सारा नहीं कर पाता है। सैण्टर का काम दूसरा है।

[अनुवाद]

यह कतिपय चीजों के बीच समन्वय स्थापित करने, मार्गनिदेश देने और सहायता प्रदान करने के लिए है। राज्य सरकार को इस सबके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

यह कहना पड़ता है। दूसरा मैं चाहता हूं कि आप उनको कहा करो। अब देखिए, यू० पी० के मुताल्लिक मेरे पास कतई कोई डिमाण्ड नहीं आई।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा कोई मांग नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अब मेरे पास रिकार्ड है, दफ्तर में आप आकर देखिए। आप आकर देखिए, मैं मेरे पास कोई छिपाने की गुंजाइश नहीं रखता। मैं कोई चीज छिपाकर नहीं (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। काफी हो चुका।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : बिहार के बारे में यह कह रहा था कि आप उनको कहा करिए कि यह काम हमारा हो रहा है तो हमें लिखेंगे तभी पता लगेगा कि अब यहां से बैठे हुए…

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आप को अल्पावधि और दीर्घावधि योजनाओं के बारे में बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : शार्ट टर्म तो हमने बता दिया। लांग टर्म जो है।

[अनुवाद]

हमारा समन्वयकारी दृष्टिकोण होना चाहिए।

[हिन्दी]

उसमें अकेली एग्रीकल्चर मिनिस्टरी नहीं कर पायेगी, उसके लिए आपको पावर, इरीगेशन, रूरल डवलपमेण्ट एण्ड फण्ड्स, यह सारे बैठेंगे। अब मैं चाहता हूं, जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा तो तब तक सूखा पड़ने का अन्देशा हो सकता है। बगैर पानी के हमेशा सूखा पड़ सकता है। अभी सिंचाई के तहत 30 प्रतिशत खेती है 70 प्रतिशत नहीं है। अभी यहां बैठे हैं, यह कह रहे थे तो 30 प्रतिशत इरीगेशन है और 70 प्रतिशत वर्षा पर आधारित है, कितना बढ़ाया है, कितना और बढ़ाना चाहते हैं, उसमें सारी योजनाएं हमें करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, कौन-कौन सी योजनाएं हैं, उनको पूरी प्रैक्टिकल शेप देना चाहते हैं और नई छोटी योजनायें, छोटे बांधों की कौन-सी बनाना चाहते हैं और फिर उसके साथ सिंचाई के साधन किस प्रकार हम और बढ़ाना चाहते हैं और पानी का उपयोग किस प्रकार से और उत्तम तरीके से कर सकते हैं।

ड्रिप इरीगेशन है, जहां कम पानी है, वहां पौधे से…अब महाराष्ट्र में देखिए. अध्यक्ष महोदय,

आप अपने स्टेट के लोगों ने घड़ों से पानी ले जाकर अनार पैदा कर दिए। मैं देखकर हैरान रह गया। मैं एक गांव में गया, जहां पानी बिल्कुल नहीं है लेकिन बच्चे और घरवाले घड़े में एक सूराख करके, वाजपेयी जी, उन्होंने जड़ के पास रखा और इतने-इतने बढ़िया अनार पैदा किये, उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि करना चाहिए।

मैं इजराइल वालों से बातचीत कर रहा हूं, वह यहां आये भी हैं। मेरा एक डैलीगेशन वहां जाकर आया है, बात करके आया है, सारा काम देखकर आया है, इसके बाद उनको बुलायेंगे, सारा करेंगे, किस तरीके से सूखे में उन्होंने लहलहाते खेत बनाये हैं। उनके पास जोर्डन रीवर नाम की रीवर है, हमारे पास तो बड़ी नदियां हैं। कहने को तो सारे कहते हैं, मैं भी कहता हूं, वह बर्डल कैनाल होती, गंगा सौर सूखे का सारा का सारा सिस्टम बन जाता, कितना रुपया चाहिए, कितना चाहिए ? लाखों करोड़ चाहिए। क्या आज हमारे पास है ? पंजाबी में कहावत हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मां चली भुनाने। कपड़ा कितना है, उसके अनुसार कोट बनेगा या बण्डी बनेगी, वैसे तो नहीं बन सकती। तो पैसा होना चाहिए। कहने को मैं भी चाहता हूं, मैं कब चाहता हूं कि सूखा पड़े, मैं कब चाहता हूं कि पानी मेरा समुद्र में चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि जितनी भी हमारी योजनायें हैं, उनको हम कार्य रूप में परिणित करें और ठीक ढंग से उनको चालू करने की कोशिश करें। इस दफा हमने···(व्यवधान) ···एक मिनट बैठिये, आप। दो मिनट बीच में टोकिये मत।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : ऐसा हल्ला नहीं करना इसलिए कहिए तो पूछूं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं, इनके भाषण के बाद पूछिये।

श्री बलराम जाखड़ : हल्ला किसलिए करना है, आप समझदार आदमी हैं। तो मैं यह कहता हूं कि इस बार एक वाटर शेड प्रोग्राम हमने जारी किया। वाटर शेड प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल से हमने अपनी तरफ से बहुत बड़ी राशि 1100 करोड़ रुपए की रखी है और मैं अभी बताता हूं आपको, हमने बड़ा सुन्दर प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए। उसके साथ यही नहीं है, जो रूरल डवलपमेण्ट है, उसमें 14 हजार करोड़ के बजाय 30 हजार करोड़ रुपया रखा गया है और उसमें पानी के प्रबन्ध के लिए भी काफी पैसा होगा। मैं उनको भी साथ जोड़ना चाहता हूं कि आप इसमें मेरी सहायता करो जिससे कि आइन्दा किसान को भी फायदा हो सके और पीने के पानी का बन्दोबस्त हो सके। यह देखिये।

[अनुवाद]

सरकार सूखे और बाढ़ का सामना करने के लिए दीर्घावधि वाले उपायों की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। हम वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (नेशयल वाटरशेड डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट फार रेनफेड एरियाज्) शीर्षक के अन्तर्गत एक महत्वाकांक्षी वाटरशेड विकास परियोजना क्रियान्वित कर रहे हैं। यह परियोजना देश के सभी ऐसे ब्लाकों में लागू की जा रही है जहां 30 प्रतिशत से कम कृषि योग्य भूमि (कृषि क्षेत्र) में सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं। देश में ऐसे लगभग 2500 ब्लाक हैं जहां यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(क) इनमें से प्रत्येक ब्याक के पास एक समन्वित वाटरशेड विकास परियोजना होगी जिसका दायरा 500 हे० से लगभग 1000 हे० तक होगा तथा जो वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्रों में 'फार्मिंग

सिस्टम एप्रोच' को अपनाते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी के क्रियाचयन हेतु एक 'आदर्श नमूने' के रूप में कार्य करेगी।

(ख) 'फार्मिंग सिस्टम एप्रोच' से तात्पर्य है कि भूमि को उसकी क्षमतानुसार विकसित किया जाएगा और उसका प्रयोग आवश्यकतानुसार इस तरीके से किया जाएगा जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति दीर्घकालीन ढंग से हो सके।

(ग) इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के जरिए तथा 'मित्र किसान' के नाम से किसानों के साथ सम्पर्क स्थापित कर किया जा रहा है। 'गोपालों' को किसानों और भूमिहीन मजदूरों को साथ लेकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रमों को ठेकेदारी द्वारा क्रियान्वत करने की प्रथा को इस परियोजना में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्व-विनियमित लाभार्थी समूह तैयार करें।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन विकास, कृषि-वानिकी, बागवानी, रेशम-उत्पादन, मत्स्य-पालन विकास, मुर्गीपालन, कुटीर उद्योग स्तर पर कृषि-आधारित प्रसंस्करण कार्य शुरू किया जाएगा जो किसानों की आवश्यकताओं तथा कृषि क्षेत्र की सामर्थ्य के अनुसार होगी। इससे साथ ही वर्षा जल संरक्षण और भू-संरक्षण का कार्य भी शुरू किया जाएगा जो मुख्यतया वनस्पति संरक्षण के उपायों पर आधारित होगा।

(ङ) इस परियोजना पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है तथा 'वर्षा' शीर्षक के अन्तर्गत— जिससे तात्पर्य वर्षा के साथ ही उन वाटरशेड क्षेत्रों से है जहां कृषि की प्रणाली वर्षा पर निर्भर है— विस्तृत मार्गनिदेश हिन्दी और अंग्रेजी में सभी राज्यों में ब्लाक स्तर तक परिचालित कर दिए गए हैं। इन मार्गनिदेशों का अनुवाद भी गुजराती, तेलुगू, कन्नड़ भाषा में किया गया है और राज्यों की अन्य भाषाओं में अनुवाद कार्य प्रगति पर है। गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस कार्यक्रम, विशेषरूप से कृषक प्रशिक्षण, परियोजना की तैयारी और मूल्यांकन कार्य में सहायता दें।

मैं सदन को पहले ही बता चुका हूं कि अप्रैल, मई और जून में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर गए केन्द्रीय दल ने हमें उन सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट दी है जिन्हें उन्होंने देखा है।

श्री तरित बरन तोपदार : क्या भूमि सुधार कार्य किया जा रहा है ?

श्री बलराम जाखड़ : उसे किया जा रहा है। वह बिल्कुल ठीक है। यह सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है; ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को अकेले 500 एकड़ भूमि मिलेगी। वह बहुत हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सूची में है।

श्री बलराम जाखड़ : उस तरह, हम दीर्घावधि संदर्भ में इससे लड़ने के लिए जो भी हो सकता है कर रहे हैं। हम इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ने लिए इस सदन का समर्थन और विश्वास चाहते हैं।

6.29 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम चर्चा के लिए कोई दूसरी मद नहीं ले रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं सदन में उपस्थित हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही शुरू किया जा चुका है।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह पहले ही शुरू हो चुका है अतः यह जारी रखा जाएगा, चाहे आप इसे आज जारी रखना चाहते हैं अथवा कल ?

कई माननीय सदस्य : आज नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक कल, 31 जुलाई, 1992 के 11.00 म० प० तक के लिए स्थगित की जाती है।

6.30 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 31 जुलाई, 1992/9 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इण्डियन प्रिंटिंग प्रैस, दिल्ली,

16/2003

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.